राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

ग्रंक : 3] ग्यारहवीं विधान सभा के तीसरे सत्र का पांचवां दिवस [संख्या : 5

शनिवार,

25 सितम्बर, 1999

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

सूचना प्राप्ति प्रश्न

शहीद नेतराम गुर्जर के पार्थिव शरीर का पता नहीं

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री चन्दन मल जी बैद।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में एक शहीद हो गया कारगिल के अन्दर नेतराम गुर्जर। उसकी सूचना प्रशासन ने दे दी, दाह-संस्कार की तैयारियां हो गई, 20,000 आदमी इकट्ठे हो गये लेकिन उसका पार्थिव आज शरीर तक नहीं ग्राया। उसकी धर्मपत्नी ने ग्रन्न-जल त्याग रखा है और उसकी हालत खराब हो रही है। ग्राज सारे लोग बाहर खड़े हुए हैं। मैं भी ग्रापसे निवेदन कर रहा हूं, सरकार जवाब दे कि उसके शरीर का क्या हुग्रा जब वह शहीद हो गया, सारी सूचनाएं ग्रा गई और प्रसाशन पूरा इकट्ठा हो गया? कलेक्टर ग्रा गया, माननीय मुख्य सचेतक महोदय वहां पहुंच गये, सारे लोग वहां पहुंच गये लेकिन उसका शरीर ग्राज तक नहीं ग्राया।

श्री उपाध्यक्ष : ग्रार्डर ग्रार्डर।

श्री रामस्वरूप : उसकी धर्मपत्नी की हालत खराब हो रही है। नेतराम गुर्जर के शरीर का क्या हुग्रा, उसकी देह का क्या हुग्रा? माननीय मुख्य सचेतक महोदय भी वहां पधारे थे। नेतराम गुर्जर की धर्मपत्नी ने ग्रन्न-जल त्याग रखा है। मैं भी....

श्री उपाध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज़, ग्रार्डर।

श्री रामस्वरूप : मैं भी ग्राज ग्रन्न-जल नहीं खाऊंगा जब तक पता नहीं लगेगा उसके शरीर का।

श्री उपाध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री रामस्वरूप : मैं खाना नहीं खाऊंगा। माननीय सैनिक मंत्री महोदय, उसकी देह का क्या हुग्रा? नेतराम गुर्जर की धर्मपत्नी मरणासन्न हालत में बैठी हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : ग्रार्डर, ग्रार्डर।

मोहम्मद माहिर ग्राजाद (नगर) : उपाध्यक्ष महोदय, या तो इनकी सीट बदल दें या मेरी सीट बदल दें, मेरे कान ही खराब हो गये हैं।

श्री रामस्वरूप : मुझे सीट से मतलब नहीं है, यह शहीद का मामला है, साहब। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ग्रार्डर ग्रार्डर। ये बोलें जब ग्राप बाहर चले जाओ। ग्रार्डर ग्रार्डर प्लीज।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : मैं बहुत दुःखी हो गया, मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि कृपया उनका स्थान बदल दें या मेरी सीट बदल दें ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर ।

श्री रामस्वरूप : उसकी धर्मपत्नी का जीवन संकट में है । क्या हुआ नेतराम गुर्जर के शरीर का, जो शहीद हुआ है ? सारे गुर्जर समाज के लोग चिंतित हो रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर । आर्डर प्लीज ।

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, मैं करबद्ध निवेदन कर रहा हूं कि उसकी धर्मपत्नी का जीवन संकट में पड़ा हुआ है । कारगिल में शहीद हुआ है नेतराम गुर्जर लेकिन आज तक पता नहीं लगा उसकी देह का । (व्यवधान) आप जवाब तो दो ।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र
अधिसूचना
वित्त विभाग

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वित्त मंत्रीजी ।

श्री चन्दन मल बैद (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की 43 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :–

(1) अधिसूचना संख्या प. 4(90) वित्त/कर–अनु/82 पार्ट 217 दिनांक 30. 4. 99 जिसके द्वारा तिलम संघ को 75 प्रतिशत कर की छूट 1. 4. 99 से 31. 3. 2000 तक प्रदान की गई है,

(2) अधिसूचना संख्या प. 4(90) वित्त/कर/82 पार्ट–218 दिनांक 30. 4. 99 जिसके द्वारा तिलम संघ को केन्द्रीय विक्रय कर में 75 प्रतिशत कर की छूट दिनांक 1. 4. 99 से 31. 3. 2000 तक प्रदान की गयी है,

(3) अधिसूचना संख्या प. 4(4) वित्त/कर/अनु/99 पार्ट 219 दिनांक 30.4.99 जिसके द्वारा ईंट भट्टा व्यापारियों के लिए वर्ष 1999–2000 के लिए प्रशमन फीस की रकम निर्धारित की गयी है,

(4) अधिसूचना संख्या 4(4) वित्त/कर–अनु/99–220 दिनांक 30. 4. 99 जिसके द्वारा खांडसारी चीनी के रजिस्ट्रीकृत व्यापारियों के लिये प्रशमन स्कीम जारी की गयी है,

(5) अधिसूचना संख्या प. 4(4) वित्त-कर/99–221 दिनांक 30. 4. 99 जिसके द्वारा रत्नों एवं पत्थरों तथा सभी प्रकार के मूल्यवान और अर्द्ध मूल्यवान पत्थरों, मोतियों तथा हीरों का कारोबार करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यापारियों के लिये प्रशमन स्कीम लागू की गयी है,

(6) अधिसूचना संख्या प. 4(4) वित्त/कर-अनु/99-222 से 225 जिसके द्वारा विभागीय सम संख्यक अधिसूचना दिनांक 22. 4. 99 में शुद्धिकरण किया गया है,

(7) अधिसूचना संख्या प. 4(35) वित्त/कर-अनु/98-226 दिनांक 7. 5. 99 जिसके द्वारा स्थानीय क्षेत्र में पहले से ही

(श्री चन्दन मल बैद)

माल के प्रवेश पर कर लग चुका हो या संदत्त किया गया हो उस माल पर दुबारा कर नहीं लगेगा,

(8) अधिसूचना संख्या प. 4(4) वित्त/कर-अनु/99-227 दिनांक 7. 5. 99 जिसके द्वारा सर्राफा व्यापारियों के लिये प्रशमन स्कीम लागू की गयी है,

(9) अधिसूचना संख्या प. 4(4) वित्त/कर-अनु/99-228 दिनांक 26. 5. 99 जिसके द्वारा भगवान महावीर कैंसर अस्पताल और शोध केन्द्र, जयपुर के उपचार वाहन के क्रय या विक्रय को माफ किया गया है,

(10) अधिसूचना संख्या प. 4(4) वित्त/कर/अनु/99-229 दिनांक 5. 6. 99 जिसके द्वारा चमड़े से निर्मित चप्पलों से भिन्न आकार के पट्टे वाली हवाई चप्पलों का कारोबार करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्याहारियों के लिये प्रशमन स्कीम, 1999 अधिसूचित की गयी है,

(11) अधिसूचना संख्या प. 4(4) वित्त/कर-अनु/99-230 दिनांक 8. 6. 99 जिसके द्वारा ईंट–भट्टे के लिये प्रशमन स्कीम, 1999 जारी की गयी है,

(12) अधिसूचना संख्या प. 4(74) वित्त/कर-अनु/96-23 दिनांक 8. 6. 99 जिसके द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा प्रभारित मीटर्स किराये पर संदेय कर को 1. 4, 99 से 31. 3. 2000 तक माफ किया गया है,

(13) अधिसूचना संख्या प. 4(4) वित्त/कर-अनु/99-232 दिनांक 8. 6. 99 जिसके द्वारा दिनांक 9. 8. 94 के जरिये भट्टा प्रशमन स्कीम को विखण्डित किया गया है,

(14) अधिसूचना संख्या प. 4(4) वित्त/कर-अनु/99-233 दिनांक 18.6.99 जिसके द्वारा रत्नों एवं पत्थरों के लिये प्रशमित रकम जमा करने की तारीख 31. 5. 99 से बढ़ाकर 30. 6. 99 की गयी,

(15) अधिसूचना संख्या प. 4(4) वित्त/कर-अनु/99-234 दिनांक 18.6.99 जिसके द्वारा सोना-चांदी, सोना और चांदी से बनी हुई वस्तुएं, गहनों और आभूषणों, कृत्रिम जवाहरात तथा सजावट की हस्तशिल्प वस्तुओं के क्रय या विक्रय को दिनांक 26 3. 99 से 31. 3. 99 तक छूट प्रदान की गयी है,

(16) अधिसूचना संख्या प. 4(4) वित्त/कर-अनु-99-235 दिनांक 18.6.99 जिसके द्वारा सोना और चांदी के व्यापारियों के लिये लागू प्रशमन स्कीम में संशोधन पर फीस की मात्रा को 110.5 प्रतिशत से घटाकर 108 प्रतिशत कर दिया गया है एवं फार्म जमा करने की कालावधि तीस दिन से बढ़ाकर साठ दिन कर दी गयी है,

(17) अधिसूचना संख्या प. 4(4) वित्त/कर-अनु/99-236 दिनांक 30. 6. 99 जिसके द्वारा रत्न और पत्थर व्यापारियों के लिये जारी की गयी स्कीम में विकल्प देने की तारीख 30. 6. 99 से बढ़ाकर 15. 7. 99 कर दी गयी है,

(श्री चन्दन मल बैद)

(18) अधिसूचना संख्या प. 4(59) वित्त/कर-अनु/95-237 दिनांक 8. 7. 99 जिसके द्वारा राजस्थान विक्रय कर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत ओटो एन्सीलरी के लिये निर्धारित न्यूनतम व्यक्तियों की सीमा को 200 व्यक्तियों से घटाकर 25 व्यक्ति कर दिया है,

(19) अधिसूचना संख्या प. 4(59) वित्त/कर-अनु/95-238 दिनांक 8. 7. 99 जिसके द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत ओटो एन्सीलरी के लिये निर्धारित न्यूनतम व्यक्तियों की सीमा को 200 व्यक्तियों से घटाकर 25 व्यक्ति कर दिया गया है,

(20) अधिसूचना संख्या प. 4(59) वित्त/कर-अनु/95-239 दिनांक 8. 7. 99 जिसके द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर आस्थगन योजना के अन्तर्गत ओटो एन्सीलरी के लिये निर्धारित न्यूनतम व्यक्तियों की सीमा को 200 व्यक्तियों से घटा कर 25 व्यक्ति कर दिया गया है,

(21) अधिसूचना संख्या प. 4(40) वित्त/कर-अनु/91-240 दिनांक 22.7.99 जिसके द्वारा रामकृष्ण मिशन, जयपुर की एक चलयान के विक्रय या क्रय को कर से छूट प्रदान की गयी है,

(22) आदेश संख्या प. 10(4) वित्त/कर-अनु/99 दिनांक 7. 5. 99 जिसके द्वारा फिल्मों पर मनोरंजन कर के संदाय से छूट देने के लिये स्कीम, 1999 लागू की गयी है,

(23) अधिसूचना संख्या 10(1) वित्त/कर-अनु/96 दिनांक 20. 5. 99 जिसके द्वारा दिनांक 14. 5. 99 से 20. 6. 99 तक प्रेम प्रकाश सिनेमा हाल, जयपुर में विश्व कप क्रिकेट के 30 मैचों के सजीव प्रदर्शन को मनोरंजन कर से परिहार किया गया है,

(24) अधिसूचना संख्या 10(31) वित्त/कर-अनु/87 दिनांक 22. 5. 99 जिसके द्वारा एक अधिसूचना जारी कर मनोरंजन कर के प्रशमन के लिये स्कीम 99 प्रसारित की गयी है,

(25) अधिसूचना संख्या 10(3) वित्त/कर-अनु/95 पार्ट दिनांक 5. 6. 99 जिसके द्वारा दिनांक 24. 2. 96 को आयोजित महेन्द्र कपूर नाइट एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम को मनोरंजन कर से मुक्त किया गया है,

(26) अधिसूचना संख्या 10(7) वित्त/कर-अनु/98-पार्ट दिनांक 7. 6. 99. जिसके द्वारा दिनांक 6. 3. 99 को जोधपुर में आयोजित क्लासिक भजन संध्या को मनोरंजन कर से मुक्त किया गया हैं,

(27) अधिसूचना संख्या 10(14) वित्त/कर-अनु/96 दिनांक 8. 6. 99 जिसके द्वारा राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर नियम, 1957 के नियम–18 खण्ड में प्रयुक्त विद्यमान अभिव्यक्ति "आयुक्त" के स्थान पर अभिव्यक्ति सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिस्थापित किया गया है,

(28) अधिसूचना संख्या 10(7) वित्त/कर-अनु/98 दिनांक 11. 6. 99 जिसके द्वारा जवाहर कला केन्द्र, जयपुर द्वारा दिनांक 1. 4. 99 से 31. 3. 2000 तक

(श्री चन्दन मल बैद)

आयोजित की गयी व होने वाले विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम को मनोरंजन कर से मुक्त किया गया है,

(29) अधिसूचना संख्या 10(7) वित्त/कर/अनु/98 पार्ट दिनांक 17. 7. 99 जिसके द्वारा महानगर टाइम्स, जयपुर द्वारा दिनांक 18. 7. 99 को प्रातः 9 बजे राजमंदिर सिनेमा हाल, जयपुर में प्रदर्शित सरफरोश फिल्म के एक शो हेतु 1100 सीटों को मनोरंजन कर से मुक्त किया गया है,

(30) अधिसूचना संख्या प. 8(16) वित्त/कर-अनु/98 दिनांक 10. 5. 99 जिसके द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की भूमि एवं भवन को, भूमि एवं भवन कर की देयता से छूट प्रदान की गई है,

(31) अधिसूचना संख्या 10(7) वित्त कर-अनु/98 पार्ट दिनांक 17. 7. 99 जिसके द्वारा दिनांक 7. 7. 99 को प्रदर्शित फिल्म शो को मनोरंजन कर से मुक्त किया गया है,

(32) अधिसूचना संख्या प. 8(3) वित्त/कर-अनु/98 दिनांक 6. 5. 99 जिसके द्वारा आवासीय भवनों, दुकानों एवं अन्य भाग जो किराये पर है, को छोड़कर जोधपुर मेडिकल रिसर्च सेंटर, जोधपुर की शेष भूमि एवं भवन को, भूमि एवं भवन कर से छूट प्रदान की गई है,

(33) अधिसूचना संख्या 8(19) वित्त/कर-अनु/98 दिनांक 19. 5. 99 जिसके द्वारा लाचो मेमोरियल कालेज आफ साइंस, जोधपुर को 98-99 तक की देय, भूमि एवं भवन कर राशि रुपये एक लाख सोलह हजार तीन सौ बियासी रुपये की छूट प्रदान की गई है,

(34) अधिसूचना संख्या प. 8(21) वित्त/कर-अनु/98 दिनांक 19. 5. 99 जिसके द्वारा राजस्थान चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, जयपुर एम. आई. रोड, जयपुर स्थित भूमि एवं भवन को दिनांक 1. 4. 1973 से 31. 3. 1999 तक भूमि एवं भवन कर की राशि में 60 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है,

(35) अधिसूचना संख्या प. 8(14) वित्त/कर-अनु/91 दिनांक 29. 5. 99 जिसके द्वारा नगर भूमि एवं भवन कर विभाग में भूमि एवं भवन कर अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अधीन कार्य क्षेत्र का बंटवारा किया गया है,

(36) अधिसूचना संख्या प. 8(14) वित्त/कर-अनु/91 दिनांक 19. 6. 99 जिसके द्वारा भूमि एवं भवन कर अधिकारी, भरतपुर एवं भीलवाड़ा को कर निर्धारण एवं वसूली की क्रियान्विति के लिए सक्षम प्राधिकारी अधिकृत किया गया है,

(37) आदेश संख्या एफ. 8(6) वित्त/कर-अनु/98 दिनांक 23. 7. 99 को एक आदेश जारी कर भूमि एवं भवन कर की प्रक्रिया के सरलीकरण व सुसंगतिकरण हेतु एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है,

(38) आदेश संख्या एफ. 2(8) वित्त/कर-अनु/90 दिनांक 5. 7. 99 को एक

(श्री चन्दन मल बैद)

आज्ञा प्रसारित कर राजस्थान स्टाम्प नियम के वर्तमान प्रावधान के अनुसार तय किये गये भूमि के बाजार मूल्य के पुनरावलोकन हेतु एक समिति गठित की गई है,

(39) अधिसूचना संख्या प. 2(1) वित्त/कर-अनु/94 दिनांक 9. 8. 99 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा जारी किये जाने वाले 300 करोड़ रुपये के अपरिवर्तनीय बंध पत्रों पर स्टाम्प शुल्क 0.25 प्रतिशत निर्धारित किया गया है, एवं

(40) अधिसूचना संख्या प. 2(12) वित्त/कर-अनु/97 दिनांक 15. 6. 99 जिसके द्वारा हगाम बाई धर्मशाला ट्रस्ट द्वारा दान पर दी जाने वाली रुपये तीन लाख 50 हजार के क्रय की गई भूमि एवं भवन के दस्तावेज पर प्रभारी स्टाम्प शुल्क का परिहार किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री गुलाबचन्द कटारिया।

श्री रामस्वरूप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसके शरीर का क्या हुआ साहब ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर। वह जानकारी प्राप्त करके आपको सूचित करेंगे।

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, उसके शरीर के बारे में कुछ तो बता दो।

श्री उपाध्यक्ष : जानकारी प्राप्त करके सूचित कर देना।

समिति का प्रतिवेदन

जन लेखा समिति के 12 प्रतिवेदन

श्री गुलाब चन्द कटारिया (सभापति, जन लेखा समिति) : उपाध्यक्ष महोदय, (10 से 12) मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार जन लेखा समिति, 1999–2000 के 12 प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित करता हूं :–

1. जन लेखा समिति, 1982–83 के नवें प्रतिवेदन (सातवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही से सम्बन्धित (क्रियान्विति विषयक्) समिति का 10वां प्रतिवेदन,

2. जन लेखा समिति, 1984–85 के 15वें प्रतिवेदन (सातवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही से सम्बन्धित (क्रियान्विति विषयक्) समिति का 11वां प्रतिवेदन,

3. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 1989-90 के पैरा संख्या 3.6 में समाविष्ट जनजाति क्षेत्र विकास विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 12वां प्रतिवेदन,

4. जन लेखा समिति, 1980–81 के प्रथम प्रतिवेदन (सातवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही से सम्बन्धित (क्रियान्विति विषयक्) समिति का 13वां प्रतिवेदन,

5. जन लेखा समिति, 1991–92 के

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

69वें प्रतिवेदन (नवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालन हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही से सम्बन्धित (क्रियान्विति विषयक्) समिति का 14वां प्रतिवेदन,

6. भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 1991-92 के अनुच्छेद संख्या 3.8 व वर्ष 1994-95 के अनुच्छेद संख्या 3.6 में समाविष्ट आयुर्वेद विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 15वां प्रतिवेदन,

7. भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 1990-91 के अनुच्छेद संख्या 3.5 में समाविष्ट पर्यटन विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 16वां प्रतिवेदन,

8. जन लेखा समिति, 1987–88 के 24वें प्रतिवेदन (आठवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर (क्रियान्विति विषयक्) समिति का 17वां प्रतिवेदन,

9. भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 1995-96 के पैरा संख्या 3.1 पशुपालन विभाग एवं वर्ष 1995–96 के पैरा 2.4 पशुपालन तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग व वर्ष 1996–97 का पैरा संख्या 3.4 मत्स्य विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 18वां प्रतिवेदन,

10. जन लेखा समिति, 1994–95 के दसवें प्रतिवेदन (दसवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक् समिति का 19वां प्रतिवेदन,

11. जन लेखा समिति, 1995–96 के 62वें प्रतिवेदन (दसवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई क्रियान्विति विषयक् समिति का 20वां प्रतिवेदन, एवं

12. जन लेखा समिति, 1990-91 के 22वें प्रतिवेदन (नवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई क्रियान्विति विषयक् समिति का 21वां प्रतिवेदन ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरडक ।

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा करबद्ध निवेदन है, नेतराम गुर्जर शहीद हो गया देश के लिए ।

श्री उपाध्यक्ष : आप एक मिनट बैठो। मैं उनसे जवाब दिलवाता हूं ।

राजकीय उपक्रम समिति का 19वां प्रतिवेदन

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजकीय उपक्रम समिति, 1999–2000 राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1978 79, 1986–87 एवं 1987–88) से सम्बन्धित 19वें प्रतिवेदन को सदन में उपस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा सिंह ।

महिलाओं एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति का प्रथम प्रतिवेदन

श्रीमती सुमित्रा सिंह (सभापति, महिला एवं बाल कल्याण समिति) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं महिलाओं एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति, 1999-2000 का प्रथम प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : याचिकाओं का उपस्थापन। श्री मदन दिलावर। नहीं हैं ? श्री भीमसेन चौधरी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि कल शासन से व्यवस्था हुई थी, गांधी नगर जयपुर में....

श्री उपाध्यक्ष : उसका स्टेटमैंट दिलवाएंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष : यह हाउस उठने से पहले स्टेटमैंट दिलाएंगे।

याचिकाओं का उपस्थापन

लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र के विभिन्न उच्च प्राथमिक विद्यालयों की क्रमोन्नति

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र के विभिन्न उच्च प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने बाबत एक याचिका सदन में उपस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमीन खां।

बाड़मेर की तहसील रामसर के ग्राम तालबकापार की बस्ती कबूलानी में पेयजल समस्या का समाधान

श्री अमीन खान (शिव) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिला बाड़मेर की तहसील रामसर के ग्राम तालबकापार की बस्ती कबूलानी में पीने के पानी की समस्या का समाधान करने बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका सदन में उपस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी। जो उन्होंने कहा, उनको आश्वस्त कर दीजिये कि जांच करवा रहे हैं। **(व्यवधान)** आर्डर, आर्डर।

डा. चन्द्रभान (सैनिक कल्याण मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, कारगिल की लड़ाई में राजस्थान के हमारे करीब 70 रणबांकुरे शहीद हुए हैं। जैसाकि माननीय सदस्य की चिंता है, सरकार को और हमारे विभाग को भी चिंता है लेकिन कई बार सतत् प्रयास करने के बावजूद भी लाश का पता नहीं लगता है। राजस्थान का एक वीर सूबेदार हरफूलसिंह जो सबसे पहले शहीद हुआ था, उसका शव सबके अंत में आया झुंझनूं में। जो नेतराम जी की बात आप कर रहे हैं, उसके शव को ढूंढने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। केन्द्र सरकार से और आर्मी से बराबर

(डा. चन्द्रभान)

हमारा मंत्रालय सम्पर्क में है। जब भी शव की सूचना मिलेगी, माननीय सदस्य को और उनके परिवारजन को सूचित कर देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर।

अटरू तहसील के ग्राम किशनपुरा की कृषि विपणन बोर्ड द्वारा स्वीकृत सड़क का निर्माण

श्री मदन दिलावर (अटरू) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित दो याचिकाओं को सदन में उपस्थापित करता हूं :–

(1) ग्राम किशनपुरा तहसील अटरू जिला बारां की कृषि विपणन बोर्ड द्वारा स्वीकृत सड़क का निर्माण कराने बाबत दो व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित, एवं

अटरू विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत ग्रेवल सड़कों का निर्माण

(2) अटरू विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत ग्रेवल सड़कों का निर्माण कराने के संबंध में।

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

राजस्थान पावर सैक्टर सुधार विधेयक, 1999

श्री उपाध्यक्ष : विधायी कार्य, विचारार्थ लिया जाने वाला विधेयक। डा. चन्द्रभान, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान पावर सैक्टर सुधार विधेयक, 1999 को विचारार्थ लिया जाए।

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पावर सैक्टर सुधार विधेयक, 1999 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमसेन चौधरी।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पावर सुधार विधेयक, 1999 को जनमत जानने के लिए परचालित करने के लिए प्रस्तुत करता हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : कोई मानेगा नहीं, आप काहे को प्रयास कर रहे हो ?

श्री भीमसेन : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में राजस्थान विद्युत मण्डल वर्तमान में बिजली की आवश्यकता की पूर्ति के लिए कार्य कर रहा है। इस मण्डल के घाटे को देखते हुए उसमें सुधार करने के लिहाज से एक विद्युत नियामक आयोग गठित करके इस उद्योग को प्रतिस्पर्द्धात्मक तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से सम्पादित करने से यह बिल सदन में प्रस्तुत किया गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विद्युत मण्डल के कार्यकलापों में, इसके संचालन में, इसकी प्रबन्धकीय व्यवस्था में बहुत ही कमियां रही हैं और विद्युत मण्डल बराबर घाटे में जाने के कारण यह आवश्यकता पड़ी कि इस सम्बन्ध में सुधार किया जाए। इस बिल में राज्य सरकार को जो पावर दिये गये हैं, उनमें नीति सम्बन्धी निर्देश जारी करने का बिल में प्रावधान किया गया है। वर्तमान में जो हमारे किसान हैं, घरेलू उपभोक्ता हैं, उद्योगों के संचालनकर्ता हैं, इन सबकी विद्युत की आवश्यकता की

(श्री भीमसेन)

पूर्ति के लिए यह विद्युत मण्डल अभी कार्य कर रहा है। लेकिन हमारा राजस्थान विस्तार में फैला हुआ है, रास्ते में विद्युत की चोरी होती है या विद्युत तंत्र में छीजत होती है। उसको विद्युत मण्डल अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाया, घाटे में वृद्धि का एक कारण यह भी बनता है। विद्युत चोरी होती है, पारेषण में नुकसान होता है, लोसेज ज्यादा होते हैं दूरी के कारण से उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाये, इस कारण से हमारी छीजत 35 प्रतिशत तक बढ़ गई गई है। इस सारी व्यवस्था में सुधार करने के लिए जो बिल प्रस्तुत किया है, उसमें हम तीन कम्पनियां बनाएंगे और विद्युत नियामक आयोग इनका नियमन करेगा, कंट्रोल करेगा, विद्युत की रेट तय करेगा, लाइसेंसेज जारी करेगा, ये सारी व्यवस्थाएं करने के लिए यह जो बिल आपके सामने पेश किया जा रहा है, इसमें सारी जनता के, सारे उपभोक्ताओं के रिएक्शस मालूम हो सकें, उनके सुझाव आमन्त्रित कर सकें, इसके लिए इस बिल को आप जनमत बनाने के लिए परिचालित करें तो मैं समझता हूं इसमें उपयोगी सुधार होंगे और राज्य सरकार को सुविधा होगी कि किस तरह से हम इस व्यवस्था को सही रूप से करना चाहेंगे।

अभी वर्तमान में दो तरह की समस्याएं हैं। कुछ लोग यह चाहते हैं कि वर्तमान में जो विद्युत बोर्ड है इस बोर्ड को ही कम्पनी के रूप में तब्दील कर दिया जाए। उसके अनुसार अभी आप जो तीन कम्पनियां बनाएंगे उसमें कौन तो इसको कोआर्डिनेट करेगा, आपस में डिस्प्यूट्स होंगे, बराबर उनके आर्बिट्रेशन के मामले आते रहेंगे, मैं समझता हूं ये सारी समस्याएं आपके सामने पैदा होंगी। इन सारी समस्याओं का सुधार करने के लिए, इस पर विचार करने के लिए इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए, यह मेरा सुझाव है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमराराम (घोद) :

श्री अमराराम (घोद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विद्युत मंत्री जी ने जो यह राजस्थान पावर सैक्टर सुधार विधेयक, 1999 रखा है इसको अगर हम राजस्थान के परिपेक्ष्य में राजस्थान पावर सैक्टर बिगाड़ विधेयक कहें तो ज्यादा उपयुक्त होगा। नाम सुधार का है मगर आम उपभोक्ता को और किसान को लूटने की छूट देने का यह विधेयक होगा। इसलिए मैं इसको जनमत जानने के लिए परिचालित करने का प्रस्ताव करता हूं। चाहे कृषि क्षेत्र हो, चाहे उद्योग हो, चाहे आदमी के जनरल विकास की बात हो, इस विद्युत के कंजम्पशन से ही यह तय होता है कि समाज कितना एडवांस हुआ और उसमें हम मोनोपोली करने जा रहे हैं इस विधेयक के द्वारा। यह खतरनाक कानून राजस्थान की जनता के लिए सबसे काला कानून है, इस पवित्र सदन का राजस्थान की विधान सभा का सबसे काला कानून यह सरकार लेकर आई है। आज से दस महीने पहले जब ग्यारहवीं विधान सभा के चुनाव थे उस समय राजस्थान की कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से यह कहा था कि राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी के पांच साल के कुशासन में जो राजस्थान के किसान की लूट, राजस्थान की सरकार ने की है उसको हम छूट

(श्री अमराराम)

देंगे । राजस्थान के किसानों और गरीब जनता ने आपको वह बहुमत दिया जो आज तक के चुनावी इतिहास में शायद राजस्थान की कांग्रेस को कभी नहीं मिला। (व्यवधान) आगे भी नहीं मिलेगा । अगर ऐसा कानून पास होगा तो मिलेगा नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की जो हालत थी उससे भी बुरी हालत होगी । आपने छूट का वायदा किया था लेकिन सरकार में आते ही सबसे बड़ी वादाखिलाफी की और जो भारतीय जनता पार्टी ने नौ हजार रुपये पोल के और नर्सरी के नाम से राजस्थान के किसानों की लूट पांच साल तक, आठ साल तक की थी, उसको आगे बढ़ाने का काम किया, छूट देने का नहीं किया बल्कि नौ हजार से बारह हजार किये । नर्सरी का बड़ा प्रचार किया करते थे, उस नर्सरी का शुल्क था साढ़े बारह सौ रुपये पर एच.पी. और आपने अभी योजना निकाली है तीन हजार रुपये पर एच.पी.। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों में इस बात की होड़ लगी हुई है कि राजस्थान के किसान जो संगठित नहीं हैं, अशिक्षित हैं, उनको लूटने में कौन कितना आगे बढ़ता है । इस बात की होड़ लगी हुई है । अभी मंत्री जी कहेंगे कि यह पावर सैक्टर विधेयक भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था । बनाया ही नहीं था, लोक सभा में हिन्दुस्तान की केन्द्रीय सरकार ने पास भी किया है । लेकिन आप पर कौन-सी बाध्यता है ? आपने तो वायदा किया था लोगों से चुनाव में, इस वायदे के साथ वोट लेकर आये थे कि हम लूट समाप्त करेंगे । बजाय समाप्त करने के सरकार में आते ही आपने लूट बढ़ा दी । और यह विधेयक पास करके तो आप उस लूट की पूरी छूट दे रहे हो । पचास-बावन साल की आजादी में जो कुछ राजस्थान की जनता पैसे से राजस्थान की सरकारों ने उनके खेत और घर तक, झोंपड़ी तक बिजली पहुंचाई है वह वापस लेने का कानून होगा क्योंकि इसमें खुली छूट होगी। आज हम कहना चाहेंगे कि आपके 153 विधायक राजस्थान की जनता से जिस वायदे पर वोट लेकर आये हैं, सरकार बनने के बाद हमारी सरकार के मुख्य मंत्री जी और मंत्री जी उस बात को भूल गये। वे भूल गये कि विधायकों की, जनता की राय इसमें लें। बल्कि हमारे मुख्य मंत्रीजी और मंत्रीजी कह रहे हैं कि हम राय विधायकों की और राजस्थान की जनता की नहीं, हम विश्व बैंक की राय से पावर सुधार लागू करेंगे । राय उनकी नहीं होगी जो राजस्थान का भविष्य है, राजस्थान की जनता है । राजस्थान की जनता ने आपको चुनकर भेजा है, उनकी राय नहीं होगी, विश्व बैंक की राय से पावर सुधार विधेयक लागू करेंगे, उनको छूट होगी । इसलिए यह पावर बिगाड़ विधेयक है ।

घाटे का आप प्रचार कर रहे हैं, बगैर मांगे हिसाब दे रहे हैं । हमारे मंत्री का एक ही काम रहा है इन नौ महीने में, हर एक जिला हैड क्वार्टर पर जाकर यह हिसाब देना कि इतना घाटा रहा है । उपाध्यक्ष महोदय, घाटा भी सरकार की नीति के कारण ही रहा है 1991 से मनमोहन सिंह और नरसिंह राव ने नई कृषि नीति के नाम से जो नीति अख्तियार की थी, नौ साल में उस नीति को भारतीय

(श्री अमराराम)

जनता पार्टी ने राजस्थान में लागू रखा, उसको आगे बढ़ाया। उसी का नतीजा है कि 1991 में जो बिजली का घाटा था वह 99 तक कई गुणा बढ़ा। राजस्थान के योजना मद से 1991 में योजना का 17.6 प्रतिशत बिजली बोर्ड को ऋण के रूप में बिजली के विकास के लिए दिया जाता था, चाहे भारतीय जनता पार्टी का शासन हो, चाहे आज कांग्रेस का शासन हो, वह घट कर योजना का मात्र चार प्रतिशत रह गया। 1991 से 99 तक जो उत्पादन होना चाहिए था, उत्पादन के लिए योजना बननी चाहिए थी, उसके लिए धन की व्यवस्था होनी चाहिए थी, वह न राजस्थान की सरकार ने की और न हिन्दुस्तान की सरकार ने उस ओर कदम बढ़ाये। हमारी पूर्व सरकार के मुख्य मंत्री और विद्युत मंत्री केवल एक घोषणा करते रहे कि हम पांच हजार मेगावाट बिजली बनाएंगे, आकाश से बनाएंगे सूर्य की रोशनी से बनाएंगे, हवा से बनाएंगे, पाताल से बनाएंगे, कंपनियां बनाएंगी, प्राइवेट इनवैस्टमैंट होगा। आज भारतीय जनता पार्टी के उप नेता महोदय बैठे हुए हैं, नेता महोदय तो नहीं हैं, एक मेगावाट बिजली भी प्राइवेट सैक्टर से नहीं बनाई और उसका नतीजा यह हुआ कि एक तरफ बिजली का उत्पादन नहीं हुआ.... (व्यवधान), एक मेगावाट बिजली पैदा नहीं की और दूसरी ओर 91 से लेकर 99 तक कंजम्प्शन और कंज़्यूमर की संख्या चार गुना बढ़ गई। उसकी पूर्ति के लिए दूसरे प्रदेशों से, केंद्रीय ताप बिजली निगम से जो बिजली ली गई है, वह ऊंचे दामों पर लेनी पड़ी है वह इस नीति के कारण से लेनी पड़ी है जिससे सबसे ज्यादा घाटा राजस्थान के बिजली बोर्ड का बढ़ा है। आज भी मैं कह सकता हूं कि राजस्थान का बिजली बोर्ड हिन्दुस्तान के गिने-चुने बिजली बोर्ड्स में है, बहुत बढ़िया है। हमारे मंत्री जी यह प्रचार करते हैं कि खेती के कारण, खेती में सब्सिडी देने के कारण घाटा है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि दिल्ली के बिजली बोर्ड में एक भी कंज़्यूमर एग्रीकल्चर का नहीं है, लेकिन हिन्दुस्तान के जितने बिजली बोर्ड हैं उनमें सबसे ज्यादा घाटा है तो दिल्ली के बिजली बोर्ड में है क्यों? बिजली और खेती का अगर हम ऐसे ही नापेंगे, नफे और नुकसान के साथ तो हमारी खाद्यान्न आत्मनिर्भरता समाप्त होगी। इस नीति में आप नौकरियां बंद कर रहे हैं। किसान के पास उसकी जिन्दगी का एकमात्र सहारा खेती है। राजस्थान में कुछ एक जो सिंचाई परियोजनाएं हैं उनको छोड़ कर पूरे राजस्थान में अकाल था। उस अकाल में आपका सिर फोड़ कर अपना सब कुछ न्यौछावर करके तीन सौ चार सौ फीट नीचे से पानी निकाल कर जो बिजली सरकार ने दे दी उससे उसको सरसब्ज करने में जो कुछ 50 साल में 52 साल में किया है उसको नष्ट करने का यह कानून है। आज जिस हालत में राजस्थान का किसान है, आप पहले से ही उसको 14 साल में कनेक्शन दे रहे हो विश्व बैंक के आधार पर आप यह कानून ला रहे हैं उसमें तीन साल के बाद यह कानून लागू होने के बाद किसान को आप आधे से ज्यादा सब्सिडी चाहते हुए भी नहीं दे सकते। जिन कम्पनियों की आप बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र सरकार ने एनरॉन कम्पनी से बिजली

(श्री अमराराम)

उत्पादन का कार्य करवाया है, उसकी रेट 4.95 रुपये तो केवल कम्पनी से बोर्ड को देने की है और कंजूमर तक पहुंचाने की उसकी कीमत ग्राएगी 8 रुपये प्रति यूनिट। किसान को अगर चार रुपये प्रति यूनिट होगी तो मैं समझता हूं, एक–दो जो फार्म हाउस जो बड़े-बड़े अधिकारियों और बड़े-बड़े नेताओं ने जयपुर के इर्द-गिर्द बना रखे हैं, जिन फार्म हाउसों के चारों ओर 8 फीट की दीवार पक्की बना रखी है वे तो हो सकता है इस बिजली का उपभोग कर ले लेकिन वे 6 लाख किसान जिनकी जिन्दगी इस बिजली पर निर्भर है उनके पास बिजली नहीं रहेगी। हा-हाकार मचेगा जिसमें यह सरकार भी नहीं बचेगी। यह जो विधेयक आज आप पास करने जा रहे हैं, यह इतना खतरनाक कानून होगा कि यह सरकार बचेगी और न किसान बचेगा। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस विधेयक को जो जनता के जीवन से जुड़ा हुआ है, लोगों के बीच में जाने दिया जाए, प्रवर समिति को सौंपा जाए। और भी उपाय हो सकते थे, जनमत जानने के बाद आपको इसका पता लगेगा। राजस्थान के 80% किसान अभी भी नहीं जानते कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। कई जो जानते हैं वे तमाम पावर इंजीनियर्स, कर्मचारी राजनीतिक भेदभाव भुला कर आज हजारों की संख्या में राजस्थान की विधान सभा के सामने इसलिए आ रहे हैं कि अगर यह विधेयक पास हुआ तो राजस्थान की जनता, कर्मचारी और राजस्थान का भविष्य अंधकारमय होगा। यह पावर सैक्टर बिल सबसे खतरनाक है। उपाध्यक्ष महोदय, उड़ीसा में आज से तीन साल पहले यह लागू किया गया था, उसकी हालत यह हो गई कि आज वहां तीन प्रतिशत कंजूमर घट गये। विश्व बैंक के इशारे से जो पावर रिफार्म्स बिल पास किया गया था, लागू किया गया था, एक किस्त देने के बाद उड़ीसा को विश्व बैंक ने कुछ नहीं दिया और जो स्थिति थी उससे उल्टी स्थिति हो गयी। वहां बिजली की कीमत आज किसान से 2.55 रुपये पर पहुंच गई है। मैं समझता हूं कि मंत्रीजी और सरकार जो वायदा करके राजस्थान की जनता से और किसान से वोट लेकर आये हैं वह वायदा-खिलाफी ही नहीं यह तो छूट होगी, एक मोनोपाली होगी। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में आप कह रहे हैं कि प्रतियोगिता होगी, किससे प्रतियोगिता होगी? राजस्थान की जनता के करोड़ों-अरबों रुपये राजस्थान की सरकार ने बिजली के क्षेत्र में–बिजली उत्पादन में, बिजली पहुंचाने में जो खर्च किये हैं वह उनके हवाले करेंगे ये और कम्पनियां एकछत्र होंगी। बड़ी-बड़ी कम्पनियों और सेठों को छूट होगी। यह स्थिति नहीं होगी जैसे चीनी अगर एक दुकान पर महंगी है तो दूसरी पर खरीद सकते हैं। यह बिजली नियमन विधेयक पास होने के बाद वे तीन कम्पनियां ही होंगी राजस्थान में जिनमें एक बिजली पैदा करेगी, एक बिजली ट्रांसमिशन का काम करेगी और तीसरी बिजली की वसूली का काम करेगी। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा, चाहे वह किसान है चाहे गरीब है।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करिये, माननीय सदस्य।

श्री अमराराम (धोद) : उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं होगा और इनको लूटने का एकछत्र अधिकार होगा। राजस्थान की सरकार जो राजस्थान की जनता का प्रतिनिधित्व करती है उसके पास भी यह विधेयक पास होने के बाद कोई अधिकार।

श्री उपाध्यक्ष : कह दिया न यह। चौथी दफे कह रहे हैं यह बात। और सदस्य इतने बोलेंगे, ध्यान रखें।

श्री रघुबीर सिंह (सराड़ा) : पश्चिम बंगाल का अनुभव बता रहे हैं क्या ?

श्री अमराराम (धोद) : अभी तो राजस्थान की हो रही है, पश्चिम बंगाल चलेंगे तब वहां की बता देंगे।

श्री रघुबीर सिंह (सराड़ा) : वहां की हालत बताइये न।

श्री अमराराम (धोद) : हिन्दुस्तान में सरप्लस हैं अगर पॉवर में तो वह वैस्ट बंगाल है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री रघुबीर सिंह (सराड़ा) : वहां स्वीकार किया है कि नहीं, यह बताइए आप।

श्री अमराराम (धोद) : नहीं किया और करेंगे भी नहीं। वैस्ट बंगाल तो वह स्टेट है जो सरप्लस है और उड़ीसा को देता है।

श्री रघुबीर सिंह (सराड़) : वहां के किसानों के लिए रेट क्या हैं ?

श्री अमराराम (धोद) : वहां की रेट आपसे कम है।

डा. चन्द्रभान : कम नहीं है, ज्यादा है।

श्री अमराराम (धोद) : कम है।

डा. चन्द्रभान : यदि ज्यादा हुई तो, माननीय सदस्य ?

श्री रामस्वरूप : या तो ये इस्तीफा दे देंगे या आप इस्तीफा दे देना, करें फैसला आप यह।

डा. चन्द्रभान : वहां राजस्थान से दुगुनी है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, समाप्त कीजिये माननीय सदस्य।

श्री अमराराम (धोद) : यह जो पॉवर सैक्टर है इसमें हालत, उपाध्यक्ष महोदय, यह होगी कि राजस्थान का किसान बच नहीं पाएगा क्योंकि एकछत्र शासन उसके हाथ में होगा, राजस्थान की सरकार के पास केवल यह होगा कि वह सलाह दे सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरडक।

श्री अमराराम (धोद) : तो सलाह तो आयोग को कोई भी दे सकता है। राजस्थान की सरकार जो भी चुन कर आएगी, चाहे जिस भी दल की होगी लेकिन राजस्थान की जनता की भावना के अनुसार उनको बिजली नहीं मिल पाएगी। नहीं मिल पाएगी तो राजस्थान की जनता का सबसे अहितकारी, काला काला कानून यह साबित होगा राजस्थान की विधान सभा में कांग्रेस पार्टी

(श्री ग्रमराराम)

ग्रगर इसको पास करेगी तो उसे इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। जो मंत्री जी ग्रभी कह रहे थे कि राजस्थान में 8 महीने से ग्रान्दोलन नहीं हुग्रा वह ग्रान्दोलन भुगतना पड़ेगा। फिर न सरकार बचेगी और न मंत्रीजी के भाषण बचेंगे। इसलिए मेरा तो ग्रापसे निवेदन है उपाध्यक्ष महोदय, कि इसको प्रवर समिति को सौंप दिया जाए। जो रिएक्शन ग्राते हैं उसके बाद में विचार करें। इस बिजली में जो पैसे की ग्रावश्यकता है निश्चित रूप से इसकी ग्रावश्यकता को पूरा किया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया न प्रवर समिति को सौंपने का ग्रब क्या सुझाव हैं ?

श्री ग्रमराराम (धोद) : ग्रौर भी कई उपाय हो सकते हैं। इस क्षेत्र से जिनके हित जुड़े हुए हैं, जिनकी जिन्दगी जुड़ी है ग्रगर उनके साथ ग्रापने यह बर्ताव किया तो इसके लिए आप खुद भुक्तभोगी होंगे। यही बात कहते हुए मैं समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हरजीरामजी।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, पावर सैक्टर सुधार विधेयक जो यहां सदन में प्रस्तुत हुग्रा है, उसको देखने में ऐसा लगता है कि इसमें सुधार की बजाय बिगाड़ ज्यादा होने वाला है। (व्यवधान) ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : इसीलिए हम बिल लेकर नहीं ग्राये थे।

श्री हरजीराम बुरडक : इतना ग्राप खुश मत होग्रो। आप ही की देन है, यह ग्राप ही इसको छोड़ कर दे गये और ग्रापकी भारत सरकार ने पहले पास किया। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ग्राप जो बोल रहे हैं उसके ऊपर है। (व्यवधान) ...

श्री हरजीराम बुरडक : ग्रापकी भारत सरकार ने पास किया है उसके बाद ये कर रहे हैं। यह कोई ग्रापने भला काम नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष : ग्रार्डर ग्रार्डर। माननीय सदस्य। ग्रपनी बात करें।

श्री हरजीराम बुरडक : ग्रगर ग्राप ठीक करते हैं तो इसको निश्चित रूप से पास कर देते, इसको ग्रापने ऐसा का ऐसा छोड़ा क्यों ? ग्रगर आप कुछ भलाई करना चाहते तो भली तरीके से पास करते इसको। ग्रापने छोड़ा इसलिए कि ग्राज भी कुछ करना नहीं चाहते।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की शक्तियों का जो समावेश इसमें किया गया है उसको पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि यह बिल पास होने के बाद राज्य सरकार के पास कोई शक्ति नहीं रहेगी। इसमें धारा–12 में यह लिखा है, ग्रायोग ग्रपने कर्तव्यों, ऐसे नीति विषयक मामलों में जिनमें लोकहित ग्रन्तर्ग्रस्त हो, ऐसे निर्देशों द्वारा मार्गदर्शित होगा जो राज्य सरकार उसे लिखित रूप में देगी। इसकी उप धारा 2 में लिखा है, "यदि इस बारे में कोई भी प्रश्न उठता है कि ऐसा कोई भी निर्देश ऐसे किसी नीति विषयक मामले से जिसमें लोकहित अन्तर्ग्रस्त है, सम्बन्धित है या

(श्री हरजीराम बुरडक)

नहीं तो उसे केन्द्रीय आयोग को निर्दिष्ट किया जाएगा जिस पर उसका विनिश्चय अन्तिम और बाध्यकारी होगा।" अब यह एक्ट पास होने के बाद राज्य सरकार के पास क्या रहेगा ? इस धारा के अलावा इस एक्ट में राज्य सरकार को कोई भी इन्टरफियरेंस करने का अधिकार नहीं है। अभी मंत्रीजी खड़े होकर यहां घोषणा करते हैं कि काश्तकारों को आठ घण्टे बिजली देंगे। यह विधेयक पास होने के बाद क्या ऐसी घोषणा कर सकेंगे ? अगर लिखित रूप में ये भेज देंगे कि फेमिन हो गया, काश्तकारों की फसलें जल रही हैं, आप आठ घण्टा बिजली दो तो उसको वे केन्द्रीय आयोग को रैफर कर देंगे। और वहां से भी अगर यही उत्तर आएगा तो आइंदा भी कुछ नहीं कह सकेंगे। मेरा कहने का मतलब यह था कि आप बिल पास करो लेकिन अगर राज्य सरकार के पास कुछ भी नहीं रहे तो यह इतनी मेहनत करने की कहां जरूरत है ? आप यही प्रस्ताव पास कर दो कि बिजली बोर्ड से राज्य सरकार का नियंत्रण हटा लिया है, वह चाहे जैसा करे। इससे तो वही अच्छा था।

इसके बाद आप इसकी तीन कम्पनी बना रहे हैं। अब तीन का क्या मेल होगा? जहां तक उत्पादन और वितरण की दो कम्पनी बनाओ वहां तक तो बात ठीक है। पारेषण की अलग बनाओ और वितरण की अलग बनाओ, उसमें कैसे समावेश होगा ? उत्पादन का काम अलग हो सकता है लेकिन वह तो एक ही काम है, इसके लिये दो कैसे चलेंगी ? अगर लाइन कहीं ओवर लोड है और वितरण करने वाला कहे कि मैं तो यहां से बिजली वितरण करूंगा तो वह कैसे होगा ? इसलिए आपको इसमें भी सोचना चाहिये कि जो काम आप करना चाहते हैं वह दो में भी हो जाएगा, तो तीन करने का क्या तुक हुआ। यह भी कोई समझने की बात नहीं है।

तीसरा इसमें यह है कि टैरिफ तय करने का काम आपने आयोग को सौंपा है और टैरिफ तय करने के आपने सिद्धांत तय कर के दिये हैं कि पहला तो उत्पादन लागत होगी, दूसरा वाणिज्यिक आधार होगा और तीसरा लोड का आधार होगा। मान लो, किसी एक कंज़ूमर को पांच मेगावाट चाहिये और किसी को तीन हार्स पावर चाहिये, अगर लोड का फैक्टर और पावर फैक्टर इसमें आधार होकर वाणिज्यिक दृष्टि से देखेंगे तो किसान को बिजली महंगी मिलेगी कि नहीं ? उद्योगों को बिजली सस्ती मिलेगी कि नहीं ? इसमें मेन आधार दो ही हैं, उत्पादन लागत तो एक है लेकिन लोड फैक्टर और वाणिज्यिक आधार। वाणिज्यिक आधार में यह सीधा-सा सवाल है कि पांच मेगावाट अगर एक ही जगह जा रही है, एक ही लाइन से जा रही है, एक ही ट्रांसफार्मर में से जा रही हैं तो वह सस्ती पड़ेगी। अब आप एक ट्रक में एक बोरी लद कर सीकर ले जाओ तो उसका किराया क्या पड़ेगा और ट्रक लोड कर ले जाओ तो उसका क्या पड़ेगा ? यह सीधी-सी बात है। लेकिन आपने इसमें कहीं देखने की नहीं सोची।

तीसरा इसमें यह कि आपने तीन

(श्री हरजीराम बुरडक) :

सदस्यीय आयोग बनाया है। इसमें कंजूमर का प्रतिनिधि क्या हुआ ? एक्सपर्ट्स होंगे, फाइनेंस के एक्सपर्ट्स होंगे, पर्ना होंगे, सब होंगे लेकिन वहां पर कंजूमर की बात करने वाला कौन होगा ? जो आपने मैम्बर्स की क्वालिफिकेशन रखी है उसमें कंजूमर की तरफ से कोई भी मैम्बर आपने नहीं रखा। उसमें रखना चाहिये।

टैरिफ में आपने जो व्यवस्था कर रखी है उस हिसाब से मैंने पहले भी कहा कि एग्रीकल्चर की सबसे महंगी होगी। क्योंकि उसको पारेषण में बहुत बड़ा इन्वैस्टमैंट और घाटा होगा और उद्योग में नहीं होगा। उद्योग के उत्पादन की लागत उद्योगपति तय करें और किसान की उपज का नीलाम हो, उसके ऊपर रेट अलग रखने की छूट आप उनको दो तो यह एक बहुत बड़ी विसंगति होगी।

इसके अलावा जो हाइडल उत्पादन है वह राज्य सरकार का है। इसमें अलग से अब कोई इन्वैस्टमैंट करना नहीं, वो इन्वैस्टमैंट हुआ है। कम से कम काश्तकार को और गरीब आदमी को देने के लिये उसको तो अपने हाथ में रखो। आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। 10–20 पैसे बिजली पड़ें उसको भी आप साढ़े चार रुपये वाली बिजली में जोड़ दो और उन्हीं कम्पनियों को सौंप दो जो अब बिजली पैदा करेंगी या पर्चेज करेगी।

तो ये सारी बातें ऐसी हैं कि इसके बाद में राज्य सरकार के पास कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिये आपको इसको जल्दबाजी में पास नहीं करना चाहिये। अगर इसके पास होने से ही सारा समाधान हो जाता तो जिन-जिन राज्यों में इसे पास किया गया है, उड़ीसा ने सबसे पहले, तीन साल पहले इसको पास किया। वर्ल्ड बैंक का यह आश्वासन था कि यह पास करोगे तो हम इतने-इतने पीरियड में इतने-इतने रुपये आपको देंगे। आज दिया क्या उनको ? पहली किश्त देकर उन्होंने पल्ला झाड़ लिया और इस सारे सिस्टम का सत्यानाश कर दिया। अभी दो-तीन राज्यों ने यह पास किया है। सदन की एक कमेटी बना दीजिए, वह कमेटी वहां पर अध्ययन कर आपको रिपोर्ट दे देगी। ऐसा क्या पहाड़ पड़ रहा है कि आज ही आप इसको पास करो? ऐसा जरूरी होता तो भैरोंसिंहजी ही कर देते। (व्यवधान) आप तो हल्ला मत करो, आपका लेना-देना नहीं है इसमें। (व्यवधान) आप ही ने तो सारा सत्यानाश किया है। यहां तो आपने पास नहीं किया लेकिन केन्द्र में पास करवा कर सत्यानाश तो सारा आपने ही किया है। नहीं तो आज यह नौबत ही नहीं आती। (व्यवधान) आप अगर सही करते तो आज यह नौबत ही नहीं आती। सारा सत्यानाश तो आपका ही किया हुआ है जिसको हम भोग रहे हैं।

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : भैरोंसिंहजी ने इसलिए पास नहीं किया क्योंकि उनमें दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव था। कमजोर आदमी थे, इसलिए पास नहीं कर पाये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपको इच्छा शक्ति आती रहे। भगवान करे इसी तरह की राजनीतिक इच्छा शक्ति आप रखें अगली बार यहां थोड़े से दिखोगे।

श्री रामस्वरूप : आप किसान नहीं हो। आपका तो नारा है :–

"एक किलो की नौ सौ ग्राम, मार पड़े तो जय सिया राम, एक किलो की नौ सौ ग्राम ।"

आप किसान कब से हो गये ? आपका किसानों से क्या लेना-देना ? आप तो ताकड़ी तोलो और किसानों का खून चूसो।

श्री हरजीराम बुरडक : उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा निवेदन था कि आपने इस विधेयक को वर्ल्ड बैंक के कहने से या भारत सरकार द्वारा विधेयक पास करने के कारण यहां रखा है । इसमें कई जगह आपने भारत सरकार द्वारा अभी जो विधेयक पास किया गया है उसका हवाला भी दिया है । यहां हाउस में जब आपने यह रखा तो मैम्बर्स के सामने वह विधेयक भी जिसका आपने बार-बार इसमें हवाला भी दिया है, यहां देना चाहिये था ताकि उसका भी अध्ययन करते । उससे ही अगर काम चलता होता तो आप यह नया नहीं लाते । इसलिए उस पर भी विचार करना जरूरी था । केन्द्रीय अधिनियम जो पहले से बने हुए हैं, इलैक्ट्रिसिटी एक्ट और इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट, उनका इसमें कहां क्या प्रभाव होगा, इस बारे में आपने कोई खुलासा नहीं किया । एक-दो जगह विवरण जरूर दिया है लेकिन डिटेल के नहीं किया है कि यह पास होने के बाद भी उसका क्या होगा ।

इसके अलावा इसमें धारा 15 में कर्मचारियों के बारे में जो प्रावधान किया गया है वह भी कोई संतोषजनक नहीं किया गया है । इन सारे तथ्यों के आधार पर मैं निवेदन करूंगा कि इसको जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाए और बाद में पास किया जाए ।

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : केवल एक क्लैरीफिकेशन करना चाहूंगा । उपाध्यक्ष महोदय, आप ठीक कह रहे हैं कि आप लोगों को सुनने के बाद मैं रिप्लाई दूंगा लेकिन बहस गलत दिशा में डाइवर्ट न हो जाए इसलिए एक क्लैरीफिकेशन करना चाहूंगा । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर ।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, एक भ्रांति है । पहले बी. जे. पी. शासन में जो बिल ड्राफ्ट हुआ था, यह बिल सेम नहीं है । उसमें तो निजीकरण की बात कही गयी थी अभी जो कह रहे हैं कि सरकार के पास क्या अधिकार रहेगा, तो, उपाध्यक्ष महोदय, हम आर. एस. ई. बी. को अवण्डन करेंगे, इसकी तीन कम्पनीज़ बनेंगी कम्पनी एक्ट के तहत । मतलब इसको हम कारपोरेशन बनाएंगे और वे यह तीनों गवर्नमैंट ओंड होंगे । इनकी वही स्थिति होगी जैसी कि उद्योग विभाग में रीको की है । इसलिए यह कहना कि सरकार के पास कुछ नहीं रहेगा, एक तो यह तथ्यों से परे बात है ।

दूसरी बात, रेगुलेटरी कमीशन की कही जा रही है । (व्यवधान) रेगुलेटरी कमीशन के बारे में इतना ही कहना है कि (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी आप जवाब देंगे तब कह देना । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, बहस को इसी तरह चलना है ? यह क्या

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

बात है, मंत्रीजी इंटरवीन कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : आप बहस को खुद गलत दिशा में ले जा रहे हैं। (व्यवधान) आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी बाद में जवाब दें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिवनाथ सिंहजी। आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : प्रत्येक काम में सफाई मत देना, बाद में देना सफाई। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। माननीय अमरारामजी विराजें। जगतसिंहजी बिराजिये। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : आप रेट्स तय नहीं कर सकते, आप जो बिजली जाएगी वह नहीं दे सकते।

डा. चन्द्रभान : इसके लिए सब्सिडी दे सकती हैं गवर्नमेंट।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह काला कानून होगा। किसान को लूटकर अब क्या सफाई दे रहे हो, बीच में, बाद में सफाई देना। यह काला कानून लाकर किसानों को लूटकर आप तो यह बताइये कि बिजली की दरें बढ़ा रहे हो कि नहीं बढ़ा रहे हो? आप बार-बार बहाना क्यों कर रहे हो?

श्री उपाध्यक्ष : शिवनाथ सिंहजी। (व्यवधान) आप बैठिये प्लीज। जो होना है वह हो जाएगा, बैठिये प्लीज। (व्यवधान) माननीय जगत सिंहजी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, ये सफाई बाद में दें। काला कानून लाकर किसानों को लूटने का.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपने कह दिया, आप बोलोगे जो बोल देना काला कानून।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : बाद में दें सफाई। पहले क्यों बोल रहे हैं। मंत्री महोदय। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जगत सिंहजी।

श्री जगत सिंह दायमा : अब आप दोनों पक्षों के माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं, उसके ऊपर वोट भी दें। कल की तरह नहीं जैसे अलसर पर रख दिया और फिर वोट दे दिया यह नहीं होना चाहिए क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? विधान सभा का टाइम वेस्ट कर रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलो जो बोल लेना।

श्री जगत सिंह दायमा : मुझे टाइम मिलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : आपका संशोधन होगा तो जरूर देंगे।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : इस पर विधायकों को क्या पावर है, सारे विधायक बैठे हैं, विधायकों को क्या पावर है, आप यह बताइये। इसमें किसानों को क्या पावर है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिवनाथ सिंह जी। आर्डर, आर्डर।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : इसमें मजदूरों को क्या पावर है, इसमें विधायकों को क्या पावर है, यह बताएं।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, रामस्वरूप जी।

श्री रामस्वरूप : +++

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++

श्री महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं, आप विधायकों की बात कर रहे हैं, आपके राज में तो मंत्रियों को ही पावर नहीं थे, मंत्री रोते थे। गुलाबचन्द जी कटारिया इस सदन में रोये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : क्यों डिस्टर्ब करते हो?

श्री मदन दिलावर : राजस्थान सरकार को लूटने का पूरा पावर आपके पास सुरक्षित है।

श्री महेश जोशी : नहीं, आपने कुछ छोड़ा ही नहीं है लूटने के लिए, सारा लूट ले गये हैं आप। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : वित्त घोटाला आपने किया, बिजली के मीटर बक्सों में लूटने का घोटाला। अब आपके पास पावर है। क्या पावर नहीं है ? (व्यवधान)

श्री महेश जोशी : सारा लूट ले गये, कुछ छोड़ा नहीं आपने। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : सारी शक्तियां आपके पास हैं, दो करोड़ रुपये का घोटाला बिजली मीटर बक्से खरीदने में आप लोगों ने किया है, क्या पावर नहीं है आपके पास ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दिलावर जी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, इनको मर्यादा सिखाइये, इनको मर्यादा सिखाइये आप पहले। सत्तारूढ़ पार्टी वालों को मर्यादा सिखाइये पहले।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो।

श्री रघुवीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि बोफोर्स तोप काम नहीं करती, वापस घूमती है।

श्री उपाध्यक्ष : कहां से आ गयी बोफोर्स तोप यहां, बिराजो।

श्री रघुवीर सिंह : ये तो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिवनाथ सिंह जी। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पावर सैक्टर सुधार विधेयक पर अपने विचार प्रकट करते वक्त मैं पहले कुछ बेसिक बातों की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, आजादी के बाद हमारे

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री शिवनाथ सिंह)

देश के कर्णधारों ने चार सैक्टरों की कल्पना की थी पब्लिक सैक्टर, प्राइवेट सैक्टर, मिक्स सैक्टर और को-आपरेटिव सैक्टर। कुछ जो कोर इण्डस्ट्रीज थीं उनको हमने पब्लिक सैक्टर में रखा। जैसे बिजली का उत्पादन है वह भी एक बेसिक नींव थी देश के विकास की। इसलिए इसको पब्लिक सैक्टर में रखा। आज पीड़ा हमको इस बात की हो रही है कि जो हमारे देश के कर्णधारों के विचार थे, आज उस विचार धारा से हम अलग हटते जा रहे हैं, चाहे किसी नाम से हो। चाहे उदारीकरण के नाम से हो, चाहे और किसी नाम से हो, हम उस विचारधारा से और उनकी जो एक सोच थी उस सोच से अलग हट रहे हैं। उस सोच से अलग हटने का परिणाम देश भुगत रहा है, प्रांत भुगत रहे हैं और आगे भी यदि हम इस दिशा में आगे चलते गये तो और भुगतना पड़ेगा।

उपाध्यक्षजी, यह जो विधेयक पेश किया जा रहा है यह सही है कि बहुत मजबूरी से पेश किया जा रहा है। राज्य सरकार की मजबूरी है इस विधेयक को पेश करना और उसको पास करवाना। यह हम मानते हैं कि आज केन्द्र सरकार का दबाव है, जो फाइनेंशल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका दबाव है कि आप वैलफेयर एक्टिविटीज इस क्षेत्र में करना चाहते हो हमको वह पसंद नहीं है, हमको वह पसंद है जो वैस्टर्न वर्ल्ड चाहता है, जो वर्ल्ड बैंक चाहता है। उस प्रकार की एक्टिविटीज आप करोगे तो हम आपको सहायता करेंगे। यदि आप अपने देशवासियों, अपने प्रांतवासियों की वैलफेयर एक्टविटीज सोच कर चल रहे हो कि वह करेंगे तो हम आपको सहायता नहीं देंगे। इस प्रेशर के अन्दर आज हमको यह विधेयक पेश करना पड़ रहा है। मैं मजबूरी मानता हूं माननीय मंत्री महोदय की, इनके सामने भी लाचारी है। अभी जो बोर्ड बना हुआ है सरकार का बिजली बोर्ड, उसके फैल्योर्स थे, उन फैल्योर्स को ठीक करने के लिए कहें या उनको चुकाने के लिए कहें, यह विधेयक लाया जा रहा है। जैसा माननीय मंत्री महोदय ने अभी कहा, सरकार का पूर्ण नियंत्रण होगा, तीनों कम्पनीज जो बनेंगी वे पूर्ण तरह से सरकार की कम्पनीज होंगी। तो मैं जानना चाहूंगा मंत्री महोदय से कि जब आज भी बिजली बोर्ड सरकार के नियंत्रण में हैं, सरकार की कार्यवाही से चलता है और कल इसकी जो कम्पनियां बनने वाली हैं वे भी सरकार के नियंत्रण में होंगी तो इस बिल को लाने की आवश्यकता क्या है। यह नहीं है। इसकी आड़ में कुछ न कुछ और होने वाला है और उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बार-बार यहां कहा जा रहा है किसान को बिजली महंगी मिलेगी, किसान को सब्सिडी नहीं मिल पाएगी, मैं स्पष्ट निवेदन करना चाहूंगा कि किसान को सस्ती बिजली देना, किसान को सब्सिडी देना इस राष्ट्र की मजबूरी है। किसान कोई भीख नहीं मांगता है। किसान को सब्सिडी दी जाती है, उसको दान नहीं दिया जाता, भीख नहीं दी जाती है, उसको दया नहीं दी जाती है। इस देश में यदि कृषि का विकास करना होगा, इस देश का विकास कृषि पर आधारित है उसका विकास करना होगा तो किसान की देख-भाल करनी पड़ेगी। यदि आपने ऐसा नहीं किया, जो इस बिल के बाद में नहीं कर

(श्री शिवनाथ सिंह)

पाओगे तो 10 साल के बाद या 5 साल के बाद में आप देखोगे कि कृषि के क्षेत्रों में कितनी गिरावट आने वाली है। आज बिजली की मदद से किसान अपनी पैदावार पैदा करता है, वह आज जो अनाज पैदा करता है, गेहूं पैदा करता है, चावल पैदा करता है, वह अनइकोनोमिक हो गया तो अपनी पैदावार को वह दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देगा, डाइवर्ट कर देगा, उस रोज बहुत से संसार के ऐसे देश हैं जिनमें खाने के एक दाने के लिए लोगों को तरसना पड़ा, दूसरे देशों को उनकी मदद करनी पड़ी। कहीं यह समस्या हमारे देश में नहीं आ जाए। आएगी क्योंकि किसान तब तक ही पैदावार करेगा बिजली के माध्यम से जब तक कि वह इकोनोमिक रहेगी। इसलिए किसान को बिजली देना कोई आपकी दया नहीं है और उसको कोई भीख नहीं है। भीख के आधार पर किसान बिजली लेना भी नहीं चाहता, किसान बिजली जिस कीमत पर भी आप दे दोगे तो लेगा लेकिन देश की बहबूदी पर, देश के विकास पर क्या असर पड़ सकता है यह आपके सोचने की बात है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, इसके कुछ क्लॉजेज हैं, मैं विस्तार से तो नहीं कहूंगा, क्योंकि बहुत से माननीय सदस्य कहेंगे, लेकिन कुछ क्लाजेज की तरफ में ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा मंत्री महोदय का, और चाहूंगा कि वे अपने जवाब में स्पष्टीकरण दें।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने कहा था, टैरिफ निर्धारण करना कि किस कीमत पर बिजली मुहैया की जाएगी, उसमें ये फैक्टर्स होंगे कि बिजली के उत्पादन की कीमत व्यावसायिक हिसाब से क्या होगी। माननीय उपाध्यक्षजी, मैं निवेदन करना चाहूंगा आज भी जो मोबाइल इंडस्ट्री है देश की, उसकी कीमत तय करने का एक फार्मूला बना हुआ है। वे कम्पनियां जो मोटर-कार पैदा करती हैं, जो ट्रक्स पैदा करती हैं, उनका फार्मूला है उसके आधार पर इनकी कीमत तय होती है। यह फार्मूला इस प्रकार का भयंकर है कि 5 रुपये की लागत की चीज की कीमत 15 रुपये वे तय करवा लेते हैं। यही हाल आपके टैरिफ का होगा। आज हम देखते हैं, एक कम्पनी मोटर पैदा करती है तो 20–30 हजार पर-यूनिट उसकी प्राइज कम कर देती है। क्या वह उनका मुनाफा नहीं है? क्या वे घाटे में चलाना चाहते हैं? यही हाल यहां होगा। जो कम्पनियां पैदा करेंगी, उनके जो इमोल्युमैंट्स होंगे, उन सबको इसमें जोड़ा जाएगा और उसके ऊपर आपका नियंत्रण नहीं होगा। तो जो कॉस्ट आफ प्रोडक्शन है वह बहुत ऊंची करके दिखाएंगे। एक फैक्टर उसमें आएगा।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज तो आपकी कल्पना है कि सिर्फ सरकारी कम्पनियां होंगी। लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है। आखिर में धीरे-धीरे जाकर आपको इन कम्पनियों में प्राइवेट को भी लाना पड़ेगा। जिस रोज इनका कब्जा हो जाएगा इनका स्वामित्व एक प्रकार से छा जाएगा। किसी भी समय उनके मन में विचार आ गया कि प्रान्त के विकास को ठप्प करना है तो वे तीनों कम्पनियां, या दो कम्पनियां आपस में

(श्री रामनारायण चौधरी)

बना तो वे सब शर्तें भारत के ऊपर बताई गयी थीं कि यह ऐसे-ऐसे होगा और उन सब शर्तों को देश ने माना। आज हम यह कह रहे हैं भारत सरकार के दबाव से, लेकिन, भारत सरकार का दबाव इतना नहीं हो सकता है, दबाव सबसे बड़ा फाइनैंशल इंस्टीट्यूशंस का है जो इन्टरनेशनल हैं। जो मनीलैण्डर है वे मनीलैण्डर अपनी शर्तें थोप रहे हैं। अब यह बात अलग है कि जो पैसा देगा वह इस बात की श्योरिटी चाहेगा और वह रिटर्न भी चाहेगा।

(12.00 बजे)

उपाध्यक्ष महोदय, आप तो बहुत अनुभवी हैं, गांव में रहने वाले हैं। गांव में पुराने जमाने में मनीलैण्डर बेटे-बेटी, मां-बाप का औसर-मौसर बेटे-बेटी का ब्याह-शादी में धन देते वक्त इस बात की गारंटी चाहते थे कि आप फिजूलखर्ची नहीं करें। इतना खर्चा कर रहे हो, वापस कैसे दोगे? तो वे जमानत ले लेते थे, उसकी जमानत होती थी बीच में। जमीन गिरवी रख लेता था। जमीन गिरवी नहीं रखता था तो किसी की मार्फत हो जाता था कि अदायगी वापसी की जिम्मेदारी फलां अमराराम आपकी, रामनारायण आपकी है। वह गारण्टर होता था। वह पोजिशन यहां इस देश के अन्दर आ रही है। (व्यवधान) गिरवी रखने की बात नहीं है। यह देश के अन्दर जो उदारीकरण की नीति चल रही है, उपाध्यक्ष महोदय, उसका यह एक हिस्सा है और उस हिस्से के तहत इनको यह लाना पड़ रहा है। अब सरकार भी स्पष्ट कर चुकी है और इस एक्ट में भी कहीं कोई दुविधा नहीं है कि एम्प्लाइज नहीं रहेंगे। रिट्रैंचमैंट नहीं होगा, सर्विस कंडीशन्स नहीं बदली जाएंगी। फिर एम्प्लाइज का एजिटेशन उनका प्रोटेस्ट कोई मायने नहीं रखता। प्रोटेस्ट किसी का यदि है तो वह कंजूमर का है और एग्रीकल्चर काश्तकार का है। अब सवाल यह उठता है कि कांश्तकार की रेट बढ़ जाएगी; कंजूमर की रेट बढ़ जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय, यह तो भूल जाएं इधर बैठने वाले, उधर बैठने वाले, आज मनमर्जी से न तो कंजूमर की बढ़ा सकता है और न काश्तकार की बढ़ा सकता है। मेरे से पूर्व गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य विचार व्यक्त कर रहे थे कि आज देश का किसान और देश का उद्योगपति आधार है। कोई भी मुल्क कृषि और इण्डस्ट्री से ही बढ़ा है। देश को विकसित होने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता इण्डस्ट्री ही है। आज यूरोपियन कण्ट्री जितनी भी हैं वे इण्डस्ट्री से बढ़ी हैं। जापान में कहां है खेती? आज वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश जो हर मायने में सम्पन्न देश है, वह जापान है। नहीं, वहां पर खेती कहां है, वहां इण्डस्ट्रीज हैं। इण्डस्ट्रीज प्लस खेती, ये दोनों ठीक हैं और इन दोनों की प्राइमाफेसी जो असेंशल चीज है उसके अन्दर यह बिजली आती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल हमारे वित्त मंत्रीजी और आज हमारे विद्युत मंत्री जी यह कहेंगे कि टैरिफ बढ़ाना, बिजली की रेट बढ़ाना (व्यवधान) सदन को अनुशासित करिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अमीन खान जी, कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, अनुशासित करें। टैरिफ बढ़ेगी और बढ़ानी चाहिए लेकिन अभी एक संगोष्ठी प्राइवेट इण्टरप्रिन्योर्स की, उपाध्यक्ष महोदय, अगस्त महीने के अन्दर दिल्ली के अन्दर आयोजित हुई थी। उसमें जितनी भी कम्पनीज इस देश के अन्दर हैं, बाहर की और भीतर की, उन सबके प्रतिनिधि मौजूद थे। उस संगोष्ठी के अन्दर हमारे केन्द्रीय मंत्री और केन्द्रीय सरकार के विद्युत सचिव ने भाग लिया। भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि राज्य बिजली बोर्ड हालत सुधारने के लिए दरें बढ़ाने का रास्ता नहीं अपनाएं। उन्होंने उनको राय दी है कि दरें नहीं बढ़ाएं, दरें बढ़ाने से बिजली बोर्डों की हालत नहीं सुधरेगी। यह उनका एक विचार है। मंत्री महोदय, वह गोष्ठी आपके पास भी आयी होगी, सरकार के भी ध्यान में आयी होगी। बिजली के अन्दर तीन चीजें हैं–प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। आप दो की व्यवस्था करने जा रहे हैं, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन आप इतना लिबरलाइज नहीं कर रहे हैं। उन्होंने संगोष्ठी में यह कहा कि ट्रांसमिशन की भी अलग कम्पनी बनानी चाहिए। ये तीनों अलग-अलग कम्पनीज होंगी तभी बिजली के ऊपर नियंत्रण होगा और बिजली सस्ती होगी। उस संगोष्ठी का कहना यह है कि बिजली के प्रोडक्शन के बाद उसका ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, इनमें जितनी बड़ी खामी है उसकी वजह से ही बिजली बोर्ड घाटे में जा रहे हैं।

थोद से आने वाले माननीय सदस्य मेरे से पूर्व कह रहे थे कि काश्तकारों का नाम गलत है। दिल्ली के अन्दर कहां काश्तकारों को दे रहे हैं? वहां का बिजली बोर्ड क्यों घाटे में जा रहा है? यह वे ठीक कह रहे थे। राजस्थान का बिजली बोर्ड कहता है किसानों के कारण, बिजली की जो उत्पादन की रेट है उस हिसाब से आप किसान से नहीं ले सकते। अगर आपको प्रदेश को खुशहाल बनाना है तो किसान को आपको सब्सिडाइज करना पड़ेगा। आज हिन्दुस्तान के अन्दर आधे प्रदेश ऐसे हैं जहां किसानों को फ्री बिजली मिल रही है, फ्री। पूरे साउथ इण्डिया के अन्दर फ्री है। पूरे देश के अन्दर इण्डस्ट्रियलिस्ट जितने भी हैं उन सबको कन्सेशन के ऊपर बिजली मिल रही है। यह घाटा कौन बर्दाश्त करे? यह घाटा बिजली बोर्ड क्यों बर्दाश्त करें? रैस्पैक्टिव गवर्नमैंट, सेण्ट्रल गवर्नमैंट को इनको बर्दाश्त करना चाहिए और अपने जनरल फण्ड में से, अपने बजट में से बोर्डों को सब्सिडाइज करना चाहिए। कहां बिजली बोर्ड में घाटा रहेगा? आज बिजली बोर्ड की कास्ट पर एक अनार्थिक लाइन खिंचवा देते हैं तो घाटा तो बिजली बोर्ड का हो गया। यह जो एक्ट आएगा, उसके बाद आप इन सब बातों को नियंत्रित करना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी जो आपत्ति है वह यह है कि यह बिल इतना महत्वपूर्ण है, कुछ ही प्रदेश ऐसे हैं इस देश के अन्दर जिन्होंने यह शुरूआत की। लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य श्री हरजीराम जी साहब कह रहे थे कि यह तो इनकी सरकार में बन गया था। सरकार ने स्पष्टीकरण लिया है कि नहीं, वैसा नहीं है, इसमें तब्दीली है। मैं यही चाहता था और मेरा मकसद भी यही है इस जनमत के प्रस्ताव

(श्री रामनारायण चौधरी)

का कि सरकारी पक्ष की तरफ से एक भूल हुई। विधान सभा के माननीय सदस्यों की, सत्ता पक्ष और विपक्ष, विपक्ष तो नहीं कहें: प्रतिपक्ष के सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों की एक संगोष्ठी होनी चाहिए थी। मौका दिया जाना चाहिए था डिस्कशन का, समझने का और समझाने का। उसमें कमी रही है इसलिए यह सारा कन्फ्यूजन हो रहा है, मिसअण्डरस्टैंडिंग हो रही है। अन्यथा हम जानते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, कि यह बिल जो यहां आया है यह फेट-अकम्पली है, यह हर हालत में पास होना है इनके पास हुए बगैर काम नहीं चल सकता क्योंकि अगर हम आज बिजली का प्रोडक्शन करना चाहते है तो वर्ल्ड-बैंक से और अन्तरराष्ट्रीय एजेंसीज से धन लेना चाहते हैं। आपको, अपके बिजली बोर्डों को इस कंडीशन के आधार पर, इस स्ट्रक्चर पर, इस रूल्स एण्ड बाई लाज के आधार पर वे एजेंसीज लोन नहीं देना चाहती हैं इसलिए आपकी मजबूरियां हैं। उनके कुछ सुझाव हैं। वे सुझाव हम नहीं कहते हैं कि राजस्थान को और राजस्थान के बिजली बोर्ड को रसातल में पहुंचा देंगे। हम ऐसा नहीं मानते। कोई भी सरकार आये, किसी प्रदेश की, किसी भी देश की, वह जो कुछ करती है, वह अपने देशवासियों के लिए, अपने प्रदेशवासियों के लिए हित में करती है। आज कौन सरकार ऐसी है, उपाध्यक्ष महोदय, जो अपने प्रदेश के अन्दर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगी कि रेट अनाप-शनाप बढ़ा देगी, सब जगह असंतोष पैदा कर देगी? ऐसी कोई नहीं है। लेकिन आपने पूरी बहस, पूरे डिस्कशन, पूरी अण्डरस्टैंडिंग बनायी नहीं और अपनी तरफ से यह कानून बनाने के आदेश दे दिये। ठीक है, आपकी रीति-नीति उसमें रही है, गाइड लाइन सरकार ने दी है, उसी के आधार पर यह बना है लेकिन हमारे सबको एक कन्फ्यूजन है, मिसअण्डरस्टैंडिंग है कि इसमें इसका यह रिएक्शन होने वाला है। कौन नहीं चाहता राजस्थान के हितों में? ये भी उतने ही हितैषी हैं, हम भी उतने ही हितैषी हैं। आप भी सबसे ज्यादा हितैषी हैं। हम सब हितैषी हैं इसमें कोई पोलिटिक्स की बात नहीं है। बात आयी कि बिजली बोर्ड पहले वाला यह बिल लाना चाहता था, इनके अन्दर वह था नहीं, डिटरमिनेशन नहीं था। ऐसी बात नहीं है कि डिटरमिनेशन नहीं था, बल्कि वे स्थितियां दूसरी थीं कि सामने चुनाव आ रहे थे, चुनाव के वक्त में कोई नहीं लाना चाहता था। हम भी तो नहीं ला सके। हम भी दस महीने से शासन में हैं, हम कहां ला सके? इसलिए नहीं ला सके कि लोक सभा का चुनाव सामने था। अगर हममें भी डिटरमिनेशन होता, दृढ़ निश्चय होता तो पहला काम चुनाव के बाद में, शपथ ग्रहण करने के बाद में यही होना चाहिये था। लेकिन इसमें रिस्क है। रिस्क फेक्टर इसमें ज्यादा है। भैरोंसिंह जी भी जानते थे कि यह रिस्की फैक्टर है मैं क्यों तू और हम भी जानते हैं रिस्की है। लेकिन जो रिस्क फैक्टर है उसकी तरफ सरकार को देखना पड़ेगा। उसको किस तरीके से रोका जाए, किस तरह से सुधारा जाए, वह आपको करना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात आपके मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार एक बात स्पष्ट करे। आपके पहले के कथनों में और आज इस एक्ट में यह कहीं जाहिर

(श्री रामनारायण चौधरी)

नहीं होता कि एम्प्लाइज पर, इंजीनियर्स या दूसरे सब लोग हैं उनके हकों पर कोई कुठाराघात होगा। हो सकता है कि रिट्रैंचमैंट हो। आज जापान में, जर्मनी में और अमेरिका में बिजली की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आ रही है कितना मैन पॉवर जापान में लगता है ? उससे दस गुना ज्यादा इण्डिया के अन्दर लगता है। लेकिन भारतवर्ष के अन्दर मैन पॉवर की समस्या भी है। जितना जापान के अन्दर प्रोडक्शन होता है, उस इन्फ्रास्ट्रक्चर, उसी मशीनरी से आप भारतवर्ष के अन्दर भी प्रोडक्शन करेंगे तो यहां बेहद बेकारी हो जाएगी। घर-घर में बेकारी हो जाएगी। मजदूर घर बैठ जाएंगे, दूसरे लोग घर बैठ जाएंगे। वैसा हम नहीं कर सकते क्योंकि 100 करोड़ के देश को खिलाने-पिलाने की, रोजगार की गारण्टी भी आज हमारी सरकार की है, यह भी देखना पड़ेगा। तो मंत्री महोदय यह बताएंगे सरकारी पक्ष कि इससे कितना फर्क पड़ने वाला है, जो आप प्रोडक्शन करेंगे. कितना स्टाफ इसमें सरप्लस होने वाला है, यह कम्पनियां किस प्रकार से आएंगी, वे कैसे प्रोडक्शन में लाकर कैसे प्रोडक्शन करेंगी, कैसे ट्रांसमिशन करेंगी, क्या तरीका उनका डिस्ट्रीब्यूशन का होगा ?

रेट आप बढ़ाने की बात कहते हैं। एग्रीकल्चर की रेट, इंडस्ट्री की रेट बढ़ रही है। मंत्री महोदय कल कह रहे थे कि हमने पहले बढ़ायी। आपने बढ़ायी, हमें भी बढ़ानी पड़ेगी। सतत् प्रक्रिया है। लेकिन राज्य बिजली बोर्डों की हालत सुधारने के लिए भारत देश की सरकार के जो केन्द्रीय सचिव हैं, उनका संगोष्ठी में यह मानना है कि बिजली बोर्डों को किसी भी कीमत पर रेट बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने संगोष्ठी में अपना पूरा अभिभाषण दिया है। मैं समझता हूं मंत्री महोदय के पास उसकी प्रोसिडिंग्स होगी क्योंकि हमारे यहां के प्रतिनिधि उसमें गये थे।

मैं आपके मार्फत एक बार और कहना चाहूंगा कि आपने कांग्रेस मैनीफैस्टो के आधार पर नर्सरी के अन्दर जो योजनाएं थीं उनको बहुत गाजे-बाजे के समाप्त कर दिया। हमने भी कहा, बहुत अच्छा किया। हम इधर बैठते थे, उधर चीफ मिनिस्टर साहब बैठे थे, उन्होंने कहा कि मैं इस नर्सरी की योजना को बन्द कर रहा हूं क्योंकि आप लोग कह रहे हैं। यहां हमारे प्रतिपक्ष के नेता बैठे थे, पीछे मैं बैठा था। तो हमने कहा कि हम नहीं कह रहे हैं बंद करो। बंद कर रहे हैं तो आप विरोध कर रहे हैं। हम विरोध इसलिए कर रहे हैं कि आप रेट ज्यादा लगा रहे हो। इसको नार्मलाइज करो, अत्यधिक ले रहे हो। आप तो उस पर भारी रेट बढ़ा रहे हो। आपको क्या दिक्कत है और हमें क्या दिक्कत है ? जिस आदमी के पास पैसा है और 30 हजार कनेक्शन के बाद आपके पास बिजली सरप्लस है तो अगर किसी ए, बी, सी, डी, सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों के पास इन्वैस्टमैंट करने की क्षमता है तो आप उनको बिजली दीजिये। दोनों तरफ से सहमति के आधार पर वह नर्सरी योजना कन्टीन्यू रही। हमने हटा दी। सरकार यह बताए कि नर्सरी के अन्दर लाखों लोगों के कनेक्शन हुए, कितने लोगों को रोजगार मिला ? कितना देश के अन्दर प्रोडक्शन हुआ ? जिन गांवों के अन्दर, जिन काश्तकारों को मैं

(श्री रामनारायण चौधरी)

कहता हूं गारण्टी के साथ कि 20 साल तक कनेक्शन नहीं मिल सकता था....

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़) : आप लागू करवाने की बात कह रहे हैं ?

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं, लागू करवाने की बात नहीं कहता मैं। लागू करवाने की बात नहीं कहता हूं। यह मेरी बात है, आपकी बात आपके पास है।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : ये सही कह रहे हैं। अच्छा बता रहे हैं रामनारायण जी.... (व्यवधान) नर्सरी योजना अच्छी थी।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं वही कहना चाहता हूं जो मुझे पसन्द है। बाड़मेर से और दांतारामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य के मन में क्या है, वह नहीं कहूंगा। वह आप कहिये, आपका अधिकार है कहने का। इन्होंने बहुत अच्छा किया, बन्द कर दिया। हम समर्थन करते हैं लेकिन उसका विकल्प दीजिये आप, क्या उसका अल्टरनेट हैं। मैं काश्तकार हूं, मैंने कुआ बना लिया। मैं तुरन्त प्रोडक्शन लेना चाहता हूं देश हित के अन्दर, मेरे हित में, समाज के हित में, मेरे परिवार के हित में। मेरे बच्चे, मेरा परिवार क्या खाएगा ? कुआ मैंने खोद लिया परन्तु आपके आज के इस फार्मूले में मुझे 15 साल तक कनेक्शन नहीं मिलेगा और 15 साल मेरी उम्र नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप इसका अल्टरनेट क्या दे रहे हो ? आज आपने 30 हजार कनेक्शन दिये, 30 हजार कनेक्शन के बाद, मंत्री महोदय, कितनी एप्लीकेशन पैंडिग हैं आपके पास ? लाखों हैं, उपाध्यक्ष महोदय।

डा. चन्द्रभान : डेढ़ लाख।

श्री रामनारायण चौधरी : डेढ़ लाख। लाखों में आ गयी। लाख से ऊपर है। 30 हजार आप दे रहे हैं तब तक और आ जाएंगी। अगर पांच साल तक इस फार्मूले से चले तो आप दे ही नहीं सकते। यह कोई बात हुई क्या ? आज जो जिन्दादिल कौमें हैं, वे इतना इन्तजार नहीं करतीं कि आप का 10 साल तक इन्तजार करें। आपके पांच लाख डोमेस्टिक कनेक्शन पड़े हुए हैं। डोमेस्टिक कनेक्शन आप दस साल से नहीं दे पा रहे हैं, कैसी व्यवस्था है ? आज दस साल से एक आदमी वेटिंग लिस्ट में है अपने घर में बल्ब जलाने के लिये। एक टिमटिमाता जीरो वाट का एक बल्ब लगाने के लिये दस साल से लोग इन्तजार कर रहे हैं। मान्यवर, गांवों में टैक्निकल दृष्टि से दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

टैक्निकल दृष्टि से गांवों को आपने इलैक्ट्रिफाई कर दिया। लेकिन गांव का वह बच्चा जो गरीब है, शिड्यूल्ड कास्ट है, ट्राइब है, जो वीकर सैक्शन है, जो अत्यधिक गरीब है उन लोगों को आपने कितने कनेक्शन दिये ? कितने आदमियों की सूची है जो हैव थे समाज के अन्दर, उनको आपने हैव्ज बना दिया। जो हैव नॉट हैं उनकी संख्या बहुत कम बढ़ी है। एक गांव में आपने चिमनी दी, चास, वह इलैक्ट्रिफिकेशन कोई मायने नहीं रखता। आप घर-घर के अन्दर कनेक्शन पहुंचाएं।

(श्री रामनारायण चौधरी)

गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि जब देश आजाद हुआ तब तीन-चार तरह की बातें थीं। वह सारा अन्तरराष्ट्रीय फिनामिना समाप्त हो गया। उसमें एक तरफ रूस था, वह सोशलिस्ट वर्ल्ड को रिप्रजेंट करता था, दूसरी तरफ यूरोपियन और अमेरिकन फोर्सेज थीं। वह दूसरा युग था। आज वह रूस-चीन वाला मामला समाप्त हुआ। आज तो सारा विश्व अमलगमेट हो गया। (व्यवधान) आज तो एक फोरम पर है।

श्री अमराराम (धोद) : चीन वहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : चीन कहीं नहीं है। चीन वही है तो चीन की व्यवस्था, धोद से आने वाले माननीय सदस्य, ऐसी नहीं है कि जहां पांचवीं साल जाकर लोगों से कहो कि जिताओ, पैर पकड़ें रोएं हम। वहां ऐसी व्यवस्था नहीं है। उन्होंने जो कह दिया सो कह दिया। यहां क्या है? आप छाती पर स्वतः हाथ रखकर सोचें, कहां चीन और कहां हिन्दुस्तान को मिला रहे हो। बहुत बड़ा अन्तर है। यहां वह चीज तो समाप्त हो गयी। अब तो सारा.... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : आप चीन की बात कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अमराराम जी, आर्डर प्लीज।

श्री रामनारायण चौधरी : आप बाद में कह लेना। (व्यवधान) कोई जरूरी नहीं कि आप हाथ की हाथ कहें। मैं आपकी बात स्वयं नहीं कहूंगा।

श्री अमराराम (धोद) : आप चुनाव को बुरा मानते हैं?

श्री रामनारायण चौधरी : मैंने आपको नहीं टोका। आपकी फिजियोलॉजी में मैं नहीं पड़ना चाहता। आप मेरी बात सुन लीजिये। आप चीन और भारतवर्ष का क्या मुकाबला करते हैं? भारतवर्ष और चीन का कोई मुकाबला नहीं हो सकता। अब आपकी तो रही हुई है लाल में तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं। भारतवर्ष दूसरे किस्म का है, जो दुनिया में यूनिक है। कहीं नहीं है इतना बड़ा। इतनी बड़ी डैमोक्रेसी भारतवर्ष जैसी कहीं इस विश्व में नहीं है। आज वह रशिया जिसने अगुवाई की, वही नहीं रहा, डिस्मैंटल हो गया। वो चीजें बदल गयीं। अब तो यह है कि किस तरीके से देश का प्रोडक्शन बढ़े देश के स्वाभिमान के साथ। देश की प्रतिष्ठा के साथ कंजूमर का हित, किसान का हित और उद्योगपतियों का हित बढ़े। जो देश के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं बड़े और छोटे, वे देश को आगे बढ़ाएं, उन सबका इससे भला होने वाला है। लेकिन इसमें बहुत से कन्यूजंस हैं, मिस-अण्डरस्टैंडिंग्स है। इतना बड़ा तबका है, इसमें भी एक राय नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, एक अण्डरस्टैंडिंग बनायी जानी चाहिए बातचीत करके, बहस करके, वह नहीं हुई है इसलिए मैंने यह प्रस्ताव दिया कि इसको जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाना चाहिए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दिग्विजय सिंह।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय विद्युत मंत्रीजी ने सदन में राजस्थान पावर सैक्टर सुधार

(श्री दिग्विजय सिंह)

विधेयक, 1999 प्रस्तुत किया हैं। जहां तक इसके कंसैप्ट का सवाल है, कसैप्ट ऑफ दी बिल बहुत बढ़िया है। उस कंसैप्ट को सही मायने में अगर लागू करें तो निश्चित रूप से राजस्थान में जो इस वक्त पावर की कमी है उस पावर की कमी को हम दूर कर सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा, आपने इस बिल में और कई दफा इस बात का जिक्र किया है कि जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों को आप अलग-अलग कम्पनियों को या किन्हीं को देंगे और उसके बाद फिर इसकी कंट्रोलिंग आथोरिटी एक कमीशन होगा। अब उसमें एक बात समझ में नहीं आयी। जनरेशन करने वाला एक हो, ट्रांसमिशन करने वाला दूसरा होगा और डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला दूसरा हो, उसके कोआर्डिनेशन के लिए आपने कमीशन तो बना दिया–तीन मैम्बर्स का कमीशन है बस उसको रैगुलेट करेगा, रैगुलेटरी सिस्टम करेगा पर वह किस तरह से कर पाएगा, यह इसमें कहीं उल्लेख नहीं है, साफ नहीं है। मंत्री महोदय, आगे चल कर सरकार को यह कठिनाई आ सकती है, जब आपके हाथ से यह पावर ही चला जाएगा और यह पावर उन लोगों के पास रहेगा जो कि इसका उपयोग करेंगे। तो आप की इस कमीशन पर या उस पर कोई कंट्रोलिंग अथोरिटी सीधी नहीं है। निश्चित रूप से आज भी आप इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को डाइरेक्शन ही देते हैं और इसको भी आप डाइरेक्शन के रूप में ही कुछ कह सकेंगे। लेकिन टैरिफ का अधिकार राज्य सरकार के नियंत्रण के बाहर होगा। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, पावर सैक्टर के लिये जो बिल आप लाये हैं यह कंसैप्ट के हिसाब से तो बहुत बढ़िया है और इसके माध्यम से हमको लोन भी मिलेगा, हमारा डवलपमैंट भी होगा लेकिन जो भय है वह इस बात का है कि जो आज कंट्रोलिंग अथोरिटी है राज्य सरकार, और हम जो जन-प्रतिनिधि हैं जो आपका इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड की समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, आंकलन करते हैं उससे हमारे सब के हाथ बंध जाएंगे। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय मुझे क्षमा करेंगे, लेकिन आप भी हाथ ऊपर कर दोगे कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, यह तो अथोरिटी बन गयी है, वही इसका काम करेगी। इसी प्रकार से आप अपना सारा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और कंट्रोलिंग पावर इसमें ट्रांसफर कर देंगे तो यह मेरा एप्रीहैन्शन है कि बजाय सुधार होने के हो सकता है कि एक तरफा मामला शुरू हो जाए कि ये कम्पनियां सरकार की भी नहीं सुनें और अपने मनमाने तरीके से चार्जेज शुरू कर दें। इसलिए ऐसी कोई न कोई व्यवस्था आप को इसमें करनी चाहिए। मैंने देखा है कि इसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है सिवाय इसके कि रैगुलेटरी कमीशन इसमें करेगा। उसके बनने के बाद आपके पास कोई चारा नहीं है, आप कुछ नहीं कह सकते, सरकार कुछ नहीं कर सकती।

आपने यह भी इसके अन्दर कहा है कि यह जब बिल पास हो जाएगा तो तीन महीने के अन्दर-अन्दर इसको आप लागू कर देंगे। आपने यह भी विचार व्यक्त किया था कि जरूरी नहीं है कि सारे के सारे आपके जो ग्रिड स्टेशन हैं उनको आप एक साथ ले लें, आप स्टेगरिंग करके उनको देंगे या उनको

(श्री दिग्विजय सिंह)

काम में लेंगे। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि आप किस प्रकार से इसको लेंगे और किस प्रकार से वे कर पाएंगे। आपने 132 के.वी. का एक स्टेशर जोधपुर डिवीजन का ले लिया और उनको ट्रांसमिशन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लक्ष्य दिया। पहले आप उनको ट्राई करेंगे, उसके बाद दूसरे को ट्राई करेंगे, तीसरे को करेंगे, फिर सारे राजस्थान का कवर करेंगे तो कोई भी निजी क्षेत्र की कम्पनी का व्यक्ति इसको लेने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए इसको आपको एक साथ लागू करना पड़ेगा। जिस प्रकार से मेरी जानकारी है, आपको बैंक्स से या वर्ल्ड बैंक से जो लोन मिलने वाला है वह भी जब ही मिल पाएगा जब आप तीन महीने के अन्दर इसको लागू कर दोगे। तो आप के हाथ से कम्पलीटली जो आज इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड पर कंट्रोल है वह तो समाप्त हो ही जाएगा। लेकिन एक सबसे बड़ा डर और है। उपाध्यक्ष महोदय, वैसे महाराष्ट्र के अन्दर भी और विदेशों में भी है, कनाडा के अन्दर है, मैं गया था तो मैंने मालूम किया था, वहां पर सारा प्राइवेट सैक्टर में है, महाराष्ट्र में भी इस प्रकार की व्यवस्था है। तो आप कम से कम यह तो करें कि काश्तकार को आप जो बिजली देंगे उसकी रेट तो आप निर्धारित करें। सपोज उनकी जनरेशन कास्ट, ट्रांसमिशन कास्ट सब मिला कर आती है, पूरा आंकड़ा लगा कर पांच रुपये और आप देना चाहोगे 2.25 रुपये में तो जो डिफरेंस है उसको अगर सरकार सब्सिडाइज कर दे, अपने यहां से दे तो काश्तकारों के लिए यह बिल लाभदायक ही होगा। लेकिन आपने उन पर ही छोड़ दिया। उन पर आपका नियंत्रण नहीं रहा तो मर्जी आये जैसी टैरिफ वसूल करेंगे और उससे उपभोक्ताओं को, खास तौर से काश्तकारों को बहुत कठिनाई होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से मेरा निवेदन है कि जो इंडस्ट्रियल सैक्टर है उस पर भी आपका कोई नियंत्रण नहीं है, टैरिफ भी ये ही तय करेंगे। इंडस्ट्रियल सैक्टर और एग्रीकल्चर सैक्टर इन दोनों के लिए आप इसके अन्दर थोड़ा प्रावधान करें कि जो भी कम्पनियां इसको लें उनको इंडस्ट्रियल सैक्टर, एग्रीकल्चर सैक्टर के अन्दर डिफरेंशियेट कर के टैरिफ वसूल करने की छूट दी जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य ने बिलकुल सही बात कही थी कनेक्शन के बारे में कि नर्सरी कनेक्शंस किस प्रकार के हों। यह सब सिस्टम है। ये जो आप रियायतें देने वाले हो फिर ये आपके हाथ में नहीं रहेंगी, आपके कंट्रोल के बाहर रहेंगी। जो कम्पनी इसको लेगी वह अपने हिसाब से वसूल करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें आपने एक एडवाइजरी कमेटी बनायी है। इसमें आपने 21 मैम्बर रखे हैं जिसमें कामर्स इंडस्ट्री का है, ट्रांसपोर्ट का है, एग्रीकल्चर का है, लेबर कंजूमर्स का है, नान गवर्नमैंट आर्गेनाइजेशन का है। इसमें मेरा सुझाव है कि इसमें कम से कम 5 जन प्रतिनिधि भी आप शामिल करें। पांच विधायक, जो जन प्रतिनिधि हैं, उन्हें गवर्नमैंट नामिनेट करेगी इस एडवाइजरी कमेटी में तो कम से कम वहां पर आपकी बोलने वाला, उस पर नियंत्रण रखने वाला कोई आदमी तो रहेगा।

(श्री दिग्विजय सिंह)

(12.30 बजे)

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत, सभापति, पदासीन)

इसलिए एडवाइजरी कमेटी के अन्दर आप पांच रिप्रेजेंटेटिव एम एल. एज. की हैसियत से इसके अन्दर डालें तो ज्यादा उपयोगी रहेगा।

सभापति महोदय, मैं इस सम्बन्ध में और अधिक नहीं बोलूंगा। इतना जरूर निवेदन करूंगा कि यह बिल बहुत काम्प्रिहैंसिव बिल है, यह बिल आपने दो दिन पहले दिया है और आज ही आप इसको पारित करवाना चाहते हैं। यह बिल ऐसा है कि सीधा जनता से जुड़ा हुआ है, सीधा काश्तकारों से जुड़ा हुआ है और इण्डस्ट्रीज से भी जुड़ा हुआ है। आपने कोई सेमीनार के रूप में या किसी भी प्रकार से बुलाकर कर इस बिल के ऊपर चर्चा की हो तो आप मुझे बता दें। सम्बन्धित बिल पर कोई चर्चा नहीं हुई, न ही एग्रीकल्चर सैक्टर में हुई और न ही इण्डस्ट्रियल सैक्टर में हुई। मेरा निवेदन है कि यह इलैक्ट्रिसिटी का एग्रीकल्चर और इण्डस्ट्री से जुड़ा हुआ प्रश्न है, अगर सेमीनार करके इसको लेते तो ज्यादा अच्छा रहता। इसलिए मैंने इसको जनमत जानने के लिए दिया है। जनमत जानने का आधार यही है क्योंकि यह प्रश्न सीधा इनसे जुड़ा हुआ है। आप हर सोमवार को अभाव अभियोग भी सुनते हैं, अखबारों में हम पढ़ते हैं। वहां पर आपके सामने कई तरह की समस्याएं आती हैं। जब यह सारा आप उनको ही ट्रांसफर कर देंगे तो आप सोमवार के दिन जो अभाव अभियोग सुनते हैं वह सुनना तो आपका बन्द हो ही जाएगा, अभाव अभियोग तो आप सुन ही नहीं सकोगे। इसलिए मेरे खयाल से आप इसको रोक दें। आपने होशियारी से अपनी बला तो टाल दी क्योंकि जब यह बन गया तो आप यह कहेंगे कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। सारा इन पर चला गया है, मेरे पास अभाव अभियोग के लिए मत आओ। न ही आपके पास कोई आएगा और आप आराम से सोएंगे। बिजली आये तो आये, नहीं आये तो नहीं आये।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : माननीय सभापति महोदय, चेयरमैन तो मंत्रियों की अभी भी नहीं मान रहे हैं और बाद में अगर बोर्ड को कम्पनी में बदल दिया तो भट्टा बैठ जायेगा और किसानों के साथ अन्याय होगा। जो बोद से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया है न, इस कानून से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इसको थोड़ा मोड़कर रखें।

श्री सभापति : कृपया बैठिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सभापति महोदय, इसकी जांच करायी जाए।

श्री सभापति : कृपया व्यवधान नहीं डालें।

श्री दिग्विजय सिंह : आहूजा जी, आप आप विराजें एक मिनट। (व्यवधान) आप बोलेंगे तो करंट लग जायेगा, आप बैठ जाएं।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि एक डर और है। आज हम विधायक किसी भी ए.ईएन, जे.ईएन. या एक्स. ईएन. के

(श्री दिग्विजय सिंह)

खिलाफ आपके पास कम्प्लेंट लेकर आते हैं, उसकी इनएफीशिएंसी आपको बताते हैं तथा और भी बात आपसे करते हैं। इसके आने के बाद आपका उनके ऊपर कोई डाइरेक्ट कन्ट्रोल नहीं रहेगा, आप इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सकते और न ही उन्हें कुर्सी से हटा सकते। जो ये जन प्रतिनिधि समस्याएं लेकर आएंगे या इनके विरुद्ध और बात कहेंगे तो फिर आर्डर होगा क्या ? वह ए.ईएन. वहीं बैठा रहेगा, वहीं बदमाशी करता रहेगा। जे.ईएन. भी करता रहेगा। हम आपसे आकर कहेंगे तो आप हाथ ऊंचा कर देंगे। वहां जन प्रतिनिधि की जो भी प्रतिष्ठा है–चाहे वह सरपंच की हो, चाहे प्रधान की हो और चाहे एम. एल. ए. की हो, वह प्रतिष्ठा बिलकुल धूल में मिल जाएगी। हमारी कोई सुनने वाला ही नहीं रहेगा, हमारी परवाह नहीं करेगा। आज भी नहीं कर रहे हैं। आज भी यही स्थिति हो रही है तो उस वक्त तो यह कम्प्लीट आटोनामस हो जाएगा। आज कम से कम आपका डाइरेक्ट कन्ट्रोल तो है। आप ऐसा प्रावधान इसमें भी करिये। आप उनको तो दे दें, कोई हर्ज नहीं है। हमको पावर सैक्टर में मदद मिल जाएगी, आपको लोन मिल जाएगा, पावर स्टेबिलिटी आ जाएगी, पर कन्ट्रोलिंग आथोरिटी जिस प्रकार की आज आपके पास है, आर. एस. ई. बी. आटोनोमस है तो भी डायरेक्शन देने का अधिकार तो आज राज्य सरकार को है....(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया बातचीत नहीं करें।

श्री दिग्विजय सिंह : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा विशेष तौर से क्योंकि वह बहुत महत्वपूर्ण है। इसके ऊपर परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सरकार का कन्ट्रोल आप नहीं रखेंगे तो जो व्यवस्था है वह और बिगड़ेगी और नीचे की ब्यूरोक्रेसी बिलकुल निरंकुश हो जाएगी।

और तो और, सभापति महोदय, एप्रिहैंशन करता हूं मैं, I may be wrong. यह ब्यूरोक्रेसी They are very intelligent class. आप इस तरह का सैक्टर जो बना देंगे तो इण्डस्ट्रियल सैक्टर वह इतना नजदीक पहुंच जाएगा कि इसकी कॉस्ट पर एग्रीकल्चर सफर करेगा। इसलिए डेंजर एक और है। आप यह ले तो आये हड़बड़ी में, इसलिए ले लाये कि आपको पैसा जल्दी मिल जाए, जनरेशन हो जाए। अगर आपका यह एप्रिहैंशन हो तो वह एग्रीकल्चर वाला सफर करेगा। इण्डस्ट्री वाला उसके नजदीक पहुंचकर, आथोरिटी कमीशन के पास रहकर पूरी बिजली इण्डस्ट्री में ले लेगा और काश्तकार वहां रोता ही रहेगा। सभापति महोदय, मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है, आप इसको पास करवाना चाहते हैं, मेरी जानकारी है कि आपकी कुछ लिमिटेशंस हैं। दिसम्बर से पहले-पहले पास करवाकर आपको लोन भी चाहिए, आपको जनरेशन का भी चाहिए पर हम यह नहीं चाहते हैं कि यह सब काम एट द कोस्ट आफ राजस्थान की जनता का हो। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस बिल को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ जयहिन्द। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री बी. पी. सिंह जी।

मोहम्मद माहिर आजाद : इसमें तो अमराराम जी का नाम है।

श्री सभापति : उपाध्यक्ष महोदय के निर्णय से है। (व्यवधान) चेयर/आसन को यह अधिकार है कि वह जिस क्रम को निर्धारित करना चाहे, कर सकती हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : क्यों देगा कोई फिर अपना अमैंडमैंट। किसलिए देगा अमैंडमैंट ?

श्री सभापति : कृपया बिराजें। वह कारण एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसींद) : सभापति महोदय, यह पावर रिफार्म बिल, 1999 लाया गया है, इसके लिए मेरा सुझाव है कि इसे जनमत जानने के लिए दिया जाए। कोई भी बिल जब लाया जाता है तो यह देखा जाता है कि क्या कारण है यह बिल क्यों लाया जा रहा है। कारण में जाना पड़ता है। अगर अपन कारण में जाएं, परपज तय करें कि क्यों यह बिल लाया गया है तो सीधे-सीधे यह बात आती है कि आज पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर जो एस. ई. बीज. की हालत हुई है इसी कारण आज यह बिल लाया जा रहा है। पक्ष में और विपक्ष में जितने भी माननीय सदस्य हैं वे सब चाहते हैं कि स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड की हालत सुधरे, तभी जाकर बिजली का उत्पादन बढ़ेगा, तभी जाकर ट्रांस्मिशन डिस्ट्रीब्यूशन ठीक होगा, तभी जाकर गांवों के अन्दर बिजली पहुंचेगी और तभी जाकर घरों के अन्दर होने वाला फ्लक्चुएशन कम होगा। यह जरूरी है। मैं मानता हूं कि यही कारण लेकर आप यह विधेयक लेकर आये हैं। सालभर पहले हम लोगों ने भी यह एक्सरसाइज की थी और यह रिफार्म बिल हमने भी तैयार किया था। सालभर पहले हम लेकर आ सकते थे पर हम क्यों नहीं लाये ?

श्री प्रद्युम्न सिंह (गृह मंत्री) : चुनाव की वजह से।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : आ रहा हूं। आपकी ही बात कह रहा हूं। अपन सबका मकसद यही है। अगर अपन कारण में जाते है तो यह देखते हैं, हिन्दुस्तान का कोई भी इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड ले लें आप, कौनसा अच्छा चल रहा है ? कुछ अच्छे बोर्ड्स हैं, अच्छे भी चल रहे थे पर आज कारण क्या है कि एस. ई. बीज और आर. एस. ई. बी. की हालत यह हो गयी है ? कारण अगर ढूंढने जाएं तो आपके इलैक्ट्रिसिटी एक्ट, 1948 के अन्दर दिया है कि रेट आफ रिटर्न तीन परसेंट होनी चाहिए। अगर उस हिसाब से अपन चल लेते तो यह विधेयक लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और एस. ई. बी. अच्छा कार्य कर रही है। अगर अपन इतिहास में भी जाएं एस.ई.बी. के, उनका 42 वर्ष का इतिहास देख लें, आपने उसकी बहुत तारीफ की है। सही बात है। पचास वर्ष में से चालीस वर्ष कांग्रेस का राज रहा, दस वर्ष हमारा राज रहा। चालीस वर्ष के अन्दर एस. ई. बी. यहां से कहां पहुंच गया ? 1956 के अन्दर शायद यह एस. ई. बी. शुरू हुआ था, उस समय 50–100 मेगावाट बनाता था और वह भी जो प्रिन्सली स्टेट्स में बनाता था

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

उनसे। 1948 का एक्ट आया उससे पहले 1910 का जो इलैक्ट्रिसिटी एक्ट था, उसके अन्दर प्राइवेटाइजेशन का मसला था, सब प्राइवेट सैक्टर में ही दिया जाता था। लेकिन 1948 के अन्दर उलटा किया। 1948 के एक्ट के अन्दर अगर जाएं तो जितनी प्राइवेट कम्पनीज चल रही थीं उनको स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के अन्दर लेकर स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड काम करने लगा। 50–100 मेगावाट जो प्राइवेट सैक्टर कर रहा था, कम्पनीज कर रही थीं उससे लेकर स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड ने शुरूआत की। आज ढाई हजार मेगावाट खुद बना रहे हैं और कितना पावर परचेज कर रहे हैं। इतना ग्लोरियस पास्ट, इतना अच्छा इतिहास और मंत्री जी एक दिन के अन्दर इसको समाप्त करना चाह रहे हैं। कभी आपने सोचा भी कि एस.ई.बी. की क्या गलती थी? आप यह बता दें कि एस.ई.बी. की यह गलती है। गलती तो आपने की और हमने की कि आर. ओ. आर. का ध्यान नहीं रखा। आप आज भी ध्यान रख लें। सब्सिडी जो देते हैं अपन, सबवेंशन जो देते हैं वह पैसा पहुंचता नहीं है। स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड उनकी .. (व्यवधान) .. क्या है, बैठ जाइये ना।

अगर आप लोग भी सब्सिडी और सबवेंशन देते रहते, क्योंकि यह तो सही है फार्म सैक्टर को सब्सिडाइज, रेट पर देना है। आज भी देना है, कल भी देना है। आज जो आप करने जा रहे हो वह बिलकुल विपरीत करने जा रहे हो। आज 50-55 पैसे में आप फार्म सैक्टर को दे रहे हो और जो अपना पावर परचेज है, महंगा पावर परचेज है। हाइडल अपने पास है नहीं, अपना खुद का जितना भी प्रोडक्शन है वह एक रुपये से सब मिलाकर जो जम्बल्ड परचेज अपने को मिलता है शायद एक रुपया अस्सी पैसे का पड़ता होगा और अपन फार्म सैक्टर को, एग्रीकल्चर सैक्टर को पचास पैसे में दे रहे हैं। यह जो डिफरेंस है यह अपन आज भी देने लग लग जाएं। खाली बुक कीपिंग करने के लिये यह राइट आफ कर देते हैं, पैसा उनको मिलता नहीं है।

मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं कि गलती एस. ई. बी. की नहीं। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप यह नियामक आयोग बना लेंगे उससे क्या होगा? आप तो जानते हैं, रोज बात होती है हमारे पास पैसा नहीं है अगर पैसा नहीं आएगा तो निगम हो या बोर्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर यह सब्सिडाइज रेट की आप सबवेंशन और सब्सिडी नहीं देंगे तो कोई अन्तर नहीं आने वाला, निगम का भी हाल बुरा हो जाएगा। अभी साख है ही नहीं, निगम बनाते ही आप शेयर्स देंगे, कौन खरीदेगा शेयर? कोई खरीदने वाला है क्या? आप यह जो तीन टुकड़े करने जा रहे हो उसके अन्दर कितना खर्चा आएगा, यह विचार भी किया है? क्या आप लोगों ने इनसे बात भी की कि कितना खर्चा आने वाला है? यह पैसा आएगा कहां से, स्ट्रक्चर के लिए जो पैसा चाहिए? आप नियमन बोर्ड के अन्दर तीन मैम्बर और एक व्हाइट एलिफेंट और खड़ा कर रहे हो। तीन मैम्बर और उसमें एक चेयरमैन, उनके लिए अलग से गाड़ी, घोड़ा और आफिस। आज हरियाणा के अन्दर

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

भी यही कर रहे हैं हम। हरियाणा के अन्दर तीन आई. ए. एस. आफीसर बड़े रैंक के लगा दिये, वे टेण्डर कर रहे हैं कि किस पार्टी को ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का टेण्डर दिया जाए। बड़े-बड़े टेण्डर्स बन रहे हैं। यही काम अपन यहां पर करेंगे और बड़े-बड़े आफिसर्स को लगा देंगे। इन लोगों के बैठने के लिये जगह नहीं, क्या करने जा रहे हैं? क्यों करने जा रहे हैं?

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारे उनियारा से आने वाले माननीय सदस्य भी कह रहे थे, दूसरे मैम्बर्स भी कह रहे थे कि अपना जो खुद का पावर है, विधान सभा के सामने आते हैं जब भी रेट बढ़ती है। वह अपना पावर ही कम कर रहे हैं और अपन लोग ही अपना पावर दूसरों को देना चाह रहे हैं, नियामक आयोग को देना चाह रहे हैं। जब भी रेट बढ़ती है हर साल अपने पास रिपोर्ट आती है। यह पावर अपना, आपको मना कौन कर रहा है? हम जानते हैं कि अगर पैसे बढ़ाने हैं तो उनके सिर पर क्यों बढ़ाएं। आप भी कह दें कि यह मेरी परेशानी है, यह आर. ओ. आर, तीन परसेंट मैं कैसे लाऊं। एस.ई.बी. की यह हालत हो रही है। आप ही सबको समझा दें और हम लोग ही कह दें कि ठीक है इतना पैसा बढ़ा दें, समझ में आती है। आप किसी दूसरे के सिर पर करवाना चाहते हैं इससे समस्या कहां हल हो जाएगी?

दूसरी चीज जो देखने की है कि दूसरों का क्या एक्सपीरियंस रहा है। क्या प्रैशर है कि यह अपन दियामक आयोग लेकर आ रहे हैं? तीन चीजों पर और जाना पड़ेगा। एक तो अपन ने यह कि एस.ई.बी. की क्या गलती थी, दूसरा यह कि जो दूसरी स्टेट्स हैं उनका क्या एक्सपीरियंस रहा। यह भी अगर अपन देख लें तो उड़ीसा सबसे पहले है। उड़ीसा के अन्दर उन्होंने शुरू किया, यह पूरा पेपर है उड़ीसा का। उन्होंने 1995 के अन्दर यह किया, तीन साल के अन्दर स्ट्रक्चर बदल नहीं पाये वे। जो उनको लोन मिलने वाला था वह अभी तक नहीं मिला। सबसे बड़ी बात यह है, उड़ीसा तो तैयार इसलिए हो गया कि उनका बिलकुल अलग केस है। अपने यहां पर पचास प्रतिशत एग्रीकल्चर सैक्टर है, उनके 25 प्रतिशत ही एग्रीकल्चर सैक्टर है, 75 प्रतिशत उनका एग्रीकल्चर सैक्टर नहीं है। उसका उदाहरण लेकर अपन उसी रास्ते पर चल रहे हैं। मैं यह भी बताऊं आपको कि उन्होंने भी आयोग बनाया है और उनकी जो रिकमन्डेशंस रही हैं, उन्होंने एक बार तो 17 प्रतिशत रेट बढ़ाया, एक बार 11 प्रतिशत रेट बढ़ाया। यह आयोग बन जाएगा, रास्ता तो साफ दिखायी दे रहा है कि विश्व बैंक का प्रैशर है। हमारे पास भी वर्ल्ड बैंक का आफर आया था, यह पूरा पेपर है कि ये तो शर्तें हैं और इतना पैसा मिलने वाला है। यह 1998 की बात है। इसमें एक-एक चीज समय अगर आप देंगे तो मैं पढ़कर बताऊंगा।

श्री सभापति : कृपया संक्षिप्त कीजिये।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : अभी तो शुरूआत ही हुई है।

श्री सभापति : मैं तो संक्षिप्त करने के लिए कह रहा हूं।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : Reform policies :–The phasing of the poles, loans and reform measures that would trigger the approval of proposed as follows : Page 1. Lending for 1998–65 million. अब शायद 100 मिलियन हो गया है। उसके अन्दर जो उन्होंने कंडीशस रखीं–

Take approval of financial restructuring, programme, implemantation, plan, reform statement, privatisation and strategy. आप कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन तो हम नहीं करना चाह रहे हैं, हम तो खाली ये तीन टुकड़े कर रहे हैं। तीन टुकड़े करने का मतलब ही क्या हुआ ? प्राइवेट सैक्टर को देना चाह रहे हैं। International investment bankers tariff entries authorised to meet cash brake even, कैश ब्रेक ईवन क्या है। आर. ओ. आर. 3 परसेन्ट आप खुद ही कर लो। दूसरों को पावर दे करके आप कर लेंगे। आप अगर सब्सिडी और सबवेंशन देने लग जाएं तो आज भी हालत एस. ई. बीज की बहुत बढ़िया हो जाए।

नैक्स्ट प्रोग्राम के अन्दर भी उन्होंने बहुत लम्बा-चौड़ा कहा है, लाइबिलिटी। स्टाफ कम करना है क्योंकि आप प्राइवेट सैक्टर को देंगे। डैट-इक्विटी रेशो 70-30 होना चाहिए। ये सब कंडीशन्स महाराष्ट्र में भी लोन के लिए एप्लाई की गयी थीं। महाराष्ट्र ने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, उन्होंने यह आयोग नहीं बनाया, उन्होंने रिस्ट्रक्चर नहीं किया। आज महाराष्ट्र बहुत अच्छी पोजीशन में है। वर्ल्ड बैंक ने उनको लोन नहीं दिया। उड़ीसा के अन्दर फर्स्ट फेज के बाद में एक कमी रह गई है। इतनी जो कंडीशन्स हैं, कल नहीं दिया तो क्या होगा? आज जो प्रपोजल बनाया है वर्ल्ड बैंक ने, उन्होंने कहा है कि 25 सौ करोड़ रुपये की एक कैरट दिखाई है कि 26 सौ करोड़ रुपये हम आपको देंगे अगर आपने यह सब कर लिया। 25 सौ करोड़ रुपये के लिए इतनी कंडीशन्स ? एक कंडीशन भी आपने मीट नहीं की तो यह सब जितना भी किया यह सब फिजूल हो गया। क्या जरूरत थी।

मैं तो आपसे यह भी कहता हूं, आप यह आयोग बना रहे हैं टैरिफ में जो ये तीन मैम्बर्स बनाएंगे ये मैम्बर्स कर क्या लेंगे ? सब जानते हैं कि लॉस में एस. ई. बी. हैं, रेट बढ़ानी है। यह आयोग क्या कर लेगा? सबसे बड़ी बात जो है इसमें कि 3 मैम्बर्स को आपने जितना जनरेशन किया उस पर कोई हक नहीं होता, या जितनी आपने पावर परचेज की है। आप आर.पी.जी से धौलपुर से लेने जा रहे हैं, लिग्नाइट वाला बरसिंहसर लगाने जा रहे हैं। यह तो जिस रेट पर आएगा जो आएगा हीं। यह तो नहीं कर दोगे कि इसको आप कम कर दो। यह तो उनके परव्यू में है ही नहीं। आपके तो यही है कि यह रेट होनी चाहिए तो रेट तो अपन भी तय कर सकते हैं। अपन भी बैठ कर कर सकते हैं कि इतना लॉस हो रहा है यह हम कर दें तो एस. ई. बी. ठीक हो जाए। क्यों इस एक्सरसाइज में आप जा रहे हैं ?

मैं यह आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक एक्सपीरियंस आपके सामने हैं। रोज आप अखबारों में पढ़ रहे हैं कि ट्राई

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

के साथ में क्या हुआ। सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने ट्राई बनाया है–टेली कम्युनिकेशन रेगुलेटरी आथोरिटी आफ इण्डिया। आज जितनी भी सेल्यूलर फोन सर्विसेज हैं, जितनी भी रेट के बारे में आ रहा है, आज सेन्ट्रल गवर्नमेंट भी उनको यह नहीं कह सकती। उन्होंने कहा कि यही रेट रखनी पड़ेगी। यही का यही हाल अपना होने वाला है। फिर आपने आयोग के मैम्बर्स तो बना दिये, 5 साल तक वे लोग नहीं सुनेंगे। आप क्या कर लेंगे? ट्राई के साथ यही हो रहा है। आज कितनी एनोमोली है, कितनी परेशानियां आ रही हैं? सेन्ट्रल गवर्नमेंट कहती है कि सेल्यूलर फोन के जो रिटर्न काल्स हैं, जो भी डोमेस्टिकल हैं उनको आप फ्री कर दो, यह कर दो। ट्राई कहता है नहीं करू। फिर यह विवादास्पद मामला उठ जाएगा। आप की बात वे मानेंगे नहीं। उसके लिए आपने क्या रास्ता सोचा है? यह तो अपने सामने हुआ है। आज भी परेशानियां आ रही हैं कि टेली कम्युनिकेशन रेगुलेटरी आथोरिटी सेन्ट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं मान रही है।

एक चीज और मैं निवेदन करना चाहता हूं। आज जो रेट अपने को मिल रहे हैं उन्हें बढ़ाने की बात कह रहे हैं, लेकिन अपन ने हरडल्स बना दिये हैं। अब क्या होगा, रेट कैसे बढ़ जाएंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं थोड़ा-सा। आज एन.टी.पी.सी. से तीन जनरेटिंग कम्पनीज में अपन खरीदते हैं। जनरेटिंग कम्पनीज जैसे धौलपुर वाली आती थी, हो जाएगी, इससे भी अपन करेंगे। नेशनल हाइडल पावर कारपोरेशन से भी अपन परचेज करते हैं, ये बेचेंगे पावर ग्रिड कारपोरेशन को। जो नया पावर ग्रिड कारपोरेशन अभी बना है सेन्ट्रल के अन्दर वे उनको बेचेंगे सीधा आप एन.टी.पी.सी. और हाइडल कारपोरेशन से नहीं ले पाएंगे। वे अपना रेट लगाएंगे। कुछ प्रोफिट तो लेंगे ही। उसके बाद में आएगा पावर ट्रेडिंग कारपोशन, गवर्नमेंट आफ इण्डिया, वे बचेंगे। उनसे आप खरीदेंगे तो जनरेटिंग कम्पनी जो राजस्थान में बनेगी, उसको बेचेंगे तो ये सब 16-16 परसेन्ट लगाएगे अपना। 10-10 परसेन्ट तो अपना प्रोफिट लगाएंगे, वे बेचेंगे आपके ट्रांसमिशन लाइसेंसीज को। आपने कहा है कि हम तो प्राइवेट सैक्टर को देना नहीं चाहते हैं तो आपने क्यों....

डा. चन्द्रभान : जनरेशन को क्यों बेचेंगे, सीधा ट्रांसमिशन कम्पनी को बेचेंगे।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : यह सिस्टम बन गया। दिस इज दी न्यू सिस्टम, आप पता लगा लेना। एन.टी.पी.सी. पावर ग्रिड को बेचेगा, पहले-पहले नहीं दे सकता। वह देगा पावर ट्रेडिंग कारपोरेशन को, वे बेचेंगे अपनी जो जनरेशन कम्पनीज जहां पर होगी उसको। वह आपकी एस.ई.बी. नहीं है। जो भी कम्पनी वहां पर होगी और वे उसको बेचेंगे। ट्रांसमिशन लाइसेंसी होगा, जो कम्पनी आप बना रहे हैं उनको बेचेंगे। वे 10 परसेंट लगाएंगे, वे बेचेंगे डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी को और वे बेचेंगे कंजूमर को। कंजूमर का हाल क्या हो? 10-10 परसेंट लगाते गये, क्या हो जाएगा? अभी तो आप सीधा ले रहे हैं। यह क्यों क्रीएट कर रहे हैं? वर्ल्ड बैंक के प्रैशर में क्यों आ रहे हैं आप? उनको तो आप कह दें, आपसे क्या मतलब कि हम क्या सिस्टम रखना चाहते हैं। आपने तो बहुत स्टडी की है,

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

मंत्रीजी, मुझे पता है। इलैक्ट्रिसिटी एक्ट, 1948 इतना अच्छा बना हुआ है उसमें अमैंडमैंट करना है। उसमें एक रेटिंग कमेटी है, रेटिंग कमेटी का किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। आयोग जो बन रहा है 3 मैम्बर का, वह सब कुछ रेटिंग कमेटी वाले ही हैं। अगर आप निकाल कर देख लें, वह की वह बात रेटिंग कमेटी कर सकती है। न तो हाथी पालने की जरूरत है और न सफेद हाथी पालने की जरूरत है। रेटिंग कमेटी आप बना देते एस.ई.बी. के अन्दर तीन मैम्बर की उसी में से। वे कहते कि इतना अपने को लॉस हो रहा है, इतना अपने को बढ़ाना है। विधान सभा के सामने पेश कर देते, सब मैम्बर्स से अपन कह दें कि हमारी एस.ई.बी. कैसे चलेगी। आपका काम चल जाए। रेटिंग कमेटी 57 (ए), 59 देख लीजिए आप इलैक्ट्रीसिटी एक्ट, 1948 के अन्दर।

एक और 1948 एक्ट के अन्दर सी. ई. ए. का सेक्शन 18 ए के है। अगर आप को प्राब्लम है, आप तय नहीं कर रहे है टैरिफ तो सी. ए. भी कर सकता है, आप उनकी एडवाइज भी ले सकते हैं कि क्या रेट रखनी चाहिए। आप अपने ऊपर नहीं रखना चाहते कि हमारी सरकार अगर पैसा बढ़ा देती है तो फार्म सैक्टर के लोग तो नाराज हो जाएंगे। आप कह दो वे एडवाइज करके दे देंगे कि यह रेट होनी चाहिए। रेट तय करने के लिए आप इतने बड़े व्हाइट एलीफेंट्स को पालना चाहते हैं। पांच साल तक हमारे को तो आप कहते रहे कि कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, 9 महीने के अन्दर आपने कौनसा तीर मार दिया? यह तो बता दें आप कि जनरेशन के अन्दर हमने इतना कर दिया। यह जो सूरतगढ़ आया है वह भी हमारे टाइम पर ही आया है और एक 250 मेगावाट जो कोटा में आया था वह भी हमारे टाइम पर ही आया था। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं....(व्यवधान) प्राइवेट कम्पनी का बताता हूं धौलपुर के अन्दर हमने पी.पी.ए. साइन किया। (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया इधर देख कर।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : ढाई सौ तो कोटा के आ गये और ढाई सौ यहां आ गये, पांच सौ आ गये। (व्यवधान) नहीं, प्राइवेट नहीं।

श्री सभापति : कृपया व्यवधान नहीं।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : आपको जवाब देने की मेरे को जरूरत नहीं।

श्री सभापति : विराजिये।

श्री अमराराम (धोद) : मैं तो ज्ञान ले रहा हूं आपसे।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मैं निवेदन कर रहा था, पी पी. ए. साइन हो गया धौलपुर आर.पी.जी. से हमारे टाइम में और अभी तक आप लोग फाइनेंशल क्लोजर करके काम शुरू नहीं कर पाये यह हाल है। पी.पी.ए. होने के बाद भी, बरसिंहसर में क्या हो गया? बरसिंहसर वही सी. ई. ए. के पास है। सी ई. ए. किसी सरकार का नहीं है। सेन्ट्रल इलैक्ट्रिसिटी आथोरिटी वही है। आप जो कह रहे हैं, जैसे आपके आयोग बन जाएगा यह भी आपके हाथ में नहीं रहेगा कि आप उनको दबा कर रेट कम

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

कर सकते हो। यह का यही हाल सी.ई.ए. का है, सेन्ट्रल इलैक्ट्रिसिटी आथोरिटी का है।

(13.00 बजे)

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। आप बिराजें।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : आपने चीज अच्छी की है। एक चीज तो आपने की है कि सूरतगढ़ के अन्दर। हम लोगों के एक बार विचार चल रहा था कि प्राइवेट सैक्टर को दे दिया जाए, आपने उसका अपोज किया था। अब खुद करना चाह रहे हैं सैकण्ड फेज के अन्दर, बहुत अच्छी बात है। एक तो सरकार करे, एस.ई.बी. करे और दूसरी प्राइवेट सैक्टर तो उसमें उनकी लड़ाई रहती है। यह बहुत अच्छा काम किया है। आपने दूसरा अच्छा काम किया है कि पीराज हनुमानगढ़ वाला, चम्बल–केशोरायपाटन वाला और इण्डोकेल पावर बैंचर वाले एक 166 मेगावाट का आपने पी.पी.ए. साइन किया। एक-एक करोड़ रुपया आपको मिल गया है बैंक गारण्टी का, आगे क्या होगा? नहीं आने वाला। इसके लिये मैं आपको कारण भी बता दूं, आप दिखवा लेना। बैंक गारण्टी का एक करोड़ रुपया तो उन्होंने जमा करा दिया, उनको 500 करोड़ रुपये की सबको जरूरत है। 3–3.50 करोड़ रुपये पर मेगावाट का खर्च है डी.जी. सैट का। आप उनको कर देंगे नेफ्था का जो भी एलोकेशन हैं, नेफ्था इतना महंगा हो गया कि पहले 6600 रुपये का था, जो आज 10 000 रुपये का हो गया है। बायेबल नहीं है, 2 रुपये 10 पैसे पर कोई नहीं आएगा। वे नहीं आने वाले हैं। 500 करोड़ रुपये जो उनको बैंक से मिलने वाले हैं, बैंक वाले पूछते हैं एस्क्रो का क्या होगा। आप जानते हैं एस्क्रो क्या है। अगर आप बता सकते हैं यह एस्क्रो होगा, आप दे सकते हो क्या? आप एस्क्रो बता ही नहीं सकते हो उनका और जब एस्क्रो नहीं बता सकोगे आप तो वे नहीं आ रहे हैं। खाली यह एक करोड़ रुपया जो मिला हुआ है उसी को लेकर आप बैठे हैं। यह छोटी छोटी बातों को डालने से क्या मतलब है? यह 2–2, 4-4 मेगावाट के बारे में मैं आपसे बात करूंगा।

आपको जो करना चाहिये, वह यह कि न्यूक्लीयर जो बढ़ रहा है 2 × 200 मेगावाट का उसमें से पूरा अगर आप राजस्थान के लिये ले लें तो बहुत बड़ी चीज आप कर पाएंगे।

डा. चन्द्रभान : आप मदद कराना दिल्ली से।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मेरे को भेजने की तैयारी तो कर रखी है लोगों ने। अगर मैं पार्लियामैंट में पहुंच जाऊंगा तो जरूर मैं (व्यवधान) नहीं-नहीं....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। You have already taken 20 minutes. आपके पास ज्ञान का अथाह सागर है लेकिन इसके लिये समय बहुत ज्यादा चाहिये। उसके लिये मिनट नहीं कई घंटे चाहिये, इसलिये कृपया समाप्त करें।

श्री शिवनाथ सिंह : उसको ग्रहण करने वाले भी उसी स्तर के होने चाहिये।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : एक प्राब्लम और आपके आज नहीं तो कल आने वाली

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

है। बोर्ड से आपने निगम बना दिया। 400 करोड़ रुपये जब हमने सूरतगढ़ के लिये मांग की थी तो ओवर सब्सक्राइब था। ओवर सब्सक्राइब। आज जब यह 400 करोड़ रुपये के लिए बाजार में जाएगा तो साख इतनी गिर गयी है कि आपको कोई पैसा नहीं लगाएगा। बोर्ड से कारपोरेशन बनते ही आपने यह भी विचार किया क्या कि बोर्ड पर इनकम टैक्स नहीं लगता है और कारपोरेशन कभी भी अगर फायदे में आया या नहीं आया तो आपको इतनी तैयारी करनी पड़ेगी। इनकम टैक्स भी देना पड़ता है। मैं आज अभी तो इतना ही निवेदन करूंगा।

श्री सभापति : माननीय श्री अमराराम चौधरी।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : सभापति महोदय, यह बात सही है कि आर. एस.ई.बी. संकट में है, वित्तीय संकट में है इसीलिये माननीय मंत्रीजी पावर सैक्टर विधेयक लाये हैं।

कोई भी सरकार हो, हर सरकार की यह प्राथमिक ड्यूटी है कि वह एजुकेशन, पानी और किसानों को हर सूरत के अन्दर सस्ती बिजली उपलब्ध कराए। संवेदनशील और कल्याणकारी सरकार की प्रथम ड्यूटी होनी चाहिये।

हमारा देश भारत डवलपिंग कंट्री में आता है। इस डवलपिंग कण्ट्री के अन्दर इस प्रकार से जो आर.एस.ई.बी. को भंग करके इनडिपैंडेंट कारपोरेट एण्टाइटीज जो आ रहे हैं उसके पीछे आपकी मंशा है कि सोशल टू फेयर डीलिंग होगी। मुझे नहीं लगता। हमारी जो स्थिति है, हमारे देश की जो भौगोलिक स्थिति है और खास तौर से पूरे राजस्थान की, राजस्थान में अलग-अलग हिस्सों में, अलग-अलग स्थिति है। आज किसान नहर से गेहूं पैदा कर रहा है उसको बहुत सस्ता पड़ता है और कुओं से जो किसान पैदा कर रहा है अनाज उसको बहुत महंगा पड़ रहा है। धीरे-धीरे आज जो अनाज की रेट बढ़ रही है 1000, 800, 900 रुपये, क्यों हो रहा है? नहर वालों को तो पहुंच जाता है, कुओं पर जो बिजली लेते हैं उनको नहीं पहुंचता।

एक प्रयोग के तौर पर उड़ीसा के अन्दर जैसा अभी माननीय सदस्य बता रहे थे, एक कार्य प्रणाली शुरू की गयी पावर सुधार के लिये। वहां पर शुरू के अन्दर 90 पैसे थे यूनिट के, उसके बाद आज कितने ज्यादा पैसे लिये जा रहे हैं किसानों से? 2 रुपये 55 पैसे। किसी भी कम्पनी से आपका एग्रीमैंट होगा, कांट्रैक्ट होगा उसमें ये तीन कम्पनी हैं जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की। इन तीन कम्पनियों पर जो एस्टैब्लिशमैंट कास्ट होगी उसका आप अनुमान लगाइये। अपने यहां कहावत है "बाणियां रे अठे गया वे गुड़ खावे, घे कवे कि भाई खाओ गुड़ घरेरो घरे है"। यह तो वही बात है कि खरबूजे पर छुरी डालो या छुरी को खरबूजे पर डालो, अल्टीमेटली काश्तकारों पर यह भार पड़ने वाला है कंजूमर्स पर पड़ने वाला है। इसीलिये काश्तकार को चिन्ता हो रही है कि हमारे बैल खतम हो गये, अब हमने अपने ट्यूबवैल कर दिये तो इतनी महंगी बिजली। फिर हम जो गेहुं पैदा करेंगे, कहीं खारा पानी है

(श्री अमराराम चौधरी)

और दूसरी फ़ाप पैदा होती नहीं। कोई बादाम होता हो जब तो कोई बात ही नहीं है, आप हमारे से 4 रुपये ले लो, दो रुपये ले लो। पर हम तो बाजरा और थोड़ा-बहुत गेहुं पैदा करते हैं। अब लोग जीरा और सरसों भी पैदा करते हैं तो उसमें भी प्राकृतिक प्रकोप से कितनी काश्तकारों की हालत खराब होती है, यह आप जानते हैं। एक कहावत है कि "बेटी रो मोह हम्बाले तो जंवाई री जीव दिया नहीं छूटे। बेरा री छाया तो बेरा बीच रवै।" यानि हर दूसरे साल, तीसरे साल अकाल पढ़ता है। आज थोड़ा-सा मुनाफा हो गया काश्तकार बड़ा मालदार हो गया। उसकी फ़ाप हो गयी। किसने देखा, काश्तकार की क्या हालत है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है?

आज हमारा जो भी रॉ-मैटेरियल है उद्योग का, वह कृषि पर आधारित है। माननीय मंत्रीजी, यह कृषि पर आधारित है और यदि हम विश्व बाजार व्यापार संगठन के अन्दर कम्पीटीशन करना चाहते हैं तो आपको किसानों को सस्ती बिजली देनी पड़ेगी। किसानों को बिजली की दर आपको कम करनी पड़ेगी। यदि किसानों की दर कम नहीं करेंगे तो जितने भी आप के उद्योग हैं, बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां हैं, उनका रॉ-मैटीरियल कहां से आता है? यह सब खेती से आता है, किसान पैदा करता है। उस किसान के पैदा किये हुए से सारे उद्योग-धंधे चल रहे हैं। जहां आपकी बिजली महंगी होगी आप पैनल्टी करेंगे, कम्पनीज हैं, उनके कितने व्यक्ति होंगे, फाइन आप करेंगे। लाख रुपये तक आप फाइन कर देंगे, सब कुछ हो जाएगा। जैसे ईस्ट इंडिया कम्पनी ने देश के अन्दर आकर क्या किया? देश को गुलाम बनाया। किसी राज्य की अर्थव्यवस्था को खतरा करना है तो इस प्रकार की कम्पनियां धीरे-धीरे हो जाएंगी।

मैं देखता हूं कि पी.डब्ल्यू.डी. में कई जगह ऐसे ठेकेदार हैं जो ठेका ले लेते हैं किसी रोड का और सिक्योरिटी जमा करा देते हैं। उनके तो कोई बात नहीं कि सिक्योरिटी जाए तो जाए। लेकिन जो रोड 12 महीने में बननी चाहिए वह तीन साल में नहीं बनती। यही हालत यहां होगी। इसलिए, माननीय मंत्री जी, इस पर पुनर्विचार कीजिये। यह जनता के समक्ष भेजिये, जनता ही यह निर्णय करेगी कि यह हमारे लिये उपयोगी है कि नहीं है।

अभी भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे कि यह सफेद हाथी है, इतने ज्यादा ऑफिसेज हैं। जितने ज्यादा आफिस होंगे विवाद उतने ज्यादा बढ़ेगा और हमारे काश्तकार उन विवादों में फंसते जाते हैं। इन टैक्टिक्स को लाकर आप हमारा टैरिफ बढ़ाने जा रहे हैं। हमारा राजस्थान डवलपिंग प्रांतों में भी सबसे नीचे है। इसके लिये आवश्यकता है कि इस प्रकार से इतनी जल्दबाजी में न करें। एक दिन के अन्दर आपका बहुमत है, पास करा देंगे। लेकिन मेरा निवेदन है कि इसके ऊपर पुनर्विचार करें।

आपने कहा कि सोशल फेयर डीलिंग करेंगे। अभी जो काम कर रहे हैं उनकी फेयर डीलिंग नहीं हो रही है? आपके जो सारे अधिकारी हैं उन पर डाउट है क्या? कम्पनियां तो फेयर डीलिंग करेंगी?

(श्री अमराराम चौधरी)

कारपोरेट जो भी होंगे, एंटाइटीज होंगे वे फेयर डीलिंग करेंगे ? आपके अभी जो अधिकारी, इंजीनियर्स काम कर रहे हैं वे सब बेइमान हैं, भ्रष्ट हैं ? उन पर आपको भरोसा नहीं है ? इसलिए आप इस प्रकार का काम करने जा रहे हैं ।

आज कितनी बेरोजगारी फैल है । आज तीन-तीन साल से हमारे काश्तकारों के बच्चे बी.एड. किये हुए बैठे हैं, उनको अभी अपाइन्टमैंट नहीं है । हमारे मजदूर लगे हुए हैं इस आर.एस.ई.बी. के अन्दर उनका क्या हाल होगा, कैसे आप उनका एडजस्टमैंट करेंगे, किनको लगाएंगे ? कम्पनी कहेगी हम इनको नहीं लगाते हैं, फिर आप क्या करोगे ? इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना जरूरी है । आपने तो कहा है कि इसमें फेयर डीलिंग होगी । मैं सोचता हूं कि कोई फेयर डीलिंग नहीं होगी बल्कि कास्ट बढ़ेगी और कास्ट अल्टीमेटली हमारे कंजूमर्स पर पड़ेगी । इसलिए इसमें सुधार लाना बहुत ही जरूरी है, इस पर पुनर्विचार कीजिये ।

अकाल की घड़ी है, हमारे यहां वित्त का संकट है । ठीक है यह वर्ल्ड बैंक का दबाव है, आपको वह पैसा नहीं दे रहा है । पर ये जो स्कीमें हैं ये तो अमेरिका, इंग्लैण्ड में सफल हो सकती हैं जो कि डवलप्ड कंट्रीज हैं । हमारे यहां यह संभव नहीं है । इसलिए मैं तो संक्षेप में यही निवेदन करना चाहता हूं कि जनमत जानने के लिये इस बिल को भेजा जाए । बाकी जनता की ओपीनियन सर्वोपरि है । आप और हम इस सदन में जनता के द्वारा चुनकर आये हैं, जनता की ओपीनियन के बिना आज हम थोड़े समय में बैठकर इस बिल को आनन-फानन में पास कर देंगे तो जनता आपको और हमको नहीं बख्सेगी । धन्यवाद, जयहिन्द ।

श्री सभापति : माननीय श्री रमजान खां ।

श्री रमजान खान (पुष्कर) : सभापति महोदय, आज सदन में राजस्थान पावर सैक्टर सुधार विधेयक, 1999 के ऊपर चर्चा हो रही है । यह इतना इम्पार्टेंट बिल है कि इसकी चर्चा के समय सदन के नेता महोदय को उपस्थित रहना चाहिये था । मैं समझता हूं कि ...

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : प्रतिपक्ष के नेता महोदय भी नहीं हैं ।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : कोई सीनियर मंत्री ही नहीं हैं । (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : वह चार दिन पहले (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : वित्त मंत्री जी के लिए शर्म की बात है, इतना महत्वपूर्ण बिल है और आप सचेतक महोदय खड़े हो जाते हैं । (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : आपको शर्म कहां है ? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : कोई भी नहीं है महत्वपूर्ण व्यक्ति (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : सभी बैठे हैं ।

श्री सभापति : समाज कल्याण मंत्रीजी बैठे हुए हैं । जोइंट रेस्पोंसिबिलिटी है । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, फिर बहस का अर्थ क्या है ? (व्यवधान)

श्री सभापति : He might have gone to the bathroom. इसलिए आप विराजिये । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बहस तो हो रही है, यहां ऊर्जा मंत्री जी ही नहीं हैं । (व्यवधान) मुख्य मंत्री जी ही नहीं ... (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने नेता महोदय को... (व्यवधान)

श्री सभापति : यदि बहस 10 घंटे तक चलती रहेगी तो 10 घंटे तक तो ऊर्जा मंत्री जी नहीं बैठ सकते हैं । आप महसूस कर सकते हैं कि बहस अगर 10 घंटे तक चलेगी तो ऊर्जा मंत्री जी बीच में नहीं जाएंगे ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नेता को भी देखना चाहिए । (व्यवधान)

श्री सभापति : जोइंट रेस्पोंसिबिलिटी है । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ट्रेजरी बैंचेज सारी खाली पड़ी हैं....(व्यवधान)

श्री सभापति : आप मंत्री रहे हुए हैं, जोइंट रेस्पांसिबिलिटी है.... (व्यवधान) समाज कल्याण मंत्री जी बैठे हुए हैं । (व्यवधान)

श्री शान्तिकुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन मंत्री) : मैं कौन हूं ? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप गंभीर नहीं हैं । (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं कौन हूं ? (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया बैठिये, माननीय सदस्य । (व्यवधान) नो डिस्टर्बेंस प्लीज बैठिए । (व्यवधान)

श्री बनवारी लाल : माननीय सदस्य, मंत्री मौजूद हैं यहां पर । (व्यवधान)

श्री सभापति : स्वायत्त शासन मंत्रीजी बैठे हुए हैं, समाज कल्याण मंत्रीजी बैठे हुए हैं । (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : धारीवाल जी को कोई गम्भीरता से नहीं लेता है । (व्यवधान)

श्री सभापति : अगर 10 घंटे तक बहस चलेगी तो 10 घंटे तक सम्बन्धित मंत्री नहीं बैठ सकता है । (व्यवधान) बीच में कहीं जाना पड़ सकता है । (व्यवधान) He might have gone to the bathroom. आप प्लीज विराजिये । (व्यवधान) प्लीज बैठिये । आप मिनिस्टर्स रह चुके हैं.... (व्यवधान) आठ घंटे बैठ सकते हैं कंटीन्यू ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, सरकार बहस के प्रति गम्भीर नहीं है । (व्यवधान)

श्री बनवारी लाल : आप जो बोल रहे हैं सब नोट किया जा रहा है । सबका रिप्लाई किया जा रहा है । सब सुझाव नोट किये जा रहे हैं । (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया शान्त रहिये । (व्यवधान) प्लीज टेक योअर सीट । (व्यवधान) माननीय श्री रमजान खान । (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : एक व्यक्ति की बात नहीं है, सबकी जिम्मेदारी है । (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : पुष्कर से आने वाले सदस्य के भाषण में व्यवधान क्यों कर रहे हैं आप ? (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बैठिये, नो डिस्टर्बेंस प्लीज । (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : आप इनको बोलने दीजिये । (व्यवधान) मंत्री मौजूद हैं । (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप जनता की पीड़ा नहीं समझते । (व्यवधान)

श्री सभापति : उनियारा से आने वाले माननीय सदस्य, कृपया बिराजिये । (व्यवधान) आप तो बैठिये ।

श्री दिग्विजय सिंह : आप तो यह बताएं....(व्यवधान)

श्री सभापति : हां, बैठिये । आ गये ऊर्जा मंत्री जी । (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : आपके महत्वपूर्ण सुझाव सब नोट कर रहे हैं । (व्यवधान) अब आप बताइये, आपको दिक्कत क्या है ?

श्री सभापति : मिनाय से आने वाले माननीय सदस्य, कृपया बिराजें । मंत्री जी आ गये हैं, बैठिये । (व्यवधान) हां, कंटीन्यू कीजिये । (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : आप जरा ध्यान तो रखिये ।

श्री सभापति : निम्बाहेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य । (व्यवधान) कृपया बिराजें ।

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : आप बिजली के साथ में थोड़ा पानी-पेशाब की इजाजत तो दीजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सभापति महोदय, मैं तो यह निवेदन कर रहा था.... (व्यवधान)

श्री रमजान खान : सभापति महोदय, आजादी के बाद.. (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : आप कौन हैं ? (व्यवधान)

श्री सभापति : A minister can intervene at any time.

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : आप कौन हैं, यह क्या बात हुई ? हाउस के सदस्य हैं । (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बैठिये, माननीय सदस्य । (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : कैबिनेट की जोइंट रेस्पांसिबिलिटी होती है ।(व्यवधान)

श्री सभापति : Madam, minister can inteavene.

श्री हरिसिंह (महुवा) : आपको खयाल ही नहीं है । प्रजातंत्र के सामान्य नियमों को ध्यान में रखें ।

श्री सभापति : हां, मंत्री महोदय क्या फरमा रहे हैं ?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सभापति जी, धारीवाल जी को कोई गम्भीरता से नहीं लेता ।

श्री सभापति : आप क्या फरमा रहे हैं, जल्दी कीजिये ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि एक तो ना जाने क्या बात है कि मैं आपको जब इस कुर्सी पर देखता हूं तो मेरा मन बहुत राजी होता है । दूसरी बात मैं यह कह रहा हूं कि इनके पास (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): आप इनसे खुश होते हैं तो दुःखी किससे होते हैं ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपसे ।

श्री सभापति : कृपया, माननीय सदस्य ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : दूसरा अर्ज मैं यह कर रहा था कि विपक्षी सदस्यों के पास बोलने को कुछ नहीं है । आप यह देखिये कि इतने आदमी बैठे हुए हैं यहां पर, हम नहीं दिख रहे हैं ?

एक माननीय सदस्य : आप क्या हो ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हम क्या हैं ? यह तो आप जानते हो कि हम क्या हैं । कभी आपका काम पड़ जाएगा तब बताऊंगा कि मैं क्या हूं ।

श्री सभापति : बिराजिये, प्लीज सिट डाउन (व्यवधान) माननीय श्री रमजान खानजी, प्लीज कंटीन्यू ।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++

श्री रमजान खान : कन्टीन्यू तो कोई करने दे तब करूं, साहब ।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : ये मंत्री इस पर धमकी दे रहे हैं कि मेरा काम पड़ेगा तब बता दूंगा, इसका क्या मतलब हुआ ?

श्री सभापति : प्लीज, टेक इट लाइटली ।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : इसका क्या मतलब हुआ ? ये मंत्री हैं और इस तरह बोल रहे हैं ।

श्री सभापति : इसको अदरवाइज न लें, प्लीज टेक इट ईजी, आप बिराजिए ।

श्री महेश जोशी : राजेन्द्रजी राठौड़, यह धमकी आपको है । (व्यवधान)

श्री सभापति : राजेन्द्र जी, आप विराजिए ।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : मेरा वैसे इनसे कोई काम पड़ने वाला नहीं है, मैं तो वैसे ही आज यहां आखिरी दिन हूं ।

श्री सभापति : प्लीज टेक योर सीट ।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, हमें इनकी स्थिति पर बड़ा खेद है ।

श्री सभापति : इट इज ऑल इररेलेवेंट, कोई मतलब नहीं है, प्लीज बैठिए।

श्री महेश जोशी : आपको है यह धमकी, आपको ।

+++अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अप्रलोपित की गयी ।

श्री सभापति : प्लीज टेक योर सीट ।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : मेरा निवेदन है कि यह तो जरूर है कि मेरा इनसे काम पड़ने वाला नहीं है लेकिन लोक सभा चुनावों में शांति धारीवालजी ने मेरी कोटा में बहुत मदद की, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं ।

श्री सी. पी. जोशी : जानते तो हो कि शांति धारीवालजी कौन हैं ?

श्री सभापति : रमजान खान जी । नो डिस्टर्बेंस प्लीज, नो क्रोस टॉक्स ।

श्री रमजान खान : सभापति महोदय, जब से हमारा देश आजाद हुआ, इस विधान सभा के गठन से लेकर आज तक इस पवित्र सदन में इस तरह का जनता विरोधी बिल नहीं आया । यह पहला मौका है । आज की तारीख, आज का दिन इस विधान सभा के लिए काले अक्षरों में लिखा जाएगा और आने वाली पीढ़ी इसको याद करेगी कि राजस्थान विधान सभा में राजस्थान पावर सैक्टर सुधार विधेयक, 1999 25. 9. 99 को आया । मैं सुझाव देना चाहता हूं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को कि इसको जनमत जानने के लिए आप भेजें ताकि इसमें जनता की भागीदारी हो, जन प्रतिनिधियों की भागीदारी हो, क्योंकि इस बिल को बनाने वाले अधिकतर अधिकारीगण हैं, चाहे वे केन्द्र सरकार में बैठे हों, चाहे राज्य सरकार में हों । बिल और कानून की किताब जो अधिकारी लोग लिखते हैं, उनको जनता का ध्यान नहीं रहता, उनको जनता के बीच जाना नहीं पड़ता । वे अपने ऐशो-आराम का पूरा ध्यान रखकर कानून की किताबें बनाते हैं । इस बिल में भी यही किया गया है कि अधिकारियों ने अपने ऐशो-आराम के लिए इसको एक सफेद हाथी बना दिया है, जिस पर सरकार का कोई नियन्त्रण नहीं है । इसमें सरकार की कोई बात नहीं मानी जाएगी । वैसे वर्तमान इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड में भी सरकार की चलती है, उसमें मंत्री यह अधिकार नहीं है कि किसी जे.ईएन., ए.ईएन तक का भी ट्रांसफर करा दे । मंत्री जी गांवों में जाते हैं वायदे करके आते हैं, लेकिन उन वायदों को पूरा कराने में ये सक्षम नहीं हैं । परन्तु इस आयोग के बन जाने के बाद तो मंत्रीजी का कोई नियन्त्रण इस पर नहीं रहेगा । इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इसको जनमत जानने हेतु निश्चित रूप से भेजें । इस बिल को आज मंत्रीजी अपने संख्या बल के आधार पर जबर्दस्ती, मन मर्जी से पास करा लेंगे लेकिन मैं सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों में निवेदन करना चाहता हूं कि आप जब इसको पास कराएं तो टेबलें न थपथपाएं । उसका कारण है कि यह बिल जैसे ही पास होगा, तीन महीने बाद यह कार्यान्वित हो जाएगा । आयोग का गठन हो जाएगा तो सब्सिडी काश्तकारों की खतम हो जाएगी । गांवों के अन्दर कृषि के लिए बिजली का बिल ढाई रुपए, तीन रुपए जब प्रति यूनिट आएगा यह बात नहीं है कि आप लोगों पर ही बात आएगी, आप और हम गांवों में नहीं जा पाएंगे, गांव वाले हमको पत्थर मारेंगे । यह बिल आप लोगों के लिए तो होगा मौत का वारण्ट और हमारे लिए होगा आजीवन वारण्ट । उसका कारण है कि आपके थोड़ा

(श्री रमजान खान)

ज्यादा हिस्से में आता है तो थोड़ा बहुत हमारे भी हिस्से में आता है। जब हम गांवों में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि आप एम. एल. ए. हैं हमारी बिजली के बिल बढ़ गए, हमारे यह हो गया। हम यह कहते हैं कि सरकार हमारी नहीं है, हमारी इस वक्त चलती नहीं है तो बोलते हैं सरकार हो या कुछ भी हो, आपको हमने एम.एल.ए. बनाया है इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि हमारे कैसे बिल में पैसे बढ़ गए, कैसे क्या हो गया।

सभापति महोदय, आप स्वयं काश्तकार हैं, आप इस बात को जानते हैं कि जैसे ही यह आयोग पावर में आएगा, अधिकतर काश्तकार बिजली की मोटर को बंद कर देंगे और ज्यादातर अपने इंजन से थोड़ी-बहुत खेती-बाड़ी कर लेंगे। ये जो पैदावार के आंकड़े हैं हिन्दुस्तान के अन्दर कि हम आत्मनिर्भर हो गए हैं, वे सब के सब समाप्त हो जाएंगे। सरकार का इस पर कोई नियन्त्रण नहीं रहेगा। जब हम इसकी शिकायत यहां पर करेंगे, मंत्री महोदय से करेंगे सरकार से करेंगे, सरकार जाएगी आयोग के अन्दर और इस बात को लिखित में देगी। तो आयोग यह कहेगा कि इस बात को हम नहीं मानते। आप जिद्द करेंगे कि हमारी सरकार है, मानना पड़ेगा तो वे केन्द्रीय आयोग को भेज देंगे। केन्द्रीय आयोग का निर्णय अन्तिम होगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट या कहीं भी नहीं जा सकते। एक उदाहरण देना चाहता हूं, सभापति महोदय, आपको मालूम है कि इसी हाउस में श्री आर. एन. सिंह वाइस चांसलर के बारे में बहुत बड़ा वाद-विवाद हुआ था, हम सब लोगों ने मिलकर कहा था कि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। काफी हो-हुल्लड़ के बाद एक सिफारिश करके महामहिम राज्यपाल महोदय के पास भेजी गयी। उस पर फिर क्या हुआ? कुछ नहीं। इसी तरह हम यहां हो-हुल्लड़ करते रहेंगे खूब करते रहेंगे और मंत्रीजी को कहते रहेंगे। मंत्रीजी भी क्या करेंगे? अब आपकी कोई मजबूरी है इस बिल को लाने की तो आप इसे जनमत जानने के लिए भेजिये, जन प्रतिनिधियों को इसमें शामिल कीजिए, प्रवर समिति में जन प्रतिनिधियों को शामिल कीजिए और उनके जो विचार हैं उसमें सम्मिलित कीजिए। काश्तकारों की कृषि की सब्सिडी है, वह खतम नहीं करेंगे, गरीब उपभोक्ताओं पर पैसे अनापशनाप नहीं बढ़ाएंगे, इनका हम पूरा ध्यान रखेंगे, इस तरह की धाराएं, इस तरह के विचार इसमें जोड़िए। बाद में इसको विधान सभा में लाए, ताकि हमको इसके लिए उत्तरदायी होना पड़े, जनता के सामने हम जा पाएं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ....(व्यवधान) यह अधिनायकवादी संस्था हो जाएगी, एक तरह का बड़ा उपक्रम बन जाएगा। आपको जैसा मालूम है कि सब उपक्रम अधिकारियों के भरोसे चलते हैं। हमारी सरकार की गलती थी कि अधिकारियों के भरोसे रहे, हमारा बंटाढार हुआ। आप लोग भी अधिकारियों के भरोसे चल रहे हैं, आप लोगों की भी यही हालत हो जाएगी। अधिकारी किसी के सगे नहीं होते हैं। कोई यह सोचता है कि वह हमारा कलेक्टर है, वह हमारा एस. पी. है तो ये किसी के सगे नहीं होते हैं। ये तो जिधर हवा चलती

(श्री रमजान खान)

है, उधर ही हो जाते हैं, इसलिए इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए और जन प्रतिनिधियों की भागीदारी की जानी चाहिए। चाहे पूरे के पूरे कांग्रेस के एम. एल. एज. को जन प्रतिनिधि बना लें, हमारे विपक्ष से किसी भी आदमी को न लें मगर जब तक जन प्रतिनिधियों की राय न आ जाए, इस बिल को आज मंजूर न करें सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस काले कानून का सहयोग न करें, वरना आपकी और हमारी हालत बहुत खराब हो जाएगी, हमारा गांवों में जाना बंद हो जाएगा। आप तो कभी एम. एल. ए. बनकर आ ही नहीं सकते, इस बिल के पास होने के बाद और हम भी 10 साल तक नहीं आएंगे। दो-तीन बार हारेंगे, हाथा-जोड़ी करेंगे कि अब मत हराओ, अब मत हराओ, अब तो हमको जिताओ। ईमानदारी की बात है, स्थिति यह हो जाएगी। आप तो गांव नहीं जा सकेंगे, हम लोग भी हार कर आएंगे क्योंकि हम सबकी जिम्मेदारी है। आप लोगों के पास बैठते हैं तो गुण-लक्षण हमारे अन्दर भी थोड़े-बहुत हिस्से में आपका आता ही है। आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय प्रोफेसर सांवरलाल जी। (व्यवधान) बानसूर से आने वाले माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री जगत सिंह दायमा : आप दोनों हारेंगे, तीसरी शक्ति आने के लिए तैयार है।

श्री सभापति : अभी तो बिराजिए, जब आपकी शक्ति की बारी आएगी तब देखेंगे। (व्यवधान) आॅर्डर आर्डर, कृपया शांत रहें।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : आप अगली तैयारी कर लें।

श्री सभापति : नो टाॅक्स प्लीज।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : सभापति महोदय, राजस्थान में सन् 1952 से राजस्थान विधान सभा की बैठकों में समय-समय पर जनहित के कानून पारित किये गये प्रस्ताव आए। जनतन्त्र में कोई भी कानून बने वह जनहित में बनना चाहिए। जनहित में कानून तभी बन सकता है जब जनता को यह मालूम हो कि फलाने के प्रावधान ये-ये हैं, इसमें हमारा यह भला हो सकता है। यह बुरा हो सकता है। बड़े दुःख की बात है कि यह कानून जो माननीय ऊर्जा मंत्रीजी लेकर आ रहे हैं, जनहित में नहीं है, विश्व बैंक के इशारे और विश्व बैंक की शर्तों के ऊपर हो रहा है।

आज बिजली की खपत एक झोपड़ी, कच्ची बस्ती में रहने वालों से लेकर उद्योगपति करता है। किसान कुए से पानी निकालने में बिजली का इस्तेमाल करता है और हिन्दुस्तान की जनता का पेट भरता है, प्रोडक्शन करता है। आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि जब-जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन घटता है, हिन्दुस्तान हो या राजस्थान हो, जब हमारा प्रोडक्शन कम हो जाता है ...

श्री सभापति : नो टाक्स प्लीज। कृपया शांत रहें।

श्री सांवर लाल : तो पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती है। बिजली किसानों को अगर सस्ती दी जाती है तो यह सरकार की, राष्ट्र की मजबूरी है कि सस्ती बिजली किसानों को दी जाए, कृषि उत्पादन बढ़ाया जाए। वह इसलिए दी जाती है कि किसानों का जो प्रोडक्शन है, जो माल है उसकी कीमत किसान निर्धारित नहीं करता, बाजार में उसकी नीलामी होती है, बोली लगती है। इसलिए किसानों को बिजली दी जाती है। माननीय ऊर्जा मंत्री जी आप महामंत्री थे तब आपके बयान हमको बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन आप जब से मंत्री बने हैं राजस्थान की जनता कह रही है चन्द्रभान जी को हो क्या गया, उस टाइम तो अच्छा बोलते थे आज वे उलटे-सुलटे कानून बनाते जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : सही है।

श्री सांवर लाल : अब आप सुन तो लो। जहाजपुर में जाना मुश्किल हो जाएगा, क्यों बोल रहे हो? चुप रह जाओगे तो वहां लोग छेड़ेंगे तो नहीं।

माननीय सभापति महोदय, सरकार सर्वोपरि होती है और जनतंत्र में सरकार से बड़ा कोई नहीं होता। राजस्थान में राजस्थान सरकार है, भारत में भारत सरकार है। यह जो कानून बनाया है इस कानून में अगर सरकार की सार्वभौमिकता हो तो ऊर्जा मंत्रीजी हमें बता दें। जनरल पावर्स ऑफ दी स्टेट गवर्नमैंट, नं. 1, नं. 2 और नं. 3 इसमें पहले नम्बर में दिया है—

"In the discharge of its function, the Commission shall be guided by such directions in the matter of policy involving public interest as the State Government may give to it in writing."

अगर राजस्थान की जनता का कोई हित होगा तो राजस्थान सरकार आयोग को लिखित देगी। चन्द्रभान जी, अगर टेलीफोन करेंगे ऊर्जा मंत्री जी तो वे कहेंगे मंत्रीजी, लिखित में दें। Is it the decorum of the minister.? यह गवर्नमैंट का डेकोरम हो गया, मंत्रीजी, सोच लीजिए। इसके बाद दूसरे नम्बर पर और दिया है—

"If any question arises as to whether any such direction relates to a matter of policy involving public interest.." अगर ऐसा विषय जनहित से जुड़ा हुआ होगा तो उसका फैसला कौन करेगा? ऊर्जा मंत्रीजी, आप नहीं करेंगे। "..it shall be referred to the Central Commission whose decision thereon shall be final and binding." उनका अन्तिम निर्णय होगा। उसके बाद दुकान बन्द हो जाएगी राजस्थान सरकार की। यह कैसा कानून बना रहे हैं, माननीय मंत्री महोदय, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इस तरीके के कानून जिसमें राजस्थान सरकार जनहित में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सके, माननीय मंत्री महोदय किसानों को कह रहे हैं कि बिजली पर हम सब्सिडी दे देंगे। अगर आप सब्सिडी दे देंगे, सब कुछ दे देंगे तो इस कानून को बनाने की क्या जरूरत है? आर-एस ई.बी. बनी हुई है, आप बनाने जा रहे हैं नियामक आयोग, समझ में नहीं आता यह शब्द कहां से ढूंढकर कैसे लाये हैं। इसमें इनकी कोई

(श्री सांवर लाल)

एक्सरसाइज नहीं है, ऊपर से बनाकर भेज दिया और एज इट इज यहां पर पेश कर दिया। माननीय मंत्री महोदय, जनहित मे यही होगा कि चूंकि आप इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं क्योंकि जैसा आया, वैसा आपने पेश कर दिया, इसको आप विथड्रा कर सकते हो। आप इसको विथड्रा कर लीजिए, जनता के पास भेज दीजिए, या कमेटी में भेज दीजिए वरना बहुत बड़ा अन्याय आपके हाथ से हो जाएगा, चन्द्रभान जी। यह कानून देश आजाद होने के बाद पहली बार बना है। रैगुलेटरी आयोग तीन सदस्यीय होगा, एक होगा टैक्निकल एक्सपर्ट। अब टैक्निकल एक्सपर्ट कौन होगा, यह भी भगवान जाने। इंजीनियरिंग लिख दिया। एक होगा कॉमर्स साइड से। कौनसी प्रोमिनैंट अथोरिटी होगी उसमें, यह भी नहीं लिखा। सलैक्शन के लिए हाई कोर्ट के जज को इन्वाल्व कर दिया। चीफ सैक्रेटरी सबसे बड़ा प्रशासनिक पद होता है। सरकार के बाद अगर किसी की जिम्मेदारी आती है, तो मुख्य सचिव की आती है। हाई कोर्ट के जज, कल-परसों जब विश्वविद्यालय का आया उसमें भी आपने ट्रैंड छोड़कर यह किया, इसमें भी यह किया। अब आपका मकसद क्या है भगवान जाने, पर जिस प्रकार का वेटेज चीफ सैक्रेटरी को इस सलेक्शन में मिलना चाहिए वह नहीं मिला है और उनको नम्बर दो पर रखा है। उनकी जगह और किसी सैक्रेटरी को कर सकते हैं। झोपड़पट्टी वाला बिजली लेगा, एक लट्टू के अगर महीने में 500 रुपये कर दिये तो आप भी कुछ नहीं कर सकते, आयोग करेगा। आज अगर किसान को सस्ती बिजली देनी है तो आप नहीं दे सकते। किसानों का कोई रिप्रजेंटेटिव नहीं है इस नियामक आयोग के अंदर। सदस्य आपने किसी का नहीं रखा, तीन कम्पनियां बना दीं। अभी माननीय ऊर्जा मंत्रीजी कह रहे थे बी.जे.पी. वाले तो प्राइवेट बना रहे थे। पता नहीं हम कौनसी बना रहे थे। कम्पनी एक्ट 1956 में तीन प्रकार की कम्पनियां बनती हैं, अगर आप ऐसी कम्पनियां बना रहे थे तो लिख देते, 56 लिखने की जरूरत कहां पड़ रही थी आपको? आप लिख देते हम निजी कम्पनी बना रहे हैं, आप लिख देते हम पब्लिक कम्पनी बना रहे हैं. आप लिख देते हम गवर्नमैंट कम्पनी बना रहे हैं। आज अगर एक फर्म दिवालिया हो जाए और दूसरी फर्म गठित करके बाजार में जाएं कि हमको पैसा दे दो, इससे माली हालत सुधरने वाली नहीं है। राजस्थान का जो इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसके सामने क्या समस्याएं हैं और इस आयोग के बनने के बाद में विश्व बैंक से क्या शर्तें और एग्रीमैंट लेकर आप जा रहे है, किस वास्ते आपको पैसा चाहिए यह सदन के पटल पर रखें। आप इस बोर्ड को भंग करके यह नियामक आयोग बना रहे हैं, तीन कम्पनियां बना रहे हैं, कौनसी कम्पनियां बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, ऐसी कौनसी मजबूरी आपके पास आ गई जो आप विश्व बैंक के सामने घुटने टेक रहे हो? जैसे ईस्ट इण्डिया कम्पनी आयी, नये-नये दबाव बर्दाश्त करके राजस्थान की जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय करेंगे। किसानों के साथ अन्याय होगा, आम उपभोक्ताओं के साथ यह अन्याय होगा। कहीं पर भी नियंत्रण नहीं है, माननीय सभापति महोदय।

इसमें एक और दिया है। अगर कोई

(श्री सांवर लाल)

टैक्नीकल एक्सपर्ट नियामक आयोग का मैम्बर बन गया, कोई कॉमर्स साइड से इस का मैम्बर बन गया और फिर एम.एल.ए. या एम.पी. बन गया तो उसकी डिसक्वालिफिकेशन हो गई, उसका वह मैम्बर नहीं रह सकता। इसके पीछे आपका कौनसा लाजिक है? मतलब जिन्होंने यह कानून बनाकर माननीय ऊर्जा मंत्रीजी के पास भेजा है वे लोग किसी भी दशा में लैजिस्लेशन के किसी आदमी को इसके फंक्शन के आसपास नहीं रहने देना चाहते, वहां से आउट करना चाहते हैं।

एक आपने बनायी स्टेट एडवाइजरी कमेटी। अब आपकी एडवाइजरी कमेटी की कोई बात मानेगा, जब वे सरकार की बात मानने को बाध्य नहीं हैं और इस लैजिस्लेशन के विधायकों की अवहेलना इन्होंने की है? यहां तक भी नहीं लिखा कि 2-5 आदमी जो माननीय सदस्य हैं, चाहे पक्ष के हैं या प्रतिपक्ष के हैं, इसके अन्दर मैम्बर भी हो सकेंगे। अधिकतम संख्या 21 होगी और विधायक एक भी होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारन्टी नहीं दी गई। कर्मचारियों के सम्बन्ध में भी दिया है, नियामक आयोग का दिया है कि सैक्रेटरी गवर्नमैंट नोमिनेट करेगी। इसमें आगे दिया है, अध्यक्ष चाहे जिसको सैक्रेटरी रख सकता है अपने लिखने करने के लिए। आज कर्मचारी हड़ताल पर हैं, कितने कर्मचारी रखेंगे, कितने नहीं रखेंगे, यह माननीय मंत्री महोदय, आप उनको बाध्य नहीं कर सकते। बहुत गम्भीर समस्या है, कर्मचारियों के जीवन का संकट है। मुझे यह समझ में नहीं आता कि आप बिजली की व्यवस्था कैसे सुधार देंगे। जब इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड एक है इसके बावजूद आप व्यवस्था नहीं सुधार पा रहे हैं, नियामक आयोग अलग बनेगा उसके बाद तीन तीन कम्पनियां बनाएंगे। मैंने आज तक कहीं नहीं देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, प्रोडक्शन के लिए अलग-अलग कम्पनियां बनाने की आपको जरूरत पड़े। ये विभाग अलग-अलग हो सकते हैं, अलग-अलग व्यक्तियों को, अधिकारियों को जिम्मेदारी आप दे सकते हैं, पर इस तरह का जो काम आप कर रहे हैं यह काम बहुत गलत काम है।

अभी एक बात आपने कही थी कि पश्चिमी बंगाल में बिजली डबल कीमत में मिल रही है कृषि उत्पादन के लिए। पश्चिमी बंगाल में तो चावल पैदा है, अपने राजस्थान में, माननीय ऊर्जा मंत्री जी, बाजरी पैदा होती है। दोनों के भाव व पैदा में कितना अन्तर है, यह आप देख लीजिए। यहां तकलीफ आपको भी आने वाली है क्योंकि आप भी जाएंगे, आप भी काश्तकार हैं।

डा. चन्द्रभान : कल तो आप कपास और मूंगफली की बात कर रहे थे, आज आप बाजरी की बात कर रहे हैं।

श्री सांवर लाल : अब आप यह भी देख लीजिए कि राजस्थान में कपास कितनी हो रही है। राजस्थान में जितनी कपास हो रही है वह आई.जी.एन.पी. में हो रही है, गंगानगर में हो रही है जहां नहर का पानी जा रहा है। एक-दो परसेंट कपास कोई कुओं से सिंचाई करके कर रहा होगा, उनके ऊपर भी आप अगर लगाना चाहो, छुरी फेर दो तो हमको कोई तकलीफ नहीं है।

(श्री सांवर लाल)

अगर किसान दो पैसा कमा रहा है और वह भी आपके बिजली विभाग वालों की नजर में आ रहा है तो उसको भी मत छोड़िए आप।

आपकी कम्पनियों के शेयर कितने रुपये के होंगे, किस तरह के शेयर होंगे, कितनी इनकी कैपिटल होगी, किस प्रकार का कैपिटल स्ट्रक्चर होगा, इस बारे में, माननीय ऊर्जा मंत्री जी, आपने कुछ नहीं दिया। मैं आपसे जानकारी चाहूंगा कि कम्पनियां किस-किस प्रकार के शेयर्स इश्यू करेंगी? माननीय ऊर्जा मंत्री जी, मेरी भी....

श्री सभापति : आप इधर देख कर एड्रेस कीजिये।

श्री सांवर लाल : ताम्बी जी, आप कम बोलेंगे तो जहाजपुर वाले टोकेंगे नहीं, ज्यादा बोलेंगे तो फिर पकड़ेंगे।

श्री सभापति : आपका बहुत अच्छा पलो है, वे डिस्टर्ब कर रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : बहुत विरोध कर रहे हैं इस बिल का डाक्टर साहब, क्या करें?

श्री सभापति : प्लीज कन्टीन्यू।

श्री सांवर लाल : माननीय ऊर्जा मंत्री जी, ये जो तीन कम्पनियां हैं इनका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा? कौन-कौन से शेयर्स कितनी-कितनी राशि के आप इश्यू करेंगे? शेयर्स के अलावा भी धन इकट्ठा करने के लिये और कोई डिबेंचर्स वगैरह आप इश्यू करेंगे क्या? आपकी क्या प्लानिंग है, यह भी हमको बता दीजिये।

माननीय सभापति महोदय, आज की तारीख में सीधी बिजली राजस्थान इलैक्ट्रिक सिटी बोर्ड ले सकता है। अभी माननीय वी.पी. सिंह जी कह रहे थे, बाद में कितनी फारमलटीज करेंगे? कहीं 5 प्रतिशत, कहीं 10 प्रतिशत कास्ट प्रोफिट एनालाइसिस बैनिफिट शुरू कर दिया तो क्या कॉस्ट कंजूमर को पड़ेगी, चाहे किसान हों, चाहे झोंपड़ी में रहने वाले हों, माननीय मंत्री महोदय, आप यह अंदाजा नहीं लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं हम सब्सिडी दे देंगे, अगर आप सब्सिडी दे देते हैं तो आपको ये कम्पनियां बनाने की जरूरत क्या पड़ रही थी? कम्पनियां बना कर यह काला कानून बनाने का यह ठप्पा आप अपने कैरियर पर क्यों लगाना चाह रहे हैं? माननीय ऊर्जा मंत्री जी, अभी किसानों को बहुत आशा है आपसे, बहुत लम्बा समय आपके सार्वजनिक जीवन का पड़ा हुआ है। आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। फिर उसमें आरक्षण देना पड़ेगा कि इस गरीब को कम पैसे मत दो, इसको ज्यादा मत दो। माननीय ऊर्जा मंत्री जी बहुत बुरी हालत होने वाली है, इसमें कोई भी अधिकार राज्य सरकार को नहीं है। यह कानून किसानों, गरीबों, उद्योगपतियों और झोंपड़ी में रहने वाले, कच्ची बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों के अधिकारों के ऊपर कुठाराघात है। यह कानून आपने नहीं बनाया, यह कानून उन अधिकारियों, कर्मचारियों ने बनाया है जिनकी कतई संवेदनशीलता हमारे प्रति हमारी जनता के प्रति नहीं है। इसलिये इस काले कानून को आप अपने स्तर पर मत लीजिये. विधान सभा से विड्रा करके

(श्री सांवर लाल)

जनमत के लिये भेज दीजिये, अन्यथा राजस्थान की जनता आपको माफ नहीं करेगी।

सभी माननीय विधायकों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी सत्ता के जोश के अन्दर होश मत खोओ, सोचो कि कहां पर अपना भला है, कहां पर अपना बुरा, राजस्थान के गरीब का कहां पर भला है, कहां पर बुरा। इस कानून में अगर कहीं पर भी राजस्थान की सरकार गरीब का भला कर सकती है तो ऐसा प्रावधान हमको दिखा दें, हम खुद इसको पास कराएंगे। बाकी माननीय विधायक महोदय, आप सबसे मेरा अनुरोध है, गांव के अन्दर आप मुंह नहीं दिखा सकोगे, इसलिये इस काले कानून को यहीं फाड़ कर फेंक दीजिये। यही मैं कहना चाहता हूं कि इसको पास मत करवाइये अपने मुंह पर धब्बा मत लीजिये।

श्री सभापति : माननीय श्री मोहम्मद माहिर आजाद।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपने कानून नहीं फाड़ा आपने तो कागज फाड़े हैं। कानून यह है।

श्री सभापति : कृपया बैठिये, व्यवधान न डालें। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : माननीय सभापति महोदय, आज हम यहां राजस्थान पावर सैक्टर सुधार विधेयक, 1999 पर चर्चा कर रहे हैं। इस देश को हमारे बुजुर्गों ने आजादी इसलिये दिलाई थी कि आजादी से पहले जनमत की सुनवाई नहीं थी। जनतंत्र इसलिये कायम किया कि हम इस तरीके के जन-कल्याणकारी कानून बनाएं जिनसे जनता को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं हम फराम कर सकें। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि ब्रिटिश शासन काल में उनकी सोवरीन अथोरिटी जो लॉ मेकिंग बॉडी थी, वह प्रीवी कौंसिल थी। उस प्रीवी कौंसिल में एक भारतीय जज भी था। वह चाहे उनकी मर्जी का, चापलूस, उनका अपना आदमी होता था लेकिन भावनाएं कम से कम ये थीं कि इसमें कोई प्रतिनिधि है। माननीय ऊर्जा मंत्री जी, आज आप यहां नियामक आयोग का प्रस्ताव लेकर आये हैं, यह जो आप आयोग बना रहे हैं इसमें आपने किसी जन प्रतिनिधि को शामिल नहीं किया। चीफ सैक्रेटरी ब्यूरोक्रेट, हाई कोर्ट के जज, सेन्ट्रल गवर्नमेंट का प्रतिनिधि, इसमें क्यों नहीं आवश्यकता है कि कम से कम एक जन प्रतिनिधि तो आप इसमें रखते ? वह जनता की भावनाओं के ऊपर कम से कम वहां अपनी राय व्यक्त कर सकता था। अभी उनियारा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि 21 सदस्यीय जो सलाहकार समिति बनाई है उसमें पांच जन प्रतिनिधि ले लो, उस सलाहकार समिति को कोई पावर ही नहीं है। वह राय भी केवल उन्हीं बिन्दुओं पर दे सकती है जो विधि नियामक आयोग तय करेगा। इसमें इन्होंने कह दिया, जो 21 सदस्यीय समिति होगी इसका अध्यक्ष भी उन्हीं का होगा और सैक्रेटरी भी उन्हीं का होगा। यह केवल नीति के मुख्य पृष्ठ पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपलब्ध करायी गई सेवाओं की गुणवत्ता, निरन्तरता और सीमा से संबंधित मामलों पर, अनुज्ञप्तिधारियों

(मोहम्मद माहिर आजाद)

द्वारा उनकी अनुज्ञप्ति की शर्तों और अपेक्षाओं के अनुपालन पर और उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण और ऊर्जा प्रदाय और उपयोगिता आधारित कार्य सम्पादन के मानदण्ड यानि आपने बिन्दु दे दिये। इसके अलावा आपने टैरिफ के बारे में क्यों नहीं कहा? आप एक बात इसमें जोड़ दीजिये कि सबसे सस्ती बिजली हम किसानों को उपलब्ध कराएंगे। इसमें जो सलाहकार समिति आप बनाने जाएंगे, उसमें भी आपने तय कर दिया कि वह भी उन्हीं बिन्दुओं पर राय देगी। उन्हें भी छूट नहीं है। क्या यह राय मानी जाएगी? इसमें यह नहीं है कि जो राय देंगे उसे समावेश किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। मुझे आश्चर्य होता है, एक शायर ने एक शेर कहा है, जैसे आकाश और पाताल, ओस कहते हैं आसमान को और पस्ती कहते हैं जमीन को। "ओ जो पस्ती के मकामात बदल जाते हैं। देखते-देखते हालात बदल जाते हैं। लोग तो वही रहते हैं लेकिन खयालात बदल जाते हैं।" जब डाक्टर साहब हमारे साथ बैठते थे तब इनके खयालात और थे, और आज इनके खयालात और हो गये हैं। बड़ी अजीब बात है। जब ये हमारे साथ विपक्ष में बैठते थे, तब इन्होंने 1991 में बिजली की डिमाण्ड के ऊपर भाषण दिया था, शायद डाक्टर साहब को याद नहीं होगा। डॉक्टर साहब इजाजत दें तो मैं बता सकता हूं। डाक्टर साहब ने उस वक्त कहा, जिस तरह से टेलीफोन उपभोक्ताओं को रात के समय वन थर्ड और हाफ रेट पर टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, हम रात में जो बिजली लेते हैं वह सस्ती मिलती है, दिन में बिजली लेते हैं वह महंगी मिलती है। काश्तकार रात को खेत में खड़ा हुआ रहता है, चाहे सर्दी हो, जाड़ा हो, या बरसात हो, अंधेरी रात में भी अपनी पाणत का काम करता है, हम उसको सस्ती बिजली देंगे। डाक्टर साहब, आपने यहां कल ही घोषणा की थी कि 31 मार्च, 2000 तक राजस्थान के जो 4-5 लाख घरेलू कनेक्शन उपभोक्ता हैं, हम उनको बिजली दे देंगे। आप तो 90 दिन के अन्दर यह पावर सैक्टर सम्भला रहे हो दूसरों को, तो फिर आपकी घोषणाओं का क्या होगा? मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप कैसे देंगे?

माननीय सभापति महोदय, मैं जानता हूं कि जिस तरीके से ईस्ट इण्डिया कम्पनी इस देश में व्यापार या तिजारत के जरिये आयी थी, आज मल्टीनेशनल्स इस देश के अन्दर अपनी शर्तें लागू कराना चाहते हैं, उन्होंने इस तरह के मजबूरी के हालात बना दिये। आज सरकार भी दबाव में है, ऊर्जा मंत्री जी भी दबाव में हैं और सारे सत्ता पक्ष के माननीय विधायक भी दबाव में है। परसों 'अलसर' बिल पर देखा सारे सदस्यों की भावनाएं खिलाफ थीं लेकिन बिल जब आया तो सब नीची निगाह करके खड़े हो गये और उसको पास कर दिया। हम जानते हैं आज भी यही होगा। सब अपनी राय इसलिये दे रहे हैं कि कम से कम हमारा पिण्ड तो जनता से छूट जाएगा। डाक्टर साहब, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जनता की भावनाओं से अलग हटकर, जनता की भावनाओं का खयाल नहीं रखकर कोई भी कानून आप बनाओगे, या जोर-जबरदस्ती से उसको लागू कराओगे तो उसके सार्थक परिणाम नहीं आ सकते हैं। याद करो आपातकाल को। आपातकाल में अनुशासन बढ़ा था, आपातकाल

(मोहम्मद माहिर आजाद)

में उत्पादन बढ़ा था लेकिन आपातकाल में जोर-जबरदस्ती करके जनता की भावना के खिलाफ आपने नसबंदी कानून लागू किया था। आज आप जबरदस्ती से इसको लागू कर दोगे तो वही परिणाम इसके भी होंगे जो आपको इमरजेंसी के अन्दर नसबन्दी के परिणाम मिले थे। आपको हार का मुंह देखना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, डाक्टर साहब मेरे पुराने अजीज मित्र हैं, 20 साल से हम लोग राजनीति में साथ हैं। आप पढ़े-लिखे हो, आपने डाक्ट्रेट की डिग्री तो ली है, इलाज आपने किसी का आज तक किया हो या नहीं किया हो, यह अलग बात है। इंजेक्शन भी नहीं लगाया और शायद किसी ने नहीं कराया, लेकिन आपको कम से कम इतना तो समझना चाहिए कि यह बिल क्यों लाया जा रहा है। मुझे याद आ रहा है कि जब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप को खतम करने का बिल आया था तब यह नुरूल हसन के जरिये रखवाया गया था। चूंकि काश्तकारों का सबसे ज्यादा अहित इसमें होने वाला है, जिस तरीके से एक शिकारी एक पालतू जानवर को पकड़ लेता है और फिर उसको छोड़ देता है। जब वह चिल्लाता है तो जंगल के दूसरे जानवर सोचते हैं कि मेरी बिरादरी का भाई आया है। वे उसके चक्कर में मिलने आते हैं और शिकारी के जाल में फंस जाते हैं। डाक्टर साहब, कम से कम आपको यह तो समझना चाहिए कि आप उभरते हुए सितारे थे, आपकी प्रसिद्धि बढ़ रही थी, पूरे राजस्थान में आपका नाम हो रहा था, यह बिल तो आपके ही पर कतरने के लिए, आप ही पर अंकुश लगाने के लिए आया है। अगर इतना भी नहीं समझो तो जैसे मारवाड़ी में कहावत है कि-"माहिर तो सांचली कहे सोच लो मन के मांही, और कुछ मानो तो थारी मर्जी म्हारो ले लो कांई"। इसलिए सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बिल के अन्दर जो भी आपने प्रावधान रखे हैं, न इसमें आपने कहीं राज्य सरकार की शक्ति के बारे में लिखा है। मेरे से पहले बोलने वाले सदस्य ने बताया था कि इसमें सरकार को कोई शक्ति नहीं है। सभापति महोदय, आज तो कहीं भी बिजली की अनियमित आपूर्ति या अव्यवस्था होती है तो उसके सम्बन्ध में अगर बिजली बोर्ड के चेयरमैन या सचिव को फोन कर दें या ज्ञापन दे दें तो 2-4 महीने में ही सही, पर उस पर कोई कार्यवाही हो जाती है लेकिन इसके बाद तो आपकी भी कोई नहीं सुनेगा। आपको भी लिखित में भेजना पड़ेगा और वे उसको मानने के लिए बाध्य नहीं हैं। सरकार की इसमें कोई शक्ति नहीं है। सलाहकार समिति जो बना रखी है उसका आपने तय कर दिया इसलिए ..

श्री सभापति : कृपया बातचीत नहीं करें।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि इस बिल के अन्दर जो 26वां बिन्दु है भाग 7 का टैरिफ, अगर आप और कुछ भी न करो तो कम से कम इसके अन्दर यह तो प्रावधान कर दें कि बिजली सबसे सस्ती किसानों को दी जाए। यह तो कम से कम आप इसमें प्रावधान करें, तब भी समझ लें कि चीपैस्ट बिजली आप काश्तकारों को देंगे।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

जब घोद से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे तब आपने यह कहा कि पश्चिमी बंगाल में बिजली महंगी है लेकिन आप उन राज्यों की तरफ भी तो देखें जो काश्तकारों को फ्री में बिजली दे रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, इसको आज लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इसका ड्राफ्ट आखिर किसने तैयार किया? निश्चित रूप से आपने नहीं किया। आप किसी के दबाव में आये हैं, दूसरे लोगों ने नकल करके लाकर आपके सामने रख दिया। यह स्थिति है आपकी। बिजली बोर्ड के घाटे को पूरा करने की और भी व्यवस्था हो सकती थी, आज बिजली का जो लीकेज हो रहा है या चोरी हो रही है, आप उस पर अंकुश लगाते। आज आपकी सामग्री की स्थिति यह है कि कई जगह तो आप यह कहते हैं कि हमें खम्भे नहीं मिलते हैं लेकिन मैं आपको यह बात कह सकता हूं और सारे माननीय सदस्य जानते है कि कई जगहों पर आप चले जाओ, आपको सीमेंट के खम्भे सैंकड़ों की तादाद में हर गांव में 2-5 रास्ते के गुवाड़ में, कहीं किसी के खेत में, कहीं किसी के और जगह पड़े मिल जाएंगे। बिजली के तारों को लोग कपड़े सुखाने के काम में यूज करते हैं। आप अगर यह चोरी रोक लें, लीकेज रोक लें तो काफी फायदा होगा। एक मीटर रीडर एक उपभोक्ता से 50 रुपये महीना ले लेता है कि आपके हजार रुपये के बिल की बजाय 500 रुपये का आ जाएगा। 50 रुपये में सरकार को 450 रुपये का नुकसान हो रहा है। अगर आप अपने प्रशासन को चुस्त-दुरुस्त कर दें तो मैं समझता हूं कि आपके इस घाटे की पूर्ति के लिए और भी साधन हो सकते हैं। केवल मजबूरी में आकर आप यह जो जन विरोधी कानून लाये हैं, मैं इसका विरोध करता हूं और आसन के माध्यम से आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि जिस जनता से इसका जुड़ाव है, कम से कम आप इसको जनमत जानने के लिए भेज दें। जनता इस पर अपनी राय दे उसके बाद इसको बनाएं। बहुमत आपके पास है। आदमी को 2-3 तरीके का अहंकार होता है। किसी को शक्ति का होता है, किसी को पैसे का होता है, किसी को सुन्दरता का होता है। हमारे यहां एक कहावत भी है कि "जो होवे घमण्डी, वो बेगो होवे खण्डी"। रावण भगवान राम से ज्यादा शक्तिशाली था, पराक्रमी था और ज्ञानी था। लेकिन अहंकार उसने किया तो आज दशहरे पर हम रावण का पुतला जलाते हैं। इस्लाम धर्म के अन्दर इब्लीस फरिश्तों का उस्ताद था, फरिश्तों को पढ़ाता था लेकिन जब आदम ने इस्लाम को पैदा किया और कहा कि सजदा कर तो उसमें अहंकार और तसव्वुर आ गया कि मैं आग से पैदा हुआ और यह मिट्टी से, इसको मैं सजदा नहीं करूंगा। तो इब्लीस के गले में शैतानियत का तौक डाल दिया गया। जब हम हज करने जाते हैं तो शैतान के कंकरी मारते हैं। इसलिए 153 की संख्या के अहंकार में अगर आपने यह बिल पास कर दिया तो आपका हश्र भी वह होगा जो रावण का और इब्लीस का होता है। एक मित्र के नाते चेतावनी देकर उम्मीद करता हूं कि आप इस बिल को जनमत जानने के लिए भेज देंगे। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री राजेन्द्र जी राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : सभापति महोदय, मुझे दुःख है कि इस राजस्थान पावर सैक्टर सुधार विधेयक के पास होने के साथ ही एक इस तरह के नौजवान की राजनीति का अन्त होगा जिसने अपनी राजनीति का प्रारम्भ बिजली के आंदोलन से किया था। मेरे पुराने साथी हैं। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बिजली एक ऐसी चीज है जिसने एक गांव के नौजवान को डाक्टर चन्द्रभान का नाम दिया। आज, ऊर्जा मंत्रीजी यह बिजली कड़कड़ाकर आप पर ऐसी गिरेगी कि नेस्तनाबूद हो जाओगे। मुझे भारी दुःख है इस बात का।

सभापति महोदय, इसमें कोई शक नहीं है कि आज बिजली हमारे विकास का मेरूदण्ड है। बिजली वह धमनी है जहां से विकास की यात्रा प्रारम्भ होती है। राजस्थान का स्वरूप इन वर्षों में बदला है, राजस्थान हरित क्रांति के पश्चात् और खास तौर पर पिछले 8-10 वर्षों में खाद्यान्न की दृष्टि से जो स्वावलम्बी हुआ है उसमें अगर योगदान किसी का है तो हमारे किसान भाइयों का है। किसान भाइयों का योगदान भी इसलिए है कि किसान जब धरती का सीना चीरता है तो उसको जरूरत होती है बिजली की। ऊर्जा मंत्रीजी, आप याद करें, 1910 में इण्डियन इलैक्ट्रिसिटी एक्ट आया था और उसमें यह कहा गया था कि विद्युत का उत्पादन, वितरण और सम्प्रेषण यह केन्द्र और राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का कार्य है। तब सोचा नहीं गया था कि कभी ऐसा भी समय आएगा जब हमें यह सोचना पड़ेगा कि अब इस बिजली के क्षेत्र में निजी उत्पादकों को, निजी निवेशकों को आमंत्रित करना पड़ेगा।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान बना तब हम मात्र 13.2 मेगावाट बिजली पूरे राजस्थान में उत्पादित कर रहे थे और एक लम्बी यात्रा के पश्चात् आज मात्र 1302 मेगावाट बिजली हम उत्पादन करते हैं। हालांकि अन्य राज्यों के अन्तरराज्यीय बिजली घरों में, तापीय घरों में और केन्द्रीय तापीय घरों में हमारा हिस्सा अगर हम देखें तो 3356 मेगावाट जरूर हो जाती है। परन्तु, ऊर्जा मंत्री जी, यह भी सत्य है, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने एक सर्वेक्षण किया था कि दसवीं पंचवर्षीय योजना के साथ राजस्थान को 7916 मेगावाट बिजली की जरूरत है। वह कहां से लाएंगे? पांच हजार मेगावाट बिजली और उत्पादित करें उसके लिए 20 हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता है। संसाधन नहीं हैं परन्तु मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा कंसेप्ट वैलफेयर स्टेट का है, जन कल्याणकारी सरकार का है। जनता के हितार्थ यहां हम बैठे हैं। सारे कामों के अन्दर जब हम फायदा देखने लग जाएंगे तो मैं समझता हूं कि इस राजस्थान को कहां ले जाकर छोड़ेंगे, उसकी कल्पना नहीं कर सकते।

पिछले आठ वर्षों में भी निजी क्षेत्र में निवेशकों की चर्चा हुई। अभी आसींद से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे तब ये कह रहे थे कि आप बताएं कि आठ वर्षों में आपने कितने पी.पी.ओ., एम.ओ.यू. साइन किये, फाइनेंशल क्लोजर हुआ, बिजली उत्पादित कितनी की। 4200 मेगावॉट के पी.पी.ओ., एम.ओ.यू. और

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कई मामलों में फाइनेंशल क्लोजर तक के पास हम पहुंच गये थे। परन्तु निजी क्षेत्र आज राजस्थान के अन्दर बिजली उत्पादित कर रहा हो यह वातावरण, यह बात हम कर नहीं सकेंगे।

(13.59 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

ऊर्जा मंत्रीजी, आपने इस विषय को बजट सत्र में और बजट सत्र के बाद इस विधान सभा के बाहर भी कई बार उठाया है कि पिछली सरकार ने आठ सालों में मात्र थोथी घोषणाएं कीं। हमने थोथी घोषणाएं कीं, हमारा काम ठीक नहीं था उसके परिणाम हम भुगत रहे हैं कि आज हम प्रतिपक्ष में बैठे हैं। परन्तु ऊर्जा मंत्रीजी, नौ महीने में आपने कौनसे तीर मार लिये? क्या आप कह सकते हैं कि इन नौ महीनों में हमारा किया हुआ काम यह है ? आपने परसों फोटो छपवायी है सूरतगढ़ की सैकण्ड स्टेज के लिए। बड़ी खूबसूरत फोटो थी आपकी, परन्तु आपका क्या योगदान है उसमें ? आप लम्बी-लम्बी बात करते हैं। मथानिया सौर ऊर्जा की परियोजना हमने मंजूर कर केन्द्र सरकार से मंजूरी ले ली, इस परियोजना को, ऊर्जा मंत्रीजी, बनाया किसने था ? आप रामगढ़ की चर्चा करते हैं।

डा. चन्द्रभान : कांग्रेस ने बनाया था 1988 में मथानिया सौर ऊर्जा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कांग्रेस ने बनाया था। ऊर्जा मंत्री जी, मैं समझता हूं कि आप ज्ञानी हैं, विभाग को आप अच्छी तरह समझ रहे हैं परन्तु इस तरह बात तो नहीं कहें जिस बात का कोई तथ्य नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन सारी चीजों को आप देखें।

(14.00 बजे)

आप यह जो नियामक आयोग बनाने जा रहे हैं, अभी माननीय मुख्य सचेतक जी बोल रहे थे कि ये आप लेकर आये थे। आप कई बार यह भी कहते हैं कि 1998 में केन्द्र में नियामक आयोग बन गया इसलिए हमें बनाना पड़ रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्र में जो नियामक आयोग बनाया गया है, सेन्ट्रल एक्ट के अन्दर सैक्शन (17) आप पढ़ लें, उसमें आप पर कोई बाध्यता नहीं है कि आप इस प्रकार के आयोग का राजस्थान में गठन करें। यह आपकी इच्छा पर है। आज हिन्दुस्तान के अन्दर कितने सूबे और हैं जो इस नियामक आयोग के नजदीक ही नहीं जा रहे हैं। ऊर्जा मत्री जी, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि दबाव आप पर किसका है। आप दबाव है 6000 मिलियन डालर जो आप विश्व बैंक से कर्जा लेना चाहते हैं, 24,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्जा....

डा. चन्द्रभान : वह तो 2500 करोड़ रुपये ही मिल रहा है कर्जा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने कुछ दिन पहले बड़े जोर-शोर से श्वेत-पत्र जारी कर के कहा कि कर्जे में डुबोकर चली गई यह पूर्ववर्ती सरकार। यह कर्जा लेकर आप अब दुबारा राजस्थान की सरकार का कर्जा कम करने का काम कर रहे हैं या कर्जा बढ़ाने का काम कर रहे हैं ? आसींद से आने वाले

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं कि हमारे समय में भी विधेयक बना, उसकी चर्चा हुई थी। इसी सदन के अन्दर जिस तरह से अभी आपके उप मुख्य सचेतक महोदय ने आपको आकर चेतावनी दी है, ऊर्जा मंत्री जी खड़े होकर कह दो कि प्रवर समिति को सौंप रहे हैं विधेयक को, वरना यह धीरे-धीरे जो चिंगारी उठ रही है, यह चिंगारी कहीं विस्फोट का रूप नहीं ले ले। हमारे मुख्य मंत्रीजी डेमोक्रेट मुख्य मंत्री थे। जब उनको पता लगा कि इसके परिणाम कुछ इस तरह के होंगे ..

श्री महेश जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राजेन्द्र जी से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कौनसे यंत्र का विकास किया है कि बात वहां हुई और खबर इनको हो गई ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह चमत्कार है।

श्री महेश जोशी : वह चमत्कार तो वही है जो आप वहां बैठे हो। अगर आपने यह विधेयक पारित कर दिया होता इसके नियामक को तो आज आपकी यह हालत नहीं होती जो हालत हो रही है। आपका असली दर्द यही है कि जो काम आप लोग नहीं कर पाये... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आपने व्हिप जारी क्यों किया ? उपाध्यक्ष महोदय, आपको व्हिप जारी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी ? आपके एम.एल.ए. बस में नहीं आ रहे हैं, आपनें जबरदस्ती वोट डालने के लिए व्हिप जारी किया है।

श्री महेश जोशी : माहिर आजाद साहब, कौनसा ? यह कोई नई बात नहीं कि किसी पोलिटिकल पार्टी ने व्हिज जारी किया हो।

श्री जगमाल सिंह यादव : उप मुख्य सचेतक महोदय, मंत्रीजी खुद गलत मान रहे हैं।

श्री महेश जोशी : हमारी पार्टी कितनी अनुशासित है, यह बात परसों देख चुके हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : और बिलों पर क्यों नहीं किया, आज ही क्यों किया ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री अमरा राम (धोद) : आप तो शहर से आ रहे हैं, जो गांव से आये हैं उनसे पूछो।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य, इनको बोलने दीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदय, पावर रिफार्म्स का +++ आप बजा रहे हैं कई समय से, यह पावर रिफार्म्स के द्वारा राजस्थान के अन्दर आज जो ऊर्जा की स्थिति है, बिजली की जो स्थिति है या आज हम जितनी पावर जनरेट कर रहे हैं, पावर रिफार्म्स के बाद कौनसा नया कीर्तिमान स्थापित कर देंगे आप ? क्यों गुमराह करना चाहते हो ? इस विधेयक को अगर आप देखें, इसमें शब्दों को देखें तो भी इसमें कहीं हिन्दी, कहीं अंग्रेजी। "राजस्थान पावर सैक्टर सुधार" ऊर्जा भी इसमें आ सकती थी। मैं समझता हूं, पहली बार कोई चूक हुई है आपसे, ऊर्जा मंत्रीजी। हालांकि

+++ शब्द, अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आपके पास अधिकारियों की टोली अच्छी है, परन्तु बिना पढ़े दस्तखत मत किया करो वर्ना हालत यह रहेगी, जिस तरह का बिल आपने प्रस्तुत किया है। अब आप बिल की धारा (3)....

डा. चन्द्रभान : ऊर्जा का अंग्रेजी क्या होता है ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एनर्जी। मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक की धारा (3) और (4) में आयोग के गठन और सदस्यों के चयन की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है। मैं ज्यादा इसलिए नहीं कहूंगा कि मुझसे पहले 10 माननीय सदस्यों ने यहां अपने विचार व्यक्त किये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि यह किस तरह का कानून बनाना चाहते हो, धारा (3) और (4) के अन्दर किस तरह के नियामक आयोग का गठन करना चाहते हो। ऊर्जा किसान से जुड़ी हुई है, ऊर्जा गरीब से जुड़ी हुई है और गरीब किसान का कोई प्रतिनिधि नहीं, जन प्रतिनिधि नहीं ? मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसकी धारा (13) आप पढ़ें। धारा (13) के अन्दर नियामक आयोग को अधिकार दे दिया कि 50 वर्ष पुराने राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को छिन्न-भिन्न कर दो, टुकड़े-टुकड़े कर दो। मंत्री महोदय, कितनी कम्पनियां बनाना चाहेंगे ? आपने जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनियों की बात कर दी परन्तु आपने इसी में कहा है, ये कम्पनियां एक-तीन नहीं, ये कम्पनियां अनेकों हो सकती हैं। जिला स्तर पर कम्पनियां बनाएंगे आप तहसील स्तर पर कम्पनियां बनाएंगे, क्या कंसेप्ट है ? कम्पनियां जो बनाएंगे, वह कम्पनी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार रजिस्ट्रेशन की बात आपने कर दी तो, ऊर्जा मंत्रीजी, कम्पनी एक्ट के अन्दर कर्मचारियों को जो लाभ दिये जाते हैं, जो सेवा शर्तें हैं, वे भी आपको लागू करनी पड़ेंगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इतने वर्षों में मैंने पहली बार ऐसा कानून पढ़ा है जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन की बात कही है। मैं जरा धारा 5(2) पढ़कर सुना दूं—

"A person shall be disqualified for being appointed as a Member of the Commission if he is a Mamber of Parliament."

सर्वोच्च सदन, इससे बड़ा कोई सदन नहीं "....or of any State Legislature मतलब यहां सदन का सदस्य बनने को इसमें अयोग्यता दर्ज किया है। एम.पी. हो और एम. एल. हो वह आयोग का सदस्य नहीं बन सकता। "..of if any State Legislature or of any local authority of holds any post in a political party." मैं मंत्री महोदय, जानना चाहता हूं...

डा. चन्द्रभान : आप एम.एल.ए. रहते हैं तो हाई कोर्ट के जज भी रह सकते हैं क्या ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह डिस्क्वालिफिकेशन होगी उपाध्यक्ष महोदय, आपके ऊर्जा के क्षेत्र में ज्ञान और अनुभव के बारे में मैं नहीं, कई माननीय सदस्य जानते हैं, लेकिन आपकी डिस्क्वालिफिकेशन यह हो

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

गई कि ग्राप इस सदन के सदस्य हैं। मैं समझता हूं, इस तरह का क़ानून हमने तो पहले देखा नहीं।

मंत्री महोदय, ग्रापने इसी कानून की धारा (6) में ग्रध्यक्ष, सचिव और सदस्यों के वेतन की बात कही। ग्रापने पहले यह कहा कि ग्रार. एस. ई. बी. पर 5499 करोड़ रुपये का कर्जा है। ग्रापकी पुस्तक है "राजस्थान के ग्रन्दर विद्युत मण्डल की वित्तीय स्थिति" इसमें आपने लिखा है कि वर्तमान मे 5499 करोड़ रुपये का कर्जा है।" हम मानते हैं, जन कल्याणकारी सरकार को कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे परन्तु यह सफेद हाथी क्यों बांध रहे हो? सचिव ग्रलग होगा, ग्रध्यक्ष ग्रध्यक्ष होगा। कम से कम इसमें इस तरह का तो प्रावधान करें। एक तरफ तो कहते हैं कि नौकरशाही, पर एस्टेब्लिशमैंट पर तीन प्रतिशत कम करेंगे और ग्रापने कलम चला दी और जो ग्राप घुटने टेककर ग्राये हैं केन्द्र सरकार के साथ में एम. ओ. यू. करके, नौजवानों के ऊपर आपने कलम चला दी। 12,000 पद उधर समाप्त कर दिये और यहां ग्राप इनको लाभ देना चाहते हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं कि सबसे महत्वपूर्ण बात धारा (9) है। ग्राप 9(ए) पढ़ें, उपाध्यक्ष महोदय, जिसमें लिखा है, "ग्रायोग धारा (26) के अनुसार विद्युत दर तय करेगा।" (बी) में लिखते हैं, "ट्रांसमिशन की दर तय करेगा।" (सी) में ये कहते हैं, "निश्चित शर्तों पर कम्पनियों को लाइसेंस जारी किए जाएंगे। निजी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन के नियम बनाकर प्रदेश में ट्रांसमिशन ग्रौर डिस्ट्रीब्यूशन की दर तय करेगा।" उसके बाद (बी) में ये कहते हैं "ग्रब ये सारी सम्पतियां, परिसम्पतियां, देनदारियां विद्युत मण्डल के पास नहीं रहेंगे। ये सारी की सारी ग्रायोग के पास स्थानान्तरित हो जाएंगी। उपभोक्ता कम्पनी को पढ़कर सुना दूं?

डा. चन्द्रभान : कम्पनियों के पास जाएंगी क्योंकि विद्युत मण्डल खुद ही नहीं रहेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कम्पनियों के पास जाएगी। पहले राज्य सरकार के पास जाएगी। जाएगी ना? राज्य सरकार ग्रपने पास से उनको कम्पनियों के रूप में देगी। बात तो वही है, यही बात है ना। ठीक बोल रहा हूं ना मैं? और राष्ट्रीय ऊर्जा ग्रायोग के निर्देशों की पालना करेंगे।

डा. चन्द्रभान : कमीशन में नहीं जाएगा, ग्रायोग में नहीं जाएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ग्रब, उपाध्यक्ष महोदय, धारा (26) को पढ़कर मैं सुनाता हूं, धारा 26 (एफ) क्या कहती है, "The electricity generation, transmission, distribution and supply are conducted on commercial principles;" मतलब यह लाभ ग्रौर हानि की बात बन गई। लाभ कमाएंगे तो धारा (26) में विद्युत की दर तय करने से पहले नियामक आयोग तय करेगा। दर तय करेंगे कि कितना लाभ-हानि मिलेगा उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह कानून पास हो जाएगा तो मंत्री महोदय का तो घूमना-फिरना बंद हो जाएगा। खैर, हमें तो इसमें खुशी है कि ग्रापसे मुलाकात करने का हमको पूरा मौका

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मिलेगा परन्तु आपको राजस्थान की जनता वर्षों-वर्षों तक याद रखेगी । नाथूराम गोडसे का नाम आता है इतिहास के अन्दर, डाक्टर चन्द्रभानजी का नाम राजस्थान के किसानों के दिल में उसी तरह सदैव-सदैव रहेगा । डाक्टर साहब, मैं निवेदन करना चाहता हूं.... (व्यवधान)

श्री महेश जोशी : नाथूराम गोडसे का नाम कटारियाजी (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह कहा है..(व्यवधान)

श्री महेश जोशी : राठौड़ साहब, अपने आस-पास तो देख लो । नाथूराम गोडसे का नाम लेने से पहले आस-पास तो देख लें ।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : नाथूराम गोडसे का नाम लोगे तो अटल बिहारी वाजपेयी का भी नाम आएगा साथ में । फिर तो अटल बिहारी वाजपेयी का नाम आएगा साथ में । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ ऐसी बातें कह रहा हूं....

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कहनी तो नहीं चाहिए यह बात, नाथूराम गोडसे का नाम कोई अच्छा नाम नहीं है, लेकिन आप जिन लोगों के साथ बैठे हैं और इस विचारधारा के साथ बैठे हैं उनके लिए तो नाथूराम गोडसे आज भी पूजनीय हैं ।

श्री रामस्वरूप : अटल बिहारी वाजपेयी के साथ नाथूराम गोडसे का नाम लग सकता है, इनका नाम नहीं लग सकता है ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : डाक्टर साहब, आपको बुरा लग रहा है पर मैं आज सदन में बहुत भारी मन से बोल रहा हूं । मेरी बोलने की इच्छा नहीं थी ...

श्री उपाध्यक्ष : कन्टीन्यू प्लीज ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : परन्तु मैं एक ऐसे उगते हुए सितारे को क्षितिज में जाते हुए देख रहा हूं ।

श्री महेश जोशी : बोलने की इच्छा तो थी नहीं, राजेन्द्रजी, आज, और नाम कल ही दे दिया था आपने । (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : यह बात बोलने की है जो....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं निवेदन करना चाहता हूं, मंत्रीजी, यह नियामक आयोग उड़ीसा के अन्दर आया, उड़ीसा के अन्दर वही हाल हुआ जो आज आपका बाहर हुआ है । इस राजस्थान के इतिहास में पहली बार वह व्यक्ति जो पूरे जिले का अधिकारी है और वह व्यक्ति जो तार खींचता है, दोनों एक मंच पर कह रहे हैं डाक्टर चन्द्रभान–मुर्दाबाद । यह काम किसने किया ? यह काम और किसी ने नहीं किया, डाक्टर साहब, आपने किया ।

डा. चन्द्रभान : अब उनसे मिलने जाऊंगा मैं ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपको याद होगा, बिजली से जुड़े हुए, जनहित से जुड़े हुए

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

असेंशल कमोडिटी से जुड़े हुए मामले। कितने वर्षों बाद आप सड़क पर लेकर आये हैं इन कर्मचारियों को। क्या भुगता उड़ीसा ने ? कितने दिन उड़ीसा बंद रहा ? विश्व बैंक की शर्तों पर घुटने टेके थे उड़ीसा ने, एक किश्त मिल गई, उसके पश्चात् उड़ीसा ने उस नियामक आयोग का बस्ता बांध कर अलग रख दिया। अच्छा होता, आप स्वयं पधारते वहां, आपके अधिकारी लोग जाते। उड़ीसा, उत्तर प्रदेश जहां-जहां यह है, आप उनकी स्टडी करके आते, परन्तु आपको धुन सवार है। जब से यह सरकार बनी, किसी पर किसी का नियंत्रण तो है नहीं, मुख्य मंत्रीजी हमेशा सदन की कार्यवाही से भागते रहते हैं, आपको कहे तो कौन कहे ? हम आपके पुराने मित्र हैं, हमारी बात आप मानते नहीं। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, अब किसान को यह भूलना ही पड़ेगा, उसको महंगी बिजली खरीद कर सस्ती बिजली दे दे, ऐसी सरकार की परिकल्पना किसान भूलेगा। मैं इसमें एक चीज पढ़कर और सुनाना चाहता हूं, वह है सैक्शन (26) का (6)—

"Where the State Government requires the grant of any subsidy to any consumer of class of consumers in the tariff determined by the Commission under this section, the State Govt. shall pay the amount of subsidy compensate the person affected by the grant of subsidy, in the manner the Commisssion may direct, as a condition for the licence or any other "

अब उपाध्यक्ष महोदय, अगर ये सब्सिडी देंगे, अगर ये रियायती दर पर बिजली उपलब्ध कराने की बात करेंगे तो कमीशन इनको डाइरेक्ट करेगा। पहले वाली बात नहीं है। अब तो आप पहले पैसा दो फिर आगे चलो मतलब अधिकार दे दिये इन्होंने। एक तरफ आप वित्तीय हालात की बात करते हैं, जर्जर अवस्था में इस प्रदेश की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप सब्सिडाइज्ड बिजली की बात करते हैं। चन्द्रभानजी, मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप इस कानून के द्वारा किसान की इकोनोमी को समाप्त करना चाहते हैं। किसान की इकोनोमी समाप्त होगी तो राजस्थान की सारी अर्थव्यवस्था चरमरा कर गिर जाएगी। किसान के खेत में कोई चीज निपजेगा नहीं, व्यापारिक प्रतिष्ठान नहीं बढ़ेंगे। उद्योगों के अन्दर आप जिस रेट से बिजली देना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि आप राजस्थान की औद्योगिक गति को भी बंद करने का काम करेंगे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, अभी समय है, इस समय के दायरे में ही आपको विचार करना चाहिए। डाक्टर साहब, हमारे साथ रहे हो, वर्षों तक, अपन लोक दल से लेकर जनता पार्टी और जनता दल तक साथी रहे हैं, माहिर साहब के साथ आप रहे हो, अध्यक्ष और कार्यवाहक अध्यक्ष, कुछ तो पुरानी बातें साथ लेकर जाते। आपने घोषणा पत्र जारी कर दिया और चुनाव घोषणा पत्र में कह दिया....

श्री उपाध्यक्ष : साथ लेकर जाते तो इधर आते ही नहीं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : राठौड़ साहब, आप तो अंतिम पायदान पर राजनीति कर रहे हैं, क्यों नौजवान की बलि दे रहे हैं ? अगर आप चाहते तो हमारे बीच में रहा हुआ नौजवान कभी यहां बैठ जाता, इस गति से चल रहा था । यह षड्यंत्र आपका है । मैं समझता हूं, राजस्थान की जनता और यह सदन सारी चीज समझता है । इन्होंने घोषणा पत्र में कहा कि हम बिजली सस्ती करेंगे । लेकिन पहले तो विद्युत शुल्क बढ़ा दिया, फिर प्रति पोल सब्सिडी जो तीन हजार थी उसको कम करके पन्द्रह सौ कर दिया और दो खम्भों के बीच की दूरी सौ मीटर थी उसको कम करके नब्बे कर दिया । दो सौ, ढाई सौ रुपये में गरीब को बिजली मिलती थी, कनेक्शन मिलता था, बारह सौ रुपये कर दिये गांव के व्यक्ति को और गरीब जो कच्ची बस्ती में रहता है, पन्द्रह सौ रुपये उससे वसूल करेंगे । वाह रे जनकल्याणकारी सरकार । चन्द्रभानजी, याद करो उपभोक्ता संघर्ष समिति का वह आंदोलन, एक नये पैसे बिजली की दर बढ़ी थी....(व्यवधान), दो पैसे । सुमित्रा सिंहजी, नाथूरामजी मिर्धा, कल्याण सिंहजी, और भैरोंसिंहजी सब के बीच में सबसे ज्यादा अगर कोई बोल रहा था तो आप बोल रहे थे । मुझे खुशी है कि जिस व्यक्ति ने शहादत दी उन बालूरामजी के मेले में अब आप भी पधारते हैं । कैसी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जरा आप निवेदन करें । उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, कैसे-कैसे अधिकार दे दिये । इस विधेयक की धारा 11 देखिये ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपके और लोग भी बोलेंगे ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं पांच मिनट में खतम करता हूं । सिविल कोर्ट के अधिकार, मतलब जुडिशियल पावर एक्सरसाइज करेगा यह । सैक्शन (12) में आपको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं, लम्बी-चौड़ी बात नहीं क्योंकि पहले भी इस सैक्शन के बारे में मिनाय से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं इस 12 के सैक्शन (3) में—

"The State Government shall consult the Commission in relation to any proposed legislation or rules concerning any policy, direction and shall duly take into account the recommendation, if any, made by the Commission on all such matters."

उपाध्यक्ष महोदय, किसी ने अधिकार नहीं दिया था कि विधायिका की शक्ति को छीन लें। आपका कानून नहीं बन पाएगा हम जो विधान सभा में बैठे हैं सदस्य, उनके अधिकारों पर भी अतिक्रमण है यह । उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने पढ़ा नहीं, मैं सैक्शन (12) की इन बातों पर बात नहीं करूंगा, जिनको पढ़े तो कोई समझे कि सरकार आत्मसमर्पण कर रही है । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन हालात को देखते हुए निश्चित तौर पर विचार करना पड़ेगा ।

अब आपने सेक्शन (15) के अन्दर कर्मचारियों की बात की है । अब राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के कर्मचारी कम्पनीज के कर्मचारी माने जाएंगे । आप ट्रांसफर पालिसी लेकर उनका स्थानांतरण करेंगे ।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आपको मालूम है, ऊर्जा मंत्रीजी, कम्पनी एक्ट के अन्दर सेवा शर्तें अलग हैं। वहां पी. एफ. तो मिल जाता है, पेंशन मिलने का प्रोविजन नहीं है। आप क्या करना चाहते है ? जिन लोगों ने राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल की वर्षों तक सेवा की, आज जब वे सेवा काल पूरा करके रिटायरमैंट की तरफ हैं, उनकी पेंशन का अधिकार छीनना चाहते हैं।

ऊर्जा मंत्रीजी, इसके साथ-साथ आप एक और बात पर भी विचार करें, आपने धारा (30) के अन्दर अधिकार दे दिये इस आयोग को कि यह जब चाहे स्थानीय प्रशासन को बुला ले, पुलिस को बुला ले और कोई फैसला कर ले। तो धारा 30 (3) के रहते कोई निजी निवेशक आएगा कैसे ? तुगलकी अधिकार दे दिये, यह कह दिया कि कोई भी कम्पनी जो ट्रांसमिशन से जुड़ी है, डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी है, जनरेशन से जुड़ी है, उनके विरुद्ध अगर कोई शिकायत आएगी तो जांच पूरी नहीं हो, जांच पेण्डिग रहे उससे पहले भी उसकी सारी असेट्स और उस कम्पनी के सारे अधिकारों को समाप्त करके किसी भी व्यक्ति को लाइसेंस दे सकते हैं। आप क्या करना चाहते हैं ? मैं निवेदन करना चाहता हूं बड़े अदब से कि आपमें इस बार अलसर एक्ट की समाप्ति के समय एक भावना जागृत हुई थी आत्मचिन्तन की। कई माननीय सदस्यों ने यह कहा था कि पार्टी लाइन को छोड़ कर हम राजस्थान के हितों की रक्षार्थ अपनी आत्मा को जागृत करके इस बार फैसला करेंगे। तब तो आपकी बात रह गई, परन्तु अब ये लोग जो किसानों के प्रतिनिधि हैं– चाहे लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य हों, गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य हों, चन्द्रभान जी, इस बार इस विधेयक की परिणति कहीं सरकार की हार के रूप में नहीं हो जाए इसलिए प्रतिष्ठा का सवाल मत बनाइये, आप बड़ा मन करके खड़े होकर कह दें कि यह किसान विरोधी कानून, काला कानून गलती से आ गया था। राजस्थान की जनता से और उन कर्मचारियों से जो आज इस सर्वोच्च सदन का दरवाजा खटखटा रहे हैं, इस सदन के माध्यम से माफी मांग लें तो मैं समझता हूं कि जनता का मन बड़ा है आपकी इस गलती को जनता माफ कर देगी। इन्हीं शब्दों के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर कह रहा हूं कि यह काला कानून और आज का दिन राजस्थान का किसान, गरीब मजदूर वर्षों-वर्षों तक याद रखेंगे इसलिए मैं पुरजोर शब्दों में इस कानून का विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रताप सिंह जी।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, बाहर आपके चैम्बर में कर्मचारियों का एक प्रतिनिधिमंडल आया हुआ है वह मुझसे मिलना चाहता है। मैं आपकी इजाजत चाहता हूं क्योंकि मैं अभी गया था मिलने के लिए तो माननीय सदस्यों ने कहा कि ऊर्जा मंत्री जी सदन में मौजूद नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : जब मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य बैठे हैं तो जरूरी थोड़े ही है आप यहां रहें। गवर्नमैंट बैठी है, जाइये न आप। हां, हां, बहुत बैठें हैं।

डा. चन्द्रभान : इसीलिये मैं आपकी इजाजत चाह रहा था। यह भी एक संयोग की बात है कि ये माननीय सदस्य रोज तो

(डा. चन्द्रभान)

शिकायत करते है इन अधिकारियों के लिए और आज सब कुछ इन्हीं के लिए बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रताप सिंहजी।

(अनुपस्थित)

श्री गुलाब चन्द कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी): उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के कई माननीय सदस्यों ने जो कानून हम बनाने जा रहे हैं, उसकी ओर सदन का ध्यान इंगित किया है। मैं भी आपसे और सदन से यह प्रार्थना करना चाह रहा हूं कि हमारे सामने ऐसी क्या मजबूरी थी जिस मजबूरी के कारण हम यह काला कानून राजस्थान की गरीब जनता के माथे लादना चाहते हैं। ऐसी कौन-कौन-सी मजबूरियां आ गई थीं जिन मजबूरियों के कारण हम इस स्थिति में आये और हमने विश्व बैंक से पैसा लेने के पीछे अपना सारा अस्तित्व ही उसके पास गिरवी रख दिया ? प्रदेश के विकास के लिए किसी से भी पैसा लेना तो गुनाह नहीं है लेकिन पैसा लेने के पीछे इस प्रकार की शर्तों में जकड़ जाना जिसमें हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाए, मैं सोचता हूं कि यह भविष्य के लिए बहुत ही बुरी स्थिति बनेगी। इसलिए सदन में इस पर शान्ति से और गहराई से विचार किया जाना चाहिए, ऐसी मेरी प्रार्थना है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारा बिजली बोर्ड आज की तारीख में 5500 करोड़ रुपये के घाटे में है। अब उसको 5500 करोड़ रुपये के घाटे में किसने पहुंचाया ? सब्सिडी देनी थी सरकार को, किसानों को सस्ती बिजली जिस प्रकार से देते हैं उस पर। प्रति वर्ष लगभग 1600 करोड़ रुपये की बिजली हमारे किसान यूज करते हैं, उसके पेटे केवल ढाई सौ करोड़ रुपये किसानों से वसूल कर के देते हैं। बाकी पैसा तो राज्य सरकार को देना है। राज्य सरकार उस पैसे को देती नहीं और राज्य सरकार ने उस पैसे की कभी चिन्ता भी नहीं की। उसके कारण से वह कर्जा बढ़ते-बढ़ते आज 5500 करोड़ रुपये हो गया। इसका कारण केवल यही नहीं है। हमारा जो लाइन लॉस है वह 26% से लेकर 30% जाता है। अगर हम इस एक कमी को भी रोकने का प्रयास करें तो शायद हमको इस काले कानून को लाने की आवश्यकता नहीं। यानी जो कुछ हमारे पास आज उपलब्ध है उसमें सब रास्ते हैं। लेकिन हमारी हिम्मत नहीं, हम उन कानूनों की पालना कराने के लिए किसी प्रकार की सख्ती करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम आंखों के सामने देखते हैं कि चोरी हो रही है तो हो रही है। हम अपनी गलती को सारे राजस्थान की जनता जो पैसा दे रही है, उसके माथे पर क्यों लादना चाहते हैं ? यानी गलती कोई दूसरा कर रहा है, बेइ-मानी कोई दूसरा कर रहा है और उसका दण्ड आप सारी जनता को देना चाह रहे हैं, जो ईमानदारी से आपको पैसा चुका रही है। क्या यह बात हमारी समझ में नहीं आती कि हमारे खर्चे इतने बढ़े हुए हैं ? हम सामान इस प्रकार से परचेज करके डाल देते हैं जिसका कोई उपयोग नहीं है। हमें जिस चीज पर ध्यान देना चाहिए उस पर तो हम ध्यान दे नहीं पाते हैं।

मैं सोचता हूं कि आज भी टैरिफ तय करने का बोर्ड को अधिकार है पर आप

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

टैरिफ तय करने में अड़ंगेबाजी करते हैं। आज जो कुछ यह बोर्ड है उस बोर्ड का कसूर क्या है जिसके कारण से आप इसको खतम करके इस प्रकार का कानून लाना चाह रहे हैं ? टैरिफ को तय करने का अधिकार उसके पास है, हमारे एक्ट के तहत है लेकिन हम उसको बढ़ा नहीं पाते हैं, दबाव के कारण हम उससे पीछे हट जाते हैं। अगर आपको लगता है कि इससे ही घाटा है तो इस घाटे की पूर्ति के लिए जो-जो रास्ते हो सकते हैं उन रास्तों का प्रयोग करें। हम उन रास्तों का प्रयोग तो करना नहीं चाहते हैं और वर्ल्ड बैंक से पैसे के लालच में सम्पूर्ण राजस्थान को एक तरह से गिरवी रखे दे रहे हैं जिसका परिणाम आज तो नहीं मिलेगा आपको लेकिन कुछ समय बाद आपको अपने-आप एहसास होने लगेगा। दो राज्यों ने इसका प्रयोग किया और उसका परिणाम हमने देखा है। उड़ीसा ने इसका प्रयोग किया, जितना पैसा उनको देने को कहा था उसमें मात्र सौ करोड़ रुपया ही अभी तक उसे दिया। और उनका घाटा कितना बढ़ा ? जो सौ करोड़ का घाटा था उड़ीसा में, वह आज की तारीख में चार साल के बाद 1200 करोड़ का हो गया। जहां वहां के कर्मचारियों को केवल 74 करोड़ रुपये देने पड़ते थे, आज वहां 344 करोड़ रुपये देने पड़ते हैं। मतलब आपने किससे सीखने की कोशिश की ? कम से कम जिन्होंने इसका प्रयोग कर लिया उनसे भी कुछ सीख लेकर फिर उसके अनुसार कानून बनाते तो शायद लाभ होता। यही नहीं, हरियाणा ने भी एक साल पहले किया। हरियाणा में आपने देखा कि एक ही साल के प्रयोग में एक हजार कर्मचारियों को छंटनी करके घर भेज दिया। हम किस चीज के लिए इस रास्ते को ढूंढना चाहते हैं, मैं नहीं समझ पाया हूं।

थोड़ा-सा इस कानून को और देखने की कोशिश करें। इस कानून में कुछ कमियां-खामियां भी रही हैं। जो आपने परिभाषाएं लिखीं, हिन्दी के शब्द हैं उनमें अन्तरण स्कीम एक शब्द है, इस अन्तरण शब्द का प्रयोग जगह-जगह हुआ। आपने परिभाषा में बाकी सब शब्दों के बारे में तो लिखा कि इसका यह मतलब निकलता है, इसका यह मतलब निकलता है लेकिन यह अन्तरण स्कीम जो है, यह जो ट्रांसफर है, इस ट्रांसफर का आपने कहीं विश्लेषण नहीं किया कि इसका अर्थ क्या निकलता है। इसी तरह से आपने लिखा, खंड दो की धारा एक से लेकर (11) तक आयोग के तीन सदस्य होंगे और तीन सदस्यों में से एक टैक्नीकल होगा और दो विधि या इकोनोमिक्स के या बाकी चीजों में से होंगे। अब इसके नीचे आपने एक लाइन बड़ी अच्छी लिखी है, लेकिन मैं नहीं समझ पाया हूं कि यह किस कारण से जोड़ी है, क्या आपकी मंशा है ? यह है– "Provided further that persons below the age of fifty years shall not be eligible for appointmenr as Chairperson or Member, as the case may be," यह 50 साल की एज डालने के पीछे आपका क्या सोच है ? क्या आपका यह सोच है कि 50 साल से नीचे की उम्र वालों में अक्ल कम होती है ? आपने जो उम्र तय की है केयरमैन के लिए मैक्सिमम 65 साल और सदस्यों के लिए 62 साल, वह तो

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

समझ में आती है लेकिन नीचे की एज डालने के पीछे कहीं आपके मन में कोई चोर तो नहीं छुपा हुआ है ? कोई आदमी आपने पहले से आइडेंटिफाई तो नहीं कर रखा है कि ज्यादा लोग आइडेंटिफाई न हो जाएं या भविष्य में अच्छे टैलेन्टेड लोग न आएं। उनको रोकने की कोई मंशा हो और उसके आधार पर आपने यह लाइन डाली तो मैं समझता हूं कि इतना बड़ा कानून बनाने जा रहे हैं इसमें अगर यह लाइन अगर नहीं भी डाली तो क्या हमारा कानून काम नहीं करता ? क्या इसके कारण से यह जो आयोग है इसके काम में कोई तकलीफ हो जाती या कोई दखलंदाजी हो जाती ?

इसके नीचे जो लाइन लिखी हुई है, आपने कहा था कि जो संसद का सदस्य है वह तो चूंकि मैम्बर है इसलिए नहीं बन सकता और इस विधान सभा का सदस्य है वह भी नहीं बन सकता। पर आपने तो इससे आगे लाइन लिखी है— "or holds any post in the political parry." अगर कोई पोलिटिकल पार्टी में भी कोई पोस्ट प्राप्त है आज की तारीख में उसे, तो भी उसे इसका सदस्य नहीं बनाया जा सकता। मैं नहीं समझा कि इसमें आपका मैसेज क्या है। मतलब आप पर इसमें इतना जबरदस्त दबाव है। जैसा आपने समझाने की कोशिश की वैसे तो इसका भी कोई तर्क नहीं है लेकिन आपने तो इससे चार कदम आगे बढ़ कर एक तरह से सब दृष्टि से ठेठ रद्दी की टोकरी में ले जाकर डाल दिया कि आप सब लोग कोई योग्यता रखते नहीं, आपको देश की और जनता की कोई चिन्ता नहीं है, आप तो केवल लूटने के लिए आये हो और आपका ध्यान तो केवल लूटने में है। क्या इस प्रकार के शब्दों को इसमें पढ़ने के बाद आपकी आत्मा आपको कचोटती नहीं है ? क्या हमारा स्तर इतना गिर गया है कि हम कोई कानून बनाएं तो उसमें यह लिखें कि मैम्बर नहीं हो सकता क्योंकि वह किसी पोलिटिकल पार्टी का पदाधिकारी है। इस प्रकार का भाव लेकर कभी पढ़ने की कोशिश की कि आखिर हम क्या लिख रहे हैं ? अगर यह शब्द हटा दिया जाता तो क्या वर्ल्ड बैंक हमको पैसा देने के लिए ना कर देता ? अगर ऐसा वर्ल्ड बैंक है तो उसको रद्दी की टोकरी में डालें, जो इस प्रकार से लोगों के बारे में समझता है कि हम सब लोग जो राजनीति में काम करते हैं वे सब कूड़ेदान में डालने लायक हैं। ये जो बाकी सारे अधिकारी हैं इन्होंने ठेका लिया है देश के निर्माण का ? क्या हमारी आत्मा इतनी मर चुकी है कि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कानून बनाने में कर दिया? मैं सोचता हूं कि इस दृष्टि से आपको निश्चित रूप से विचार करना चाहिए। आपने तीन मैम्बर बनाये, इन तीन मैम्बरों में आखिर 70% ग्रामीण जनता है जो खेती से जुड़ी रहती है, उसके किसी प्रतिनिधि को अगर आप इस आयोग में ले लेते तो क्या उससे कोई नुकसान हो जाता ? वह उसकी तकलीफ समझता कि किसान को तकलीफ क्या होती है। सौ में से 70 आदमियों का जो प्रतिनिधित्व करता है उसकी आप कुछ क्वालिफिकेशन तय कर देते कि हमको इस क्वालिफिकेशन का चाहिए, इस स्तर का आदमी चाहिए। लेकिन कम से कम एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो जो अपनी समस्या उस आयोग में रखे। नहीं तो ये अधिकारी न कुछ समझेंगे न कुछ सुनेंगे और

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आपके अधिकार क्षेत्र से सब चीज बाहर चली जाएगी और बाद में सर पर हाथ रख कर रोने के अलावा अपने पास कुछ नहीं बचेगा, यह मैं आपको बहुत कड़वे शब्दों में कह रहा हूं। कभी कोई दस-बीस साल बाद इसे निकाल कर पढ़ेगा तो यह अक्षरशः सच साबित होगी कि हम लोगों ने केवल पैसे के लालच में राजस्थान की गरीब जनता और किसान के सारे हितों को बेच कर इस प्रकार का आत्म-समर्पण किया। मैं सोचता हूं विकास के लिये हमारे पास पचासों रास्ते हैं, उन रास्तों के आधार पर अगर ईमानदारी से काम करने के लिये सबको मजबूर करें और उसमें सख्ती करें तो हम अपने साधनों से ही सब काम कर सकते हैं। लेकिन हमारी तो मंशा ही नहीं। मैं सोचता हूं कि हम लोगों का मन मर चुका है।

धारा (4) से (12) तक और (1) से (3) तक सरकार के अधिकार केवल मात्र ये होंगे, हमारे कई सदस्यों ने बता दिया, कि केवल हमारा मंत्री लिख कर दे सकता है जनता की कोई समस्या। उसके बाद भी अगर यहा कोई डिस्प्युट हो जाए तो केन्द्रीय आयोग के पास जाएंगे और वह जो फैसला सुना देगा वह फैसला हमारे पर बाइंड है। हम उसके लिए मजबूर हैं, बंधे हुए हैं। तब फिर हम काहे का, +++ काम कर रहे हैं यह। अगर यही है तो आप इन सब पोथी-पानड़ों को उनके सुपुर्द कर दो कि तुम्हारी मर्जी हो तो चलाओ। सरकार में बैठ कर सारी राजस्थान की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग आखिर क्या सोचकर यह बात लिख रहे हैं? क्या हमारा स्तर इतना गिर गया है कि +++ जो हमारा मातहत रहेगा जिसका पैसा हमारा है, जिम्मेदार भी हम, चुकाएंगे भी हम, सब कुछ हम, उसकी गारन्टी भी हम देंगे और फिर भी हमारी हालत ऐसी बनाकर रख दी कि हम +++ उसके सामने जाकर खड़े रहेंगे कि वह हमें कुछ +++ देगा। अगर आपने इस प्रकार से अपने आपको गिराया तो फिर इस सदन की कोई मर्यादा नहीं रहेगी। हम अपने हाथ से ही अपने सारे अधिकार छोड़ते चले जा रहे हैं, यह मुझे लग रहा है। मैं नहीं समझ पाया कि हम राज्य सरकार की तरफ से जनता का इससे कोई भला कर पाएंगे या नही कर पाएंगे?

तीन कम्पनियां अलग-अलग बना देंगे। इन सबका सामंजस्य क्या होगा? ये सब अपना प्राफिट कैसे काउंट करेंगे? प्राफिट पर ये अपना तीन परसेंट प्राफिट लगाएंगे, आखिर आपकी रेट कैसे तय होगी? किसी ने इसके बारे में कुछ सोचने की कोशिश भी नहीं की या केवल उन्होंने लिख दिया और हमें पैसे लेने का इतना शौक पड़ गया है कि बाहरी लोगों से पैसे लेकर हम अपने हकों को धीरे-धीरे समाप्त करते जा रहे हैं? एक दिन ऐसा आएगा कि हम इस बाहरी कर्जे में अपना अस्तित्व खो देंगे, हमारी कोई पहचान भी नहीं होगी। हमारे पास जितने साधन हैं उन साधनों से हम आगे बढ़ें। कोई जरूरी नहीं कि हम एक दिन में चमत्कार कर दें, अगर हमारी क्षमता नहीं है। पर हम तो चमत्कार करना चाहते हैं।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

यह जो धारा (5) से (15) तक है कर्मचारियों के हितों की रक्षार्थ, इसमें क्या चीज आपने स्पष्ट की है ? इनकी सेवा शर्तों का क्या होगा ? उनके बाकी के मामलों में क्या होगा ? कुछ भी स्पष्ट आपने नहीं किया और इसी तरह से लिख कर डाल दिया। आखिर पचास हजार लोग हैं जो राजकीय सेवा कर रहे हैं। अगर आप और हम में से भी किसी का बच्चा वहां पर हो तो आखिर इसको हवा में तो नहीं छोड़ा जा सकता। किन शर्तों के आधार पर उसका दूसरी-जगह जाना होगा? उसकी सेवा प्रोटेक्ट होगी कि नहीं होगी ? उसकी जो कुछ भी सैलेरी है वह प्रोटेक्ट होगी कि नहीं ? उसके हितों का प्रोटेक्शन होगा कि नहीं होगा ? या जैसे हरियाणा में एक हजार लोगों को निकाला वैसे हम भी निकाल देंगे ? यह सारी हैजीटेशन इस कारण से होती है कि हम किसी बात को ठीक तरीके से नहीं समझकर उनके हकों को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं। मैं समझता हूं, कम से कम इतना तो प्राकृतिक न्याय भी कहता है कि उनको अपनी बात कहने के लिये न्यायालय में जाने का हक हो। आपने तो इसमें उनका यह हक भी समाप्त कर दिया। उनको सड़क पर छोड़ दो भले वो मरें या जीएं। न कहीं जा सकें, न कहीं रो सकें। इतनी मजबूरी क्या थी ? वर्ड टू वर्ड डिक्टेशन लिखाया था क्या आपको कि यह-यह कानून मागोगे तो ही आपको पैसा देंगे? ऐसे पैसे को लाय लगाएं। ऐसा पैसा हमें न मिले तो हम अपने बूते पर भी विकास कर सकते हैं। अपने को इतना गिराकर लेने की कोशिश मत करो नहीं तो आगे चल कर इसका जो संकट आएगा वह राजस्थान भुगतेगा। आज तो यह शर्त लगा रहा है, कल यह कहेगा कि आप मुंह इधर करके खड़े हो जाओ तो आपको देंगे। कभी कुछ करेगा, कभी ऊठक-बैठक लगवाएगा। इतना मानस क्यों गिरा रहे हो ? इस प्रकार की मनःस्थिति लेकर इस काम को क्यों कर रहे हो ? मैं नहीं समझता कि इस विश्व बैंक के दबाव के कारण है। आज कम से कम हमारे इस बोर्ड के पास पचास हजार करोड़ से ज्यादा की सम्पत्तियां हैं, इन सम्पत्तियों का ट्रांसफर कैसे होगा ? क्या इसकी कीमत तय की जाएगी ? क्या मार्केट रेट से इसकी कीमत तय होगी, किस आधार पर कीमत तय होगी ? मतलब सारा बना-बनाया ढांचा दूसरों को देकर हमको केवल उनकी तलवार का भार भुगतना है कि उनकी मर्जी आये जो टैरिफ तय करें, मर्जी आये जो पैसा हमसे कमाएं। हमने जो कुछ भी खड़ा किया उसकी क्या कीमत हमें मिलेगी, कैसे मिलेगी, कौन देगा, यहीं देगा, कम्पनी किस प्रकार से हमारी प्रापर्टी लेगी, क्या इसके शर्तनामे होंगे ? कुछ भी नहीं किया, हमने तो सब सरंडर कर दिया केवल 25 सौ करोड़ रुपये के लिये। आखिर 50 हजार करोड़ की प्रापर्टी आज दिन तक बनाई है, उसको आप किस तरह से खुर्द-बुर्द करने लगे ? आपने यह देखने की भी कोशिश नहीं की कि आखिर इसमें क्या रखा है। अगर आपको यही लगता है कि हमारी वसूली प्रापर नहीं होती है तो हमारा बोर्ड क्या वसूली नहीं कर सकता ? बोर्ड को भी आप अधिकार दो। उन ठेकेदारों को देकर गैंग तैयार करोगे जिसके कारण से ये माफिया बनकर खड़े हो जाएंगे। उससे अच्छा तो

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

यह है कि आप अपनी वसूली की सख्ती के कोई तरीके और कानून बनाओ जो बोर्ड के तहत भी हम अपनी वसूली सेंट-परसेंट कर सकें। बड़े-बड़े लोग पैसा दबाकर बैठ जाते हैं लेकिन वह किसी न किसी के प्रोटेक्शन के कारण से रुक जाता है। मतलब पाप तो कोई करे और सजा किसी दूसरे को मिले। पैसा लेने के चक्कर में इस प्रकार के कानून बनाने से मैं सोचता हूं काम नहीं चलेगा।

आपने देखा होगा महाराष्ट्र में भी एनरान कम्पनी के द्वारा यह समझौता हुआ था। जिस समय समझौता हुआ उस समय 2 रुपये 10 पैसे में बिजली मिली, आज उसकी रेट लगभग 4 रुपये से ऊपर निकल गई। टाटा उस समय केवल 1 रुपये 85 पैसे में दे रहा था। अगर हमने आज समझौता किया तो हमको यह कुछ चकमा दिखा देगा और यह कहेगा कि मैं आज आपको 2 रुपये 10 पैसे रेट दूंगा और पांच साल बाद कहेगा कि मैं तो इसको 12 रुपये में दूंगा। तब आप कहां जाओगे? आपका सारा स्ट्रक्चर तो खत्म हो चुका होगा। आपका ढांचा तो बिखर गया होगा। फिर तो इसके भरोसे आप बैठो नहीं तो सारा राजस्थान अंधेरे में। उसने बटन दबाया और हम सब के सब भगवान भरोसे। किस आधार पर हम अपनी सारी सम्पत्तियों को उनको दे रहे हैं, इसके बारे में बहुत संतोष से विचार करना चाहिये। जो भी इस प्रकार की कम्पनियां आती हैं वे हमको लालच देने के लिये पहले सस्ता बताती है और जब मार्केट में से बाकी सब जने उठ जाते हैं तो उसका एकाधिकार हो जाने के बाद वे हमारा शोषण करते हैं। हम बाकी लोगों के शोषण से मरेंगे कि नहीं मरेंगे पर जिस प्रकार विदेशी पैसे की विभिन्न योजनाओं के हम लालच में ला रहे हैं यही हमको खा जाएगा, यही हमको मार देगा और हम इस बात को गहराई से सोचने के लिये तैयार नहीं हैं।

खण्ड (6) की धारा (17) में लाइसेंस देने का पूर्ण अधिकार कमीशन को होगा। लाइसेंस देने के अधिकार में भी आपकी सरकार का कोई लेना-देना नहीं। आप अपनी कुछ राय भी नहीं दे सकते हो, वह मर्जी चाहे जिसको लाइसेंस दे दे। हमारे पर्यावरण का भी ध्यान नहीं रखे, किसी का ध्यान नहीं रखे। तो आपके पास क्या अधिकार है उसको रोकने का। आप उसको नहीं रोक सकते हो। मुझे बहुत दुःख है इस बात का कि हम विधायकों का प्रमुख काम है कानून को बनाना, हमारे इस प्रमुख काम को दुर्भाग्य से लगातार कई वर्षों से ऐसा अभ्यास पड़ गया है कि इसको जितना जल्दी पास करा कर इस बला को टाल दो। मैं यह सोचता हूं कि इसको दो-पांच दिन तक डिस्कस करते। 15–20 दिनों पहले यह बिल देते तो ज्यादा सही था। हम लोगों को राय के बाद ही तो इसको पास करोगे। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई कमी-खामी रह गई तो उसमें आप सुधार करके पेश कर दो, उसमें हर्ज क्या है? क्या सरकार की तरफ से कोई अमैंडमैंट नहीं आता हैं? सरकार की तरफ से भी अमैंडमैंट आ सकता है। कोई आदमी परफैक्ट नहीं कि जो उसने एक बार लिख दिया वह सौ परसेंट सही है। अगर किसी के ध्यान में कोई कमी-खामी आ जाती है तो उस कमी को सुधार कर पेश करने से

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसको नहीं भुगतना पड़ता। इतना भी हमको धैर्य नहीं है। हमको तो इतनी जल्दी है कि कैसे भी कर के बस पास करो। हमको तो 25 सौ करोड़ रुपया दिख रहा है। जैसे कोई 25 सौ करोड़ के आते ही सारा चमत्कार आ जाएगा, हम सब चमन हो जाएंगे। इस मानस से हम लोग चल रहे हैं।

इसी तरह से टैरिफ के बारे में है। मैं सोचता हूं कि खण्ड (7) की जो सब धाराएं हैं, टैरिफ तय करने में भी आपकी सरकार का कोई योग नहीं है। एम.एल.ए. साहब, जब आप अपने फील्ड में घूमोगे और घूमने के बाद लोग कहेंगे कि मेरे यहां यह प्राब्लम आ गई, तो उस प्राब्लम के लिये जन प्रतिनिधि कहां जाएंगे? जनता के लिये आप किसको जाकर कहेंगे कि हमारे यहां यह समस्या है? आपको लगा कि ये दो गांव अभी इलैक्ट्रीफाई नहीं हो रहे हैं, हम रोज आपके पास आकर कहते हैं कि हमारे ये दस गांव और लो। अब हम दस कहते हैं तो दस नहीं करते होंगे, मगर तीन करते होंगे पर उस साल तीन होते तो हैं। अब जनता किसके पास जाकर रोएगी। यानि जन प्रतिनिधियों की भी यह औकात नहीं रहेगी कि हम किसी को तो बिजली से सुविधा दे सकें, क्या उसको तकलीफ है, उसकी तकलीफ को दूर कर सकें। हमने हमारे हाथ काटकर दे दिये कि वे मरजी आवे जो करें, मरजी आवे जो रेट लगाएं। अगर हमें कोई तकलीफ हो तो हमारा मंत्री अपना लिखित में एक कागज डाल दे, वे मानें न मानें, उसकी दया पर हमारा काम चलेगा। ऐसा कानून बना कर हम किस प्रकार से राजस्थान का भला करेंगे, मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा हूं। मैं यह भी नहीं समझ पा रहा हूं कि हमारे पास जो विद्युत अधिनियम, 1910 है और विद्युत सप्लाई अधिनियम, 1948 है, क्या इन दोनों में यह प्रावधान नहीं है कि हम टैरिफ को तय कर सकें? हमको जो अधिकार प्राप्त है उन अधिकारों का तो हम उपयोग करना नहीं चाहते। हमारे पास सब कुछ है, आज भी बोर्ड के पास सब प्रकार की शक्तियां हैं लेकिन हम उनका उपयोग नहीं करते हैं और उस पैसे के लालच में सब हाथ-पैर काटकर उनके सुपुर्द करना चाहते हैं। मैं सोचता हूं कि इस दृष्टि से हम कोई भला नहीं करेंगे। डाक्टर साहब, मेरी आप से प्रार्थना है कि कोई जल्दबाजी नहीं है, अगर इसमें 10–15 दिन लग भी जाएंगे, महीना भर लग जाएगा तो कोई आसमान नहीं पड़ेगा, कोई ऐसा नही है कि बिजली बोर्ड बिलकुल कल की तारीख में ही बन्द हो रहा है। इस पर गहराई से विचार करना चाहिए, राजनीति से ऊपर उठकर विचार करना चाहिए। अगर यह क़ानून आज के दिन पास हो गया तो मैं समझता हूं कि राजस्थान का गरीब किसान मर जाएगा, उसके कपड़े खुल जाएंगे। जैसा उड़ीसा में हुआ है, आपको सुन कर हैरानी होगी कि उड़ीसा में चार साल से यह सिस्टम लागू है वहां तीन प्रतिशत कनेक्शन कम हो गये। जिस समय इस आयोग ने लिया यह काम, उस समय से आज की तारीख में तीन प्रतिशत कनेक्शन लोगों ने सरेण्डर कर दिये। क्या आप यह चाहते हो कि राजस्थान के जिन लोगों ने बिजली ले ली, उनकी क्षमता इस बिजली के पैसे को चुकाने की नहीं होगी तो

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

वे बिजली सरेण्डर करके वापस अंधकार में चले जाएं ? ये घटनाएं हो चुकी हैं और इनके उदाहरण हमारे सामने हैं। उसके बाद भी अगर हम नहीं देखना चाहते तो हमारी इच्छा है। अगर हमको अपने बहुमत का इतना ही घमण्ड हो गया है कि बहुमत आ गया तो हम कोईने मीर मार लिया तो इस घमण्ड में मत रहिये। इसमें कोई हठधर्मिता का सवाल नहीं है कि हमने रखा या हमारी पार्टी लाई। हमारी पार्टी के सामने भी यह आया था, आने के बाद हमने जब बहुत डिटेल में देखने की कोशिश की तो हमारे लोगों ने कहा कि यह तो बिलकुल एक तरह से आत्म समर्पण हो जाएगा, हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। सब कुछ पैसा दुनिया से उधार लाकर कर्जा तो हम चुकाएं और माल कोई दूसरा ही खाए, मरजी आवे जो हेकड़ी लगाये। यह कैसा कानून हो सकता है ? यह सरकार का क्या मतलब है फिर तो ? मैं सोचता हूं इसी कारण से इसको रोका गया। अगर आपकी मजबूरी है कि इस पैसे को लेकर राजस्थान का विकास करना चाहते हैं तो कम से कम कोई इसकी चोटी तो में हाथ रखो, कहीं न कहीं काबू में तो रखो जिसके कारण से हम राजस्थान प्रदेश की गरीब जनता के हितों की रक्षा कर सकें। अब आप कई बार यह सोचते हैं कि इण्डस्ट्री से हम पैसा ज्यादा लेंगे, मगर उसके अन्दर पैदा किया हुआ माल अगर उसको महंगा पड़ा तो वह भी बंद होगी। वह बंद होगी तो आपका विकास भी बंद होगा। आप किसान को आज सस्ती बिजली दे रहे हो, कभी आपने इस बात को सोचने की कोशिश की कि किसान को सस्ती तो क्या अगर सरकार के पास ताकत हो तो उसको मुफ्त में देकर अनाज पैदा किया जाए ताकि वह आपको चार गुना ज्यादा आमदनी देता रहे। वह आपको सीधे पैसा नहीं देता क्योंकि वह सीधे पैसा देता नहीं पर विभिन्न तरीकों से जो टैक्स मिलता है, इनडाइरेक्ट जो पैसा मिलता है उससे हमारा विकास होता है, हमारे प्रदेश की बहबूदी होती है। किसान की जेब में जब पैसा होता है....

श्री महेश जोशी : कितनी इण्डस्ट्रीज की बात कर रहे हैं माननीय कटारियाजी ? आपके राज में इण्डस्ट्रीज बंद हुई, आप इण्डस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, बिना यह कानून बने आपकी इण्डस्ट्रीज बंद हो गयीं, आप विकास की बात कर रहे हैं ? उल्टी गति घूम रही थी विकास की राजस्थान में, जिसका खामियाजा आज जनता को भुगतना पड़ रहा है। राजस्थान का विकास जो ठप्प हुआ था वह आपकी वजह से हुआ था और हम उस विकास को गति देने की कोशिश कर रहे हैं। (व्यवधान) ज्ञानदेवजी, अलवर के अन्दर कितनी इण्डस्ट्री बंद हुई. (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : एक भी नहीं लग रही। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : जो भी इण्डस्ट्रीज बनीं वे राजस्थान के भैरोसिंह जी के राज में बनी थीं। पढ़ो, लिखो, अध्ययन करो तब कुछ मालूम पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री महेश जोशी : क्या इण्डस्ट्रीज बनी, एक तो बताइये। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अब तो एक भी

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

नहीं लगी, सारी इण्डस्ट्रीज भैरोंसिंह जी के राज में ही लगीं। आपको अध्ययन करके आना चाहिए, सिर के ऊपर से निकल गयी आपकी बात। एक इण्डस्ट्री नहीं लगी। भंवर साहब, आपको तो इण्डस्ट्री के बारे में पता ही नहीं है, इण्डस्ट्री क्या होती है। आप क्या बोल रहे हो ?

श्रीमती ममता शर्मा : डी. सी. एम. किसके टाइम बनी है ?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपको तो इण्डस्ट्री के बारे में पता ही नहीं है।

श्रीमती ममता शर्मा : जे. के. किसके टाइम में आयी थी ? (व्यवधान)

श्री जितेन्द्र प्रसाद : 850 फैक्ट्री हमारे यहां भी बंद पड़ी है आपके कारण से। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपके तो सिर के ऊपर से बात निकल जाती है।

श्री महेश जोशी : आपकी तो स्थिति क्या है कि आपको तो बोलना है और खारा बोलना है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अगर बोलना है तो आप फिर काहे को बोलते हो ?

श्री जगमाल सिंह यादव : वह बरकतुल्ला जी के जमाने में खुली थी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह तो लालटेन छाप हैं, चारा घोटला।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे बहुत विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं।

श्री जगमाल सिंह यादव : इस+++ को न तो चारा घोटाले का ज्ञान है, इसको तो केवल मूछों का ज्ञान है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : लालटेन का ज्ञान है लालू यादव को। जहां बिजली नहीं जलती लालटेन का ज्ञान है।+++ आपको है तो हम क्या करें। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : जो डा. साहब कर रहे हैं, और आप दिल्ली में कर रहे हो, यह लालटेन युग की तरफ जा रहा है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : माननीय सदस्य सभी मूछों वाले मंदबुद्धि नहीं हुआ करते।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : बिहार में लालटेन जलाओ, यहां काहे को लालटेन जलाना चाहते हैं ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विनम्रता से सदन के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं, यह जो हमारी सोच बन गयी है कि पास करके अपनी बला टालना चाहते हैं, तो टाल दो, कोई बात नहीं। यह तो समय है, निकल जाएगा पर इसका परिणाम क्या होगा ? यह आपको हमको अहसास नहीं होगा पर उस गरीब को जरूर अहसास होगा जब आपने टैरिफ के लिए उस हत्यारे को सारे अधिकार देकर अपने हाथ में कुछ नहीं रखा। वह चाहे जो लूटेगा, आप करोगे

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

क्या उसके सामने ? दया की भीख मांगने के लिए खड़े रहेंगे हम लोग ? इन बातों से इतना बायस होने की जरूरत नहीं है और इतना अभिमान करने की भी जरूरत नहीं है। ये तो दिन अच्छे और बुरे आते रहते हैं, चलते रहते हैं। अगर यह अभिमान हुआ तो भगवान ने चाहा तो अगली बार जब आएंगे तब मैं आपको इस बारे में पूरा का पूरा आपको बता दूंगा कि आपका अभियान चूर हुआ कि नहीं हुआ। जनता अच्छे-अच्छों को बनाती है और अच्छे अच्छों को रगड़ कर रख देती है। आप जनता जनार्दन से ऊपर नहीं हो। इस काले कानून को अगर आपने इस आधार पर पास कर दिया तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आपमें से एक भी वापस जीतकर नहीं आएंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रीचन्द कृपलानी।

श्री श्रवण कुमार : आज कटारियाजी कह रहे हैं लेकिन नगर पालिकाओं के कर्मचारी जिस दिन सरप्लस किये थे सात हजार ? मैं कह रहा हूं कि मैं भी इस कानून के खिलाफ हूं लेकिन नगर पालिका वाली बात क्यों नहीं कह रहे हो ? नगर पालिकाओं के कितने हजार कर्मचारी आपने बेरोजगार कर दिये, आप उनको क्यों नहीं याद करते हो ? उस दिन हमने भी यह कहा था नगर पालिकाओं की चुंगी मत हटाओ पर आपने हटायी जबरदस्ती। मामड़ा जी ने नहीं सुनी हमारी और आपने कर्मचारियों को सब को हटा दिया।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पावर सैक्टर सुधार विधेयक, 1999 पर आज चर्चा हो रही है मुझसे पूर्व कई वक्ताओं ने अपने विचार रखे। जहां तक मैं समझता हूं चाहे कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य हों, जिस आयोग का ये गठन करना चाह रहे हैं . ..

श्री जगमाल सिंह यादव: तीसरी शक्ति का नाम नहीं लिया।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : आपके विचार अभी सुने ही नहीं हमने। अभी विचार आये ही कहां थर्ड फोर्स के ? थर्ड फोर्स का कोई बोला ही नहीं अभी तो।

भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया और कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य भी ऊपरी तौर पर जरूर इसका समर्थन कर रहे हैं लेकिन मन ही मन इस बात से आशंकित हैं कि यह लागू होने के बाद हमारी क्या स्थिति होगी। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि राजस्थान में गहलोत जी की जब से सरकार बनी है तब से लगातार दिवालियेपन की बात चल रही है कि राजस्थान का दिवालियापन हो गया, राजस्थान में घाटा है और केन्द्र का हम पर बहुत ज्यादा दबाव है। केन्द्र के दबाव का बहाना लेकर ये तरह तरह के कानूनों का निर्णय लेते जा रहे हैं आज जिस आयोग के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, मैं सोचता हूं चाहे विश्व बैंक का दबाव हो, चाहे किसी और का दबाव हो यह आयोग अगर लागू हो जाता है तो कृषि का, उद्योगों का और फसलों का जितना इससे नुकसान होगा इसकी शायद आज आप कल्पना नहीं कर पा रहे हो। डा. चन्द्रभान जी, आपको

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

ध्यान होगा, अभी लोक सभा चुनाव में आप कांग्रेस पार्टी का प्रचार करने हमारे यहां आये थे और विधान सभा चुनाव में भी आपने बहुत ज्यादा अपनी पार्टी का प्रचार किया था। जहां-जहां भी आप प्रचार करने गये, हर जगह बिजली के बारे में बातचीत करते थे। पूर्व में जो हमारी सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, उस सरकार के खिलाफ अगर आपने किसी बात को मुद्दा बनाया तो बिजली आपका मुख्य मुद्दा था। मुझे ध्यान है जब अभी लोक सभा चुनाव में आप चित्तौड़गढ़ जिले में आये थे तो आपने एक बात कही थी कि लोक सभा चुनाव के बाद (व्यवधान) ....डा. चन्द्रभान जी, सुन रहे हैं? आप अभी लोक सभा चुनाव में चित्तौड़गढ़ जिले में आये थे प्रचार के लिए तब एक बात कही कि मैं बहुत जल्दी विद्युत में सुधार लाने के लिए एक नई नीति की शुरूआत करने वाला हूं। भगवान की सौगन्ध, यह नीति देख कर मुझे बड़ा दुःख हो रहा है, मुझे रोना आ रहा है इस पर। अगर यह अनीति वहां बता देते तो मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी की कितनी दुर्दशा होती, जमानत बचाना भी मुश्किल हो जाता उस दिन इन्होंने एक बात कही कि मैं नीति की घोषणा करता हूं जिसमें अस्थाई कनेक्शन काश्तकारों को देंगे, यह बात कही थी। आपको ध्यान होगा। और कोई अस्थाई कनेक्शन की बात तो मुझे नहीं लगता है कि आपने कही हो....

डा चन्द्रभान : अस्थाई कनेक्शन की बात कही थी।

(14.50 बजे)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अस्थाई कनेक्शन की बात कही है, अखबारों की कटिंग लाकर मैं बता सकता हूं। आप इस तरह असत्य बात मत करें यहां पर। बाक़ायदा हजारों लोगों के सामने यह बात कही है। उससे पहले विधान सभा चुनावों में आप आये विधान सभा चुनावों में आपने यह बात की कि भारतीय जनता पार्टी के राज में नौ हजार रुपये बिजली के पोल के लग रहे हैं, हमारा राज आएगा तो पोल की कीमत हम कम कर देंगे। मेरे ख्याल से अब तो चार हजार पोल की कीमत कर दी आपने।

डा. चन्द्रभान : तीन हजार कर दी।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : तीन हजार कर दी या 12 हजार कर दी? नर्सरी योजना को समाप्त करके चोरी योजना आपने प्रारम्भ कर दी। आपने एक बात कही कि 24 घण्टे हम बिजली देंगे, अब आठ घण्टे भी बिजली आप नहीं दे पा रहे हैं। आपने कहा, जिस तरह मध्य प्रदेश में हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार है और 3 और 5 एच. पी. की मोटरों के कनेक्शन हमने फ्री कर रखे हैं। राजस्थान में हमारी सरकार आयी तो उसको हम फ्री कर देंगे। अब आप अच्छी तरह से जान गये और जो-जो घोषणाएं कीं राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद, उसके विपरीत काम करने का आपने प्रयास किया।

अभी राजेन्द्रसिंहजी राठौड़ आपके प्रतिभावम, ऊर्जावान व्यक्तित्व के बारे में

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

चर्चा कर रहे थे, वास्तव में सही है। 1990 में जब आप पहली बार एम.एल.ए. बने थे, मैं भी उस समय आपके साथ विधायक था। मुझे ध्यान है भैरोंसिंह जी शेखावत साहब ने जब मंत्रिमण्डल बनाया था उस समय भी ऊर्जा विभाग आपको देने की बात आयी। लेकिन भैरोंसिंहजी ने कहा था कि ऊर्जा विभाग देकर मैं इतनी बड़ी गलती नहीं करूंगा। उन्होंने आपको ट्रांसपोर्ट विभाग दिया था। उसको देने के पीछे उनका कारण यही था। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी वाले आपसे पुराना बदला लेना चाह रहे हैं, जितना भी साथ आपने हमारा निभाया है, उसका बदला। यह विधेयक लागू होने के बाद, यह आयोग बनने के बाद, रमजान खान जी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के, सबकी हालत ऐसे होने वाली है। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूं। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो दावे के साथ इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं, हम गांवों में बड़े शान के साथ जाएंगे और आपको गांवों में पंचायतों के इन चुनावों में लोग घुसने नहीं देंगे। इस बात का मैं दावा करता चाहता हूं क्योंकि इस तरह के काम, आप इस आयोग को लागू करने के बाद करना चाहते हैं कि जन प्रतिनिधियों की इसमें सहभागिता नहीं। आपको ध्यान होगा कोई भी कम्पनी बनती है, वह कम्पनी हमेशा लाभ-हानि पर विचार करने के बाद में निर्णय लेती है। आपने तो इसमें स्पष्ट रूप से जन प्रतिनिधियों का, सरकार का कहीं लेना-देना ही नहीं रखा है। अगर आप सरकार के मंत्री होने के नाते भी विद्युत की दर कम करना चाहेंगे या कुछ करना चाहेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। मैं सोचता हूं कि इस तरह का कानून राजस्थान के इतिहास में सबसे काला कानून है। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के शासन में कार्य हुए (व्यवधान) गौरे आदमी द्वारा काला कानून मान लो, चाहे चन्द्रभानजी द्वारा काला कानून मान लो।

आपको जरूर ध्यान होगा कि 1980 से आज तक राजस्थान की सरकार ने विद्युत मण्डल ने एक भी नई भर्ती नहीं की है। 1980 में साढ़े 14 लाख उपभोक्ता थे और कर्मचारी थे 7 हजार और अब 1999 में 45 लाख उपभोक्ता हो गये ओर कर्मचारी हो गये 50 हजार। बहुत ही व्यवस्थित ढंग से काम करने का प्रयास पहले की सरकार में भी हुआ, अब भी हो रहा है। विसंगतियां जरूर आ रही हैं जैसे कि विद्युत मण्डल जहां पर ट्रांसफार्मर जल रहा है वहां पर ट्रांसफार्मर की व्यवस्था समय पर नहीं करा पाता है। पिछली सरकार के समय चाहे कपासन हो या हमारे जिले में बेगूं हो, जहां पर भी 132 के.वी. सब स्टेशन की स्वीकृति दी है उनका काम शुरू नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह की काफी योजनाएं जो आपको लागू करनी चाहिए थीं, आप लागू नहीं कर पा रहे हैं। फिर किस हिसाब से आप यह सोच रहे हैं कि यह आयोग बनने के बाद जनता का भला होगा?

मैं इस अवसर पर इस विधेयक के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूं लेकिन उम्मीद करता हूं कि यह विधेयक लागू होने के बाद, छीजत की वसूली जनता से करने का जो आपने इसमें कहा है, उससे बिजली की रेट भी बढ़ेगी। मेरे पूर्व वक्ताओं ने

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

कहा कि उड़ीसा में जब इस आयोग का गठन हुआ था उसके बाद उपभोक्ताओं की संख्या कम हुई, बिजली की रेट बढ़ गयी। यहां तक कि हरियाणा में भी जब लागू किया गया तो हरियाणा के मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। मैं नहीं चाहता कि राजस्थान में आप जैसा बढ़िया मंत्री इस तरह इस्तीफा दे दे। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, अब भी अवसर है, अब भी आप आत्म विश्लेषण करें बैठे-बैठे, अभी घण्टे भर का समय और है। उसके बाद आप लोगों के सामने इस बात का निर्णय कर दें कि मैं इसको वापस लेता हूं तो मुझे लगेगा कि राजस्थान की जनता के साथ आपने बहुत बड़ा न्याय किया हैं। यह बात सही है कि विद्युत मण्डल की कई परिसम्पत्तियां हैं, आज 40–50 हजार करोड़ रुपये की सम्पत्तियां हैं उसके बारे में आपने इस काले कानून में कहीं जिक्र नहीं किया है। मैं समझता हूं कि उसका ब्याज भी अगर ये कम्पनियां आपको दे देती हैं तो हमारे लिये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।

इस अवसर पर मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से आप विचार करेंगे कि यह काला कानून राजस्थान की जनता के साथ, राजस्थान के किसानों के साथ, राजस्थान के मजदूरों के साथ बहुत बड़े अत्याचार के रूप में साबित होगा। सभापति महोदय, मैं इस कानून का विरोध करता हूं और कांग्रेस के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि अगर आपने इसका विरोध नहीं किया तो यह राजस्थान की जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। मैं इस काले कानून को आपके सामने फाड़ कर अपना विरोध प्रकट करता हूं। मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता के साथ आपने अन्याय किया है इसलिये मेरी तरफ से बहुत बड़ा विरोध हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप इसे फाड़कर मेरी तरफ क्यों फेंक रहे हैं, इसे फाड़कर तो ऊर्जा मंत्रीजी पर फेंके।

श्री सभापति : माननीय श्री अमीन खान।

श्री अमीन खान (शिव) : माननीय सभापति महोदय, यह जो बिजली के क्षेत्र में नया सुधार कानून लाया जा रहा है, इससे सदन के सभी पक्षों के माननीय सदस्यों को और आम लोगों को एक भ्रांति फैल रही है। इस कानून के पास होने से यह हो जाएगा कि राज्य सरकार के हाथ में कोई शक्ति नहीं रहेगी और तीन कम्पनियां अलग-अलग बनाकर उनके हाथ में शक्ति दे देंगे। भविष्य में आर एस.ई.बी. की स्कीम के तहत जिस तरह से गांवों को जोड़ने के सालाना लक्ष्य रखते हैं, हमें संदेह है कि वे बन्द हो जाएंगे। अपने मनमाने ढंग से एक कामर्शियल रूप से बिजनस करने के लिये जो कम्पनियां आएंगी राज्य सरकार कोई भी बनेगी, उसकी बुराई और भलाई से तो इनका लेना-देना नहीं रहेगा। इनका तो लेना-देना यह रहेगा कि हमारा बिजनस मुनाफे में कितना जाएगा। उससे चलाते-चलाते आम गरीब उपभोक्ता, किसान को कनेक्शन नहीं मिलेगा और पूर्व के कनेक्शन लेने वालों को कनेक्शन विथड्रा करने की नौबत आ जाएगी। सभी माननीय सदस्यों के खयालात सुनते हुए मेरा यह प्रस्ताव है कि इस विधेयक में जल्दबाजी न करें, कोई

(श्री ग्रमीन खान)

ग्रासमान नहीं फटेगा । ग्रगर यह बहुत ग्रच्छा है तो इसके लिये सदन की एक कमेटी बनाई जाए, उसमें सभी दलों के माननीय सदस्यों की राय जानने के बाद जनहित में हो तो बाद में भी यह पास किया जा सकता है । लेकिन फिलहाल जल्दबाजी में इसको पास नहीं किया जाए, एक कमेटी के सुपुर्द किया जाए, यही मेरी राय है ।

श्री समापति : माननीय श्री केसाराम चौधरी ।

मोहम्मद माहिर ग्राजाद : माननीय समापति महोदय, पक्ष ग्रौर विपक्ष की बात सुनने में थोड़ा बैलेंस होकर मजा ग्राता है। कोई एक-ग्राध इस बिल के पक्ष में बोलने वाला हो तो जरा उसको भी बुलवाग्रो ना एक बार । कोई नहीं है ना ।

श्री महेश जोशी : इसमें पक्ष ग्रौर विपक्ष की बात ही कहां से ग्रायी ? ये तो संशोधन देने वाले लोग बोल रहे हैं ।

मोहम्मद माहिर ग्राजाद : फिर बाद में ग्राप समर्थन में बोलेंगे ? ग्रापका तो गांव से कोई मतलब ही नहीं हैं ।

श्री केसाराम चौधरी (खारची) : समापति महोदय, मैं ग्रापके माध्यम से विद्युत मंत्रीजी का ध्यान राजस्थान पावर सैक्टर सुधार विधेयक की तरफ आकर्षित करना चाह रहा हूं । (व्यवधान)

श्री समापति : इसमें पक्ष ग्रौर विपक्ष नहीं है, इसमें सदन के माननीय सदस्य ग्रपनी-ग्रपनी राय व्यक्त कर रहे हैं ।

मोहम्मद माहिर ग्राजाद : समापति महोदय, एक भी समर्थन नहीं कर रहा है ।

श्री समापति : समर्थन, असमर्थन करने की बात नहीं है, ग्रपनी बात कह रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्या सदन में एक भी ऐसा व्यक्ति है जो इसके पक्ष में ग्रपनी बात कह रहा है ? (व्यवधान)

(15.00 बजे)

श्री केसाराम चौधरी : माननीय समापति महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि जब कांग्रेस सत्ता में ग्रायी तब इन्होंने जनता से वायदा किया था कि हम जनता को सस्ती बिजली देंगे, किसानों का फायदा करेंगे । मगर जब से कांग्रेस सत्ता में ग्रायी है सत्ता में आते ही पहली बार गाज गिरी बिजली की किसानों के ऊपर । पहले जो नर्सरी के कनेक्शन दिये जाते थे उसमें पांच हजार रुपये फाइल के साथ जमा होते थे । 1250 रुपये ट्रांसफार्मर इंस्टालेशन के लिए लेते थे, वे बिलों में बांट देते थे । किन्तु इस सरकार ने आते ही नर्सरी कनेक्शनों की राशि को बांट देना बन्द कर दिया, इस तरह से किसानों को पहली लूट शुरू कर दी । दूसरी लूट शुरू की जनरल प्रायोरिटी कनेक्शनों में । जनरल प्रायोरिटी कनेक्शन जो होते थे, उनमें 600 रुपये प्रति हार्स पावर इंस्टालेशन के लेना शुरू कर दिया । जनरल प्रायोरिटी में तीन पोल तक 1500 रुपये प्रति पोल बी.जे पी. सरकार लेती थी, चौथे और पांचवें पोल पर 2000 रुपये लेती थी, छठे और सातवें पोल पर 2250 रुपये प्रति पोल लेती थी ग्रौर बाद में जो भी पोल लगते थे उनका 9000 रुपये प्रति

(श्री केसाराम चौधरी)

पोल साधारण प्रायोरिटी कनेक्शनों में लेती थी। मगर अब 600 रुपये प्रति हार्स पावर ट्रांसफार्मर इंस्टालेशन के नये लेने शुरू कर दिये। साथ ही 3000 रुपये पोल, 8 पोल तक कर दिये। आठ पोल के बाद जो भी पोल लगता है उसके 11000 रुपये काश्तकारों से लेने शुरू कर दिये। इस तरह से आपके राज में आते ही किसानों के ऊपर गाज गिरी और अब राजस्थान पावर सैक्टर सुधार विधेयक, 1999 लाकर किसानों का पूरा भट्ठा ही बैठाना चाहती है तो भट्ठा बैठा दे।

माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि एक किसान जो कुओं से बिजली द्वारा सिंचाई करके गेहूं पैदा करता है और दूसरा किसान जो नहरों से सिंचाई कर गेहूं पैदा करता है, दोनों की प्रोडक्शन कास्ट में कितना अन्तर है। लेकिन मार्केट में वह उसी भाव से बिकता है। नहर से पैदा किये गेहूं और उस बिजली से पैदा किये हुए गेहूं की कीमत उसको एक ही मिलती है तो, माननीय सभापति महोदय, उस सिंचाई करने वाले किसान की क्या दशा होगी? अभी जो सस्ती बिजली मिल रही है, पावर सैक्टर में जाने से, यह नया आयोग बनने के बाद में उसको सस्ती बिजली नहीं दे पाएंगे तो उसका जिन्दा रहना मुश्किल हो जाएगा।

आप सोचते हैं कि हमारे पास प्रचंड बहुमत है। माननीय मंत्री महोदय, बार-बार अपने भाषण में कहते ही रहते हैं कि विद्युत में जो घाटा हो रहा है वह किसानों को सस्ती बिजली दे रहे हैं उससे हो रहा है। सभापति महोदय, किसान के पास है क्या? किसान कमाता किसके लिए है? किसान की अगर आज की हालत देखी जाए तो वह इतना गेहूं पैदा करने के बाद भी रहने के लिए मकान नहीं बना सकता और यहां पर एक सर्विस क्लास आई.ए.एस. और आई.पी.एस. का मकान देखा जाए तो उसकी सारी जिन्दगी की कमाई, उसकी तीन पीढ़ी की कमाई के बराबर उसके मकान की कीमत होती है। सभापति महोदय, किसान के पास कुछ है ही नहीं तो भी उसकी बिजली इतनी महंगी कर देंगे? किसान जो गेहूं पैदा करता है उससे सरकार को रेवेन्यू मिलती है, सेलस टैक्स मिलता है तो फिर उसके ऊपर यह अननेसेसरी भार क्यों लादा जा रहा है? मैं तो आपसे एक ही निवेदन करना चाह रहा हूं कि अगर किसानों के भले के लिए इस कानून को रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाए हो बेहतर होगा। यह कानून किसानों के लिए काला कानून है और मैं इसको रद्दी की टोकरी में डाल रहा हूं। यह कानून हटाया जाए। यह कानून किसानों के लिए, मजदूर वर्ग के लिए, उपभोक्ताओं के लिए, साथ ही जो कर्मचारी काम करते हैं उनके लिए कतई अच्छा नहीं है। इस वितरण प्रणाली में 51 प्रतिशत शेयर तो उन कम्पनी वालों का होगा, 10 प्रतिशत शेयर सरकारी कर्मचारियों का होगा और 39 प्रतिशत शेयर राज्य सरकार का होगा, इस तरह से उन कर्मचारियों के साथ भी धोखा होगा। मैं तो जो आप बिल ला रहे हैं, उसको रद्दी की टोकरी में डालना बेहतर समझता हूं। इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री मदन दिलावर।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान के ऊर्जा मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि ...(व्यवधान)

श्री सभापति : नहीं, आप बिराजिये। आपका समय नहीं है। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : दो मिनट।

श्री सभापति : आप ठहरिये। माननीय श्री मदन दिलावर, आप बोलिये।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : माननीय सभापति महोदय, आप भी किसान के बेटे हैं, राजस्थान का ऊर्जा मंत्री भी किसान का बेटा है, किसान का बेटा होते हुए ऐसा काला कानून पास कराये, राजस्थान को खाने के लिए खूब सफेद हाथी हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : बैठिये-बैठिये।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : और एक इतना बड़ा सफेद हाथी और तैयार कर रहे हैं। राजस्थान के किसानों के हकों पर कुठाराघात करें, राजस्थान के किसानों के हकों को बेच दें (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिये, बिराजिये। आपका भी समय आ रहा है।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह कानून प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर पास नहीं कराएं।

श्री सभापति : बिराजिये। आप व्यवधान नहीं डालें।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : जो कानून पास करेगा, उसके पास भी कुछ नहीं रहेगा। मैं इसके विरोध में सदन से बहिर्गमन करता हूं, जाता हूं। किसानों के लिए। सभापति महोदय, आने वाली पीढ़ियां इसे भुगतेंगी और इनको पता लगेगा कि कैसे कांग्रेस पार्टी का इस कानून को पास कराने से सफाया होगा।

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा, सदस्य द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री सभापति : आज आपके काम दिखता है जल्दी जाने का ?

श्री मदन दिलावर। बोलिये-बोलिये।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय सभापति महोदय, यह जो पावर सैक्टर सुधार बिल ला रहे हैं, यह बिल इस राजस्थान की जनता को गुलाम बनाने वाला बिल है। इस देश के अन्दर ईस्ट इंडिया कम्पनी भी आयी थी और ईस्ट इंडिया कम्पनी ने धीरे-धीरे देश को गुलाम बना लिया था। (व्यवधान)

श्री सभापति : वह तो अंग्रेजों की थी। अंग्रेज थे, उसमें विदेशी थे। यह तो आपके देश की ही बनेगी। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : उस गुलामी से स्वतंत्रता पाने के लिए कितने लोगों को बलिदान देना पड़ा था, यह आप लोगों को पता है क्योंकि आप उस पीढ़ी के लोग हैं। कितने लोगों को फांसी के तख्ते पर झूलना पड़ा था, कितने लोगों का लहू बहा था, कितनी बहिनें विधवा हो गयी थीं और कितनी माताएं बिना बेटों के हो गयी थीं।

(श्री मदन दिलावर)

आज वैसा ही बिल लाया जा रहा है। इस राजस्थान के किसानों को, इस राजस्थान के मजदूरों को, इस राजस्थान के कर्मचारियों, इस राजस्थान के अधिकारियों को यह+++ मैं समझता हूं कि इस राजस्थान के लिए इससे बड़ा खतरनाक समय और इससे बड़ा काला दिवस और इससे बड़ा (व्यवधान)....

श्रीमती कमला : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, कहां उनको+++ देशभर में यह नियामक कानून आ रहा है और आप इस तरह से राजनीतिक भाषण दे रहे हो। यह आपत्तिजनक है, बहुत आपत्तिजनक है, इसको एक्सपंज किया जाए। (व्यवधान)

श्री रतनाराम चौधरी : आप यह मत बोलिये। आप यह माननीय +++ के लिए रहे हैं। आपकी सरकार ने हमें बाध्य किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वाजपेयी की सरकार ने इन लोगों को बाध्य किया है। (व्यवधान)

श्री महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) **:** माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य से कहा जाए कि वे भाषा को संयम प्रदान करें। भाषा को माननीय सभापति महोदय, यह उनसे कहा जाए कि अनावश्यक रूप से किसी का नाम नहीं लें। वे सदन में मौजूद नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : (व्यवधान) मैं सोनिया गांधी जी का नाम नहीं लूंगा।

श्रीमती कमला : यह एक्सपंज किया जाए। माननीय सभापति महोदय, यह वर्जन एक्सपंज किया जाए।

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदय, आपके अलावा किसी का नाम नहीं लूंगा। (व्यवधान) यह आरोप लगाते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर आर्डर।

श्री श्रवण कुमार : माननीय सभापति महोदय, यह शब्द एक्सपंज किया जाए। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री श्रवण कुमार : माननीय सभापति महोदय, यह शब्द कार्यवाही से निकाला जाए।

श्रीमती कमला : कार्यवाही से निकाला जाए। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : माननीय सभापति महोदय, यह शब्द कार्यवाही से निकाला जाए। (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : यह बोलना जरूरी है क्या ? (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : यह शब्द कार्यवाही से निकाला जाए। (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : क्यों बोल रहे हो ? (व्यवधान)

+++शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री रमेश खींची : यह शब्द कार्यवाही से निकाला जाना उपयुक्त होगा।

श्री रतन लाल ताम्बी : क्या बोल रहे हो, सन्तुलन है कि नहीं कहीं ? क्या बोलते हो ? (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : माननीय सभापति महोदय, यह शब्द कार्यवाही से निकाला जाए। +++ यहां कहां जिक्र आ गया जब पूरे हिन्दुस्तान में यह कानून बना है तो +++ जिक्र क्यों आया यहां पर ? (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय दिलावर साहब, आपने भाषण के अन्दर उन व्यक्तियों का जिक्र नहीं करें रैफरेंस नहीं दें जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं।

श्री रमेश खींची : कह रहे कि +++ काला कानून बन रहा है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : अब नहीं करूंगा। (व्यवधान)

श्री रमेश खींची : इसको वापस लो। सभापति महोदय, ये गांधी जी के लिए अपशब्द बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : सभापति महोदय, जो इन्होंने कहा है इसको एक्सपंज कराया जाए। बी.जे पी. की सरकार ने यह काला कानून बनाने में (व्यवधान)

श्री रमेश खींची : माननीय सभापति महोदय, इसको कार्यवाही से निकाला जाए।

श्री श्रवण कुमार : जब महाराष्ट्र में यह कानून बना तो +++ (व्यवधान)

श्री महेश जोशी : सभापति महोदय, इसको कार्यवाही से निकाला जाए।

श्री रमेश खींची : ये अपशब्द बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप ऐसी बात नहीं कहे जो तथ्यात्मक नहीं हो। इसको एक्सपंज कर दिया जाए। (व्यवधान)

श्री रमेश खींची : माननीय सभापति महोदय, जो इन्होंने शब्द यूज किये हैं, इनको कार्यवाही से निकाला जाए। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय, यह कानून राजस्थान सरकार लायी है और सरकार के प्रतिनिधि बैठे हैं, सरकार बैठी है, आप कहां बीच में तीसरा नाम ला रहे हैं ? इसको कार्यवाही से हटा दिया जाए।

श्री मदन दिलावर : सभापति महोदय, यह बिल किसानों के लिए और अधिकारियों के लिए ...(व्यवधान)

श्री रतनाराम चौधरी : यह मंत्री बनाये गये थे, क्या बोल... (व्यवधान) ...

एक माननीय सदस्य : +++ (व्यवधान) ..

श्री सभापति : रतनाराम जी, बैठिये आप। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : सभापति महोदय, किसानों को इससे कितना नुकसान

+++अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री मदन दिलावर)

होगा ? जो आज पांच हजार रुपये का बिल चुकाता है साल में, उसको बीस हजार रुपये का बिल चुकाना पड़ेगा। अगर एक छोटा-सा काश्तकार 20 हजार रुपये का बिल चुकाएगा तो उसका हाल क्या होगा ? क्योंकि उतना प्रोडक्शन उसमें होता नहीं है, उसकी आमदनी उतनी नहीं है। 20 हजार रुपये का बिल उसको चुकाना पड़ेगा तो लगता है कि साल दो साल बाद उस जमीन को बेचकर, अपना घर छोड़कर कहीं शहर में मज़दूरी करने के लिए निकलेगा। जहां उसके बच्चों का पेट भी ठीक तरह से नहीं भर पाएगा। और राष्ट्रीय उत्पादन में कितनी हानि होगी ? श्रीमन्, राष्ट्रीय उत्पादन बहुत कम हो जाएगा। जब मन से वह किसान काम नहीं करेगा तो एक दिन ऐसी स्थिति हो जाएगी कि खाद्यान्न के लिये हमें दूसरे देशों का मुंह देखना पड़ेगा, हम समर्थ नहीं रहेंगे। इसलिए कि हम बिजली का पैसा इतना ले रहे हैं कि काश्तकार को आमदनी से ज्यादा नुकसान होता है। जब नुकसान होगा तो वह किसान छोड़कर चला जाएगा। जब किसान छोड़कर चला जाएगा तो खेत वीरान पड़े रहेंगे और जब खेत वीरान पड़े रहेंगे तो राष्ट्रीय प्रोडक्शन नहीं होगा। राष्ट्रीय प्रोडक्शन नहीं होगा तो आप और हम भूखों मरेंगे और दूसरों की तरफ देखेंगे। इस चीज को बचाना चाहिये और इतना बड़ा नुकसान नहीं करना चाहिये। उद्योगों पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, श्रीमन्, क्योंकि खेती पर आधारित उद्योग बहुत सारे हैं और उन उद्योगोंके कारण बहुत सारे मजदूरों को मजदूरी मिलती है। अनाज पैदा नहीं होगा तो खेती के आधार पर जो उद्योग चल रहे हैं, वे बंद हो जाएंगे। बंद होंगे तो लाखों मजदूर सड़कों पर आएंगे, लूटपाट होगी और राजस्थान की स्थिति बिहार जैसी हो जाएगी। इससे निपटने के लिये हमें कोई न कोई उपाय करना चाहिये।

कर्मचारियों की रक्षा के लिये इसमें कुछ नहीं कहा गया। बंधुआ मजदूरों की तरह उनको आयोग के नीचे धकेला जा रहा है और कह दिया कि आयोग यहां के कर्मचारियों और अधिकारियों का फैसला करेगा। बंधुआ मजदूरों को जिस तरह कान पकड़ कर, जिस दिन चाहे निकाल दें। बंधुआ मजदूर की तरह उससे काम लेगा और यदि उसकी कोई शिकायत करेगा तो शिकायत को सुनने वाला नहीं क्योंकि इस विधेयक में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए स्थिति बड़ी खराब हो जाएगी। सरकार यह न सोचे कि आयोग सफलतापूर्वक काम कर लेगा। आयोग सफलतापूर्वक काम नहीं कर पाएगा। इसलिए नहीं कर पायेगा कि राजस्थान की जनता के पास जब बिजली का पैसा वसूल करने जाएंगे और जब काश्तकार के पास पैसे नहीं होंगे तो काश्तकार, मज़दूर, कर्मचारी के इकट्ठे होने के बाद आयोग में जो अधिकारी आर्डर्स दे रहे हैं उनके साथ क्या होगा, वह आप जानते हैं। इस राजस्थान में उपद्रव होगा। उपद्रव होगा तो इस राजस्थान की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। शांति व्यवस्था बिगड़ जाएगी और फिर कोई भी आदमी उसको सम्हाल नहीं पाएगा। ऐसा नहीं हो जाए कि राजस्थान

(श्री मदन दिलावर)

पूरी तरह से गुलाम हो जाए और इस गुलामी का टीका हमारे चन्द्रभान जी पर मढ़ा जाए। वैसे ये तो केवल उस तरह से काम कर रहे हैं, श्रीमन्, जैसे मैं इस माइक पर बोल रहा हूं, +++ तो पीछे से तो वर्ल्ड बैंक बुला रहा है इनको और मुख्य मंत्रीजी इनको धक्का दे रहे हैं और+++हमारे विद्युत मंत्री बोल रहे हैं। पर यह नहीं समझना चाहिये कि +++ माइक पर बोलने वाले और हैं,+++ केवल उस आवाज का विस्तार करके आगे बढ़ा रहा है। यह विस्तार करने वाले +++ थोड़ा समझो। नहीं तो ऐसा होगा कि लोगों में आक्रोश होगा, उस माइक के बजाय +++ तोड़ देंगे। फिर स्थिति बहुत गड़बड़ हो जाएगी। श्रीमन्, इसलिए हमको बहुत सोच-समझकर काम करने की आवश्यकता है।

मेरी अपील है यहां जितने माननीय सदस्य विराजमान हैं उनसे। अपील यह है कि किसी में भी यदि इस राजस्थान के प्रति प्यार बचा है, इस राजस्थान के प्रति भक्ति बची है, इस राजस्थान के निवासियों से थोड़ा प्यार है, इस मिट्टी से, रज से थोड़ा प्यार है तो थोड़ी-सी अपनी पार्टी की सीमाएं तोड़कर इस राजस्थान की सफलता के लिये, इस राजस्थान को गुलामी से बचाने के लिये एक बार आज आ जाएं मैदान में और बता दें कि हम अभी गुलाम नहीं हुए हैं। हमारा जमीर बचा हुआ है, हमारा जमीर अभी गायब नहीं हुआ है। हम गुलाम नहीं हैं इसलिए सीमाएं तोड़कर आज इस विधेयक का विरोध करें तो मैं समझता हूं निश्चित रूप से राजस्थान के हितैषी होंगे। जब इस पर मतदान होगा तो कई +++ हाथ खड़ेकर हां-हां करेंगे+++। फिर क्या होगा, श्रीमन्, कि राजस्थान गुलामी से बच जाएगा। मैं तो इनसे भी कहता हूं विद्युत मंत्री जी से, कि विद्युत मंत्री जी; +++। कह दो कि इस बिल को फाड़ता हूं, मेरे से यह बिल मत पेश करवाइये। मेरे से मत पास करवाइये मैं मेरा बलिदान दे सकता हूं लेकिन राजस्थान की जनता को गुलाम नहीं बनने दूंगा। ऐसी विद्युत मंत्री जी घोषणा करें तो इस राजस्थान के पूज्य बनेंगे। परन्तु यदि इन्होंने पास करवा लिया तो रावण की तरह मारे जाएंगे, कंस की तरह मारे जाएंगे। कोई इनका पक्ष लेने वाला आएगा नहीं और हर दशहरे के दिन जैसे रावण मारा जाता है, उसी तरह हर 25 सितम्बर को राजस्थान के विद्युत मंत्री के पुतले जलाए जाएंगे। उनको कोई रोक नहीं सकता।

श्रीमन्, भ्रष्टाचार की बातों की चर्चा तो यहां क्या करें, नहीं करनी चाहिये। ये कहते हैं राज घाटे में जा रहा है। घाटे में नहीं जाएगा तो क्या करेगा? 50 लाख का घोटाला पांच दिन पहले मीटर बक्सों की खरीद में इन मंत्री जी के मन्त्रित्वकाल में हो गया है। जो एक मीटर बॉक्स 417 रुपये में खरीदना चाहिये था, टेण्डर किये हैं इन्होंने। टेण्डर आये। वह इन्होंने 460 रुपये 60 पैसे में खरीदा। और कितने बक्से खरीदे? साढ़े 37 हजार। जो बक्सा

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री मदन दिलावर)

इनको 670 रुपये में खरीदना चाहिये था, उसको 833 रुपये में खरीदा। जिसकी सबसे कम रेट आयी थी टेण्डर में, उसकी फैक्टरी का परीक्षण कर लिया गया, बक्सों का परीक्षण कर लिया गया। सब कुछ सही पाये जाने के बावजूद भी लाखों रुपये का घोटाला करने की दृष्टि से करोड़ों का घोटाला करने की दृष्टि से इस बोर्ड को गर्त में ले जाने के लिये करोड़ों रुपये अधिकारी ने खाए होंगे। मुझे पता नहीं, मंत्री जी, आपने खाए कि नहीं खाए, लेकिन उत्तरदायित्व आपका भी है, आप तक भी आएगा, आप भी नहीं बचेंगे। आपने कार्यवाही नहीं की होगी तो साबित हो जाएगा कि आधा पैसा आपने लिया है। यह कागज मेरे पास मौजूद है, श्रीमन्, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं . (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : मदन दिलावर जी कह रहे हैं कि मंत्री जी ने खाए कि नहीं खाए। मंत्री जी ने कुछ नहीं खाया। लेकिन जो अलवर में बलात्कार काण्ड हुआ था समाज कल्याण विभाग में, उसमें इनका हाथ था क्या? डिपार्टमैंट में अगर कुछ होता तो इनका नाम आता, फिर इनका नाम भी नहीं आना चाहिये। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : श्रीमन्, मुझे नहीं कहना चाहिये इस पवित्र सदन में। मैं क्या कहूं? एक+++ की बात का जवाब मैं नहीं दे सकता। मेरे जैसा समझदार आदमी ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सभापति महोदय, ये क्या कह रहे हैं.... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : हां, माननीय सदस्य, जो मुझ पर बलात्कार का आरोप लगाते हैं, कितने बलात्कार के आरोप हैं ... (व्यवधान) वाणिज्य अधिकारी को किसने धमकाया है ?.... (व्यवधान) शराब पीकर कितनी महिलाओं की इज्जत लूटी? ....(व्यवधान) ऐसे+++सदस्य की बात का जवाब देना मेरे (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : +++(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : जानता हूं। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : यह गोपीराम गुर्जर नहीं है, इसका नाम श्रवण कुमार है।

श्री मदन दिलावर : +++ (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : ....(व्यवधान) जोश में होश नहीं खोए। जिस आदमी ने मंत्री जी के ऊपर छींटे कसे हैं कि 50 लाख का यह क्लेम लगाते है। मंत्रीजी ने एक पैसा भी नहीं खाया। अगर इनके ऊपर.... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : मैंने नहीं कि मंत्री जी ने पैसा खाया है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इन्होंने आरोप लगाया ही नहीं। (व्यवधान)

+++शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री श्रवण कुमार : ... (व्यवधान) घोटाले का नाम आता है तो+++ (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : मैंने नहीं कहा मंत्री जी ने पैसा खाया है। मैंने कहा ही नहीं, मंत्री जी ने पैसा खाया है। नहीं, नहीं कहा। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इन्होंने घोटाले का नाम लिया है। मंत्री जी का नाम नहीं लिया।

श्री मदन दिलावर : मैंने मंत्री जी पर आरोप नहीं लगाया।

श्री सभापति : मंत्री जी का नाम नहीं लिया है। घोटाला बताया है, घोटाला।

श्री मदन दिलावर : श्रीमन्, यह ऐसा कानून, निकम्मा कानून गुलाम बनाने वाला कानून है, मैं इसका विरोध करता हूं। मैं इसको फाड़ता हूं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। यह उचित नहीं है, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, इस तरह विधेयक को विधान सभा में फाड़ना उचित नहीं है। माननीय डा. के. सी. चौधरी।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : माननीय सभापति महोदय, सदस्य इस बिल को फाड़कर गये हैं, जब मंत्रि-मण्डल के अन्दर यह बिल आया था इनकी सभा में, इनके सामने ही, तो वहां कैबिनेट में फाड़ देते तो अच्छा रहता।

श्री महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : माननीय सभापति महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति : यह उचित नहीं है।

श्री दिग्विजय सिंह : आप चैक कर लो इसको, चैलेंज करता हूं मैं। कैबिनेट में फाड़ देते कि बैठे रहते....(व्यवधान)

श्री सभापति : विधेयक की प्रतियों को जिस पर अपन डिस्कशन कर रहे हैं, माननीय सदस्यों द्वारा इस तरह से फाड़ना उचित नहीं है। डा. के. सी. चौधरी। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : चैलेंज है, चैलेंज है, स्वीकृति दी थी। (व्यवधान)

श्री महेश जोशी : माननीय सभापति महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री सभापति : उनका नाम अंकित नहीं है।

श्री सांवर लाल : यहां ड्राप हो जाता तो फाड़ने की जरूरत नहीं होती।

श्री श्रवण कुमार : माननीय सभापति जी, बिल की तो बात बाद में है.... (व्यवधान) मिल गये लोग विधान सभा के अन्दर....(व्यवधान)

डा. जितेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा) : माननीय सभापति महोदय, जिस तरह से बिल फाड़कर मंत्री महोदय पर डालकर गये हैं, यह हाइली आब्जेक्शनेबल है।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री सभापति : आपने तो पाइंट ऑफ आर्डर रख दिया ।

श्री शिवनाथ सिंह : सभापति महोदय, मुझे यह निवेदन करना है ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सभापति महोदय, वास्तव में....

श्री शिवनाथ सिंह : कटारिया जी, एक सैकण्ड ।

सभापति महोदय, जिस प्रकार का कार्यवाही माननीय सदस्य ने की वह आपत्तिजनक है और उसकी भर्त्सना की जाए लेकिन इसके लिए प्रोसीजर है । मैं चाहूंगा कि हमारे चीफ व्हिप या पार्लियामैंट्री अफेयर्स मिनिस्टर इसके लिए बाकायदा प्रस्ताव लाएं और सदन उस पर विचार करे । चेयर अपनी तरफ से इसमें कुछ नहीं कर सकती । जिस प्रकार की कार्यवाही माननीय सदस्य ने की है, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी ही कम है लेकिन इसके लिए प्रोसीजर एडाप्ट किया जाए । हमारे चीफ व्हिप इसके लिए क्या करना चाहते हैं, इस प्रकार का प्रस्ताव वे लाएं । (व्यवधान)

श्री सभापति : श्री कटारिया जी ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सभापति महोदय, आज जिस विषय पर चर्चा हो रही है वह वास्तव में मन को बहुत ही पीड़ा दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं । आक्रोश भी है, लेकिन सीमा से बाहर निकल कर माननीय सदस्य ने जो व्यवहार किया उसके लिए मैं अपने दल की तरफ से खेद प्रकट करता हूं ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : नहीं, वे स्वयं । (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अब अगर आप फांसी चढ़ाना चाहो तो चढ़ा दो । (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : सभापति महोदय, डिप्टी लीडर महोदय को उस वक्त रोकना चाहिए था । उस वक्त रोकते ।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : माननीय सदस्य उप नेता से बड़े थोड़े ही हैं ।

एक माननीय सदस्य : विपक्ष के माननीय सदस्यों की तरफ से आचरण के प्रति लगातार इस तरह की गम्भीर शिकायतें आ रही हैं । (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : हमारी पूरी पार्टी ने क्षमा मांग ली । (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : सभापति महोदय, यह जो आचरण किया है इन्होंने, बहुत ही गलत है । यह खाली मंत्री के साथ आचरण नहीं है, पूरे सदन के साथ आचरण किया गया है । (व्यवधान)

श्री सभापति : रामस्वरूप जी ।

श्री रामस्वरूप : हां । इस प्रकार का आचरण जो इस समय हो रहा है, आप आंखों से देख रहे हो । आज आप इनके खिलाफ कार्यवाही नहीं करोगे तो यह बढ़ते हुआ चला जाएगा ।

श्री सभापति : रामस्वरूप जी, बिराजिए ।

श्री रामस्वरूप : +++ हम भी सहन नहीं करेंगे। +++ थोड़ी देर पहले ही।

श्री सभापति : बिराजिये, बिराजिये आप।

श्री रामस्वरूप : +++ दंडित करो आप।

श्री सभापति : आप बिराजिये।

श्री रामस्वरूप : +++

श्री सभापति : विधि मंत्री महोदय कुछ बोल रहे हैं, सुनिये शांतिपूर्वक। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जिस प्रकार से....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय दिलावर जी ने जैसा सदन में व्यवहार किया है, उनको आज की कार्यवाही समाप्त हो तब तक के लिए सदन से बहिष्कार कर दें।

श्री सभापति : निष्काषित।

श्री खेतसिंह राठौड़ : निष्कासित कर दें।

श्री रतनाराम चौधरी : निष्कासित तो वह सदन से बाहर निकल गया, इसकी भर्त्सना की जाए।

श्री रामस्वरूप : हम इसका समर्थन करते हैं। जो इस प्रकार का आचरण करता है, हिन्दुस्तान के नेता के साथ ऐसा नाम लेता है, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही की जाए। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हम सब लोग भी निकल जाएं अगर आप यही चाहते हो तो।

श्री हीरासिंह चौहान : महामहिम राज्यपाल महोदय को भी आने-जाने में रोक-टोक की है, कई ऐसे मौके आते हैं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : इन्होंने विद्युत मंत्री जी को क्या समझ लिया ? हम सब उनके साथ हैं। ऐसे व्यवहार करने वालों को हम सबक सिखा सकते हैं।

श्री सांवर लाल : सभापति महोदय, डा. चन्द्रभान ने भी गवर्नर के हाथ से.... (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिये। एक-एक बोलें आप। भारतीय जनता पार्टी के उप नेता महोदय। और सब बैठिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सभापति महोदय, हमने जो प्रस्ताव रखा है उस पर मेहरबानी करके वोट लीजिये और उनको निष्कासित कीजिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया ; अगर आप इतनी हठधर्मी पर अड़े हुए हो कि उनको निकालने से आप का मन संतुष्ट होता है तो हम सब निकल जाएं ?

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : निकालने की बात नहीं है पर धामा ही कर दिया आप लोगों ने तो, रोज-रोज नये-नये +++ माफी मंगाएं उन से। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप तो सेक्रेटिएट में +++ (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : आप जरा मेरी भी सुन लें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सैक्रेटेरिएट स्कैंडल करें। (व्यवधान) और यहां नियमों की बात कर रहे हैं (व्यवधान)

श्री हरिसिंह : कटारियाजी, मेरा निवेदन सुन लें आप कृपया।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सचिवालय में जा कर +++ वहां गमले तोड़ दिये जाएं....(व्यवधान)

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : किसने क्या किया है, यह तो सब अच्छी तरह जानते हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप सचिवालय में जाकर +++ करें (व्यवधान)....

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : +++।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यहां आकर नियमों की बात करते हो।

श्री रामस्वरूप : माननीय सचेतक महोदयजी, निंदा प्रस्ताव पास कराया जाए उनके खिलाफ।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : निंदा प्रस्ताव पास नहीं हो सकता। शासन सचिवालय में (व्यवधान)

श्री सभापति : श्री रामस्वरूपजी।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : +++ आपके लिए जो खड़े हो कर बोलने गये। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : +++ (व्यवधान)

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : +++ इतना ही शौक है तो आपको।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, जो प्रस्ताव रखा है उसको पास किया जाए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सभापति महोदय, शासन सचिवालय में +++ नियमों को तोड़ने वाले लोग, गमले तोड़ने वाले लोग, +++ यहां नियमों की बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : +++

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++

श्री रामस्वरूप : आज एक महिला के लिए इस तरह बात कर रहे हो। आपको +++ इनके लिए आप ऐसी बातें कर रहे हो।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : आपने कितना किया, यह सब जानते हैं।

+++अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री रामस्वरूप : आपकी बहन है वो। आप अपनी बहन के लिए ऐसी बातें करते हो। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : +++ आप, तो अच्छा लगेगा। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++

श्रीमती कमला : सभापति महोदय, सदन की राय लीजिये प्रस्ताव पर।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : माफी मंगवाइये उन से। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++

श्रीमती कमला : सभापति महोदय, प्रस्ताव पर सदन की राय लीजिये। आपके सामने प्रस्ताव आया हुआ है, उस पर सदन की राय लीजिये।

श्री सभापति : माननीय सभासदों, अभी अलवर जिले से आने वाले माननीय सदस्य श्री ज्ञानदेव आहूजाजी अपने कथन में कह रहे थे कि माननीय सदस्य जो +++ यह इस तरह के शब्द विधान सभा के प्रांगण में और माननीय सदस्यों के बारे में....

श्री रामस्वरूप : सारा सदन दुःखी है इस मामले से। एक महिला के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं, इससे बड़ी बात और क्या होगी ? एक महिला के आचरण की बात कर रहे हैं।

श्री सभापति : श्री रामस्वरूप जी, सुनिये आप।

विधान सभा के अन्दर सब काम परम्परा से, मर्यादा के साथ और शालीनता से होते हैं। माननीय सदस्य ने जो अपने शब्द प्रकट किये हैं वे अपने शब्द या तो वापस ले लें अन्यथा मैं कार्यवाही से उन शब्दों को हटाता हूं। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : सभापति महोदय, मैं बोल रहा हूं।

श्री सांवर लाल : ये शब्द असंसदीय नहीं हैं।

श्री सभापति : श्री आहूजा जी द्वारा कहे गये शब्द +++ के, जो हटा दिये जाएं।

श्री रामप्रताप : मैं बोल रहा हूं। मेरे को कहा है, मैं बोल रहा हूं।

सभापति महोदय, यह राजस्थान का सर्वोच्च सदन है, इसकी कुछ परम्पराएं हैं और परम्पराएं जो नये लोग हाउस में आते हैं, हमारे बुजुर्गों से सीखते हैं। लगातार हम जिस तरह से माहौल देख रहे हैं यह अच्छी बात नहीं है।

एक माननीय सदस्य : इस माहौल को खराब कौन कर रहा है ?

श्री रामप्रताप : मेरी बात तो सुनो। माननीय सभापति महोदय, लगातार जिस तरीके से माहौल बनता जा रहा है इस तरीके से तो कोई बहस हो नहीं सकती।

+++अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री रामप्रताप)

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं मैं इनका बहुत मान सम्मान करता हूं। आज से तीन-चार रोज पूर्व आपने अंगूठा दिखाया था। मैं आपसे नम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि ये 80 साल के करीब पहुंच गये, ये अंगूठा दिखा रहे थे....

श्री सभापति : 80 साल। यह क्या स्पष्टीकरण हो रहा है।

श्री रामप्रताप : मेरा जैसा आदमी, इनके जैसे कुछ और चीज दिखाने लग जाए तो हम तो इनको फॉलो करेंगे। इस तरीके से अगर बिहेव करते हैं तो सारे ही इसी तरीके से करते जाएंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जो वरिष्ठ सदस्य हैं कम से कम वे रेस्ट्रेन करके सही व्यवहार करें ताकि पीछे हम भी कुछ सीख सकें। बार-बार इस तरीके का व्यवहार। (व्यवधान) आपने अंगूठा दिखाया, मैंने जूता दिखाया या किसी ने कुछ और दिखा दिया, इस तरह का व्यवधान कैसे चलेगा ?

श्री दिग्विजय सिंह : डा. रामप्रताप जी साहब, आप इतना आदेश दे रहे हैं आप अपने माननीय सदस्य को तो समझाओ। (व्यवधान) आप कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। (व्यवधान) आप उन्हें समझाओ (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : सभापति महोदय, आपने कहा कि अलवर से आने वाले माननीय सदस्य। माननीय सदस्य अलवर से नहीं आते। यह रिकार्ड पर आ गया है "अलवर से आने वाले माननीय सदस्य" ये आते हैं रामगढ़ से।

श्री सभापति : मैंने अलवर जिले का सदस्य बोला है।

श्री जगमाल सिंह यादव : चूंकि आपने अलवर का नाम लिया है। पार्टी के लीडर ने तो माफी नहीं मांगी। अलवर का नाम बदनाम न हो, इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। खेद व्यक्त करता हूं। (व्यवधान)

श्रीमती कमला बृजलाल (सपोटरा) : सभापति महोदय, हमारे मंत्री का अंगूठा दिख गया है इनको और इनके एक विधायक ....(व्यवधान) इन्होंने चप्पल नहीं दिखायी इनको ?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ये पहले से बदनाम हैं वे क्या बदनाम होंगे साहब ? यह बताइये ?

श्रीमती कमला बृजलाल : क्या बोल रहे हो आप ? चप्पल दिखायी तब आपको चप्पल नहीं दिखी ? माननीय सदस्य, आपने चप्पल दिखायी तब हमारे मंत्रीजी ने अंगूठा दिखाया। (व्यवधान)

श्री रमेश खींची : माननीय सभापति महोदय, जो माननीय सदस्य हैं इन्होंने जो शब्द यूज किया है बिलकुल गलत यूज किये हैं। निन्दा प्रस्ताव पारित किया जाए। (व्यवधान)

श्रीमती कमला बृजलाल : आज आप मंत्रीजी के ऊपर पेपर फेंक कर जा रहे हैं। यह सभ्यता है आपकी। (व्यवधान)

श्री रमेश खींची : यह कौनसा तरीका है ? आप किस महिला के लिए क्या कह रहे हैं ? यह कोई तरीका है आपका ?

श्रीमती कमला बृजलाल : +++ (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : किसी महिला के लिए नहीं कहा । कभी नहीं कहा । महिला सम्मान के लायक है । (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : वह भी आपकी बहिन हैं । +++ आने की बात है ।

श्रीमती कमला बृजलाल : +++

श्री ज्ञानदेव आहूजा : नहीं कहा महिला के लिए ।

एक माननीय सदस्य : महिला के लिए कैसे कह दिया आपने ? (व्यवधान)

(15.32 बजे)

(श्री देवेन्द्रसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री रामस्वरूप : आप एक महिला के लिए अपशब्द कह रहे हैं इससे बुरी बात और क्या होगी ?

श्रीमती कमला बृजलाल : मैंने यह कहा कि आपके माननीय विधायक ने जो चप्पल दिखायी वह नहीं दिखी आपको । मैंने तो यह बोला है आपको । हमारे मंत्री जी ने अंगूठा दिखाया वह दिख रहा है और आपके माननीय सदस्य ने चप्पल दिखायी वह नहीं दिखी । चप्पल इज्जत थी ?

श्री रामप्रताप : यही मैं कह रहा हूं । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर ।

श्रीमती कमला बृजलाल : आप पेपर फेंक रहे हैं, यह सभ्यता है आप लोगों की? (व्यवधान)

श्रीमती कमला (सिंचाई मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है उस पर वोटिंग करवायी जाए ।

श्रीमती कमला बृजलाल : +++ (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्रीमती कमला : प्रस्ताव पर राय लीजिए सदन की ।

श्री उपाध्यक्ष : जो कुछ हुआ है दुर्भाग्य पूर्ण है । विपक्ष के माननीय उप नेता महोदय ने क्षमा मांगी है, इसके बाद माननीय सदस्य जिसके खिलाफ प्रस्ताव लाये हैं वे अभी मौजूद नहीं हैं । वे हाउस में आएं उस समय आप यह प्रस्ताव लाएं । वे हाउस में नहीं आएंगे तो आटोमेटिकली निष्कासित....(व्यवधान) अगर वे हाउस में आएंगे....

श्रीमती कमला : उठ कर चला गया तो निष्कासित हो जाएगा । वे स्वयं क्यों नहीं माफी मांगना चाहते । स्वयं माफी मांगें तो सदन को कोई एतराज नहीं है । स्वयं ने माफी नहीं मांगी इसलिए प्रस्ताव लाये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजे । माफी जब मांगेंगे तब वे हाउस में आएंगे । हाउस में आएंगे, उनसे कहा जाएगा कि आप माफी मांगें । वे नहीं मांगेंगे तो आपके प्रस्ताव पर वोट करा लेंगे ।

+++ अभिव्यक्ति/शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इन्होंने "निष्कासित" शब्द कहा है । उन्होंने तो बहिष्कार कहा था ।

श्रीमती कमला : नहीं आएं तो भी निष्कासित होने के प्रस्ताव पर राय तो लीजिये । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : क्या ? हाउस में ही नहीं हैं तो क्या करें ? किसका निष्कासन करें ? (व्यवधान) आर्डर प्लीज ।

मोहम्मद माहिर आजाद : इन्होंने तो निलम्बन या निष्कासन कहा ही नहीं है । इन्होंने तो बहिष्कार कहा है । बहिष्कार वे कर गये । जब इन्होंने खेद व्यक्त कर दिया तो फिर उसकी क्या कीमत रही । आप दो-दो सजा दे रहे हैं, इसका क्या मतलब है ? जब दल के उप नेता ने खुद ने खेद व्यक्त कर लिया, अब बात खतम हो गयी ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर । आपका ओरिजिनल प्रस्ताव यह था कि दिलावरजी माफी मांगें ।

श्री शिवनाथ सिंह : नहीं, नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष : हां, यही प्रस्ताव था । बिलकुल यही था प्रस्ताव । आपका ओरिजिनल प्रस्ताव यह है कि दिलावरजी माफी मांगें ।

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : और उन्होंने नहीं मांगी ।

श्री उपाध्यक्ष : यही तो कह रहा हूं । आपका ओरिजिनल प्रस्ताव यह था कि दिलावरजी माफी मांगें ।

श्री शिवनाथ सिंह : उपाध्यक्षजी, एक सैकण्ड ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, एक मिनट आप सुन लीजिये । आपका ओरिजिनल प्रस्ताव यह था कि दिलावरजी माफी मांगें । यही था । पूछो न चीफ व्हिपजी से । (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : वह रिकार्ड में नहीं है । (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : निष्कासन का तो है । मैं आपसे अर्ज करूं, आप चेयर पर थे नहीं । जब मामला चला तो यह मांग की गयी कि आसन इस पर कार्यवाही करे । मैंने यह निवेदन किया था कि आसन अपने आप में कोई कार्यवाही नहीं कर सकता, हमारे संसदीय कार्य मंत्री या चीफ व्हिप साहब मोशन मूव करें । इस पर हमारे संसदीय कार्य मंत्रीजी ने मोशन मूव कर दिया, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मोशन बहिष्कार का मूव किया था । (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : नहीं, ऐसा नहीं है । (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : (व्यवधान) माननीय मुख्य सचेतक महोदय ने यह कहा था कि वे माफी मांग लें । पहले चीफ व्हिप साहब ने मूव किया था, उसके बाद संसदीय कार्य मंत्रीजी बोले थे ।

श्री शिवनाथ सिंह : मुझे अपनी बात कहने दें । माननीय उपाध्यक्षजी, अभी आपने फर्माया कि जब वे सदन छोड़कर चले गये तो निष्कासन क्या बात । माननीय उपाध्यक्ष

(श्री शिवनाथ सिंह)

जी, बहुत बड़ा फर्क है। निष्कासन अलग बात है।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने यह नहीं कहा. आप समझे नहीं। मैंने यह कहा है कि ओरिजिनल प्रस्ताव चीफ व्हिप महोदय का यह है कि दिलावर जी माफी मांगें। दिलावरजी सदन में नहीं हैं उस स्थिति में दल के उप नेता ने उनके विहाफ पर माफी मांगी। (व्यवधान) आर्डर। संसदीय कार्य मंत्रीजी ने उसको स्वीकार नहीं किया। नहीं किया और वे एक प्रस्ताव" लाये कि यह सदन उठे तब तक के लिए निष्कासित किया जाए। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : बहिष्कार बोला है। हम सबने सुना है।

श्री उपाध्यक्ष : आपने सुना, मैंने भी सुना है। उन्होंने बहिष्कार कहा। उसको वापस करेक्ट किया और निष्कासित कहा है। मैंने भी सुना है।

श्री शिवनाथ सिंह : इस वक्त प्रस्ताव निष्कासन का है।

श्री उपाध्यक्ष : इन्होंने अपने आपको करेक्ट करके यह कहा है कि निष्कासित किया जाए। आन रिकार्ड है इसलिए मैंने सुनी है पूरी बात। यहां नहीं था इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने नहीं सुना। (व्यवधान) नहीं, निर्णय तो ये करेंगे, मैं थोड़े ही करूंगा। मैं तो यह पूछ रहा हूं। (व्यवधान) व्यवस्था नहीं दी मैंने। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, आपने अपने श्रीमुख से फर्मा दी। वह व्यवस्था हो गयी। रूल्स में यही है।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज विराजें। नहीं-नहीं। There are two options before the House, जिसके लिए मैं पूछ रहा हूं। एक तो आप्शन यह है कि आप जो प्रस्ताव लाये हैं उस पर वोट किया जाए। दूसरा यह है कि माननीय सदस्य जिनसे आप माफी मंगवाना चाहते हैं, वे हाउस में मौजूद नहीं हैं....

श्रीमती कमला : आ सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अगर आ जाएं तो माफी मंगवा लेंगे। नहीं मांगेंगे तो निष्कासित का प्रस्ताव आ जाएगा। हाउस में ही नहीं हैं तो निष्कासित किसको करें?

श्रीमती कमला : नहीं तो. करेंगे कब? या तो अभी आकर माफी मांग लें या निष्कासन के प्रस्ताव पर राय ली जाए। आते हैं तो ठीक है नहीं तो प्रस्ताव पास होता है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं आते हैं तो आटोमेटिकली बाहर हैं। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, आटोमेटिकली का प्रश्न नहीं है। यह तो हाउस आज तक ही चल रहा है। मान लीजिए अगर यह हफ्ते भर और चलता है और ऐसी परम्परा आप डाल देंगे तो किसी भी वक्त आकर मिनिस्टर की तौहीन करके चला जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : आपके प्रस्ताव पर वोट करवा दें?

श्री खेतसिंह राठौड़ : हां। मैंने प्रस्ताव मूव किया है आप उसको वोट पर लीजिये और उसको पास करवाइये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन की परम्पराएं हैं। सदन की परम्पराओं के बारे में राजस्थान के बाहर सब लोगों की मान्यता है कि राजस्थान में सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में सदन चलता है। मैं समझता हूं कि आज अन्तिम दिन है और जिस तरह का बिल हमारे विचारार्थ है, उत्तेजना आना स्वाभाविक है। उसके पश्चात् भी प्रतिपक्ष के उप नेता महोदय ने क्षमा याचना करली तो आज मैं सत्तापक्ष के सम्माननीय राठौड़ साहब से, मुख्य सचेतकजी से और उप मुख्य सचेतकजी से निवेदन करना चाहता हूं ...

श्रीमती कमला : वे कितने बड़े महानुभाव हो गये जो अपराध करके भी क्षमा नहीं मांगना चाहते। उनको आप इतना बड़ा वहां संजो कर क्यों रखे हैं, बुला लीजिए, माफी मांग लेंगे। (व्यवधान)

श्री महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : राठौड़ साहब, आप यह विचार करें कि यह स्थिति आयी क्यों। आपको याद होगा ..

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय राठौड़ साहब, एक बात मैं कहना चाहता हूं। आपने परम्पराओं का उदाहरण तो दे दिया कि राजस्थान के अन्दर हाउस परम्पराओं के हिसाब से बहुत बढ़िया चलता है और आपस में सामंजस्य चलता है, लेकिन जो +++ हो उसके लिए क्या है? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़े विनम्र शब्दों में निवेदन कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि इस सदन के अन्दर उत्तेजना आज ही आयी हो। उपाध्यक्ष महोदय, इसी सदन के अन्दर इसी बिल पर जब चर्चा हो रही थी तो वहां ऊर्जा मंत्री बिराज रहे थे, उनके मुंह पर भी इसी तरह से बिल फाड़ कर उस वक्त के प्रतिपक्ष के लोगों ने फेंका था। उसके पश्चात् भी हम इस परम्परा को अच्छी परम्परा नहीं मानते हैं, हमारे दल की तरफ से उप नेता महोदय ने आपको विश्वास दिलाया है कि हम इस सदन में सर्वोच्च परम्पराओं को कायम रखना चाहते हैं। अब इसके पश्चात् आज अन्तिम दिन है और मैं समझता हूं काफी कुछ सदस्यों ने विचार व्यक्त कर दिये, उपाध्यक्ष महोदय। दो-चार-पांच आदमी बोलने वाले हैं, फिर मंत्री महोदय का जवाब आ जाएगा। इस छोटी-सी बात को लेकर पूरे हिन्दुस्तान में यह बात जाए कि राजस्थान के अन्दर छोटी-छोटी बातों में पक्ष और प्रतिपक्ष में इस तरह का टकराव हो जाता है, ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उनको यहां बुला लीजिये ना। ऐसा क्या इज्जत का सवाल है? (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, राजेन्द्र जी बैठे थे. (व्यवधान)... उनको सस्पेण्ड किया था, रोने लग गये थे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज।

+++ शब्द अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री श्रवण कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, यहां जहां राजेन्द्र जी खड़े होकर बोल रहे हैं यहीं हमारे धनखड़ जी बोले थे और (व्यवधान) ... उनको सस्पैण्ड किया था....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने यहां खड़े होकर एक–दो बार नहीं, कई बार इस तरह के उत्तेजित प्रकरणों में (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : अमराराम जी को सस्पैण्ड किया.... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने यहां खड़े होकर जब कभी भी क्षमा मांगी.... (व्यवधान) हमने उस बात को आयी गयी कर दिया। मैं निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था पहले दे दी।

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था नहीं, आब्जर्वेशन।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपके श्रीमुख से निकली हुई बात व्यवस्था है।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने व्यवस्था नहीं दी, आब्जर्वेशन है। दोनों बात हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं निवेदन करता चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, अभी बड़े गम्भीर विषय पर विचार विमर्श हो रहा है और हम इसमें पार्टीसिपेट करना चाहते हैं.... (व्यवधान) अब इसमें सवाल कहां है क्षमा मांगने का ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट में निवेदन करना चाहता हूं। हम लोग पहली दफा इस विधान सभा में आये हैं नये सदस्य बन कर, हमारी जो भावना थी, जिन भावनाओं से हम यहां आये हमने यहां ऐसा वातावरण देखा और उधर की जो उच्छृंखलता देखी, हमारे दिल को बहुत ठेस पहुंची। अगर इस उच्छृंखलता के ऊपर कोई रोक नहीं लगायी गयी तो हमारे दिल को बहुत ही गहरा सदमा पहुंचेगा। इसलिए ऐसी उच्छृंखलता के ऊपर रोक लगायी, जानी चाहिए, सख्ती की जानी चाहिए। ....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से समूचे प्रतिपक्ष और उनके उप नेता से अनुरोध करना चाह रहा हूं कि यह कोई पहली घटना नहीं है। इस विधान सभा में यह चौथी घटना है आपके पक्ष की तरफ से। एक नहीं है। आपको मैं याद दिलाऊं, बामनवास से आने वाले माननीय सदस्य ने एक कागज फाड़कर माननीय सचिव महोदय की तरफ फेंका। पूरा सत्तापक्ष उस जहर के घूंट को पी गया, किसी ने कुछ नहीं कहा। अभी परसों, जिस दिन की घटना पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री को आरोपित कर रहे हैं, उस दिन की घटना की आपको याद दिलाऊं, माननीय सिंघवीजी साहब ने वहां खड़े रहकर चप्पल खोलकर दिखायी ....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्यों असत्य वाचन कर रहे हो आप ? (व्यवधान)

श्री हरिसिंह : मैं बहुत विनम्रता के साथ अनुरोध कर रहा हूं.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय चीफ व्हिप महोदय ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्या बात कर रहे हैं आप ? आपके संसदीय मंत्री जी ने मेरे सामने अंगूठा दिखाया है । ....(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : आखिरकार नियम, कानून, कायदे, प्रक्रिया सब कुछ ताक में उठाकर इस सदन को किस सीमा तक कहां पहुंचाना हम लोग चाह रहे हैं, यह आप लोग बताइये । मैं आपको छोटी-सी घटना बता देता हूं । (व्यवधान) ....अभी ओ. टी. एस. में ट्रेनिंग चल रही थी और वहां आपस में अधिकारियों में कुछ कहा-सुनी हुई, कुछ हाट डिस्कशन्स हुए । तो वहां ट्रेनिंग देने वाले जो अधिकारी थे उन्होंने कहा, इसको विधान सभा क्यों बना रहे हो ? चप्पल–जूते तो वहां फेंका करते हैं । शर्म की बात है । यह शर्म की बात है हम सब लोगों के लिये अगर इस प्रकार का एक जनरल इम्प्रेशन बाहर जाता है । यह आज कोई पहली घटना नहीं है, लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य परसादी लाल जी के खिलाफ वही कार्यवाही उन्होंने की, हमारे माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी के साथ वही कार्यवाही की थी । मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, there is a difference between the offender and the +++ He is not an offender. आफेन्डर की बात तो हम मान लेंगे । अगर पहली बार भूल से कोई अपराध हो गया तो वह तो क्षम्य हो सकता है लेकिन वह +++ हैं । इस सदन के नियम, कानून, कायदे उनकी अवहेलना करने की एक आदत उनकी पड़ गयी है । उसके बाद भी बहुत लीनिएंट होकर, मैंने आपका मुलाहिजा करके, आपके स्थान की तरफ देख कर सिर्फ क्षमा मांगने का अनुरोध किया था । उसके बाद में भी इस सदन में मेरी बात सुनकर वे सदस्य वहां से चले गये । तब माननीय पार्लियामैंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को इस कठोर दण्ड के लिये यह प्रस्ताव पेश करना पड़ा ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप हमारे पार्लियामैंट्री अफेयर्स मिनिस्टर्स ने जो प्रस्ताव रखा है उस पर मतदान करवाएं ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पड़ रहा है, इस सदन में हम कई वर्षों से आते हैं और इस सदन में कई घटनाएं इससे पूर्व भी हुई हैं मैं एक–एक के बारे में याद दिलाना नहीं चाहता हूं । मैं उन सभी पुरानी बातों को नहीं करना चाहता हूं कि हमने कई सदस्यों ने पिछले सत्र में, पिछली विधान सभा के समय में और उससे पहले भी....

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : माननीय कटारिया जी आपको याद है एक जरा–सा अल्फाज मैंने बोला था और शेष अवधि के लिए मेरा निष्कासन किया गया था, आपने थम्पिग मैजोरिटी का दुरुपयोग किया था । दो दिन नहीं, चार दिन नहीं, कम्प्लीट तीन साल के लिए मेरा निष्कासन आपने किया था । आप हमारी हिम्मत

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्री हरिसिंह)

देखिये, उसके बाद भी हम बर्दाश्त कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बिजयेन्द्रपाल सिंह : यहां पर किताब जो रखते थे कैसे उड़ाई थी आपने, भूल गये आप। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री राधेश्याम गंगानगर : आप तो क्षमा मांगें और वह सामने देख रहा है। आप क्षमा मांग रहे हो, +++ मैं यहां नहीं कह रहा हूं, हाउस में नहीं हैं। +++(व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : वह तो गंगानगर गया। राधेश्याम जी, गंगानगर गया वो तो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्रीमती कमला : तो वह खुद क्षमा क्यों नहीं मांगना चाह रहे? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज।

श्री सांवरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, +++ क्या शब्द कह रहे हैं?.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये। आर्डर आर्डर।

श्री सांवरलाल : इस तरह के शब्द कह रहे हैं, फिर दुहाई काहे की दे रहे हैं ये?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आप बिराजिये।

श्री हरिसिंह : मैं आपकी शालीनता की दाद देता हूं। आपके उप नेता की शालीनता की मैं प्रशंसा करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर। सांवर लाल जी, बिराजें।

मैं माननीय विपक्ष के उपनेता से निवेदन करता हूं कि क्या वे माननीय सदस्य को बुलवाकर माफी मंगवाने को तैयार हैं?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : नहीं, मैंने भी जो क्षमा मांगी है वह भी वापस लेता हूं। अब आप जो कार्यवाही करना चाहें वह कर लें।

सदस्य का निष्कासन

श्री मदन दिलावर, सदस्य, का निष्कासन

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य, श्री मदन दिलावर के निष्कासन का जो प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

श्री मदन दिलावर को आज के लिए सदन से निष्कासित किया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम सबको भेज दो बाहर। इस लोकतन्त्र में क्या हो रहा है? (व्यवधान) से आप.... (व्यवधान) फांसी लगवा दो हमको।

+++अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

एक माननीय सदस्य : +++

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : आप लोगों ने हमारे साथ क्या कमी छोड़ी थी ? (व्यवधान) आपने हमारा निष्कासन किया, हमारे हाथ पैर तोड़े, क्या कमी छोड़ी थी आपने हमारे साथ ? आप भी तो ऐसा ही करते थे हमारे साथ। क्या गलती कर दी अगर हमने कर दिया तो ? खुद ऐसा करके बैठे हो पहले। आपने क्या कमी छोड़ी थी हमारे साथ ? बात बनाते हो। आज दुःख हो रहा है। आपने क्यों किया हमारे साथ ऐसा ? आपने क्या कमी छोड़ी हमारे साथ ? बाहर निकालो (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : (व्यवधान) +++ मैजोरिटी से आप प्रतिपक्ष की आवाज दबाना चाहते हो।

एक माननीय सदस्य : ये हैबोचुअल नहीं है क्या।

श्री उपाध्यक्ष : डा. के. सी. चौधरी। आप बोलिए ? (व्यवधान) आर्डर प्लीज।

श्री बिजयेन्द्रपाल सिंह : यह कौन हैं, आप बताओ। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : आप ने सदस्यों के ऊपर दबाव डालने के लिये.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री के. सी. चौधरी, आप बोलिये।

डा. के. सी. चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पावर सैक्टर सुधार विधेयक, 1999 पर ...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है, इस सदन में कई बार उत्तेजना पैदा होती है और कई बार इस सदन में इस प्रकार के माहौल बने हैं, उत्तेजना फैली है। कई बार ऐसे अवसर आये हैं। मेरी तरफ से इस दल का उप नेता होने के नाते मुझे जो कुछ भी कहना था मैंने सदन में कह दिया। लेकिन सदन की मंशा वह नहीं है और इतना बहुमत का इनको गर्व है। मैं चाहता था कि बिल पर डिस्कशन हो, पूरी बातचीत हो, हम इसमें पूरा अपना हिस्सा करें लेकिन केवल इस हठधर्मिता के आधार पर इतनी मैजोरिटी होने के कारण से इस छोटी-सी बात को इतना इन्होंने तूल दिया। मैं और मेरा दल आज इस सदन से बहिर्गमन करते हैं।

एक माननीय सदस्य : बात छोटी-सी नहीं थी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर। डा. के. सी. चौधरी।

विधेयक पर विचार

डा. के. सी. चौधरी (ब्यावर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पावर सैक्टर सुधार विधेयक, 1999 पर ....(व्यवधान)

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अमरराराम जी, अमरराराम जी। माननीय सदस्य।

डा. के. सी. चौधरी (ब्यावर) : .... (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में कई माननीय सदस्यों ने इस पावर रिफार्म बिल पर

श्री जगत सिंह दायमा : अच्छा होता बिजली के ऊपर बहिर्गमन करते बिजली के ऊपर, नियामक कानून पर करते तो अच्छे तो लगते। मदन दिलावर पर किया, बताओ, कोई बात है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री जगत सिंह दायमा : अच्छे पर कुर्बान हुए। जिसके नाम पर सब नाराज थे उसी पर कुर्बान हो गये।

डा. के सी. चौधरी : अपनी आशंकाएं राजस्थान पावर सैक्टर सुधार विधेयक, 1999 पर रखीं। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि यह सदन सक्षम है किसी भी समय इस बिल में जब भी आवश्यकता हो संशोधन लाने के लिए। यह सदन हमेशा से गरीबों और किसानों के हितों की रक्षा करता आया है और यह सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि इस बिल के मार्फत गरीबों की, किसानों की रक्षा की जाएगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से 10वीं राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त जो सोमवार, 10 मार्च, 1997 का है, उसकी चार लाइनें पढ़ना चाहूंगा। सदन में जवाब दिया गया था श्री रघुवीर सिंहजी कौशल, तत्कालीन ऊर्जा मंत्री द्वारा कि "राज्य में विद्युत की दीर्घकालीन आवश्यकता व उसके लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था के लिए ऊर्जा के क्षेत्र में वांछित सुधार के लिए राजस्थान पावर सैक्टर रिफार्म्स बिल को राज्य मंत्रिमण्डल ने स्वीकृति दे दी है।" मैं निवेदन करना चाहूंगा कि विपक्ष के सदस्य अब तक खाली असत्य ही बोल रहे थे। पावर सैक्टर रिफार्म्स का सिलसिला राजस्थान मे 1995 से चालू हुआ। 1995-96 में इसमें व्यापक सुधार हेतु कार्य योजनाओं को बनाया गया और 1997 में बिल की तैयारी की गई लेकिन चूंकि इच्छित सुदृढ़ राजनैतिक इच्छाशक्ति की विपक्ष में कमी थी, सर पर चुनाव थे लिहाजा वे राजनैतिक इच्छाशक्ति का प्रदर्शन नहीं कर पाये और बिजली क्षेत्र में जिन सुधारों की आवश्यकता थी वह नहीं कर पाये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सच्चाई है कि जब-जब भी सुधार कार्यक्रम आये हैं, शुरू में.... (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): आपकी तो इच्छा यह है कि यह बिल पास कर दो। हम प्रजातंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज। माननीय शर्मा जी।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : प्रजातंत्र में विश्वास करने वाले उठकर नहीं जाते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यूं लगता है+++

+++शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कि हमने अपना विरोध दर्ज किया और वापस आ गये तो शायद हमारी उपस्थिति सत्ता पक्ष के + + + लोगों को अच्छी नहीं लगी। हम प्रजातान्त्रिक मूल्यों में विश्वास करने वाले लोग हैं और यह गरिमा का सवाल है .. (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी + + + क्या कि दो मिनट में वापस आ गये ? .. (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। प्लीज, हाउस को चलने दीजिए ना। कन्टीन्यू प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप देखिये ना संसदीय कार्य मंत्री यूं टहल रहे हैं जैसे बाग में टहल रहे हों इन्होंने सदन की गरिमा को खंडित कर दिया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। हाउस को चलने दीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह देखिये ना, उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह टहल रहे हैं जैसे बाग में टहल रहे हों।

डा. के. सी चौधरी : माननीय राजेन्द्र सिंह जी राठौड़, दो मिनट मुझको भी सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष : हां, कन्टीन्यू प्लीज।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : हां, असली तथ्य तो सुन लो। (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : मैं पुनः निवेदन करना चाहूंगा। अभी कटारिया साहब काफी लम्बी–चौड़ी बात इस बिल पर बता चुके थे कि आपके समय ऐसा कुछ नहीं हुआ। यह कार्यवाही है 10 मार्च, 1997 दसवीं राजस्थान विधान सभा की। उसमें माननीय रघुवीर सिंहजी कौशल का वक्तव्य है कि राज्य में विद्युत की दीर्घकालीन आवश्यकता और उसके लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था के लिए ऊर्जा क्षेत्र में वांछित सुधार के लिए भी राजस्थान पावर सैक्टर रिफार्म्स बिल को राज्य मंत्रिमण्डल ने स्वीकृति दी है। यह इस कार्यवाही में है, मैं नहीं बोल रहा हूं ... (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : यह है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : विधान सभा में पेश नहीं किया।

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : मंत्रिमण्डल ने स्वीकृति दे दी। आपमें तो इच्छाशक्ति थी नहीं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : इन्होंने कानून पास करवाना .... (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : मंत्रिमण्डल ने स्वीकृति दी लेकिन पोलिटिकल विल नहीं थी आप में। ... (व्यवधान) यह आपकी भावना थी। आप ये ही बिल स्वीकार कर रहे थे। आप इधर होते तो इसको स्वीकार करते। ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यहां आने के बाद भी कई बार बिल को वापस लिया है, हमने उससे पहले ही ले लिया। (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : यहीं माननीय रघुवीर सिंहजी ने विधड़ा किया है। ...

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(डा. के. सी. चौधरी)

(व्यवधान) अच्छा दूसरा स्टेटमैंट सुनियेगा माननीय रघुवीर सिंहजी कौशल का ही। 200 मेगावाट लग रहा है उसे 8 सौ करोड़ रुपये चाहिए, 8 सौ करोड़। 4 सौ करोड़ रुपया किसी एक पार्टी के पास में नहीं है, उनको किसी फाइनेंशल इंस्टीट्यूशन में जाना पड़ेगा पैसा लेने के लिए। जब जाएंगे कि राजस्थान में आपको प्लांट लगाना है तो सबसे पहले देखेंगे कि राजस्थान बिजली बोर्ड की हालत क्या है। यह उन लोगों ने उस वक्त स्वीकार की है इसी विधान सभा में इसी सदन में .. (व्यवधान) आप माननीय भैरोंसिंह जी का स्टेटमैंट देखियेगा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : कथनी और करनी....(व्यवधान) जो किया है वह भी बोला। (व्यवधान) क्या बोला आपने, वह भी बोलिये। आप ताज्जुब करेंगे। वह भी बोलियेगा....(व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : तत्कालीन मंत्री जी का स्टेटमैंट देखियेगा। जब मैंने इंटरनेशनल बिडिंग के लिए टेण्डर इन्वाइट किये उस समय मुझे कहा गया कि इसमें देरी होगी, 263 के करीब एम. ओ. यू. किये और आज एम. ओ. यू. जिन्होंने किये उनमें इन्टरनेशनल बिडिंग राजस्थान ने किया है। मदेरणा साहब, मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिन्होंने एम. ओ. यू. किये हैं वे आज हमसे पीछे हैं और जिन्होंने इन्टरनेशनल कॉम्पीटीटिव बिडिंग किया है उसमें उस स्टेज के ऊपर हम पहुंच गये हैं कि कोई नवम्बर में फाइनल हो, कोई दिसम्बर में फाइनल हो, कोई जनवरी में फाइनल हो। कोई भी फाइनल नहीं हुआ खाली आपका फाइनल मैच हो गया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज डोंट डिस्टर्ब। हर मिनट में आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप बोलते हैं तब तो वे डिस्टर्ब नहीं करते हैं। **Let him say what he likes.** उनको बोलने दें मर्जी आये जो। **He is free to speak.** क्या बात करते हो? आप बोले जाते हो तो वे भी तो सुनते हैं। वे कुछ पढ़ ही तो रहे हैं।

डा. के. सी. चौधरी : मेरा आप लोगों से निवेदन है, मुझे यह बताएं कि पिछले 8 वर्षों में राजस्थान में बिजली का उत्पादन कितने मेगावाट किया गया आपके द्वारा? उस वक्त आपने क्या किया? ज्यादा से ज्यादा बिजली खरीदी और ज्यादा से ज्यादा बोर्ड को लास हुआ। अपना स्वयं का उत्पादन कहां किया? सैल्फ जनरेशन राजस्थान में आपके पीरियड में कभी हुआ क्या? यह एक सच्चाई है। (व्यवधान) आज जो राजस्थान का समझदार तबका है वह यह सोचने लगा है कि उसको सब्सिडाइज्ड नान अवेलेबल पावर चाहिए, या नान सब्सिडाइज्ड अवेलेबल पावर चाहिए। प्रश्न पावर अवेलेबल कराने का है। पावर सैक्टर में जितना बड़ा इन्वैस्टमैंट है वह राजस्थान की जनता से छिपा हुआ नहीं है। पावर सैक्टर में राज्य सरकार को 4 हजार से 8 हजार करोड़ रुपये चाहिए। अगर आप रिफार्म्स नहीं लाये तो प्रश्न किसी लैंडिंग का नहीं है, प्रश्न राजस्थान की जनता के भले का है कि आप ज्यादा पावर जनरेट करेंगे, एफीशिएंसी बताएंगे क्वालिटी पावर की सुधारेंगे। ये जो सारी भ्रांतियां फैलाई हुई हैं वे अब स्वतः ही खतम हो जाएंगी। सरकार तो प्रतिबद्ध है गरीब किसानों का

(डा. के. सी. चौधरी)

ध्यान रखने के लिए, मजदूरों का ध्यान रखने के लिए। मैं आपके ही उसमें बता सकता हूं, माननीय भैरोंसिंहजी का इसी में स्टेटमेंट था कि सारे इण्डस्ट्रियलिस्ट इस बात पर निगाह रखे हुए हैं राजस्थान में कि आप कौनसे साल कितनी बिजली पैदा करेंगे और वे अपनी प्लानिंग को आपके बिजली प्रोडक्शन के साथ सिंक्रोनाइज कर रहे थे। तो इण्डस्ट्रियल रिसेशन का कारण भी आपकी अपनी इनएफिशिएंसी रही। बिजली का प्रोडक्शन नहीं होना इण्डस्ट्रियल इनएफिशिएंसी का रीजन था. इण्डस्ट्रियल रिसेशन जो राजस्थान में आया उसके लिए बिजली की कमी जिम्मेदार थी। जैसा कि माननीय सदस्यों ने बताया, कई सारे राज्यों ने इसको स्वीकार किया है और रिजल्ट्स इसके अब आने हैं। They are just beginning to come. इतने एप्रिहैंशन, इतनी आशंकाएं अपन जनता को बता कर क्यों आशंकित करना चाह रहे हैं? असलियत यह है कि सुधार के साथ में लाभ ही होगा। मैं आप को सदन में एक उदाहरण देना चाहूंगा, बिड़लाजी की फैक्ट्री हिन्दुस्तान मोटर्स, इतने वर्षों तक प्रोटेक्शन दिया गया अम्बेसडर कार को। अम्बेसडर कार के मॉडल तब सुधरे जब हिन्दुस्तान में ओपन इकोनोमी चालू हुई। आज अपने को राजस्थान को पिछड़ा ही रखना है या राजस्थान को आगे लाना है? आगे लाना होगा तो ये रिफार्म्स आवश्यक हैं और इसकी असलियत राजस्थान की जनता को बतानी पड़ेगी।

(16.00 बजे)

मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि खाली पापुलरिज्म की बात अलग है। राजस्थान को मजबूती देनी हैं तो आप की इकोनोमिक एक्टिविटीज बढ़ानी होंगी और इकोनोमिक एक्टिविटीज तभी बढ़ेंगी जब आपके यहां ज्यादा पूंजी निवेश होगा। पूंजी जितनी राजस्थान में आएगी उतनी ही इकोनोमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगी और इकोनोमिक एक्टिविटीज बढ़ीं तो किसानों का फायदा होगा, मजदूर का फायदा होगा, व्यापारी का फायदा होगा, उद्योगपति का फायदा होगा। राज्य के संसाधन उतने ही बढ़ जाएंगे। ज्यादातर राज्य सरकारों की आलोचना इस बात पर हुई है कि उन्होंने एक तरफा अपनी मनमर्जी से जब भी चाहा बिजली की रेट बढ़ा दी। इस नियामक आयोग के साथ यह समस्या खतम हो जाएगी। आयोग के लिये यह अनिवार्य है कि आयोग उपभोक्ताओं को सुनेगा। उनको सुनकर, उनकी सलाह लेकर, अपनी सलाहकार समिति के साथ सलाह लेकर राज्य सरकार द्वारा दी गयी नीतियों के अन्तर्गत ही वह अपने फैसले लेगा। ये जितनी आशंकाएं बतायी गयी हैं, खाली जनता को भ्रमित करने को हैं। असलियत यह है कि आयोग सबसे सुनवाई करेगा। राज्य सरकारें तो अपनी मर्जी से बिजली की रेट बढ़ाती गयीं, जब जंची तब बढ़ा दी मगर आयोग जब बढ़ाएगा तो सबसे सुनवाई कर के बढ़ाएगा। उसमें डेफिनिटली पारदर्शिता ज्यादा होगी, लोगों का विश्वास बिजली के साथ ज्यादा बढ़ेगा।

मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा, इस विधेयक में वैसे आपने प्रोवीजन कर रखा है कर्मचारियों के हितों का, मगर इसमें जरूरी है कि हमारे आज के जो

(डा. के. सी. चौधरी)

एग्जिस्टिंग कर्मचारी हैं उनको भविष्य की चिन्ता न हो। जैसा कि बिल के प्रारूप में आपने दिया है, हैल्थी इकोनोमिक कम्पीटीशन में इन कर्मचारियों के प्रमोशन एवेन्यूज ज्यादा अच्छे होंगे। एफीशिएंट कर्मचारी जल्दी प्रमोशन ले पाएंगे। जो सरकार में सिस्टम आफ पनिशमैंट एवं रिवार्ड एग्जिस्ट करता नहीं है, प्राइवेट कम्पनी में एग्जिस्ट करेगा। प्राइवेट कम्पनीज का आपसी कम्पीटीशन होगा। कम्पनीज का इनीशियल प्रारूप माननीय मंत्रीजी ने दिया है वह तो हंडरेड परसेंट गवर्नमैंट ग्रोन्ड होगा अभी। यह बिगिनिंग है, रिफार्म्स की बिगिनिंग है। आगे जो-जो स्टेजेज आएंगी उसमें माननीय सदस्यों का सहयोग राजस्थान की जनता के भले में हो, मैं यही चाहूंगा। चूंकि देखा यह गया है कि good economics makes bad politics. यह सरकार गुड पोलिटिक्स एण्ड गुड इकोनोमिस्ट बनाना चाहती है। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : डा. करणसिंह यादव।

डा. करण सिंह यादव (बहरोड़): उपाध्यक्षजी, राजस्थान पावर सुधार विधेयक पर चर्चा से एक बात स्पष्ट हो गयी कि यह विधेयक ऐसी परिस्थितियों में लेकर आया जा रहा है जिनमें राज्य सरकार चाहे वह पिछली सरकार रही हो जिन्होंने इस विधेयक पर मनन किया, चाहे हमारी नयी सरकार रही हो, चाहे राजस्थान स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड रहा हो, सभी अपने आपको असहाय महसूस कर रहे हैं इस राजस्थान की जनता को बिजली ठीक से मुहैया करवाने में।

आज राजस्थान में विद्युत तंत्र का बिगड़ाव है, पावर जनरेशन की कमी है, ट्रांसमिशन की प्राब्लम है, ट्रांसमिशन लासेज हैं, बिजली की चोरी है, हम अपने बिलों को पूरी तरह से वसूल नहीं कर पाते और जनता की बिजली की मांग बढ़ती चली जा रही है। हर आदमी, हर किसान आज बिजली चाहता है, हर घरेलू व्यक्ति आज बिजली चाहता है। हमको संभवतया किसी बड़े आदमी ने या किसी ज्ञानी आदमी ने या दिल्ली में बैठे हुए विद्वानों ने या वर्ल्ड बैंक के दानदाताओं ने एक रास्ता बताया है कि अगर आप इस रास्ते पर चलो तो हम आपको इतना पैसा देंगे, इतने हजार करोड़ रुपये देंगे तब आपकी बिजली की व्यवस्था ठीक हो जाएगी। मैं समझता हूं यह नियामक आयोग लाने के पीछे उन बड़ी शक्तियों का दबाव है कि अपनी असफलताओं को ढक कर इसे किसी तरह से किसी दूसरे के हवाले कर दें कि शायद यहां पर नया चेयरमैन आ जाएगा। कहां से आ जाएगा चेयरमैन ? आप और हम ही तो सलैक्ट करेंगे उस चेयरमैन को एक जज साहब, एक इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के सेण्ट्रल के अधिकारी और राजस्थान के सैक्रेटरी महोदय की राय पर। हम जानते हैं कि सलेक्शंस इस देश में कैसे होते हैं, किस तरह से लोग अपने बायोडाटा को लेकर इन्फ्लुएंशल लोगों के पीछे फिरते हैं। क्या गारन्टी है कि जिसको आप चेयरमैन बनाओगे वह आज के बिजली बोर्ड के अध्यक्ष से ज्यादा प्रभावशाली होगा? उसको आप बना रहे हो पूरे पांच साल के लिये। एक बार जब उसको आपने चेयरमैन

(डा. करण सिंह यादव)

बना दिया, उसके बाद आप उसको हटा नहीं सकते। आज आपके बिजली बोर्ड के अध्यक्ष में आप कोई गलतियां, खामियां पाएं, आप समझें कि डिस्ट्रीब्यूशन में, इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के मैनेजमैंट में कहीं कमी है तो आप एक मिनट में, एक रात में निर्णय लेकरके दूसरे दिन दूसरी जगह बिठा सकते हैं। आपका अंकुश है। लेकिन इसके अन्दर लिखा हुआ है कि आप उसको पांच साल तक नहीं बदल सकते। उसके लिए आपको राजस्थान हाई कोर्ट के अन्दर जाना होगा। राजस्थान का हाई कोर्ट अगर इस बात के लिए कविन्स्ड हो जाए आपसे तो आप उसको बदल सकते हो, सस्पैंड कर सकते हो। ऐसा नियामक बोर्ड बनाकर हम क्या करने जा रहे हैं? किन लोगों को लाना चाह रहे हैं? इस नियामक बोर्ड में सबसे कम अगर कोई स्पेस दिया गया है तो सरकार के पावर्स को दिया गया है। एक तरफ तो कहते हैं, "the Commission shall be guided by such directions in the matter of policy involving public interest as the State Government may give it to in writing," लिखित में लें तो उससे कुछ गाइडेंस मिलेगी। जरूरी नहीं है कि वह गाइडेंस ले। वहां का चेयरमैन आपको कह सकता है कि इस गाइडेंस से आप हरिजन को बिजली देना चाहते हो, आप गांवों का विद्युतीकरण कराना चाहते हो। आज सोशल जस्टिस के नाम पर मैं तो इस सदन में यह मांग करने वाला था कि आप हरिजनों को बिजली में प्रायोरिटी दे रहे हैं, आप अनुसूचित जाति को दे रहे हैं तो आप अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी दीजिये जो गांव के अन्दर छोटी-छोटी होल्डिंग्स लेकर बैठे हैं। लेकिन आप तो इसको टोटल कामर्शियल करना चाहते हो। आप उसको ऐसा कामर्शियल आर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं जो टोटल प्रोफिट के नाम पर चले। सोशल जस्टिस और कामर्शियलाइजेशन क्या ये दोनों चीजें कभी साथ चल सकती हैं? सोशल जस्टिस है कि हमारा रोडवेज बस चलाता है जिसमें गांव के पांच सवार भी अगर बैठते हैं तो भी बस 8 बजे जाएगी और दूरस्थ जैसलमेर के गांव में छोड़कर आएगी। कामर्शियल वह है कि बस आधी भरी हुई है तो अगला आदमी कह देगा कि मेरी बस आज खराब है आगे नहीं जाएगी। कौनसा बिजली का ऐसा व्यापारिक संगठन होगा जो गांवों में गरीबों को बिजली दे देगा; किसानों को बिजली दे देगा? इसके अन्दर सब जगह एक ही बात लिखी हुई है। आप इस नियामक बिल में यह इन्कारपोरेट कर दें कि किसानों को बिजली हम इस दर के ऊपर तय करेंगे, कामर्शियल बिजली से चौथाई दर पर तय करेंगे या उससे कम दर पर तय करेंगे। आप उसको एक ही बात कह दें कि जो डिफरेंस होगा वह सरकार देगी। सरकार आज भी डिफरेंस दे रही है। सिर्फ हमारे मैनेजमैंट की कमियों को देखते हुए हम क्यों इस नियामक बोर्ड को बनाना चाहते हैं, यह बात मेरी समझ से बहुत परे है।

माननीय ऊर्जा मंत्रीजी, राजस्थान में जो आपकी सरकार आयी, हमने इस चुनाव को बिजली के एक बहुत बड़े स्लोगन पर जीता है। उस स्लोगन का अर्थ यह था कि आपने बहुत ज्यादा जवाबदेही होते हुए पिछली बार रबी की फसल के दौरान

(डा. करण सिंह यादव)

जनवरी, फरवरी, मार्च में जो बिजली दी, राजस्थान के एक-एक किसान ने आपको दुहाई दी और यह महसूस किया कि राजस्थान की सरकार और राजस्थान के विद्युत मंत्रीजी आज किसानों के हित में काम करने वाले हैं। लेकिन जब यह बिल लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, लोग पूछेंगे। आज कौन रोक रहा है आपको बिजली की दरें बढ़ाने के लिए। बिजली की दर आप जिस दर पर खरीद रहे हैं उसके ऊपर आना, दो पैसा बढ़ा कर यह नियामक बोर्ड कैसे तय करेगा बिजली की दर को? इसी तरह से तय करेगा कि बिजली की लागत क्या आयी है, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या लागत आयी है। सिर्फ नये नाम देने से, नयी कम्पनीज बनाने से, नये-नये कानून बनाने से नया क्या हो जाएगा? हां, यह जरूर है कि कर्मचारी शायद सुधर जाएंगे।

आज बिजली बोर्ड की असफलता का सबसे बड़ा कारण है बिजली की चोरी जिसको हम नहीं रोक पा रहे हैं। हमारे विद्युत विभाग के अभियन्ता लोग, मैं कहना चाहूंगा कि उतने पारदर्शी नहीं हैं जितना उनको होना चाहिये। यह कमेटी आ जाएगी तब भी यही तो आखिर आदमी रहने वाले हैं। किस तरह से वे एक दिन के अन्दर आ कर साहूकार हो जाएंगे? कम्पनी बन गयी आप कह रहे हैं निजी कम्पनी नहीं है। क्या प्राइवेट कम्पनीज सारी की सारी मुनाफे में चल रही हैं? सारी की सारी प्राइवेट फैक्ट्रीज बहुत अच्छे प्रबंधन के बावजूद आज मुनाफा कमा रही हैं? खास तौर से उड़ीसा का एग्जाम्पल आपके सामने है। आपके सामने उदाहरण मौजूद है कि वहां पर यह नियामक बोर्ड फेल हुआ है और बहुत से राज्य इसके बारे में सोच रहे हैं। मैं समझ रहा हूं कि आप शायद बहुत कुछ करना चाहते होंगे लेकिन इसके ऊपर बगैर लम्बा-चौड़ा विचार-विमर्श किये हुए इसको इतनी जल्दी लाने की क्या जरूरत है। लोगों का जनमत देखिये, लोगों से बात कीजिये, एक्सपर्ट्स से बात कीजिये। यह किताब हम लोगों के पास में कल रात को आयी है, दो दिन पहले आयी है। तीन दिन पहले अगर इसके बारे में चर्चा चालू हुई है, इसके बारे में गुण-अवगुण के आधार पर विचार करने के लिए विधायकों की कमेटी भेजिये कि वे उड़ीसा में जाकर देखकर आवें। उस जगह पर भेजिये जहां पर यह लागू हो चुका है या जहां के लोग इसको एडाप्ट कर रहे हैं।

मैं समझता हूं कि यह किसी दूसरे नियामक बोर्ड की कॉपी की गयी है। जैसे इसमें एक जगह लिखा हुआ है कि चेयरमैन जब नहीं होंगे तो चेयरमैन जिसको मनोनीत कर जाएंगे वह कमीशन को चेयर करेगा और बहुमत के आधार पर फैसला होगा। अब जब चेयरमैन चले गये, 3 मैम्बर का बोर्ड है, दो आदमी रह गये तो उसमें बहुमत कैसे पता चलेगा? हो सकता है किसी बोर्ड में 5 मैम्बर हों।

सबसे बड़ी बात जो माननीय कटारिया जी ने और पक्ष-विपक्ष के सब लोगों ने कही है इसको पढ़ने से ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी डिसक्वालिफिकेशन अगर बिजली बोर्ड को चलाने की कोई है तो वह है राजनीति से जुड़ा हुआ आदमी। एम.पी. नहीं होना चाहिए, एम.एल.ए. नहीं होना चाहिए, पोलिटिकल पार्टी का पदाधिकारी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए?

(डा. करण सिंह यादव)

आपकी पार्टी के अन्दर यहां एम.एल.एज. बैठे हुए हैं जो इंजीनियर्स हैं। यहां लॉ के जानकार बैठे हुए हैं, यहां कामर्स के जानकार बैठे हुए हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं ये? मैं समझता हूं इस बात को इनकारपोरेट करने के लिए ऐसा लगता है कि किसी मोनेटरी फंड या वर्ल्ड बैंक ने आदेश दिया कि इसमें राजनीतिज्ञ दूर रह जाएं। तो फिर अपन सारे राजनीतिज्ञ छोड़कर यहां पर दूसरे लोगों को बिठाकर चलें। किस-किस चीज को प्राइवेट करेंगे और ठेके पर देंगे? इसलिए मेरा, माननीय उपाध्यक्षजी, यह निवेदन है कि इस कानून को जल्दबाजी में न लाकर जनमत संग्रह के लिये दिया जाए या प्रवर समिति को सौंपा जाए जिस से इस पर व्यापक विचार-विमर्श हो सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरासिंह चौहान।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस हाउस में एक ऐसे कानून के बारे में हम विचार कर रहे हैं जो कानून अगर बन जाएगा तो मैं सोचता हूं कि राजस्थान की 4–5 करोड़ जनता के खिलाफ बनेगा। गांव में रहने वाले 80 प्रतिशत किसान हैं उनके हितों के खिलाफ भी यह कानून बनेगा। मुझे भी 2–3 टर्म इस विधान सभा में आने का मौका मिला है, मैं समझता हूं कि गवर्नमैंट जिसके हाथ में पावर हैं, वह अपनी पावर को एक प्राइवेट सैक्टर को देने जा रही है। कोई भी अपनी पावर छोड़ना नहीं चाहता। आप जो पावर सैक्टर सुधार विधेयक, 1999 लाये हैं, इसका पूरा अध्ययन हमने भी किया है, करने के बाद यह पाया है कि अगर यह पारित होता है तो यह राजस्थान किसानों के, राजस्थान के उपभोक्ताओं के, राजस्थान में जो भी बिजली का प्रयोग लेता है उनके हितों के खिलाफ जाएगा। मेरे से पहले 17–18 वक्ता इस पर बोल चुके हैं और उन्होंने बहुत गम्भीरता से चिन्ता व्यक्त करते हुए माननीय मंत्रीजी से अनुरोध किया है, सरकार से अनुरोध किया है कि क्या जल्दबाजी है कि इस कानून को एकदम ही लागू किया जाए। इस कानून की बहुत सारी धाराओं के बारे में जो भी प्रोविजन आपने बनाये हैं उसके बारे में सभी विद्वान विधायकगण ने बहुत विस्तार से विवेचन किया है। लेकिन कुछ ऐसे बिन्दु हैं जिनको अब तक हाउस में नहीं बताया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय विश्नोई जी, प्लीज।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप भी कानून के जानकार हैं, मैं उस पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा। मैं इस विधेयक के पार्ट संख्या–11 की तरफ ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं जिसके सब क्लाज 44 में लिखा है–"Cognizance of offences ;–No court shall take cognizance of an offence punishable under this Act, except upon a complaint, in writing, made by the Commission or by any other officer duly authorised by the Commission for this purpose." मतलब इसमें दूसरे व्यक्तिगत आदमी को तो कोई अधिकार ही नहीं है। इसमें कम्प्लेंट दर्ज कराने का अधिकार केवल कमीशन को दिया गया है। मैंने इसका पूरा अध्ययन किया है,

(श्री हीरासिंह चौहान)

अध्ययन करने के बाद मैंने पाया है कि केवल कमीशन ही इसकी कम्पलेंट करा सकता है और कोई भी कोर्ट इसका कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, आप कानून को जानते है, इसके बाद में इन्होंने इसके पार्ट 40 में लिखा है–

"Punishment for non-compliance of orders or directions under this Act :– Whoever fails to comply with any order or direction given under this Act, within such time as may be specified in the said order or direction, or contravenes or attempts to contravene or abets the contravention of any of the drovisions of this Act or any rules or regulations made thereunder shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine, which may extend to rupees one lakh." मैंने इसके एक-एक क्लॉज को देखा है कि जो भी इसमें इन कन्ट्रावेन्शन ऑफ द एक्ट जाएगा उसका एक लाख से कम जुर्माना नहीं है। उसके बाद भी अगर आफेंस लगातार होता रहेगा, किसी का तीन हजार किया, किसी का चार हजार किया है। लगातार ये जो आफेंस इसमें दिये गये हैं इसके लिए कॉग्निजेंस लेने का किसी कोर्ट को कोई पावर नहीं है।

आप आगे देखें, कमीशन के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। इसमें 42 में साफ लिखा है आफेंस ऑफ द कंपलेंटस। इसमें एक कम्पनी होगी। इस कम्पनी के जितने भी कर्मचारी होंगे या ड्युली आथोराइज्ड होगा उसके खिलाफ किसी प्रकार का इन्होंने इन्ट्रोड्यूस नहीं किया है। किसी प्रकार से अगर वह गलती करती है तो उनको पैनेलाइज या पनिश करने का इसमें कोई प्रोविजन नहीं है। इसमें तो लिखा है कि रूल्स एण्ड रेगुलेशन होंगे उसी के अनुसार उनके खिलाफ कोई कार्यवाही या प्रोसीडिंग की जाएगी। यह इसमें साफ लिखा है सेक्शन 42 में–"(1) Where an offence under this Act has been committed by a company, every person who, at the time the offence was committed, was in charge of and was responsible to the company, for the conduct of the business of the company, as well as the company, shall be deemeed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly." इसके लिए कोई प्रोसीजर इन्होंने नहीं बनाया है। केवल इन्होंने एक प्रोसीजर दिया है। उस प्रोसीजर में यह कहा है कि इस प्रकार का कोई आफेंस कम्पनी द्वारा किया जाएगा तो उस पर किया जाएगा।

दूसरा आर्बीट्रेशन का रखा है। उसके अन्दर जो भी वे प्रोसीडिंग करेंगे, एज ए कोर्ट हियरिंग करेंगे। यह कमीशन जो आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिस कमीशन को आप एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं उस कमीशन को इतने अत्यधिक पावर दिये हैं कि He has ample powers to do everything,

(श्री हीरासिंह चौहान)

इसलिए कोई भी इंटरफियर इसमें नहीं कर सकते। नीचे वाले कोर्ट्स को इसमें आथोराइज नहीं किया गया है, केवल हाई कोर्ट को आथोराइज किया गया है कि एक अपील आखिर में हाई कोर्ट में कर सकते हैं। वह भी आर्बीट्रेशन में दिया है यदि विवादों का आपसी समझौता हो जाता है उसमें और जुर्माना एक लाख से कहीं कम नहीं किया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आई.पी.सी. बनी हुई है, सी.पी.सी. बनी हुई है, There are so many Acts, अब क्या उन कानूनों का यहां सहारा नहीं लिया जा सकता है जो इस एक्ट को बनाते समय केवल पैनल प्रोविजन के लिए अपना सेपरेट कानून इंट्रोड्यूस किया है ? इस जमीन पर जितने भी कानून बने हैं चाहे पार्लियामैंट ने बनाये हैं, चाहे इस पवित्र सदन ने बनाये हैं, उन सब से अलग प्रकार का कानून पनिशमैंट के लिये, पैनलाइज करने के लिए, फाइन करने के लिए इंट्रोड्यूस किया है। माननीय विद्युत मंत्रीजी डा. साहब, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसे बहुत गहराई से देखने की जरूरत है। ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य के. सी. चौधरी इसकी तारीफ कर रहे थे लेकिन वे इसकी गहराई में नहीं गये हैं, उन्होंने इस एक्ट को देखा नहीं है। अभी डा करणसिंह जी कह रहे थे और अन्य वक्ताओं ने भी इस बात को रिपीटेडली कहा है कि स्टेट गवर्नमैंट को तो केवल सलाह देने की ही पावर है। अगर वह कमीशन नहीं मानता है किसी भी बात को तो वह सीधा सेन्ट्रल का जो कमीशन बना हुआ है उसके सामने जा सकता है। इसके अलावा किसी प्रकार के अधिकार नहीं दे रखे हैं। इसके लिए जो तीन मैम्बर हैं, जैसा अभी कहा गया क्या तीन मैम्बर्स से भी कोई कमीशन बनता है। इसीलिए मैंने एक अमैंडमैंट भी मूव किया कि तीन की जगह कम से कम 5 मैम्बर किए जाएं यदि आप इसको फ़ोर्स में लाना ही चाहते हैं, आपकी मंशा ही हो गई है। जैसा अन्य वक्ताओं ने कहा, यह काला कानून है, इसका राजस्थान में जबर्दस्त विरोध होगा और इस विरोध का सामना आप लोगों को करना पड़ेगा। निःसंदेह बहुत जबर्दस्त सामना करना पड़ेगा क्योंकि आने वाली स्थिति ऐसी बन जाएगी थोड़े दिनों में, बिजली इतनी महंगी हो जाएगी कि कोई किसान बिजली का उपभोग नहीं कर सकता। एक मोनोपोली हो जाएगी जिस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। सबसे बड़े दुःख की बात है कि यह सरकार के नियंत्रण के बाहर चला जाएगा। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं हाउस के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि इस कानून की गहराई में जाने से पहले, इस विधेयक को पारित करने से पहले इसको एक बार जनमत जानने के लिए छह माह के लिए परिचालित कर दिया जाए कि इसमें क्या-क्या कमियां हैं। उनको दूर करने के लिए अगर आपको एड लेनी है या विदेशी कम्पनियों से सहयोग लेना है, तो सहयोग तो यहां भी काफी प्राप्त हो सकता था। माननीय सदस्यों ने आपको सुझाव दिए, उनको भी किया जा सकता है। यह इस प्रकार का बहुत बड़ा उद्योग है जिससे सारी पावर की शक्तियां चलती हैं, खेती होती है, कारखाने चलते हैं और सब प्रकार की सुविधाएं हम को मिल रही हैं। उसको निजी सैक्टर में

(श्री हीरासिंह चौहान)

देकर, इन कम्पनियों को देकर राजस्थान की जनता के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात करने हम जाएंगे । इसलिए मैं इस काले कानून का सख्त विरोध करता हूं और मैं निवेदन करता हूं कि इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री संयम लोढ़ा ।

(अनुपस्थित)

श्रीमती सुमित्रा सिंह ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की भोली-भाली और मेहनतकश जनता से प्रचण्ड बहुमत लेकर 23 तारीख को इस सरकार ने पहली सौगात दी थी और आज 25 तारीख के रोज यह राजस्थान पावर सैक्टर सुधार विधेयक लाकर शायद यह कांग्रेस सरकार अपनी ही मौत के वारण्ट पर खुद ही दस्तखत करने जा रही है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है । माननीय मंत्री महोदय वैसे तो अध्ययनशील बहुत हैं, एम्स एण्ड ऑब्जेक्ट्स जो विधेयक के हैं वे तो इन्होंने पढ़े हैं और पढ़कर एप्रूव किए हैं लेकिन एप्रूव करके बीच में इसमें क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, शायद इन्होंने ठीक से नहीं पढ़ा है । एम्स एण्ड ऑब्जेक्ट्स का जहां तक सवाल है, चूंकि हिन्दी इसकी कॉपी क्लिष्ट है इसलिए मैं बताना चाहती हूं कि इसके एम्स एण्ड ऑब्जेक्स में लिखा है, "The essence of restructuring is to achieve the balance required to be maintained in regard to competitiveness and efficiency on one hand...." अब आगे सुनिए, "....and the social objectives of ensuring that the customers get a fair deal on the other. To fulfil this objective the proposed legislation provides for an Independent State Electricity Regulatory Commission." सोशल आब्जेक्टिव की बात यहां कही । किसे प्रकार के सोशल आब्जेक्टिव्स हैं, वे मैं आपको बाद में बताऊंगी । आगे इसमें लिखा है, "The legislation provides for transfer of assets and liabilities/obligations of RSEB, in the first instance, to the State Government and, therefore, from the State Government to the generation, transmission and distribution companies...." यह जो 5500 करोड़ का कर्जा है उसको पहले सरकार लेगी इसके बाद ट्रांसफर करेगी । लेकिन वे क्यों लेंगे इसको ? वे तो कोई भी लेने वाले नहीं हैं तो वह डूबत खाते में जाएगा 5500 करोड़ रुपया । जब 5500 करोड़ रुपया डूबत खाते में जाएगा तो क्या आवश्यकता है इस काले कानून को बनाने की, इसको डूबत खाते में डाल दीजिए, जिस तरीके से आपका काम चल रहा है चलने दीजिए ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही लिखा है,–"While the overall policy, planning and coordination will remain with the State Government, technical coordination with the Central Electricity Authority." यहां तो लिख दिया,–Policy, planning and coordination will remain with the State Government. यहां एम्स एण्ड आब्जेक्टस

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

में लिख दिया, फिर खण्ड चार में क्या कर दिया ? यहां तो बहुत अच्छा किया क्योंकि मंत्रीजी ने पढ़ लिया लेकिन विधेयक में क्या किया ? विधेयक में सरकार ठनठन गोपाल, सरकार के पास कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें जहां कहीं भी कोई पॉलिसी मैटर होगा, वह सेण्ट्रल आयोग को रैफर कर देंगे और सेण्ट्रल आयोग जिस तरह का करेगा उसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब कुल मिला कर आप इसमें कहीं भी कुछ करने में सक्षम नहीं हैं। मैं निवेदन करना चाहती हूं, आप यह विधेयक पास करवाने जा रहे हैं, यह करने के बाद तो कन्ज़ूमर, एक एग्रीकल्चर ही नहीं, वरन् तमाम जितने उपभोक्ता हैं बिजली के, सबकी शामत आएगी क्योंकि कोई नहीं सुनने वाला है। वैसे भी आप जो कह रहे हैं, आप सोचिए इस बात को थोड़ा। राजस्थान के निर्माण के समय केवल 8 मेगावाट बिजली पैदा होती थी और कुल 42 लोकलिटीज में विद्युतीकरण किया हुआ था। आज आप अपनी इच्छा-शक्ति के आधार पर 1300 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं और बाकी कहीं बाहर से लाकर देते हैं। यह अलग बात है कि आप 1650 करोड़ रुपये खर्च करते हैं एग्रीकल्चर कन्ज़ूमर के लिए—250 करोड़ रुपये आपके आता है और 1400 करोड़ रुपये आप घाटे में रहते हैं। यही आपकी पीड़ा है, जिस पीड़ा की वजह से आप इससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। लेकिन जब 5500 करोड़ रुपये डूबत खाते में लिखने जा रहे हैं तो क्यों आप सारे के सारे बिजली उपभोक्ताओं को दुःख देना चाहते हैं ?

मैं एक बात और निवेदन करना चाहती हूं, जो भी आज उद्योगपति हैं, आज की जो रेट है वही उनके भोगे नहीं पड़ रही है इसलिए अधिकतर ने कैप्टिव पावर प्लांट लगा लिए हैं और वे और लगा लेंगे क्योंकि उसमें शायद उनको पौने तीन रुपये के आस-पास खर्चा आता है। जब आपका यह विद्युत नियामक आयोग बन जाएगा, उसके बाद उनको शायद चार-पांच रुपये में पड़ेगी तो वे क्यों इस मुसीबत में पड़ेंगे ?

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : उनको तो अभी भी साढ़े तीन में देते हैं इण्डस्ट्री वालों को।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : साढ़े तीन होगी, तो भी इस आयोग की तो साढ़े तीन से ज्यादा पड़ेगी। (व्यवधान) आप दे रहे हैं लेकिन जो कैप्टिव पावर प्लांट लगा रहे हैं, वे ढाई, पौने तीन में कर रहे हैं तो वे क्यों लेंगे आपसे ? वे तो आपके पास रहेंगे नहीं। रहा सवाल एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर में भी आज जनेरेटर्स से खेती लोग करते हैं। ठीक है 50 पैसे के बजाय उसका एक रुपया कुछ आना खर्चा आता है लेकिन वे क्यों देंगे ढाई रुपये ? वे भी जनेरेटर से खेती करेंगे। रहा सवाल डोमेस्टिक का तो माननीय मंत्रीजी, मैंने तो आपको पहले भी, आपका वैलविशर होने के नाते सलाह दी थी कि आप रिजाइन कर दें तो बहुत अच्छा है बजाय यह काला कानून पास करवाने के क्योंकि इससे खेती वाले किसानों का ही प्रश्न नहीं है, घरेलू उपभोक्ता, कामर्शियल, इण्डस्ट्रीज आदि सब की शामत आएगी। जब आयोग बन जाएगा, इस आयोग में कार्यवाही, सुनवाई और अंतरिम आदेश, जो कोई भी होंगे, सारी शक्तियां निहित

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

होंगी और आपके पास कुछ नहीं रहेगा। जो कुछ भी करना है वह करेगा, मारना है जिसको वह मारेगा, छोड़ना है जिसको वह छोड़ेगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहती हूं कि आप यह सब क्यों करने जा रहे हैं? मैं आपको याद दिलाऊं इतना और कि कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में लिखा था और कण्डेम किया था बी.जे.पी. सरकार की पॉलिसी को। इसमें यह लिखा है कि कांग्रेस के शासन में कुए पर पांच हार्स पावर के कनेक्शन के लिए पांच खम्भों को नि:शुल्क उपलब्ध करवाया जाता था तथा 37 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली दी जाती थी। आज किसानों को नौ हजार से 12 हजार रुपये प्रति खम्भा तथा 1850 रुपये प्रति हार्स पावर फीस देने पर भी 1.70 रुपया प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलती है, वह भी अनियमित। आपने तो यह आयोग बनने से पहले ही नौ हजार की बजाय बारह हजार दो सौ पच्चीस रुपये कर दिये। चुनाव घोषणा-पत्र जो मुख्य मंत्रीजी ने सबसे पहले मुख्य सचिव को सौंप कर कहा था कि यह हमारा चुनाव घोषणा-पत्र है और आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसका पालन करेंगे, आप इसको इम्प्लीमैंट करेंगे। यह सबसे पहले उन्होंने कहा था। क्या यही इम्प्लीमैंटेशन हो रहा है आपका? आप स्वयं जिस चीज को कर्स कर रहे थे, कन्डेम कर रहे थे, उससे आगे बढ़ कर आज आप किसानों को लूट रहे हैं कि नौ हजार रुपये से खम्भे की कीमत आपने बारह हजार दो सौ पच्चीस रुपये कर दी और फिर यह काला कानून बना कर राजस्थान के अन्दर सारे विद्युत उपभोक्ताओं की शामत लाना चाहते हैं। मैं आपसे जैसा निवेदन कर रही थी, कैप्टिव पावर प्लांट तो लगा लेंगे इण्डस्ट्रीज वाले, जनरेटर सैट लगा लेंगे एग्रीकल्चर वाले, लेकिन सबसे अधिक शामत आएगी घरेलू उपभोक्ताओं की। घरेलू उपभोक्ता झोंपड़ी में रहने वाले, गांवों में रहने वाले, वे क्या करेंगे? न वे कैप्टिव पावर प्लांट लगा सकते हैं न वे जनरेटर सैट लगा सकते हैं, वे क्या करेंगे? इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूं, ऊर्जा मंत्रीजी, कि यह घृणित काम, यह खोटा काम इस राजस्थान की जनता, गरीब जनता और मेहनतकश जनता के साथ आपका बहुत बड़ा अन्याय है, यह आपके हाथों से नहीं होना चाहिए। हरियाणा के अन्दर, हरियाणा के विद्युत मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, जब यह आयोग बनाने की बात आई तो उसने इस्तीफा दे दिया। (व्यवधान) शहीदों में नाम तो खैर उन्होंने लिखाया या नहीं लिखाया, वह अलग बात है लेकिन अपना एक कर्तव्य समझा। आखिर जिस वर्ग से, जिस गरीब वर्ग से आदमी आता है उसके प्रति कुछ ऋण है उसका, कुछ कर्जा है उसका। आप तो मर्जीदानों में हैं मुख्य मंत्री के, आप विश्व बैंक की, मुख्य मंत्री की और वित्त मंत्री की इन बातों में आकर खुद खोटा काम क्यों करने जा रहे हैं? आप तो कह दो उनको। विश्व बैंक की सारी शर्तें पहले आपको बतानी चाहिए थीं हम लोगों को कि विश्व बैंक की ये शर्तें हैं। हमको कान्फीडेंस में लेते, विश्व बैंक आपके साथ क्या शर्तें लगा रहा है, पहले बताते आप, कि ये-ये शर्तें लग रही हैं इन शर्तों पर क्या किया जाए। आप हमको कान्फीडेंस में लेते, सदन को कान्फीडेंस में लेते, विश्व बैंक की शर्तें बताते और उसके बाद यह पास करने की

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

बात करते तो फिर भी मैं समझ सकती थी। उपाध्यक्ष महोदय, इसीलिए मैंने इस विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द करने के लिए कहा है ताकि आप इतनी जल्दबाजी के अन्दर इस विधेयक को पास कराने के लिए अपनी तरफ से कोई प्रयत्न नहीं करें।

श्री खेतसिंह राठौड़ (विधि मंत्री) : मंत्रीजी।

श्री उपाध्यक्ष : वे बैठें जब हो न। वेट प्लीज।

मोहम्मद माहिर आजाद : विधि मंत्री जी क्या कहने आये हैं?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अभी तो फर्स्ट रीडिंग है।

श्री उपाध्यक्ष : हां, हां, सब है, आप चिन्ता क्यों कर रहे हैं, सब है। आर्डर, आर्डर।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रही थी कि आयोग बनने के बाद में राज्य सरकार के पास तो कोई शक्ति रहेगी नहीं। राज्य सरकार ने आयोग की मंजूरी के बिना निजी क्षेत्र में कम्पनियों को यदि लाइसेंस दे भी दिया तो भी आयोग की मर्जी की बात है कि वह उस लाइसेंस को माने या न माने, उसे दे या नहीं दे। वह कुछ भी करे उसका, फाड़ कर फेंक दें। उत्पादन, वितरण और प्रसारण ये तीन अलग-अलग कम्पनियां बनेंगी, इनकी शर्तें भी वे तय करेंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि बिजली बोर्ड के जो वर्तमान में कर्मचारी हैं उनको वे रखें या न रखें। उनकी अपनी शर्तें होंगी। इसीलिए जितने एम्पलाइज हैं वे बाहर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि कोई आवश्यक नहीं है कि वे उन्हें रखें या न रखें। तो क्या करेंगे इस अमले का आप?

मैं आपको एक बात और याद दिलाना चाहती हूं, आपको याद होगा, 1990 में जब मैं ऊर्जा मंत्री थी उस समय निजीकरण की बात बहुत चल रही थी। लेकिन मैं निजीकरण के स्वयं व्यक्तिगत तौर पर खिलाफ थी, मैं अड़ गई इस बात के लिए कि सूरतगढ़ ताप तो विभाग ही बनाएगा, मण्डल ही बनाएगा। इसलिए वह तो बन गया। और 1984 का चित्तौड़ का पावर प्लांट जिसका लैटर आफ इन्टेन्ड जारी हो गया था सी. के. बिड़ला को, आज भी वहीं पड़ा हुआ है। 1983 के बाद इतने वर्ष बीत गये हैं, आज दिन तक एक इंच आगे उसकी प्रोग्रेस नहीं हुई, 16 सालों में एक इंच भी प्रोग्रेस नहीं हुई और सूरतगढ़ बन कर तैयार हो गया, आपको बिजली मिलने लग गई। आप केवल पैसे कहां से आएंगे, कहां से आएंगे, इस बात को लेकर चिंतित हैं लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। इस राजस्थान की जनता ने जिन आशाओं के साथ, जिन आकांक्षाओं के साथ और जिन उम्मीदों के साथ आपको सरकार में बैठाया है, क्या आप उन पर पानी फेर दोगे बिलकुल? उनका भी तो कुछ खयाल करिये, उन्होंने किसलिए आपको यहां बिठाया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक निवेदन इसके साथ और कहना चाहती हूं,

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

यह भी है आपके बिल में कि आयोग साल के अन्दर बिजली की टैरिफ एक बार तो रिवाइज करेगा ही करेगा परन्तु चाहे तो साल में दो बार भी रिवाइज कर सकता है। साल दर साल रिवाइज का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यदि कोई और मुनाफा चाहें तो वे साल दर साल अपने खर्चे के मुताबिक उसको बढ़ाते रहेंगे। और साल में दो बार होगा इसका मतलब यह है कि वे एक साल में दो बार भी आप का टैरिफ बढ़ा सकते हैं। इतने अधिकार देकर सरकार अपने पास कुछ भी नहीं रखे, इसलिए पुनर्विचार करिये इस पर आप। इसको इस रूप के अन्दर यदि आपने कर दिया तो मैं आपसे एक बात कहती हूं, यह तो इसको फ्रेम किया था, केवल बिल बनाया था इन्होंने, बिल बनाने की मंशा से ही तैंतीस आये हैं, लेकिन आप यदि पास कर दोगे तो एक भी लौट करके आ जाओ तो मुझे याद दिला देना। एक भी लौट कर नहीं आ पाएगा। इसलिए मेरी....

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, डाक्टर करणसिंह जी तो आ जाएंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : करण सिंहजी तो आ जाएंगे, अच्छे आदमी हैं।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : उपाध्यक्ष महोदय, सुमित्राजी को अच्छा एक्सपीरिएंस है क्योंकि खुद इन्होंने एक बार बिल बनाया था तो उस वक्त लौट कर नहीं आई थे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हां, सही बात है। मैं भुक्तभोगी हूं। (व्यवधान) सुनिये, मैं भुक्तभोगी हूं इसलिए नेक सलाह दे रही हूं। भुक्तभोगी इसलिए हूं कि मैंने केवल एक स्कीम चलाई थी, वह स्कीम यह थी कि जो कोई बिजली लेना चाहे अपनी प्रायोरिटी छोड़ कर, वह पन्द्रह हजार रुपये जमा कराकर बिजली ले ले। उस एक बात के ऊपर 1993 में मैं नहीं जीत सकी और श्रवण कुमार जीत कर आ गये। मेरा तो इतना-सा ही कसूर था कि उन लोगों को मैंने केवल यह कहा था कि जो अपना आउट आफ टर्न लेना चाहे। कोई मैंने खुद ने पैसा नहीं लिया, राज के खजाने में पन्द्रह हजार रुपये आये थे, लेकिन आप जो इस प्रकार से उपभोक्ताओं के सारे हितों पर कुठाराघात कर रहे हैं....(व्यवधान) लूट तो खैर, ये करेंगे आगे आने वाले, आयोग करेगा, ये तो किसलिए कर रहे हैं लूट, लेकिन....

मोहम्मद माहिर आजाद : हथियार तो ये दे रहे हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हां, हथियार दे रहे हैं। यह काम ये जरूर कर रहे हैं कि हथियार उन्हें दे रहे हैं। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत माननीय ऊर्जा मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि यह....

एक माननीय सदस्य : आपको दया आ रही है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : दया नहीं, मैं इनकी वैलविशर हूं इसलिए नेक सलाह दे रही हूं कि ये जनहित की उपेक्षा नहीं करेंगे। आपका फर्ज है, आपको जनहित की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इसलिए इस विधेयक को आज जल्दबाजी के अन्दर पास नहीं करके एक सलेक्ट कमेटी को सौंपें जो इन सब चीजों को देखे कि आपके एम्स एण्ड आब्जेक्ट्स के साथ यह विधेयक कारपोरेट

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

कर रहा है या नहीं कर रहा है, वे सब बातें इसमें आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। कोई जल्दी नहीं है। उड़ीसा का तो आपने देख ही लिया जो कुछ हश्र हुआ है वह और हरियाणा के विद्युत मंत्री ने इस्तीफा दे ही दिया। आप क्यों शहीदों की श्रेणी में अपना नाम लिखाने जा रहे हो? इसलिए इसे एक सलैक्ट कमेटी को सौंपे ताकि सलैक्ट कमेटी इन सब बातों पर विचार करके इसको थोड़ा ऐसा रूप दें कि उसमें सरकार के पास भी कुछ अधिकार हों ताकि सरकार गरीब उपभोक्ताओं को संरक्षण दे सके। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : उपाध्यक्ष महोदय, आत्महत्या करने की इच्छा नहीं है।

श्री श्रवण कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, हमें भी बोलने का मौका दिया जाए।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : किन्तु यदि आत्महत्या नहीं करेंगे तो हमें कत्ल कर दिया जाएगा।

श्री श्रवण कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे को भी बोलने का मौका मिलेगा क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : आपका नम्बर आएगा, अभी बहुत काम बाकी है, विराजें। अभी बहुत काम बाकी है।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : मेरा निवेदन यह है कि मुख्य मंत्रीजी अभी यहां हैं नहीं, इसलिए आप कुछ समय के लिए इसको टाल दें, सब के लिए अच्छा होगा। आप हमें कत्ल मत करिये। नहीं तो सब कत्ल हो जाएंगे ये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इसी पर जवाब देंगे क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : तरीके से आएगा। इसके बाद खण्डशः विचार होगा, उसके बाद फिर आएगा। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : थर्ड रीडिंग पर फिर जवाब देंगे क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : हां, देंगे न।

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस बिल के सम्बन्ध में पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों ने खुलकर अपने विचार प्रकट किये, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि विपक्ष के कई माननीय सदस्यों ने इस बिल के सम्बन्ध में बड़ा कन्फ्यूजन खड़ा करने की कोशिश की है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल सरकार सोच समझकर लायी है, कोई जल्दबाजी में नहीं लायी है। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि जनवरी, 1999 में राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में राजस्थान में राजस्थान राज्य विद्युत विनियामक आयोग गठित करने का फैसला हुआ। उसकी तीन सदस्यीय कमेटी बनाई गई जो अपना काम कर रही है। उसके बाद में 4 मई, 1999 को राज्य मंत्रिमण्डल ने पावर सैक्टर सुधार

(डा. चन्द्रभान)

के लिये एक नीति पत्र जो सरकार ने तैयार किया था, उसको मंजूरी दी। अभी माननीय सदस्यों ने एक बात रखी है और वह वाजिब है, मंडावा से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा कि सुधार के कार्यक्रमों के बारे में कोई विचार गोष्ठी होती या विधायकों को ज्यादा जानकारी दी जाती तो और अच्छा होता। मैं उनसे सहमत हूं। मैं माननीय सदस्यों से जानकारी लेना चाहूंगा कि मई के महीने में जो हमने नीति पत्र तैयार किया जो इस बिल का मुख्य आधार है, उस नीति पत्र की कॉपी 'राजस्थान में विद्युत क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता क्यों', इसका 8 पेज का फोल्डर मेरे पत्र के साथ में न केवल सभी माननीय सदस्यों को भेजा गया बल्कि राजस्थान के सभी जन प्रतिनिधि चाहे वो जिला प्रमुख हों, पंचायत समिति के प्रधान हों, म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन हों और अन्य जो राजस्थान में महत्वपूर्ण व्यक्ति है ऐसे 1000 से ज्यादा लोगों को भेजा। उसके बाद जब-जब सम्भव हुआ मैंने इसके बारे में चर्चा की। धोद से आने वाले माननीय सदस्य अभी बता रहे थे और उनियारा से आने वाले माननीय सदस्य ने भी चर्चा की।

मैं जब से ऊर्जा विभाग का मंत्री हूं तब से मेरी एक कोशिश है, न केवल विभाग को समझने की और जानकारी लेने की बल्कि जो सबसे ज्यादा इससे प्रभावित है या जिस को लाभ मिलना चाहिये उसके बारे में सोचने की। अभी हमारे कर्मचारी और अधिकारी भाई यहां प्रदर्शन करने आये थे, उनकी सेवा शर्तों का भी सवाल है, उनकी नौकरी का भी सवाल है, उनके परिलाभ का भी सवाल है। भा.ज.पा. के सदस्यों ने सबसे ज्यादा चिन्ता प्रकट की है। ठीक है उनकी नौकरी रहनी चाहिये और रहेगी भी, लेकिन यह केवल 50,000 या 55,000 लोगों का सवाल नहीं है. यह राजस्थान के 52 लाख, आधा करोड़ विद्युत के जो उपभोक्ता हैं उनका सवाल है कि उनको हम किस तरह की सेवाएं दे पा रहे हैं, किस तरह की उनके सामने परेशानियां हैं, किस तरह की उनके सामने दिक्कत है। वे ज्यादा महत्व रखते हैं। सात लाख लोग कई सालों से लाइन में खड़े हैं, चाहे वे हमारे किसान भाई हों, घरेलू उपभोक्ता हों, चाहे दूसरे उपभोक्ता हों। इसीलिये मैंने विद्युत उपभोक्ता सम्मेलन का आयोजन कराया। मैं स्वयं वहां पर गया, दिन भर उपभोक्ताओं के बीच में बैठा, जन प्रतिनिधियों के साथ बैठा। हर सोमवार को सब काम छोड़कर मैं स्वयं रोज चार घण्टे विद्युत मण्डल के दफ्तर में बैठा और सबकी बात को सुना। इस विद्युत सुधार के कार्यक्रमों के बारे में सबको जानकारी भी दी, सबको विश्वास में लेने के प्रयास भी किये।

उपाध्यक्ष महोदय, ये विद्युत सुधार के कार्यक्रम किसके दबाव में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, यह बात यहां पर कही गई। किन मजबूरियों में आ रहे हैं, ये बातें ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। हम और आप सब लोग अच्छी तरह से समझते हैं कि राजस्थान में विद्युत की स्थिति क्या है। 1999 चल रहा है, 3 महीने बाद में हम इक्कीसवीं सदी में जाएंगे, क्या आप और हम सब लोग चाहते हैं कि हम इक्कीसवीं सदी में अंधेरे में चलें? या यह कि हम रोशनी में चलें?

(डा. चन्द्रभान)

आज सभी माननीय सदस्यों का इस विधेयक के सम्बन्ध में चिंतित होना या बिजली के मामले में इतनी लम्बी-चौड़ी बहस करना बहुत जरूरी है क्योंकि यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है । पुरानी कहावत है "बिन पानी सब सून" लेकिन आज तो यह कहावत भी बदल रही है, उपाध्यक्ष महोदय । आज स्थिति यह बन गई है जैसा इन्दौरिया जी कह रहे हैं, बिन बिजली सब सून । आज तो पानी भी बिना बिजली के संभव नहीं है । आप यह बताइये कि जब पावर ही नहीं रहेगा, हम बिजली पैदा नहीं कर पाएंगे और उसे जनता तक नहीं पहुंचा पाएंगे तो फिर एक ऊर्जा मंत्री के पावर्स का कहां सवाल उठता है ? मैं पावर्स लिये बैठा रहूं, उन पावर्स का क्या मतलब है, आप सब लोग अच्छी तरह से समझते हैं । आप सभी सम्माननीय सदस्य हैं, कोई आज से नहीं हैं । कई लोग तो 1952 से आ रहे हैं जब मेरा जन्म हुआ था । आप लोग पूरी स्थिति को समझते हो, जानते हो कि राज्य की आज स्थिति क्या है । अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमारा ओन जनरेशन 1302 मेगावाट है और हमारी भागीदारी, केन्द्र से आवंटन सब मिला कर 3356 मेगावाट है । जो विशेष आवंटन होता है चूंकि हमारी सरकार केन्द्र में नहीं है वह इसमें कमी कर देती है । जब कमी करती है तो रेगुलेटरी कमीशन की बात भी करती है और विद्युत सुधार के कार्यक्रमों को लागू करने की बात भी कह देती है । प्रति वर्ष 10 से 11 प्रतिशत विद्युत की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है । आज आम आदमी चाहे वो शहर में हो, कच्ची बस्ती में हो, गांव में हो, सब लोग विद्युत का उपयोग करना चाहेंगे । और क्यों नहीं चाहेंगे ? यह कुछ लोगों का प्रिविलेज थोड़े ही है कि शहरों में और बड़ी जगहों पर जो रहते हैं उनको तो विद्युत मिले 24 घण्टे और जो गांव में, ढाणी में किसी कोने में रहता है, गरीब आदमी है उसको या तो विद्युत का कनेक्शन ही नहीं मिले और मिले तो चार घण्टे और छह घण्टे भी बिजली नहीं मिले, अच्छी क्वालिटी की बिजली नहीं मिले और दिन में 24 बार बिजली जाए ? ऐसा क्यों ? ऐसा नहीं होना चाहिये । उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन आज ऐसा हो रहा है । आने वाले वक्त के लिये सेन्ट्रल इलैक्ट्रिसिटी अथोरिटी के सर्वे में यह माना गया है कि आज तो हमारी साढ़े चार हजार मेगावाट होनी चाहिये, आदर्श व्यवस्था वही है । है नहीं । 5600 मेगावाट चाहिये दो साल बाद में और दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में चाहिये 7910 मेगावाट । अब बताइये इतनी बिजली कहां से पैदा होगी ? हमारी स्थिति देखिये, पहले तो भाखड़ा और चम्बल से भी बिजली पैदा कर सकते थे, अब वे स्रोत भी नहीं रहे । या तो हम बिजली अन्य राज्यों से महंगी खरीदें और उसे सस्ती बेचें या हम थर्मल पावर प्लांट बनाएं जिसकी बिजली महंगी होती है । लेकिन कांग्रेस बी.जे.पी. नहीं है, इस बात को समझना चाहिये । आप जानते हो कि हाइडल के कितने सोर्सेज हैं । वी.पी. सिंह जी आपके नजदीक बैठे हैं, वे अच्छी तरह से समझते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि हम बना रहे हैं और हम आपकी तरह नहीं बनाएंगे कि सूरतगढ़ को 10 साल में पूरा करें । कभी पब्लिक सैक्टर में गये, कभी प्राइवेट में और फैसला नहीं कर पाये । साढ़े तेरह सौ करोड़ रुपये में जो 500 मेगावाट की योजना पूरी होती

(डा. चन्द्रभान)

चाहिये थी उसमें 2300 करोड़ रुपये खर्च होंगे। 1990 से लेकर 1998 तक का वक्त आपने गंवाया। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार को 8–9 महीने का वक्त हुआ है, हम प्रयास कर रहे है। हमने सूरतगढ़ की सैकिण्ड स्टेज की न केवल क्लीयरेन्स कराई है, वरन् 3-अक्टूबर को मुख्य मंत्री जी उसका शिलान्यास करेंगे। हमने इन्तजार नहीं किया। एक-एक दिन महत्व रखता है बिजली के उत्पादन में और जुलाई के महीने में जब स्वीकृति हुई तब से ही हमने काम करना शुरू कर दिया। हमारी सरकार ने इस बजट में जो अप्रैल में पास हुआ; इसके लिये साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। हमने निर्धारित समय से कम समय में पावर फाइनेंस कारपोरेशन से 800 करोड़ रुपये का लोन लिया। आप वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं, पावर फाइनेंस कमीशन किसका है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं? पावर फाइनेंस कमीशन ने जो पत्र दिया वह मेरे पास है, 400 करोड़ रुपये का लोन स्वीकृत किया है। 400 करोड़ लोन के साथ में उपाध्यक्ष महोदय, क्या शर्त लगायी है? आप रैगुलेटरी कमीशन बनाएंगे, आप रिफार्म्स के बिल को लेकर आएंगे, आप टैरिफ का रिवीजन करेंगे। हमने तो मथानिया को क्लीयर किया, मथानिया भी कांग्रेस के समय की योजना है। आप 8–9 साल तक करते रहे, क्या किया आपने? हमने तो 8–9 महीने में क्लीयर करा दिया मथानिया की 872 करोड़ रुपये की परियोजना को।

उपाध्यक्ष महोदय, बातचीत चल रही है, के. एफ. डब्ल्यू. की ओर से मदद मिलेगी। मदद में भी यह शर्त है कि रिफार्म्स होने चाहिए। आप अभी कह रहे हैं कि पवन ऊर्जा दो मेगावाट की है। आपके लिए दो मेगावाट बहुत छोटी बात है, लेकिन आप कितनी पैदा कर पाए आठ साल में? आप तो दो मेगावाट भी पैदा नहीं कर पाये। आप कोटा की 210 मेगावाट की इकाई को गिना रहे हैं, वह सब काम कांग्रेस के समय में हुआ था, आपने केवल स्विच-ऑन किया था। आज प्रतिपक्ष के नेता यहां नहीं हैं, अगर होते तो आज का यह डिस्कशन और अच्छा होता। जहां तक सूरतगढ़ का सवाल है यह आपकी एक उपलब्धि मान सकते हैं, लेकिन सूरतगढ़ में आपको कहना चाहूंगा जो कामर्शियल प्रोडक्शन हुआ है वह फरवरी, 1999 में हुआ है, हमारे शासनकाल में हुआ है। एक्सपेरिमेंटल नवम्बर में हुआ है यह बात मैं मानने को तैयार हूं। और प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैं, वे तो ऐसे ही नींव डालते गए, ऐसे ही पी. पी. ए. करके गये उनसे निकलना ही बहुत मुश्किल है।

बरसिंहसर की बात आप कर रहे हैं, हमने सब कागजात क्लीयर करके सी.ई.ए. को भेज दिए। सी. ई. ए. या सेन्ट्रल गवर्नमैंट हमारी नहीं है, उसको रोके बैठी है। और दूसरों से भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, एक मेगावाट थर्मल पावर पैदा करने के लिए 4.5 करोड़ रुपये चाहिए और चार साल का इंतजार भी उसके लिए करना पड़ेगा। इतना माद्दा होना चाहिए। कहने का मतलब है इतनी बिजली पैदा करें और उनके साथ में पारेषण और वितरण का

(डा. चन्द्रभान)

जो हमारा तंत्र है उसका विकास करना पड़ेगा, उसको मजबूत करना पड़ेगा।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घण्टे और बढ़ा दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि सदन का समय एक घण्टा बढ़ाया जाए ?

(स्वीकृति)

सदन का समय एक घण्टा बढ़ाया गया।

विधेयक पर विचार

श्री मोहनलाल बारूपाल (जायल) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : आपका नम्बर आए तब आपको बोलने देंगे। माननीय मंत्रीजी।

श्री जगमाल सिंह यादव : डाक्टर साहब, आप इस विधेयक पर आओ। कांग्रेस ने क्या किया और इन्होंने क्या किया, इसको छोड़कर आप तो विधेयक पर आओ।

डा. चन्द्रभान : मैं विधेयक पर ही आ रहा हूं। विधेयक क्यों लाना पड़ रहा है इसकी चर्चा तो मुझे करने दीजिए। यह मेरा अधिकार भी है। मैं हकीकत बता रहा हूं आपको।

आप दसवीं पंचवर्षीय योजना तक की यदि कोई कार्य–नीति भी नहीं बनाएं, कोई योजना भी नहीं बनाएं, तो मैं चार साल की आपसे बात करना चाहूंगा। चार साल के लिए 2 हजार मेगावाट बिजली पैदा करनी है, यह हमने मैनिफेस्टो में भी कहा है। हम 2 हजार मेगावाट बिजली पैदा करेंगे, चाहे पब्लिक सैक्टर में करें, चाहे प्राइवेट सैक्टर में करें। उसकी कार्यवाही शुरू हो गई है जिसकी मैंने अभी आपके सामने चर्चा की है। दो हजार मेगावाट के लिए 8 हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता है और फिर पारेषण और वितरण का जो तंत्र है उसके लिए भी 8 हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता है। 16 हजार करोड़ रुपये हमें जुटाने होंगे, एक साल में 4 हजार करोड़ रुपये जुटाने होंगे। जो इस सरकार की स्थिति है, हमारी सरकार तो अब आई है, हमने तो फिर भी अबकी बार एक हजार करोड़ रुपये रखा है, आपने तो 825 करोड़ रुपये रखा था। एक हजार करोड़ रुपये से ज्यादा सरकार रख नहीं सकती।

अभी बिजली बोर्ड की बात चल रही थी। माननीय वी. पी. सिंह जी कह रहे थे और हमारे सभी सदस्यों ने यह बात कही कि आप इसको कामर्शियल ऑर्गेनाइजेशन बनाने जा रहे हैं। हर चीज टैरिफ वगैरह तय हो गई, वह सब कामर्शियल बेसिस पर तय हो गई। उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में यह कामर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। यह 3 परसेंट रेट ऑफ रिटर्न की बात कहां से आई ? आप कह रहे हो कि सर-

(डा. चन्द्रभान)

कार वह सबवेंशन नहीं दे पा रही है। हमारी सरकार तो अब आई है, 8–9 महीने पहले क्या हुआ ? मैं आपसे पूछना चाहता हूं 1996–97, 1997–98 और 1998–99 का दो हजार करोड़ रुपये का सबवेंशन आपकी सरकार क्यों नहीं दे पायी बिजली बोर्ड को ? उपाध्यक्ष महोदय, ये सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज जो राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल की वित्तीय स्थिति है यह सबके लिए चिन्ता का विषय है। यह केवल राजस्थान के बिजली बोर्ड की स्थिति है। ऐसी बात नहीं है, देश भर के बिजली बोर्डों की स्थिति ऐसी है। वितरण और विद्युत सुधार के कार्यक्रमों का जहां तक सवाल है ये केवल हम राजस्थान में लेकर आ रहे हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वजह रही कि हमारे पर जो कर्जा था वह 5.5 हजार करोड़ रुपये हो गया ? एक दिन में तो हुआ नहीं है। 100 करोड़ का घाटा था 1990–91 में। हमने खूब कोशिश की तो भी वह 950 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। हम महंगी बिजली खरीदेंगे और सस्ती बेचेंगे, चोरी को हम रोकेंगे नहीं खुद का उत्पादन करेंगे नहीं, पारेषण, वितरण के सिस्टम का विकास करेंगे नहीं तो टी. एण्ड डी. लासेज भी बढ़ते चले जाएंगे। आप कह रहे हैं जैसा चल रहा वैसे चलने दो, तो अंधेरे में डूब जाएंगे। आज स्थिति क्या है ? आज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या स्थिति है ? उपाध्यक्ष महोदय, कई जिले तो ऐसे हैं जहां 50परसेंट एनर्जी का बिल नहीं कटता है, रेवेन्यू रियलाइजेशन की बात तो बहुत आगे की बात है। यह सब जो मैंने आपके सामने रखा, यह फाइनेंशल पोजीशन हर स्टेट के बिजली बोर्ड की बनती जा रही है। जब विद्युत मण्डल पर कर्जा होगा, विद्युत मण्डल घाटे में चलेगा, विद्युत मण्डल अपनी दरें समय पर नहीं बढ़ा पाएगा, विद्युत मण्डल अपनी कार्यकुशलता को ठीक नहीं कर पाएगा, भ्रष्टाचार को नहीं रोक पाएगा, फिजूलखर्ची को नहीं रोक पाएगा, अपने संस्थापन खर्चे को बढ़ाता चला जाएगा, केन्द्र सरकार अपनी शर्तें लागू करती चली जाएगी, बाहर से बिजली लेते हैं उसके दाम बढ़ जाएंगे, कोयले के दाम बढ़ जाएंगे, रेल का किराया बढ़ जाएगा, पांचवा वेतन आयोग लागू हो जाएगा, ये सब खर्चे जब बढ़ते चले जाएंगे तो एक कर्जे के जाल में न केवल राजस्थान का बिजली बोर्ड, बल्कि मैं कहना चाहूंगा, देश के सभी बिजली बोर्ड फंस जाएंगे। वे आज इस स्थिति में हैं इसलिए कोई प्राइवेट इनवेस्टर नहीं आना चाहता, कोई इनवेस्ट नहीं करना चाहता। उपाध्यक्ष महोदय, आज चलिए राजस्थान बिजली बोर्ड तो फिर भी थोड़ा ठीक है, अन्य बिजली बोर्डों की क्या स्थिति है, वह भी हमें समझनी चाहिए। यदि हमने समय रहते हुए सुधार के कदम नहीं उठाये तो, उपाध्यक्ष महोदय, चाहे फाइनेंशल इंस्टीट्यूशन हों, चाहे बैंक्स हों, चाहे सरकार हो, चाहे पी. एफ. सी. हो और चाहे अन्तरराष्ट्रीय वर्ल्ड बैंक वगैरह जिनकी आप बात कर रहे हैं ये हों, कहीं से कोई मदद हमको नहीं मिलने वाली है। सरकार मदद कर नहीं सकती। आप खुद ही कह रहे थे कि हमारी गवर्नमेंट से एनुअल प्लान में लोन के रूप में जो मदद मिलती है वह 1990–91 में 17.5 परसेंट थी,

(डा. चन्द्रभान)

आज घटकर 4 परसेंट हो गई। यह 4 परसेंट आज नहीं हुई है, आपके समय में कितनी थी? आज से दो साल पहले कितनी थी? साढ़े चार प्रतिशत। तो मैं कहना चाहूंगा, यह स्थिति हमें समझनी चाहिए। सरकार के पास साधन हैं नहीं, बिजली बोर्ड अपनी कार्यकुशलता में सुधार कर नहीं सकता, फिजूलखर्ची रुक नहीं सकती और बाहर से कोई इनवेस्टमेंट आ नहीं सकता ऐसी स्थिति में मुझे बताइए कि हम उपभोक्ता को कैसे रिलायबल पावर बिना किसी ट्रिपिंग के और पूरे समय दे सकते हैं? डिमाण्ड बढ़ती जा रही है, 7 लाख उपभोक्ता हैं जिसमें डेढ़–दो लाख तो हमारे किसान भाई हैं, और दूसरे उपभोक्ता भी हैं। इन सबके लिए क्या व्यवस्था की जाए?

उपाध्यक्ष महोदय, ये सुधार के कदम केवल हमारे लिए जरूरी नहीं हैं बल्कि सबके लिए जरूरी हैं। आज आप लोग भी बार-बार ईस्ट इण्डिया कम्पनी का नाम ले रहे थे। यह उदारीकरण का कार्यक्रम पूरी दुनिया में चल रहा है और हमारे देश भारत में 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी। मुझे इस बात का फख्र है कि इसकी शुरुआत भी कांग्रेस की सरकार ने की थी।

(17.00 बजे)

मनमोहन सिंह जी, जो हमारे वित्त मंत्री आपको मैं फिर कह रहा हूं कि मनमोहन सिंह फिर दिल्ली से जीतकर आएगा और दिल्ली की जनता तय करेगी कि देश कौनसी आर्थिक दिशा में चले। चलिये, छोड़िये मनमोहन सिंह जी की बात को। उसके बाद में जनता दल की सरकार आयी, उनमें देवेगौड़ा प्राइम मिनिस्टर बने, उसके बाद में इन्द्रकुमार गुजराल प्राइम मिनिस्टर बने और पी. चिदम्बरम ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री जी, आप विधेयक पर आइये। हमें बताओ कि सैक्शन 26 में टैरिफ कैसे तय किया जाएगा। (व्यवधान) आपको इस विधेयक पर... (व्यवधान) आप कांग्रेस के महामंत्री नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : आप इस बिल पर राजस्थान की जनता को क्या देना चाहते हैं, यह बताइये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन ग्रहण कीजिये।

श्री सांवर लाल : आप इस राजस्थान की जनता को क्या देने वाले हैं, आपके पास क्या... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सांवर लाल जी, बिराजिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : .... हमने कब कहा कि मनमोहन सिंह जी नहीं जीतेंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। प्लीज विराजिये। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : ...सदन का समय व्यर्थ कर रहे हैं। हमको सबको उत्तर प्रदेश प्रचार में जाना है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये विराजिये।

(श्री उपाध्यक्ष)

प्लीज सिट डाउन (व्यवधान) बैठिये। माननीय सदस्य, प्लीज विराजिये (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय मंत्री जी, इनकी नॉलेज में हम कोई (व्यवधान) लेकिन ये बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ....तीसरे वाचन के ऊपर हम क्या बोलेंगे ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। आर्डर-आर्डर। माननीय मंत्री जी। आर्डर प्लीज, बिराजिये। (व्यवधान) 6 घण्टे तक माननीय मंत्री जी आपकी बात सुनी है और आप 15 मिनट, आधा घण्टा भी नहीं सुनना चाहते ? जवाब भी नहीं लेना चाहते ? यह क्या बात हुई ? (व्यवधान) आप मर्जी आये जो बोल लिया ऐसा नहीं करें। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : लेकिन किस पर बोलें। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जनमत जानने के लिए भेजा जाए या नहीं भेजा जाए, यह बिन्दु था। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा नहीं है। (व्यवधान) आर्डर आर्डर।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप कोई ... (व्यवधान) अपनी बात कही है उसके आधार पर जिन पर... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

मोहम्मद माहिर आजाद : जनमत जानने के लिए भेज रहे हैं या नहीं, ये इस पर बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपको धैर्य रखना पड़ेगा। आपने जो कहा है उसका जवाब सुनना चाहिए। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ...जनमत जानने के लिए जो बिन्दु हमने रखे हैं उनका जवाब दें कि जनमत जानने के लिए आवश्यकता नहीं है इसलिए मैं इसको.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपने अपनी बात कही है अब सुनना ही नहीं चाहते। (व्यवधान) आप सुन लीजिये। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : मुझे तो यह पता नहीं लग रहा है कि आप कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ रहे हो या बिल पढ़ रहे हो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मूल विषय पर आइये आप। (व्यवधान) अब आप यह कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह जीतेंगे, यह क्या विषय हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ....सोनिया

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

गांधी जीतेगी या हारेगी, हम कहें कि हारेंगी तो यह क्या बात हुई। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। (व्यवधान) माननीय सदस्य, यदि आपमें सुनने का पेशेंस नहीं हैं, आप चाहें तो मैं बिल पास करा दूं। नहीं तो मंत्री जी को बोलने दीजिये। बोलने दीजिये उनको। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : मनमोहन सिंह के कारण तो आप 138 रह गये थे। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++ आप खुद ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपको जो मंत्री जी जवाब दे रहे हैं वह (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : ... भाषण कर रहे हैं आप। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं नहीं, आप बिराजिये प्लीज। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हम जानते हैं कि संख्या बल के आधार पर.... (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++ बिल पास कराके (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप संख्या बल के आधार पर विधेयक को पास कराएंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। उनको बोलने का अधिकार है। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : अभी माननीय सदस्य ने जो आसन पर आरोप लगाया है कि आप +++ उसके एक्सपंज कराइये। आसन के प्रति कुछ भी.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। माननीय मंत्री जी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : कृपया आप इसको एक्सपंज करिये जो आरोप लगाये हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक्सपंज कर दो।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आसन इस सदन में सबसे ज्यादा प्रमुख है और आसन के प्रति कोई सदस्य को कोई भी बात कहने का अधिकार है ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रोसीडिंग को देख लेंगे, यदि ऐसी कोई बात होगी तो एक्सपंज कर देंगे।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरा कोई समय निश्चित कर दीजिए। आप मेरा कोई समय निर्धारित कर दीजिये, आप जितनी देर के लिए कहेंगे उतनी ही देर ही मैं (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आखिर वे गृह मंत्री हैं वे कैसे अपनी सीट के अलावा बोलने के लिए खड़े हो गये? यह है क्या हाउस का डेकोरम जो हमें सिखाना चाह रहे हैं? (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : क्या डेकोरम सिखा रहे हो आप ? क्या डेकोरम मुझे सिखाओगे । (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप अपनी सीट पर बैठें । (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूं । (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह कोई हाउस का डेकोरम है क्या ? (व्यवधान) +++ में भूल गये हैं । +++ मत रखें । यह कोई डेकोरम नहीं है ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप आसन पर आक्षेप कर रहे हैं । (व्यवधान) आप आक्षेप पर आक्षेप कर रहे हैं । (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया :- अपनी पर से बोलना चाहिए । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी । माननीय सदस्य । (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप कौन हैं ? who are you ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ऐसे सदन कैसे चलेगा ? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : .. आप मंत्री होकर इस तरह से.... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, यह दमनकारी नीति नहीं चलेगी ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : (व्यवधान) आप आप कौन हैं ? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप मंत्री हो और यह कर रहे हैं । (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप आसन पर आक्षेप नहीं कर सकते । (व्यवधान) आप हैं कौन कहने वाले ? आप हैं कौन कहने वाले ? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : कौन हैं जो आपके सामने हैं । (व्यवधान) आपकी दया से नहीं आये हैं । (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपकी दया से हम बैठे हैं यहां पर ? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : गृह मंत्री अपनी जगह पर जाकर बोलें । आप हाउस का डेकोरम सीखो । (व्यवधान) अपनी सीट छोड़कर.... (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : ....(व्यवधान) आपसे पुराना एम. एल. ए. हूं । (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया :....आखिर सदस्य अपनी सीट से बोलेंगे । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हो गया । (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह डेकोरम हुआ है हाउस का ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप इतना आवेश में क्यों आये हो ? (व्यवधान)

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह हाउस का डैकोरम है क्या कि हम कहीं भी दूसरी जगह जाकर बोलें ? (व्यवधान) मंत्री होकर हाउस का डैकोरम नहीं जानते हैं। ये अपनी सीट के अलावा नहीं बोल सकते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप इतने आवेश में मत आइये। आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : यह लड़ाई दूर-दूर से हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, सबको मालूम है कि कुछ नहीं हो सकता, दूर-दूर से वाक्-युद्ध हो रहा है। आइये पास में। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : डैकोरम की बात करने वाले स्वयं डैकोरम नहीं जानते हैं। माननीय कटारिया साहब, यहां कोई भी बात कही जाती है वह आसन के माध्यम से कही जाती है। आपने कौनसा डैकोरम मेन्टेन किया है ? आप सीधे सीधे मंत्रीजी को कह रहे हैं, आप खुद ही डैकोरम तोड़ रहे हैं। डैकोरम का पाठ पढ़ा रहे हैं, आप खुद तो डैकोरम मेन्टेन करिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : ये तो +++ (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, बिजली का मामला है, करंट लग जाएगा। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : उपाध्यक्ष महोदय, धारीवाल जी कहां से बोल रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलना चाहते हैं तो अपनी सीट पर आओ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, बिजली का मामला है करंट लग जाएगा। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अपने स्थान पर जाओ। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : बैठ जाओ। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : बैठ जाओ। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : निपट गये परले। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अपने स्थान पर जाओ। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सब चौपट कर दिया चौपट। (व्यवधान) बात करते हो डैकोरम की। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय बढ़िया जवाब देते हैं। ये मर्यादाओं का पालन कर रहे हैं क्या ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : करंट लग जाएगा। (व्यवधान) बिजली का मामला है। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : .. ऐसे लड़ने लग जाओगे मुझे कहां... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप भी अपनी सीट पर नहीं हैं, बैठ जाओ। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : +++ लड़ाई हो रही है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : इनको अपनी सीट पर भेजिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, इनको अपनी सीट पर बोलना चाहिए, अपनी सीट पर जाएं। हम तो अपनी सीट पर हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीन सदस्य, आप बैठे। यह आपका काम नहीं है, यह मेरा काम है। आप क्यों लम्बा कर रहे हो ? (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : यह कोई बात नहीं है। एक कमीज की बात कर रहा है और दूसरा नेकर की बात कह रहा है। एक कह रहा है कि आपके पास कमीज नहीं है और वह कह रहा है कि आपके पास नेकर नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जगत सिंह जी। माननीय मंत्री जी। कंटीन्यू करें।

श्री रामस्वरूप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या +++ कर रखा है इन्होंने ? यह विधान सभा है या इन्होंने इसे +++ बना रखा है ? यह कोई +++ है क्या ? ये लोग इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं हमारे साथ। मंत्रियों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। आपकी मौजूदगी में हो रहा है यह। उनको डांटिये इस बात के लिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : रामस्वरूप जी, प्लीज सिट डाउन।

डा. चन्द्रभान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्यों के विचार बड़ी तसल्ली के साथ सुने हैं। मैं जब एक बार बाथरूम करने गया तभी आपने आब्जेक्शन कर दिया और आप मुझे आधा घंटा, 20 मिनट भी नहीं सुनना चाहते। मैं 15 मिनट बोला हूं टोटल। उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरा समय निर्धारित कर दीजिये, मैं उतनी ही देर बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : कोई समय नहीं है आपका, आप बोलिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : जब तक आपके कानों में सीसा नहीं घुल जाएगा, तब तक बोलो। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई विषयान्तर नहीं हो रहा था, मैं थोड़ी-सी भूमिका में जा रहा था चूंकि यह आर्थिक सुधार कार्यक्रमों से जुड़ा हुआ है। अब मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूं, आप सुनने का कष्ट कीजिये। मैं आपका ज्ञान बढ़ाऊंगा ही, कोई कम नहीं करूंगा। तो मैं

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री राजेन्द्र पारीक : मंत्री महोदय, इनका ज्ञान तो तब बढ़ाएंगे जब ये ज्ञान की खिड़की खुली रखने वाले हों। इन्होंने ज्ञान की सारी खिड़कियां बन्द कर रखी हैं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : दूसरों की क्यों समझ रहे हों, +++ आप दूसरों को ऐसा क्यों मान रहे हो ? (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि चाहे केन्द्र में मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री हों, चाहे पी. चिदम्बरम साहब हों, चाहे यशवन्त सिन्हा साहब हों, सभी सुधार के कार्यक्रमों को लागू कर रहे हैं, मान रहे हैं। जब आप लोग नहीं होते हो तब तो ईस्ट इण्डिया कम्पनी आकर देश पर कब्जा करेगी, ये बातें करते हैं और जब आप खुद सरकार में आते हैं तो आपको ईस्ट इण्डिया कम्पनी का खतरा नहीं दिखाई देता। 1991 में सुधार के कार्यक्रम शुरू हुए थे, आज आठ साल पूरे हो गये क्या ईस्ट इण्डिया कम्पनी आ गई, जिस तरह की आपको शंका थी ? उपाध्यक्ष महोदय, ये सुधार के कार्यक्रम कोई राजस्थान में ही हो रहे हों, ऐसी बात नहीं है, सारे राज्यों में हो रहे हैं। मैं आपको जानकारी दूं, हरियाणा में जहां यह विधेयक पारित हो गया, सुधार के कार्यक्रम बहुत तेजी से चल रहे हैं। मैं खुद वहां पर गया था। बंसीलाल जी सरकार को उस समय आपका समर्थन था। उसके बाद उत्तर प्रदेश में जहां अभी भी आपकी सरकार है, कल्याण सिंह की सरकार है, जिसको अभी आप काला कानून कह रहे थे, जिसको अभी आप फाड़ रहे थे और मेरे मुंह के ऊपर फेंक रहे थे, ऐसे के ऐसे कानून को भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने विधान सभा में क्यों पारित किया, यह मैं पूछना चाहता हूं ? (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : यू.पी. के नतीजे देख लेना, कल्याण सिंह साफ।

श्री अमराराम (धोद) : उड़ीसा का मुख्य मंत्री साफ, हरियाणा का मुख्य मंत्री साफ, यू. पी. का मुख्य मंत्री साफ। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : मध्य प्रदेश का भी मुख्य मंत्री साफ होएगा।

डा. चन्द्रभान : ....और कोई पार्टी विशेष की बात नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, उड़ीसा तो सुधार के कार्यक्रमों में पायोनियर स्टेट है। अभी आप बातें कह रहे थे, आज बातें कहना बहुत आसान है। अभी धोद से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि पश्चिमी बंगाल में किसानों को बिजली राजस्थान से कम पैसे में मिलती है। वहां 1.32 रुपये प्रति यूनिट है पश्चिमी बंगाल में और यहां 52 नया पैसा है। आज की बात कीजिये ना, आज की तारीख में वहां पर क्या रेट है।

श्री अमराराम (धोद) : आप 1.70 रुपये में दे रहे हो। डाक्टर साहब, आप 1.70 रुपये में दे रहे हो और जिन्होंने रिफार्म्स लागू किया, उड़ीसा में और पश्चिमी बंगाल में....

मोहम्मद माहिर आजाद : पंजाब में तो फ्री है।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

डा. चन्द्रभान : नहीं। हमने 1.70 रुपये वाली नर्सरी योजना को खतम कर दिया, उपाध्यक्ष महोदय। हमने खतम कर दिया।

मोहम्मद माहिर आजाद : लेकिन तमिलनाडु और पंजाब में तो फ्री है, वहां का उदाहरण दो आप। तमिलनाडु और पंजाब में तो फ्री है।

डा. चन्द्रभान : अब आप सुनिये तो सही।

श्री अमराराम (धोद) : डाक्टर साहब, यह लगने के बाद चार रुपये यूनिट होगी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : तमिलनाडु और पंजाब की तो बताओ।

डा. चन्द्रभान : अब आप सुनिये। उपाध्यक्ष महोदय, उड़ीसा के अन्दर कांग्रेस सरकार में, कर्नाटक में जनता दल एकीकृत में जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिल कर चुनाव लड़ रहा है और आंध्र में तेलगुदेशम, जिसकी साइकिल पर आप सवार होकर आन्ध्र प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं, सब जगह यह विधेयक पारित हो गया और यह ...

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : आंध्रप्रदेश में बोर्ड है।

डा. चन्द्रभान : नहीं, नहीं, कहां ? नहीं, नहीं, आंध्र प्रदेश में कोई बोर्ड नहीं है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : अभी बताता हूं।

डा. चन्द्रभान : वी. पी. सिंह साहब, आप ज्ञान को बढ़ा लो। नहीं, नहीं....

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : यह लीजिये, बोर्ड है। यह तो चैलेंज हो जाए। हां, यह तो चैलेंज हो जाए।

डा. चन्द्रभान : नहीं, नहीं, वहां विधेयक पारित हो गया।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मैं कह रहा हूं, वहां बोर्ड है। यह देखिये।

डा. चन्द्रभान : नहीं, नहीं।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : नहीं नहीं से क्या होता है, यह देखिये आप। नहीं, नहीं से क्या मतलब हुआ। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह तब था जब आप अमेरिका में थे।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मैं पढ़ कर सुना देता हूं "A-P invites 15,000 crore investment in power."

डा. चन्द्रभान : कब का कागज लिये घूम रहे हैं ? कब का कागज है ? (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : बोर्ड है, बोर्ड। जब से इन्होंने किया है तब का कागज है। "The object of the power sector reform included providing operational management, functional autonomy to the A.P. Electricity Board ''

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, आप वहां की विधान सभा से पता कर सकते हैं, वहां विधेयक पारित हो गया।

(डा. चन्द्रभान)

tarriff for domestic consumers was aronnd 40%,

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जगतसिंह जी, आपको अवसर देंगे बोलने का ।

श्री जगत सिंह दायमा : मेरी दूसरी बात है ।

श्री उपाध्यक्ष : आपको अवसर दूंगा न बोलने का बाद में । नहीं बोलना चाहते क्या आप ?

श्री जगत सिंह दायमा : नहीं, मैं बोलना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : हां तो तब बोलियेगा । आप बैठिये, तसल्ली रखिये ।

श्री जगत सिंह दायमा : मैं तो कोई अच्छी बात कह रहा था ।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, सभी लोग अच्छी बात कह रहे है । ये भी अच्छी बात कह रहे हैं, सुन लें आप ।

श्री जगत सिंह दायमा : मैं तो आपके पक्ष की बात कर रहा था ।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, कोई पक्ष-विपक्ष नहीं अभी तो आप इनकी सुन लें ।

डा. चन्द्रभान : मैं केवल 5–10 मिनट और बोलूंगा, उपाध्यक्ष महोदय । जब से हमारी सरकार बनी है इन लोगों के वक्तव्य देख लें, टैरिफ बढ़ेगी, टैरिफ कल बढ़ रही है, टैरिफ परसों बढ़ रही है । आप मुझे बताइये, आज 10 महीने होने को आये हैं हमारी सरकार को, इन विपरीत हालात में भी हमने बिजली की दर नहीं बढ़ाई । आप भी इस बात को जानते हो । और हमने 130 करोड़ यूनिट से ज्यादा बिजली राजस्थान के उपभोक्ताओं को दी जिसमें सबसे ज्यादा बिजली हमने राजस्थान के किसानों को देने का काम किया है । आज आप जो बात कह रहे हो, उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री केसाराम चौधरी : (व्यवधान) उनकी रेटें बढ़ा दीं, जो इंस्टालेशन चार्ज लेते थे वह बढ़ा दिया और आप कहते हो कि नहीं बढ़ायी । कैसे नहीं बढ़ायी, रेट तो बढ़ायी है आपने ।

श्री सांवर लाल :....(व्यवधान)....12 सौ रुपये कर दिये आपने ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सांवर लाल जी, आप तो सीनियर मैम्बर हैं ।

श्री केसाराम चौधरी : ... (व्यवधान) कनेक्शन ऊपर से एक नहीं दिया अभी तक । जो डिमाण्ड जमा है बी.जे.पी. के राज से अभी तक कनेक्शन नहीं दिये, एक भी कनेक्शन नहीं दिये ।

डा. चन्द्रभान : सांवर लाल जी, आप उसी गवर्नमेंट में थे जिस गवर्नमेंट ने कच्ची बस्तियों के लिए पांच हजार में कनेक्शन देने का फैसला किया था और जिसको आप ने चुनाव में बाद में वापस लिया । हम केवल 15 सौ रुपये में दे रहे हैं, आपको इसका स्वागत करना चाहिए । उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल आया है इस उद्देश्य के साथ आया है कि राजस्थान में जनरेशन बढ़े, राजस्थान में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है उसको मजबूत करें और जो सालों से हमारे भाई इन्तजार में

(डा. चन्द्रभान)

हैं बिजली के कनेक्शन के लिए उनको कनेक्शन मिले। किसानों को ज्यादा वक्त बिजली मिले, पूरे वोल्टेज के साथ बिजली मिले। आम उपभोक्ताओं को बिना किसी ट्रिपिंग के मिले। पूरे सिस्टम में सुधार हो। हमारी जो विद्युत की इकाइयां हैं उनकी कार्यकुशलता बढ़े, उसमें फिजूलखर्ची हम रोकें, उसमें स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा हो, मतलब कामर्शियल बेस तो हो।

इसके साथ में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि 1957 में बिजली बोर्ड बना था, आज 42 साल हो गये। आज आप सब लोग पैरवी कर रहे हैं और हवामहल क्षेत्र से आने वाले माननीय सदस्य हमारे इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, आपके दो अमैंडमैंट मैंने देखे, सिवाय कर्मचारी/अधिकारियों के आपने कोई अमैंडमैंट नहीं दिया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि सब माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि बिजली बोर्ड की स्थिति क्या है। मैं भी उपभोक्ता सम्मेलनों में गया हूं, मैं भी सोमवार को बैठता हूं और आप भी जनता के बीच में रहते हैं, जिस तरह से यहां के कर्मचारी/अधिकारियों का व्यवहार है, कितनी उनकी जवाबदेही है, कितनी जिम्मेदारी के साथ वे काम करते हैं, किस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप भी आप ही लोग लगाते हैं, जनता भी लगाती है और किस तरह की कार्यकुशलता है, ये सब हालात किसी से छुपे हुए नहीं हैं। बिजली बोर्ड एक एकीकृत इकाई है, यदि हम उसके तीन हिस्से करते हैं तो इसमें आपको क्या दिक्कत आ रही है? आपको तो खुश होना चाहिए। मैं इसलिए इस बात को कहना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, आज बिजली बोर्ड की यह स्थिति है कि आप किसी की जिम्मेदारी तय नहीं कर सकते। आज हमारा कोटा का जो पावर प्लांट है उसको इनाम मिलता है, पावर जनरेशन में 80% तक पावर जनरेट करते हैं। लेकिन जनरेशन में कोई अच्छा परिणाम लाते हैं तो उन लोगों को उसका लाभ नहीं मिलता। डिस्ट्रीब्यूशन में ओ. एण्ड एम. में जो बैठे हुए हैं वे गड़बड़ी कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, जनरेशन सब एक हैं इसलिए किसी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं की जा सकती। मेरा यह कहना है कि यदि हम इस एकीकृत इकाई को तीन इकाइयों में विभाजित करेंगे तो इनके कार्य, इनके दायित्व सब इसमें परिभाषित होंगे। इनका क्षेत्र सीमित होगा और उसका मूल्यांकन करना आसान होगा। यदि जनरेशन कम्पनी अच्छा काम करेगी, प्राइवेटाइजेशन की बातें तो बहुत आगे की हैं, फिलहाल जो हम बना रहे हैं कारपोरेशन बना रहे हैं। आप भी अच्छी तरह से समझते हो। आप एक बात को समझिये, आपने तो सब रास्ते बंद कर दिये थे। प्राइवेटाइजेशन के पक्षधर आप थे। आपने जो बिल बनाया था उसमें आप ने यह व्यवस्था की थी कि आप जो पावर जनरेट करोगे वह केवल आई.पी.पीज करेंगे। हमने ऐसी व्यवस्था नहीं की है। हमने कहा है कि प्राइवेट भी रहेगा और पब्लिक सैक्टर भी रहेगा। हमने इस बिल में व्यवस्था की है कि एक सूरतगढ़ नहीं जरूरत पड़ेगी तो हम और सूरतगढ़ बनाएंगे राजस्थान में। राजस्थान की जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है। प्राइवेट वाले नहीं आएंगे तो हम बिजली पैदा करेंगे। इसमें और इन्वैस्टमैंट करेंगे, और कैपेसिटी

(डा. चन्द्रभान)

बढ़ाएंगे। जरूरत पड़ेगी तो कोटा को भी बढ़ाएंगे, रामगढ़ को भी बढ़ाएंगे, मथानिया का भी काम करेंगे। और दूसरे पावर प्लांट जो जरूरी हैं राजस्थान के लिए, वे जरूर लगाएंगे। तो हमने दोनों व्यवस्था इसके अन्दर रखी हैं, यह मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा। फिर, उपाध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि इसको कोआर्डिनेट कौन करेगा। स्पष्ट लिखा है बिल में कि राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम बनेगा वह इस सब काम को करेगा। वह राज्य सरकार के बीच में और दूसरी कम्पनियों के बीच में कोआर्डिनेशन का काम करेगा। कहना चाहिए इस बिजली बोर्ड का सीधे रूप में वह उत्तराधिकारी रहेगा। केन्द्र सरकार के साथ भी, राज्य सरकार के साथ भी, अन्य कम्पनियों के साथ भी, अन्य संगठनों के साथ भी समन्वय स्थापित करने का काम वह करेगा। शुरूआत में जनरेशन कम्पनी एक होगी, गवर्नमैंट की होगी। गवर्नमैंट उसमें मैनेजमैंट स्थापित करेगी, चेयरमैन भी होगा, एम.डी. भी होगा, उसके डाइरेक्टर्स भी होंगे। इसी तरह से ट्रांसमिशन कम्पनी गवर्नमैंट की होगी। डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी की बात आप कह रहे थे, हरियाणा में भी अनुभव यही है, उड़ीसा का भी है, अन्य जगहों का भी है। राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से बहुत लम्बा-चौड़ा प्रदेश है। टी. एण्ड डी. लासेज की आप बात कह रहे थे। यह, उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए भी हैं कि हमारा सिस्टम बहुत पुराना है। हमारी लम्बी-लम्बी लाइनें हैं तो राजस्थान को 6 विभागों में तो विभाजित करना पड़ेगा। हमारे डिवीजन भी 6 हैं वे 6 कम्पनी बन जाएंगी, लेकिन इन सबको कोआर्डिनेट करने का काम ट्रांसमिशन कम्पनी करेगी। अलग-अलग इकाई होगी तो मेरा ऐसा मानना है कि उनकी कार्यकुशलता बढ़ेगी प्लस प्रतियोगिता उनमें होगी और उनकी अकाउंटेबिलिटी हम तय कर सकते हैं।

दूसरी बात इसमें सबसे बड़ी है, जो माननीय सदस्यों को एक शंका भी है। इनकी शंका नहीं है, यह तो एक प्रचार किया जा रहा है। देश भर में यह प्रचार चल रहा है कि यह रिफार्म आते ही किसान की बिजली महंगी हो जाएगी। अभी आप सब लोग कह रहे थे कि जनता इसके बहुत खिलाफ है। आज आपने आह्वान दिया। मैंने आपके स्पोक्समैन का स्टेटमैंट पढ़ा था कि कर्मचारी/अधिकारी विरोध करेंगे और भाजपा के कार्यकर्ता विरोध करेंगे। आपके कितने लोग आये हैं यहां पर विरोध करने के लिए, राजस्थान भर से कितने लोग आये हैं विरोध करने के लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं? राजस्थान के किसान को और राजस्थान की जनता को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वह बिजली ट्रांसमिशन कम्पनी देती है, डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी देती है, जनरेशन कम्पनी देती है, प्रसारण निगम देता है या बिजली बोर्ड देता है उसको तो पूरे वक्त बिजली चाहिए, अच्छी क्वालिटी की बिजली चाहिए। उसे बिजली चाहिए, उसकी सेवाओं में सुधार होना चाहिए। इसके लिए व्यापक सुधार की आवश्यकता है। यह जो रेगुलेटरी कमीशन वाली बात आप कह रहे हैं, देखिये इसके पीछे मकसद को समझिये। आप कह रहे हैं कि सरकार के पास में तो कोई पावर ही नहीं रहेगा। जब पावर आपके

(डा. चन्द्रभान)

पास है ही नहीं, आप कोई सरप्लस स्टेट नहीं फिर पॉवर का क्या करोगे ? आपके यहां सब कोई कंगाली में जिन्दा जी रहे हो और फिर कह रहे हो कि बैंक में वह जरा पैसा लेना है । बैंक के अकाउंट में कुछ है ही नहीं आपके । पहले पावर तो जनरेट करो । उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात यह है, हमको इस बात को समझना चाहिये कि यह जो हम रैगुलेटरी कमीशन बना रहे हैं जो अलग-अलग इकाइयां बना रहे हैं, मूल रूप से तो आर. एस. ई. बी. का रिआर्गेनाइजेशन और रैगुलेटरी कमीशन दो ही बातें इस बिल में मुख्य हैं । उपाध्यक्ष महोदय, सरकार का जहां तक सवाल है, इसमें सबके कार्य विभाजित हो गये हैं । सरकार का काम दिशानिर्देश देने का, नीति निर्धारण का रहेगा और रैगुलेटरी कमीशन का काम रैगुलेशन का रहेगा । ये जो कम्पनियां काम कर रही हैं ये सब के सब कार्मशियल बेस पर करेंगी । प्रैक्टिकल बेस पर करेगी इनका काम जनता को ज्यादा से ज्यादा विद्युत उपलब्ध कराना और सेवाओं में सुधार करने का होगा । अब आप लोग कह रहे हैं कि यह रैगुलेटरी कमीशन तो सुनेगा ही नहीं ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ये कम्पनियां कामर्शियल बेसिस पर काम करेंगी न ?

डा. चन्द्रभान : हां, करेगी । यह मैं कब मना कर रहा हूं ? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप एक दुकान खोल रहे हैं जिसमें हर सौदा महंगा खरीद रहे हैं और रोजाना उसको सस्ता बेच रहे हैं, वह दुकान कब तक चलेगी ? (व्यवधान) यह आप समझिये । यह स्थिति कोई राजस्थान के सामने ही नहीं है । (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : शिक्षा की भी दुकान खोल दो, डाक्टर साहब । आप जब पहले मांग करते थे जब दुकान नहीं लगती थी ? आज राजस्थान की जनता को और किसान को यह मैसेज देना चाहते हैं कि बिजली जिस भाव में मिले खरीद लो । (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : शिक्षा विभाग भी बंद कर दो । जिसमें खर्चा बढ़ रहा है सारे ही बंद कर दोगे? कहना क्या चाहते हो आप ? आवास विकास संस्थान बंद कर दिया, आप बिजली बोर्ड खतम कर रहे हो, फिर आप शिक्षा विभाग को बंद करोगे, फिर और कुछ बन्द कर देना । कहना क्या चाह रहे हैं ?

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, यह केवल राजस्थान का सवाल नहीं है, वैस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में, मध्यप्रदेश में सब जगह रैगुलेटरी कमीशन स्थापित हो गया । 16 राज्यों में यह काम चल रहा है । मैं यह कहना चाहता हूं कि इससे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है । राजस्थान में रैगुलेटरी कमीशन में जो मैम्बर बनेंगे उन मैम्बर की नियुक्ति कौन करेगा ? सरकार करेगी उनकी नियुक्ति और वे राजस्थान के रहने वाले होंगे । क्या वे राजस्थान के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं समझते हैं, कोई भी उनकी जिम्मेदारी नहीं है ? उपाध्यक्ष महोदय, बाकायदा इस बिल में यह व्यवस्था की गई है कि रैगुलेटरी कमीशन अलग-अलग क्षेत्र के लिये, अलग-अलग वर्गों के लिये और अलग-अलग उपयोगिता के आधार पर अलग-अलग टैरिफ निर्धारित कर सकता

(डा. चन्द्रभान)

है। मान लीजिए कि वह टैरिफ ज्यादा निर्धारित करता है तो फिर सरकार को यह छूट होगी कि वह उस वर्ग विशेष को अनुदान दे सके। किसानों की जहां तक बात है, यह बात तो मेरे समझ में आती है कि किसानों को छूट मिलनी चाहिये। हमारी सरकार कमिटेड है और हमारी सरकार केवल कहती ही नहीं है, करती भी है। जब रबी की फसल के समय राजस्थान के किसानों को बिजली की जरूरत थी तो यही सरकार है जिसने तमाम तरह के वित्तीय दवाबों के बावजूद सौ करोड़ रुपये का अनुदान राजस्थान के बिजली बोर्ड को देने का काम किया। जरूरत पड़ेगी तो यह सरकार फिर देगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पूरे सदन को विश्वास दिलाता हूं कि अन्य राज्यों के मुकाबले में और अन्य वर्गों के मुकाबले में राजस्थान के किसानों को ज्यादा बिजली और सस्ती बिजली आगे भी मिलती रहेगी। हम अनुदान देंगे। आप सुनिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात झुंझुनू से आने वाली माननीय सदस्या ने उठायी डोमेस्टिक के बारे में। डोमेस्टिक में भी सब्सिडी है। 360 करोड़ रुपये की ससिब्डी आज भी है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह बात तो समझ में आती है कि कुटीर ज्योति वालों को सब्सिडी मिले, गरीबी की रेखा से नीचे वालों को सब्सिडी मिले, गांव के गरीब लोगों को सब्सिडी मिले लेकिन जयपुर में रहने वाला कूलर चलाए, एयर कंडिशनर चलाए, हीटर चलाए और पता नहीं कहां-कहां बिजली का उपयोग करे, उसको भी सब्सिडी? यह कैसे जस्टिफाइड है? मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो लोग बिजली का उपभोग करते हैं और विलासिता के लिये करते हैं उनको यदि टैक्स भी नहीं करो तो हमारा जो एवरेज रेट आ रहा है 2 रुपये 65 पैसे, 2 रुपये 70 पैसे वह देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये और आपको उनकी वकालत नहीं करनी चाहिये। गरीब की हम लोग मदद करेंगे, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जो बिल है यह राज्य की जनता के हित में है। ऊर्जा क्षेत्र में सही मायने में व्यापक सुधार कार्यक्रमों की आवश्यकता है। आज दुनिया बहुत छोटी हो गई है। हम लोग 21वीं सदी में जाने वाले हैं और राजस्थान अकेला खड़ा नहीं रह सकता। आज दुनिया में उदारीकरण का वातावरण है, देशभर में उदारीकरण का वातावरण है। सब राज्य विद्युत सुधार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं। यदि ऐसे समय में हम लोग किन्हीं कारणों से इन कार्यक्रमों में पिछड़ जाते हैं तो पूरे राज्य का विकास अवरुद्ध हो जाएगा और पूरी जनता का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मेरा आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि छोड़िये ऐसे मौके पर जनमत की बात, छोड़िये ऐसे मौके पर इस बिल को सलैक्ट कमेटी के पास भिजवाने की बात और दलीय भावना से ऊपर उठकर ऊर्जा के क्षेत्र में सुधार के कार्यक्रमों में मदद कीजिए। राजस्थान की 5 करोड़ की

(डा. चन्द्रभान)

जनता के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आप इस बिल को पारित कीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : जो माननीय सदस्य इस बिल को प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं। वे वापस लेने की बात कहें। श्री भीमसेन चौधरी।

श्री भीमसेन : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क।

श्री हरजीराम बुरड़क : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंहजी।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण जी चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दिग्विजय सिंहजी।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमीन खान जी।

श्री अमीन खान : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री के. सी. चौधरी।

डा. के. सी. चौधरी : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर करण सिंह यादव।

डा. करण सिंह यादव : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : शेष माननीय सदस्य, वापस लेना चाहते हैं ?

अनेक माननीय सदस्य : नो।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान पावर सैक्टर सुधार विधेयक, 1999 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान पावर सैक्टर सुधार विधेयक, 1999 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनता के खिलाफ कांग्रेस पार्टी अपने बहुमत के आधार पर इस बिल को पास कराना चाहती है उसका मैं सख्त विरोध करता हूं और इस पूरे बिल को फाड़कर यहां धरना देता हूं।

(श्री अमराराम, सदस्य विधान सभा द्वारा सदन में धरना)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह सरकार अपने भारी बहुमत के आधार पर जिस प्रकार का कहर ढा रही है, राजस्थान की गरीब जनता का जिस प्रकार से शोषण करने पर उतारू है, राजस्थान के किसान को लूटने की जैसी इनकी मनोवृत्ति है और राजस्थान के सारे जन प्रतिनिधियों को इन्होंने एक तरफ रखकर और आयोग को सारे अधिकार देकर हमारे हितों को जिस प्रकार से अनदेखा किया है और जिस प्रकार से राजस्थान के भविष्य को अंधकार में डालने का प्रयास किया जा रहा है इसके विरोध में हमारी सारी पार्टी बहिर्गमन करती है ।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान पावर सैक्टर सुधार विधेयक, 1999 को विचारार्थ लिया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया ।

खण्डश :-विचार ।

विधेयक पर खण्डशः विचार

खण्ड 2, कोई संशोधन नहीं ।

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड–2 स्वीकार किया गया ।

खण्ड 3, श्री हीरासिंह चौहान, संशोधन प्रस्तुत करेंगे ।

(अनुपस्थित)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि खण्ड–3 स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड–3 अस्वीकार किया गया ।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय सदस्यों ने पेश किये थे वे सब बहिर्गमन कर गये ।

श्री उपाध्यक्ष : और भी माननीय सदस्य हैं जिन्होंने संशोधन पेश किये हैं ।

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं, वे पेश ही नहीं हुए । जब तक यहां पेश नहीं करें तब तक .. (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैंने पेश किया है ।

श्री जगत सिंह दायमा : आपको बी. जे. पी. के अलावा तीसरी शक्ति दिखाई नहीं दे रही ? आपकी कमजोरी यह है कि आप हमारी तरफ नहीं देखते ।

श्री उपाध्यक्ष : खण्ड–4, श्रीमती सुमित्रा सिंह ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि इस विधेयक के खण्ड चार के पार्ट तीन को विलोपित किया जाए । तीन में राज्य सरकार किसी भी नीति निर्देश से सम्बन्धित किसी भी प्रस्तावित विधान या नियमों के सम्बन्ध में आयोग से परामर्श करेगी और ऐसे सभी मामलों में आयोग

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

द्वारा की गई सिफारिश पर यदि कोई हो, सम्यक् रूप से ध्यान देगी । इसका मतलब यह हुआ कि आप किसी भी प्रकार का कोई भी नीति निर्देश और कोई भी इस तरह का प्रस्ताव देंगे और आयोग यदि आपको वापस लौटायेगा तो आप उसे मान लेंगे । फिर मतलब क्या है ? फिर आपने क्या अधिकार अपने पास रखा है ? इसलिए मेरा निवेदन है कि आप खण्ड चार के पार्ट तीन को विलोपित कर दो तो अच्छा रहेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, माननीया सदस्या ने जो यह संशोधन रखा है, यह स्वीकार नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड चार में जो संशोधन श्रीमती सुमित्रा सिंह ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि खण्ड चार स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड चार स्वीकार किया गया ।

खण्ड 5 से 14–कोई संशोधन नहीं ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 5 से 14 स्वीकार किये जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 5 से 14 स्वीकार किये गये ।

खण्ड 15–श्री भंवर लाल शर्मा ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि खण्ड 15 स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड 15 स्वीकार किया गया ।

खण्ड 16–श्री भंवर लाल शर्मा ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि खण्ड 16 स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड 16 स्वीकार किया गया ।

खण्ड 17–प्रश्न यह है कि खण्ड 17 स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड 17 स्वीकार किया गया ।

खण्ड 18 से 25 – कोई संशोधन नहीं ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 18 से 25 स्वीकार किये जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 18 से 25 स्वीकार किये गये ।

खण्ड 26 – प्रश्न यह है कि खण्ड 26 स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड 26 स्वीकार किया गया ।

(श्री उपाध्यक्ष)

खण्ड 27 से 61 – कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 27 से 61 स्वीकार किये जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 27 से 61 स्वीकार किये गये।

खण्ड एक – अधिनियमन सूत्र नाम आदि – कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड एक–अधिनियमन सूत्र नाम आदि स्वीकार किये जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड एक–अधिनियमन सूत्र नाम आदि स्वीकार किये गये।

डा. चन्द्रभान, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान पावर सैक्टर सुधार विधेयक, 1999 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पावर सैक्टर सुधार विधेयक, 1999 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रतनलाल ताम्बी।

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम आज जिस विधेयक को पारित करने जा रहे हैं वह राजस्थान के पांच करोड़ निवासियों के जीवन और उनकी खुशहाली से जुड़ा हुआ प्रश्न है। राजस्थान में आजादी के पहले जहां 13 मेगावाट बिजली थी उसको लगभग तीन हजार मेगावाट तक पहुंचाने का श्रेय कांग्रेस सरकार ने लिया। बीच-बीच में जब-जब भी विपक्ष की सरकार आयी उसने न तो नया जनरेशन पैदा किया, न ट्रांसमिशन लाईनिंग की ठीक व्यवस्था की और डिस्ट्रीब्यूशन व्यवस्था को चरमरा कर रख दिया। इसलिए आज समग्र राजस्थान में कृषि उत्पादन, औद्योगिक विकास और अन्य छोटे-मोटे कल-कारखानों में काफी व्यवधान पैदा हो रहा था। हालांकि पिछले कई वर्षों से इस सुधार की तरफ बातें तो बहुत की गयीं। पिछली सरकार ने 1995–96 में, 1997 में और 1998 में भी नीति पत्रों के माध्यम से और अन्य प्रकार की बातें कह कर सुधार की बात कही थी लेकिन सही बात यह है कि सरकार में राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव रहा। इसीलिए यह सुधार का मामला इस नयी सरकार के आने के बाद हाथ में लेने की जो एक इच्छा शक्ति जाहिर की गयी, उसका आज विपक्ष विरोध कर रहा है। अभी पूर्ववर्ती सरकार के मंत्रिमण्डल के सदस्य जब इसका विरोध कर रहे थे तभी हमारे ध्यान में आया जो अखबारों में पहले पढ़ा था कि इनकी कथनी और करनी में कितना अन्तर है। मैं खास तौर से निवेदन करना चाहता हूं कि 10 मार्च, 1997 को रघुवीर सिंहजी कौशल जो तत्कालीन सरकार के विद्युत मंत्री थे, उन्होंने कहा है इस विधान सभा के प्रांगण में कि राज्य की विद्युत की दीर्घकालीन आवश्यकता को देखते हुए आवश्यक व्यवस्था के लिए ऊर्जा क्षेत्र में वांछित सुधार के लिए पावर सैक्टर रिफार्म्स बिल को राज्य मंत्रिमण्डल द्वारा स्वीकृति दे दी गयी है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब

(श्री रतन लाल ताम्बी)

सरकार में बैठते हैं तो दूसरी बातें करते हैं और उधर बैठते ही दूसरी बातें भ्रामक रूप से करने की कोशिश करते हैं। पर राजस्थान के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार ने बहुत विस्तार से विचार-विमर्श करके जो बिजली के सुधार का विधेयक प्रस्तुत किया है वह स्वागत योग्य है और मैं समझता हूं इस विधेयक को पारित किया जाना बहुत ही आवश्यक है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगमाल सिंह यादव।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में सुबह से राजस्थान पावर सैक्टर विधेयक, 1999 पर चर्चा हो रही है। खडशः और विस्तृत चर्चा हो चुकी लेकिन कुल मिलाकर सरकार का जो वर्जन आया, मेरी समझ में वह नहीं आया। अभी एनर्जी मिनिस्टर का जो स्टेटमैंट आया उसमें कुल मिलाकर एक बात का +++ कि बिजली बोर्ड साढ़े 5 हजार करोड़ रुपये के नुकसान में चल रहा है और हम राजस्थान के लोगों को बिजली की सुचारू व्यवस्था नहीं कर सकते हैं इसलिए बिजली बोर्ड को ठेके पर दे रहे हैं। यही अर्थ हुआ न ? मैं दूसरी एक बात और पूछ रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई दिन सदन में नहीं होता जिस दिन आप +++ कि जाने वाली सरकार राजस्थान को साढ़े 23 हजार करोड़ रुपये के टोटे में छोड़ गयी। फिर इसका भी ठेका दे दो। राजस्थान सरकार भी आपसे नहीं चलेगी इसका भी ठेका दे दो। आपकी सरकार लोक कल्याणकारी सरकार है। एनर्जी मिनिस्टर को भी जनता ने भेजा था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि सदन में विपक्ष नहीं है, मैं ही विपक्ष की भूमिका निभा रहा हूं, अकेला हूं, इसलिये आपका प्रोटैक्शन चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप किसकी भूमिका निभाते हैं, यह पता ही नहीं पड़ता है। कभी इधर की निभाते हैं, कभी उधर की निभाते हैं। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय विद्वान सदस्य, जब मुझे आपकी राय की जरूरत पड़ेगी तो आपसे कुछ सीख लूंगा।

तो मैं यह कहना चाह रहा था कि केवल अपनी आर्थिक अक्षमता को छिपाकर बिजली बोर्ड को नियामक आयोग बना दें और उसमें राजस्थान सरकार अपने पास कुछ पावर्स नहीं रखे, इससे आप कन्ट्रोल कैसे करेंगे ?

एनर्जी मंत्रीजी, मैं आपसे दूसरी बात कहना चाहता हूं। अब यह आपकी बात सही है कि कोई सामान महंगे में खरीदो और सस्ते में बेचो तो वह दुकान ज्यादा दिन नहीं चलती। लेकिन यह जो काम आप नियामक आयोग के जरिये कराने जा रहे हैं, इस सदन में आपका 153 का बहुमत है, आपको कौन रोकता है कि आप टैरिफ बढ़ाएं ? राजस्थान का किसान जानता है कि जो बिजली महंगी आ रही हैं उसको राजस्थान सरकार सब्सिडाइज कर रही है, वह ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है।

+++अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री जगमाल सिंह यादव)

की। आन्ध्र प्रदेश ने लागू कर दिया, लेकिन आप तक पंजाब का क्यों नहीं देते, आप तक तमिलनाडु का क्यों नहीं देते, जहां सस्ती बिजली है ? आज जो आप हमको टोक रहे हैं, मैं निश्चित कहता हूं, जिस दिन लागू हो जाएगा उस दिन, डाक्टर साहब, परिणाम आएंगे। आप एक अच्छा भाषण दे लेते हैं, अच्छी आपकी शक्ल है, अच्छा आपका मन है लेकिन ये एम.एल.ए. आपको सरे आम नहीं पीटें और कोई बाई-इलेक्शन हो जाए इसके लागू होने के बाद, तो आप मेरा परिणाम देख लेना। मैं आपको चेतावनी तो नहीं दे रहा हूं, नेक सलाह दे रहा हूं। जो आज तबले बजा रहे है ना आप लोग, मैंने एक दिन पहले भी कहा था, याद होगा, मैं यही बात कहने का आदी हूं, सदन में असत्य नहीं बोलता हूं। मैं अशोक जी से कह रहा था कि आप जिला प्रमुख को जो पावर दे रहे हैं, डी. आर. डी. ए. का चेयरमैन बना रहे हैं, मुख्य मंत्रीजी, जल्दी कर लो, कहीं अगर आपके जो नये एम. एल. ए. आये हैं, ये समझ जाएंगे तो आप बिल पास नहीं होगा, आपसे बगावत कर देंगे। इसलिये कह रहा हूं, आपको पास तो कराना ही है और आज पास कराएंगे, जैसे इन्दौरिया साहब कह रहे थे, आप इसको डैफर भी नहीं करेंगे। यह सही है कि आप का मन नहीं है। आज आपका दिल जितना दुःखी है, जितना मैंने आपका चेहरा पढ़ा है, जितने शायद आज दुःखी हैं, मैंने जिन्दगी में कभी आपको इतना दुःखी नहीं देखा। लेकिन चूंकि आपकी ज्वाइंट लाइबिलिटी है।...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिल पर बोलिये ना। (व्यवधान) ये इनका भविष्य जानते हैं।

श्री जगमाल सिंह यादव : यह बिल पर ही तो बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : इनका भविष्य इनको मालूम है। आप तो बिल के ऊपर कोई बात हो तो कहो ना।

श्री रामस्वरूप : इनका ध्यान तो चेहरों पर है। इनको तो चेहरे नजर आ रहे हैं बिल थोड़े ही आ रहा है।

श्री जगमाल सिंह यादव : बिल पर तो + + + बहुत बोल लिये।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी सलाह होगी तो मान लेंगे, बहुत दे दी ना सलाह आपने।

श्री जगमाल सिंह यादव : तो, मैं बैठ जाऊं ?

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, बिल पर कोई बात हो तो कहें।

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : आप तो दिल पर बोलने लग गये, बिल पर बोलिये।

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि अब ये भी सहारा तो नहीं देते

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री जगमाल सिंह यादव)

हैं, इनसे सहारे की उम्मीद नहीं है, एक ही बात कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूं। डाक्टर साहब जिस भी सरकार में रहते हैं, डाक्टर साहब जिस भी सरकार में शामिल होते हैं नवां महीना ऐसे ही भारी होता है जैसे जापे में किसी औरत के लिये होता है।

श्री उपाध्यक्ष : नवां महीना तो सभी के लिए शुभ होता है।

श्री जगमाल सिंह यादव : नहीं, इनके लिये अशुभ होता है। पिछली भैरोंसिंह की सरकार में शामिल हुए ...

श्री रामस्वरूप : आप भी तो नवें महीने में पैदा हुए थे, क्या बुरा हो गया नवें महीने में? वो नौ महीने आज भूल गये आप।

(18.00 बजे)

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाह रहा था कि डाक्टर चन्द्रभान को अपनी राशि दिखाकर कहीं न कहीं किसी ज्योतिषी से बढ़िया सलाह लेनी चाहिए। इनकी राजनीतिक जिन्दगी में नवां महीना इनके लिए बड़ा कष्टदायक और पीड़ादायक है। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : वह दसवां महीना है।

श्री जगमाल सिंह यादव : नवां, दसवां ऐसे ही कष्टदायक होता है।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिए।

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, जैसे गर्भवती स्त्री के लिए होता है। (व्यवधान) पिछली भैरोंसिंह जी की सरकार में नवें महीने में विदा होना पड़ा था। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : अक्टूबर में, नवां महीना विदा होने के बाद। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : नवां महीना या दसवां महीना चल रहा है। सरकार में रहकर नौ महीने में डाक्टर चन्द्रभान ने कृषि व्यवस्था के लिए, कृषि सैक्टर में बढ़िया बिजली की सप्लाई देकर जो नाम कमाया था और राजस्थान में लोग इनको भावी शासक के रूप में देखते थे, आज नवें और दसवें महीने में ही इनका राजनीतिक पतन हो रहा है इसलिए, मेरे मित्र, दो आंसू मैं भी आपको देता हूं। आप मेरे मित्र हो, यह जो आपका पतन है, मैं इससे नाखुश हूं और मैं, राष्ट्रीय जनता दल का सदस्य इस विधेयक का विरोध करता हूं और सदन में धरना देता हूं।

(श्री जगमाल सिंह यादव, सदस्य, राष्ट्रीय जनता दल द्वारा सदन कूप में धरना)

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रवण कुमार।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल पास भी होगा और हो भी गया लेकिन मैं किसानों के हित को देखते हुए इस बिल का विरोध करूंगा। पचास साल के बाद आज इस बात को हमें इस पीड़ा से देखना पड़ रहा है कि किसान को बिजली महंगी होती जा रही है। एक तरफ कुओं का बिजली का बिल महंगा होगा, दूसरी तरफ पानी की सतह नीचे जा रही है। दोनों ही पीड़ाए

(श्री श्रवण कुमार)

किसान सहन नहीं कर सकता। खासकर राजस्थान में झुंझुनू और सीकर जिले में पानी की सतह दिन प्रति दिन नीचे जा रही है, हाई पावर की मोटरें लगानी पड़ेगी। दस की जगह पन्द्रह लगानी पड़ रही हैं, अब बीस लगानी पड़ेंगी। (व्यवधान)

श्रीमती कमला (राजस्व मंत्री) : माननीय सदस्य, अभी आपने माननीय मंत्रीजी का वक्तव्य नहीं सुना कि जो बिजली का टैरिफ कायम होगी उसमें किसानों के लिए कन्सेशन रेट से बिजली हमेशा दी जाएगी। आपने शायद वह नहीं सुना इस कारण आप यह गलत-सलत बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : मैडम, मैंने सुना है। मेहबानी करके (व्यवधान)

श्रीमती कमला : माननीय सदस्य, मेहरबानी करके आप ऐसा कोई कदम नहीं उठाएं जो आप पूरी तरह से सुन नहीं पाये।

श्री श्रवण कुमार : मेरी बात सुनो। मैंने सुन ली यह बात। लेकिन वर्ल्ड-बैंक भी पचास प्रतिशत से ज्यादा आपको लोन नहीं देगा तो पचास प्रतिशत के बाद में भी आठ रुपये बिजली पड़ेगी। आप कितना सस्ता देंगे ?

श्रीमती कमला : पैसे ही नहीं आएंगे। इस नियामक कानून को पास किये बिना तो हम कहां से उन्नति करेंगे, कहां से हम प्रोडक्शन करेंगे और कहां से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ? जहां के तहां ही खड़े रह जाएंगे। ....(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : मैं यह कहना चाहता हूं कि बिजली का बिल बढ़ाना पड़ेगा, यह आपको जरूरी है। चन्द्रभानजी ने यह बात बता दी कि जिस कीमत से माल खरीदते हैं, उससे सस्ता नहीं बेच सकते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलिये। बोलिये।

श्री श्रवण कुमार : इतने अच्छे शासक अपने पास हैं तो इस प्राइवेट कम्पनियों के, दूसरों के हाथों में अपना राज देने की जरूरत क्या है ? (व्यवधान)

दूसरी बात, इससे पूर्व पूरे पांच साल तक मैं सदन में बैठा हूं, तब कभी वित्त की बात नहीं सुनी। अब जब भी कोई मौका आता है तो सब वित्त की बात करते हैं। आप बिजली को कम्पनी में दे रहे हैं। पानी की व्यवस्था गड़बड़ होती जा रही है, इसको भी कम्पनी को दे दो। शिक्षा के अन्दर भी अध्यापक नहीं है, लेक्चरर नहीं है, यह भी कम्पनी को दो दे। फिर आपके पास भेड़-ऊन डिपार्टमैंट बचेगा, उससे काम चलाना। (व्यवधान) मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या डिपार्टमैंट... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, यह हाइजैकिंग नहीं चलेगा। यह गलत तरीका है।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये विराजिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : अपने विचारों से सिंचाई मंत्री जी नहीं समझा पायीं, ऊर्जा मंत्री जी नहीं कन्विस कर पाये,

(मोहम्मद माहिर आजाद)

किसी सदस्य की आत्मा की आवाज नहीं दबा सकते । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्रीमती कमला : तो आप थोड़े ही समझा सकते हो ? समझा आएंगे तो हम ही समझा पाएंगे, आप से नहीं समझेंगे । (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आज़ाद : उन पर दबाव दे रहे हैं । हाइजैक करने के लिए आ गये, यह गलत परम्परा है । (व्यवधान)

श्रीमती कमला : माननीय सदस्य, बिल में बाकायदा लिखा हुआ है कि गवर्नमैंट की पालिसी और गाइडेंस के अन्तर्गत कमीशन काम करेगा । (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : माननीय कमला जी, आप कितना भी विरोध करें, मैं मेरी भावनाओं को बताये बिना नहीं रहूंगा । (व्यवधान)

श्रीमती कमला : और यह भी है कि इसको एग्जीक्यूट करने वाली बाडीज बनेंगी, उसमें सब गवर्नमैंट के अधिकारी होंगे । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री श्रवण कुमार : माननीय कमला जी, आप देखिये राजस्थान सरकार के..... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप आपस में.....(व्यवधान) आप बोल लें, बोल लें ।

श्रीमती कमला : आप गलतफहमी में कोई कदम नहीं उठाएं मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहती हूं ।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप धमकी दे रही हैं क्या ? (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात का विरोध इसलिए कर रहा हूं कि हम देखते–देखते तंग आ गये । आप देखिये, एक चपरासी की कहानी बताता हूं । पांच साल पहले एक ग्राम सेवक, गंगानगर एक्सपायर हो गया । उसके बेटों को नौकरी नहीं दी । पांच साल चक्कर काटने के बाद चूरू में अपाइंटमैंट करने के बाद में यह कहा कि ज्वाइन कर लेंगे क्या आप ? तो चपरासी ने कहा कर लूंगा । उसके बाद उसको आज छह महीने में भी ज्वाइन नहीं करा रहे हैं, बड़े दुःख की बात है । इसलिए मुझे दुःख और खेद के साथ कहना पड़ रहा है । राजस्थान सरकार में इस तरह की छोटी घटनाओं को देखकर हम लोगों को जवाब देना पड़ेगा । आज हमें ये बातें सुनने के लिए राजस्थान में मिल रही हैं कि कांग्रेस की सीटें कम आ रही हैं इसका कारण यही है कि दिन प्रति दिन सुनते हैं वित्त । यह वित्त या तूफान आ गया ? हम वित्त की बात नहीं है, हम किसान के हितैषी हैं, हम इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे । किसान का जहां पर अहित होगा, चाहे हमें कुछ भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, हम किसान के साथ होंगे । इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इस बिल की बात हो या और कोई कुछ भी हो, किसान का जहां पसीना बहेगा, हम खून बहा देंगे । इस बात को और मान

(श्री श्रवण कुमार)

और मर्यादा को जिन्दा रखेंगे। मैं पुन: आपको बताना चाहता हूं कि ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपको भी बुलाएंगे, आप बैठो तो सही। बुलाएंगे, बोल दिया न। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : हम कभी इस बात की परवाह नहीं करते। हम किसानों के बलबूते पर सदन में आये हैं, किसानों ने हमें भेजा है। किसानों की मान-मर्यादा को कायम रखेंगे और किसान का जहां पसीना बहेगा हम उसकी जगह खून बहा देंगे, लेकिन हम इस बात पर झुकेंगे नहीं। इसलिए मैं पुन: इस बात का निवेदन करता हूं कि जहां किसान को सस्ती बिजली मिले, शिक्षा मिले, पानी मिले उस संस्था के साथ हम कायम हैं। अगर किसान का गला घोंटा गया, किसान का बुरा हुआ तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं आपको पुन: कहना चाहता हूं, चन्द्रभान जी, आप मंत्री बने हो, बड़ी खुशी की बात है। मेरे जिले के हो, इस शेखावाटी के नाम पर काला टीका नहीं निकलना चाहिए। पहले भैरोंसिंह जी ने इस राजस्थान का भट्टा बैठा दिया। अब अगर आप इस बिल को किसानों के अहित में नहीं लाओगे, हित में लाओगे तो हम आपके साथ हैं। किसान का जहां अहित होगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे मुझ से सारा सदन नाराज हो जाए। पूरे राजस्थान के हित के अन्दर किसानों के साथ हूं। चार करोड़ सत्तर लाख की जनसंख्या लोगों की.... (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्रीमती कमला : माननीय सदस्य, वह कौनसी और संस्था है जो कांग्रेस से ज्यादा सहूलियत से उन किसानों रख रही है ? कोई नहीं है अभी। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : मैं इस बात को मानता हूं। मैं इस बात को मानता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कहां से बोल रहे हो आप ? (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : मैं इस बात को मानता हूं। कमला जी, आपने जो बात कही, यह मैं जानता हूं कि कांग्रेस सरकार किसानों की हितैषी सरकार है लेकिन आज ....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिए।

श्री श्रवण कुमार : जहां प्रश्न वित्त का आता है, आज भी स्कूल अध्यापकों के बिना खाली पड़ी हैं। आप सुनो, यह दुःख है। (व्यवधान) मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि सदन के अन्दर जब–जब भी किसी एम. एल. ए. के साथ कोई दुर्घटना घटी है, सदन पूरे ने इस बात का अफसोस जाहिर किया है। मैं एक बात एक मिनट में आपको कहना चाहता हूं। 11 तारीख की रात को एक ए. एस. आई. प्यारेलाल ने एक किसान के ट्रक को रोका, जो रामनारायणजी के गांव का ट्रक था। उसी का माल था। उस ए. एस. आई. ने रोक कर कहा कि कागज दिखाओ। उसने कागज दिखा दिये। उसके बाद कहा कि बिल दिखाओ। बिल दिखा दिये। बिल्टी दिखाओ। बिल्टी दिखा दी। उसके बाद कहा कि पांच सौ रुपये दो।

(श्री श्रवण कुमार)

पांच सौ रुपये नहीं देने के उपरान्त उस ट्रक को बन्द कर दिया। बन्द करने के बाद में रात को, सी.टी.ग्रो. को रात को बुलाया गया ग्रौर वह सी.टी.ओ. श्री गोविन्दराम गोधा जो 15 साल तक भ्रष्टाचार में लिप्त रहा, सस्पैंड रहा ग्रौर ट्रैप हुग्रा हुग्रा है 15 साल तक; कमिश्नर ने यह नोट लगाया था कि यह इस डिपार्टमैंट में रहने के योग्य नहीं है ग्रौर जिसमें इसका प्रमोशन होने लगा, पन्द्रह साल के बाद वह प्रमोशन लेकर ग्राया, उस ग्रादमी ने हमारे कहा कि श्रवण-कुमार ने हमको भेजा है। लेकिन मुझे.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, काहे पर बोल रहे हो? (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : मुझे कहने दीजिए, बोलने दीजिए। लेकिन मुझे कहते हुए दुःख है कि उस सी.टी.ग्रो. के खिलाफ कोई कार्य-वाही नहीं की गयी। राजस्थान सरकार के मंत्री, हमारे वित्त मंत्री के नाम पर चूरू ग्रौर सीकर के अन्दर किसानों को लूटा जा रहा है। किसानों से वह रिश्वत लेता है, किसानों से पैनल्टी लेता है। हर बनिये से दस-दस हजार रुपये मंथली बांधकर बहुत बड़ा ढिंढोरा पीटता है। मैं राजस्थान के समस्त मंत्रीगण से निवेदन करता हूं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं करेंगे तो ग्रापको मालूम है कि कहां ग्राप बैठोगे। जहां पर ये बैठे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भ्रष्ट अधिकारियों की कोई जात नहीं होती है। भ्रष्ट नेता हो चाहे अधिकारी हो, उसकी कोई जात नहीं होती है, ग्रौकात नहीं होती है। सी.टी.ग्रो. श्री गोविन्दराम, उसने भ्रष्टाचार किया, उसका विरोध मैंने किया। एक किसान का माल जो तीन किलोमीटर पूर्व है, उसको रोका गया ग्रौर उसको बंद कर दिया। उस किसान ने हाथ जोड़कर कहा कि सी.टी.ग्रो. साहब ग्रभी बेरियर की दूरी तीन किलो-मीटर है, मैं तीन किलोमीटर जाकर टैक्स कटवाऊंगा। उसके उपरान्त भी उसने कहा, कोई टैक्स नहीं, मैं पैनल्टी लूंगा 35 हजार की। उस ग्रादमी की पैनल्टी न कटने के लिए मैंने कमिश्नर साहब से निवेदन किया। सिद्धू साहब भले कमिश्नर थे, उन्होंने उस बात को सुना ग्रौर उसकी गाड़ी को खिचवा दिया। उन्होंने कहा कि कोई टैक्स नहीं लगेगा। 4075 रुपये बेरियर पर टैक्स कटवाया ग्रौर वह चला गया। इसलिए मैं मेरा दुःख जाहिर करता हूं कि ग्रगर एक ड्राइवर की पोस्ट कहीं कोई खाली, रिटायर हुग्रा हो तो पोस्ट खतम। चपरासी की पोस्ट से रिटायर हुआ तो पोस्ट खतम। इक्कीस हजार ग्रादमी रिटायर हुए हैं, पूरे राजस्थान के नौजवानों में यह ग्राशा थी कि राजस्थान की नई सरकार ग्रायी है, हमको नौकरी मिलेगी। सारी पोस्ट्स खतम कर दीं। वित्त के नाम पर हम ढिंढोरा पीटते हैं, यह बर्दाश्त नहीं होगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि ग्रगर ऐसी ही हालत रही तो राजस्थान में जो दस सीट आएंगी या पन्द्रह सीट आएंगी, ग्राने वाले टाइम में न हम ग्राएंगे ग्रौर न ग्राप ग्राग्रोगे, राज करेगा कौन? ये बनने वाले करेंगे, जो राजस्थान को लूटकर खा जाएंगे।

मैं पुनः इस बात का निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार को पूर्ण होश होना चाहिए। ग्राज विधान सभा खतम

(श्री श्रवण कुमार)

हो रही है, मंत्रीगण से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग पढ़े-लिखे मंत्री हैं, बहुत सज्जन मंत्री हैं, हमारे गृह मंत्री तो पुराने बहुत अच्छे, गुलाब सिंहजी शक्तावत, रामसिंहजी विश्नोई, शांति धारीवाल साहब सब पढ़े-लिखे हैं। एल.एल.बी. हैं सब। यह तो हम भी जानते हैं कि एल.एल.बी. मंत्री काम नहीं कर सकते और अधिकारियों को ठीक नहीं कर सकते तो क्या चौथी पास सुन्दरलाल जैसे मंत्री के पास काम कराएंगे? (व्यवधान) हंसने से काम नहीं चलेगा।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान के प्रशासन पर आपको अंकुश लगाना पड़ेगा। भ्रष्ट लोगों पर आपको अंकुश लगा कर और सचेत होना पड़ेगा और अधिकारियों को जगाना पड़ेगा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आ गयी है, इस प्रकार से भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। राजस्थान की जनता को जागृत करने के लिये एक जवाबदेह सरकार बनी जो किसानों की हितैषी सरकार है। 153 का बहुमत दिया था और आज हम इस बात को सुनने के लिये जाएं कि हमारी सीटें 15 भी नहीं आएंगी। (व्यवधान) मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है। मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता को जागृत करने के लिये, जनता को खुशहाल बनाने के लिये आपको किसानों का हितैषी बनना पड़ेगा और हमारा हित रखने के लिये ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को सस्पैण्ड करके जांच करवा कर ऐसे अधिकारियों को निलम्बित करना पड़ेगा। यह मैंने मेरे दिल की बात बतायी है। जय हिन्द, जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री मोहन लाल जी।

श्री मोहन लाल बारूपाल (जायल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने जो पहले फर्माया था, वह ठीक है। उनकी ही पार्टी का मैं हूं, मैं कभी वाद-विवाद नहीं करता, मंत्रीजी को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं–

"तुलसी इस संसार में, भांत भांत के लोग।
सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग।"

ऐसा है, मंत्रीजी, वाद-विवाद नहीं करना चाहिये। अब बी.जे.पी. वाला कोई काम कह दे तो निवेदन मेरा यह है कि 153 आदमी कांग्रेस के आए, उसमें मंत्री जी की कटिंग करने वाला है कोई? कोई नहीं है, मंत्रीजी। कोई काम को इनको पूछ-पूछ करना चाहिये। काम करना है, वाद-विवाद नहीं करना चाहिये। कबीरदास जी महाराज कहते हैं—

"करड़ाई के कारणे भाटो ठोकर खाए।
और निरमलाई के कारणे
वा रज अकासां जाय।
नैनो हुज्या नानगा राइ का बांटा बीस।
और बीसां का चालीस कर दे,
फेर मिले जगदीश।"
"देख पराई चूपड़ी मत तरसाए जीव।
लूखा-पाखा टुकड़ा खाय के ठंडा पानी पीव।
मनुष जन्म में आय के तो सुखरत करणी जोए
अन्त समय जाएगा फिर याद करेगा तोय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगत सिंह दायमा।

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब कांग्रेस

(श्री जगत सिंह दायमा)

पार्टी को इस राजस्थान की जनता ने भारी मतों से जिताया तो इसलिए जिताया कि उन्हें नौ साल का भारतीय जनता पार्टी का शासन अच्छा नहीं लगा। नकार दिया उस को और बहुत आशा लेकर जनता ने आपका घोषणा-पत्र पढ़ा। घोषणा-पत्र आपने जारी किया उसके ऊपर लोगों ने विश्वास करके आपको वोट दिया। उस घोषणा-पत्र में आपने कहीं ऐसा जिक्र नहीं किया कि हम राजस्थान की जनता को एक ऐसा रेगुलेटरी कमीशन देंगे जिससे कि राजस्थान की जनता का गला घुट जाएगा। आप कहेंगे राजस्थान की जनता किसान है। मैं नई बात कहना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बताए यह सरकार कि आज बिजली के बिना क्या हो रहा है? सब चीज बिजली से हो रही है। जो इतना बढ़िया विभाग है जिस पर सब लोग आश्रित हैं उस विभाग को ही आप छोड़कर कम्पनियों को दे रहे हैं। यह बिलकुल इस तरह से है जैसे मेरी पार्टी के लीडर मान्यवर कांशीराम जी कहते हैं कि कोई शक्तिशाली व्यक्ति जो हाथ चला रहा है, पैर चला रहा है, और काबू में नहीं आ रहा है, उसको गर्दन से पकड़ लीजिये और उसको भींच दीजिये। गर्दन भींचने के साथ ही उसके हाथ ठण्डे हो जाएंगे, पैर ठण्डे हो जाएंगे। यह जो बिजली का विभाग है, यह बिलकुल उसी गर्दन की तरह है जिसको आपने अगर भींच दिया....(व्यवधान) अब हंसने को तो हंस लो, आपकी मर्जी की बात है, पर बात मैं कहूंगा जो वास्तव में आपके दिल की है। भींच लो, हाथ-पैर ठण्डे हो जाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। हम लोग ऐसे तो हैं नहीं कि हम राजस्थान की जनता के खिलाफ हैं। विपक्ष में बैठे हैं, ठीक है। क्या दिक्कत है? कभी आप भी थे। कभी हम भी सत्ता में आएंगे। कभी आप नहीं रहोगे। तो यह तो चलता ही रहेगा। परन्तु जो एक विशेष बात कही उसको मान लेते माननीय ऊर्जा मंत्रीजी कि जो यह आयोग बन रहा है उसमें कम से कम एक मैम्बर आपका अगर बिठा देते, जनता का मैम्बर होता, कोई कंज्यूमर का मैम्बर होता तो इसमें कहां ऐसी दिक्कत पड़ रही थी? अगर आप उसमें मैम्बर बना नहीं सकते तो मैं साफ कहना चाहता हूं, इससे उन लोगों के मन की बात ज्ञात होती है कि निरंकुशता की बात आ रही है इसमें। वे निरंकुश होंगे कि आपकी जनता का एक भी आदमी नहीं लेना चाहते हैं तो निरंकुशता आएगी, डैमोक्रेसी वाली बात तो आएगी ही नहीं। इस लिए उस पर आपने ध्यान नहीं दिया।

मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय, आपने बताया कि यह दुकान है और दुकान में जो सौदा बेचा जा रहा है वह हानि में तो नहीं बेचा जा सकता। मेरे बड़े भाई, मेरे मंत्री महोदय, मेरे साथी, आप इसमें दुकान की बात ला रहे हैं। जिसकी वजह से जनता का पेट भर रहा है, जिसके कारण कारखाने चल रहे हैं, जिसके कारण सारी सुविधा मिल रही है अगर उसको भी आपने दुकान का नाम दे दिया, लाभ की बात कह रहे हैं आप और राजस्थान सरकार वही कार्य करेगी जो लाभ में होगा तो कल तो आप शिक्षा में भी यही करेंगे, दूसरे कार्यों में भी यही करेंगे। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ऐसी बात आप मत

(श्री जगत सिंह दायमा)

कीजिये। अगर आपने इस तरह की बातें कीं तो इस देश का सत्यानाश हो जाएगा, आजादी नहीं रहेगी। इस देश का हाल भी वही हो जाएगा जो ब्राजील का हुआ, जो थाईलैंड का हुआ। आप पूछेंगे ब्राजील और थाईलैंड में क्या हुआ। वहां पर इस तरह की कम्पनियां आ गयीं, कम्पनियों ने अपना सारा जकड़जाल फैला दिया। जकड़जाल फैलाकर यह हालत कर दी। माननीय मंत्री महोदय, आप पढ़े-लिखे लोग हैं, आप ने भी पढ़ा होगा कि वहां की माताएं और बहिनें सिवाय वेश्यावृत्ति के कुछ नहीं करती है। आज उनके ऊपर इतना कर्ज हो गया उन देशों का कि वे कर्ज नहीं चुका सकते और वहां की माताएं और बहिनें वेश्यागीरी कर रही हैं। यह मैं गलत नहीं कह रहा हूं। इसलिए कम से कम आपको सोचना चाहिये।

आपने कम्पनियों को दे दिया, तीन-तीन कम्पनियां बना दीं परन्तु, जैसे मेरे पूर्व विधायकों ने कहा, तीनों कम्पनियों ने अगर बैठ कर कह दिया कि इस देश को, राजस्थान को चौपट करना है, तो उस वक्त आपकी क्या स्थिति होगी? आज आपके डाक्टर हड़ताल कर देते हैं, आप मिलिट्री से ले आते हो, मिलिट्री के डाक्टर बैठा देते हो। कोई कर्मचारी आपके हड़ताल कर देते हैं, आप कहीं से दूसरे कर्मचारी बिठा देते हो। कल ये कम्पनियां जो बिजली बना रही हैं, अगर उन्होंने आपके खिलाफ बगावत कर दी तो मुझे यह बताएं कि आप बिजली कहां से लाएंगे? वही बात आ रही है फिर। उपाध्यक्ष महोदय, आप कहेंगे कि जगत सिंह नई बात क्या कह रहा है। नई बात क्या, अन्दर से रो रहे हैं। यही बात मैंने जब माननीय राज्यपाल महोदय का भाषण आया था तो भी दर्ज करायी थी कि जिस नियामक आयोग का गठन किया जा रहा है, वह आयोग आपकी मृत्यु का वारंट है। मैंने उस वक्त भी कहा था जो दर्द है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक तरीके से कहने का जो मतलब है वह यह है कि मुझे अच्छा लगता, मैं कह सकता था 'किसानों को जाकर, मैं गरीबों को कह सकता था जिन लोगों ने आपको वोट दिया, 153 संख्या दी, उन दलितों, और पिछड़े लोगों को कह सकता था मैं जाकर, कि क्या करूं यह उन्हीं मनु लोगों का काम है। आज अगर कोई ऊंची जाति का ऊर्जा मंत्री होता तो मैं कह सकता था कि ये मनुवादी हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। परन्तु आज मैं मेरे किसानों को जाकर क्या कहूंगा? गांव में क्या कहूंगा, देहात के लोगों को क्या कहूंगा? क्या कहूंगा उन लोगों को? आप किसान के बच्चे हैं....

श्री राजेन्द्र पारीक : आप तो पांच साल के लिए घरने पर ही बैठो, बाहर जाओ ही मत। बाहर जाओगे तो किसी को कुछ कहना पड़ेगा।

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय सदस्य, एक मिनट। कोई मैं दिलावर जैसी बात तो करूंगा नहीं, आप बेफिक्र रहो। ऐसी कोई बात भी नहीं कह रहा हूं। मेरी पार्टी का जो काम है वह मैं कह रहा हूं। मैं यों भी नहीं कह रहा, वो भी कह रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर यह कोई मनु करता तो मेरी समझ में बात आती परन्तु आपके द्वारा यह काम करवाया जा रहा है।

(श्री जगत सिंह दायमा)

1972 से आपसे दोस्ती है, मेलजोल है, यह समझ लो 28–29 साल हो गये। 1972 को लगा कर 28 साल हो गये। तो 28 साल से मेरी और आपकी दोस्ती है। जो भाई जगमाल सिंहजी ने कहा, मेरे को भाई जगमाल सिंहजी ने पांच-सात-दस दिन पहले समझाया था कि यह व्यक्ति किसान का लड़का है, आगे बढ़ेगा। जगत सिंह, हम सब को ऐसा काम करना चाहिए, इनकी छवि सुधारनी चाहिए। मेरे से कहा। मैंने उस दिन कहा कि मैं निश्चित रूप से मेरे भाई की छवि सुधारने का काम करूंगा चाहे कुछ भी हो। परन्तु आज मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे ऐसे साथी की हत्या मनुवादी लोगों ने करवा दी। यह नहीं करते, यह मैं भी कह रहा हूं। मैंने बाहर कहा भाई जगमाल सिंह जी से, मैंने पत्रकारों से कहा कि आज माननीय डा. चन्द्रमानजी की हालत देखो, कभी यों कर रहे हैं, कभी यों कर रहे हैं, कभी यों कर रहे हैं। मैं भी कह सकता हूं, शपथ लेकर कह सकता हूं कि आपके मन की तो बात तो यह है नहीं। नहीं है, परन्तु आपसे करवाया जा रहा है। परन्तु भाई, अगर भगत सिंह यह सोच जाता एक मिनट और लूंगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अगर भगत सिंह, सुभाष चन्द्र बोस यह सोच जाते कि हमारे फांसी हो गयी तो फिर हम जीएंगे कैसे और हमारे बच्चे कैसे होंगे, कैसे क्या होगा संसार, तो यह देश आजाद नहीं होता। इसलिए यह फांसी जो आपको देने की बात की जा रही है, चाहे फांसी पर बेशक लटक जाओ, कोई बात नहीं। हम आपको याद करेंगे और आप कुछ भी नहीं होंगे तो भी आपके साथ में रहेंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अभी इसको फेंकों दूर और कहो कि मैं इस्तीफा देता हूं। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं और विरोध के साथ....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिवनाथ सिंह जी।

श्री जगत सिंह दायमा : एक मिनट, एक सैकंड।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया न। आप बिल पर तो बोल नहीं रहे हो।

श्री जगत सिंह दायमा : देखिये, साहब, पहले अकाल पड़ा हुआ है और फिर बिजली और महंगी हो जाएगी, "कोढ़ में खाज" वाला काम क्यों करते हो आप। इसलिए छोड़ो इस काम को और छोड़ कर हमारे जैसे हो जाओ। दुनिया आपको यहां नहीं उठाएगी पर बाहर जाओगे तो उठाएगी।

मंत्री महोदय, लोगों ने पर्चे फाड़ कर आप पर फैंके पर मैं यह नहीं चाहता कि आप विधान सभा से जब क्षेत्र में जाओ तो कहीं आप का कमीज फटे। मुझे दर्द होगा इस बात का इसलिए मैं इसके साथ विरोध करता हुआ धरने पर बैठता हूं।

(श्री जगत सिंह दायमा और मोहम्मद माहिर आजाद द्वारा सदन कूप में धरना)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिवनाथ सिंह जी।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : उपाध्यक्ष

(श्री शिवनाथ सिंह)

महोदय, मैं संक्षेप में दो-तीन बातें कहना चाहूंगा। हमने मंत्री महोदय का जवाब सुना। आपने काफी भूमिका बतायी जिसके कारण से यह बिल लाना पड़ रहा है। डिबेट के समय कई बातें आयीं। दो-तीन बातों का हम चाहते हैं कि मंत्री महोदय स्पष्टीकरण करें इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन्होंने जान-बूझकर उन बातों को छोड़ा होगा।

दूसरे मंत्री कह रहे हैं कि किसानों को हम सब्सिडी देंगे। मैंने उस वक्त भी कहा था, फिर पूछना चाहता हूं कि यह जो इन्टरनेशनल व्यापार संगठन आप का है, जिसके आप भागीदार हो, जिसके आप सदस्य बन गये हो, उसकी कंडीशंस हैं, आप अधिक से अधिक कितनी सब्सिडी किसान को इस मद में दे पाओगे? इतनी मंत्री महोदय हम को जानकारी देना चाहें तो दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात यह जानना चाहता हूं कि इस बिल के पास होने के बाद हमारा स्टेट का ऊर्जा मंत्रालय रहेगा कि नहीं रहेगा? यदि रहेगा तो उसके क्या फंक्शंस होंगे? आज, उर्जा मंत्री जी, उर्जा मंत्रालय का बिजली के उत्पादन पर, डिस्ट्रीब्यूशन पर, कन्जम्प्शन पर, सब पर अधिकार है और वे किसी भी तरह का एक्शन ले सकते हैं। क्या कल इस बिल के पास होने के बाद में ऊर्जा मंत्रालय का कोई अस्तित्व रहेगा, कोई उपयोगिता रहेगी, यह भी आप स्पष्ट करें।

उपाध्यक्ष महोदय, तीसरी बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पावर ऑफ दी स्टेट गवर्नमैंट में स्टेट गवर्नमैंट ने पावर्स ली हैं इस बिल में। बिजली से सम्बन्धित किसी भी कानून में....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसका जवाब आ चुका है।

श्री शिवनाथ सिंह : नहीं आया। मैं जो कह रहा हूं उसका नहीं आया।

उपाध्यक्ष महोदय, आज यह बिल पास होने के बाद इस बिल में, बिजली के सम्बन्ध में किसी कानून में यह सरकार, यह सदन संशोधन नहीं ला सकता जब तक कि यह कमीशन आपको इजाजत नहीं दे। आपको कमीशन की परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम यह अमैंडमैंट करना चाहते हैं और यदि कमीशन आपको इजाजत नहीं देता हैं तो हम अमैंडमैंट नहीं ला सकते। यह बहुत स्पष्ट आपने कहा है, जहां गवर्नमैंट के पावर्स के लिए आपने कहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, आखरी बात जो पीड़ादायक है वह मैं निवेदन करना चाहूंगा। मंत्री महोदय देख लें, राजस्थान के किसी भी कानून में जिनमें जन-प्रतिनिधियों का कोई भी स्थान नहीं रखा गया है, चाहे कम हो चाहे बेसी हो लेकिन जन-प्रतिनिधियों को वहां प्रतिनिधित्व दिया गया है। लेकिन +++ बात इस बिल में यह रखी गयी है कि एम. पी., एम. एल. ए. और किसी पार्टी का पदाधिकारी इसका सदस्य नहीं बन सकता। यह नहीं लिखते तो आपको क्या पीड़ा होती थी?

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री शिवनाथ सिंह)

आपने हम को डिसक्वालिफाई क्यों किया? उपाध्यक्ष महोदय, दो बातें होती हैं, डिसक्वालिफाई करना और एक यह कि साधारण तरह से आप और हम को नहीं लेते। एम. एल. ए. को मत लो, एम. पी. को मत लो और किसी भी पार्टी के पदाधिकारी को मत लो लेकिन यह कह कर कि आप डिसक्वालिफाइड हो, आपको क्या संतोष होता है? हमारा अपमान करके, पार्टीज का अपमान कर के, विधायक और एमपीज का अपमान कर के आपको क्या मिल रहा है? उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात जानना चाहता हूं, मुझे पीड़ा है कि क्यों इस प्रकार का रखा गया है। डिसक्वालिफिकेशन में हम को रख दिया। क्वालिफिकेशन में हम को मत रखो, हम को अलग छोड़ दो लेकिन डिसक्वालिफिकेशन में आप हम को रख रहे हो, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि ऐसा अपमान क्यों किया गया है हमारा?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री हेमाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये, प्लीज। (व्यवधान) क्या बोलना है, बोलो।

श्री हेमाराम चौधरी : एक घंटे से हाथ खड़ा कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बोलो आप भी बोलो।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से एक ही बात का निवेदन करना चाहता हूं, ज्यादा समय नहीं लेना चाहता।

पहले यह बोर्ड था, मंत्री जी ने इस पवित्र सदन में बजट सैशन में यह आश्वासन दिया कि जिन काश्तकारों के डिमांड के पैसे जमा हैं उन सभी काश्तकारों को राजस्थान में 30 अप्रेल तक कनेक्शन दे दिया जाएगा। नहीं दिया तो कह दो नहीं दिया था। 30 अप्रेल की जगह आज 25 सितम्बर हो गयी, अभी तक उन काश्तकारों को कनेक्शन नहीं मिला है। यह बोर्ड था, आपने आश्वासन दिया, बोर्ड भी आपके आश्वासन की कुछ पालना नहीं कर रहा है, सुनवाई नहीं कर रहा है तो फिर इससे आगे और अब क्या होने जा रहा है, अब क्या होगा, इसका आप अंदाजा लगा लें। अगर आप नहीं कर सकते थे तो आपके साथ किसने जबरदस्ती की थी जिसकी वजह से आपने आश्वासन दिया? विधान सभा में आप कोई बात का आश्वासन देते हो और उसमें कुछ अमल नहीं होता है तो फिर हम विधान सभा में जो कुछ चर्चा करते हैं, जो कुछ कानून पास करते हैं, जो कुछ आश्वासन देते हैं उसका अर्थ क्या रहता है, यह बता दो। मैं वहां जाकर लोगों को क्या जवाब दूं? मैंने लोगों को यह बात कही कि जिन लोगों के डिमांड के पैसे जमा हैं उन सब लोगों को 30 अप्रेल तक कनेक्शन दे दिया जाएगा, यह हमारी सरकार के मंत्री जी ने विधान सभा के अन्दर आश्वासन दे दिया है इसलिए अब इस बोर्ड की कोई औकात नहीं है, कोई ताकत नहीं है कि वह 30 अप्रेल तक कनेक्शन नहीं दे। देना पड़ेगा इनको, झक मार कर देना पड़ेगा। आज उन लोगों के

(श्री हेमाराम चौधरी)

सामने मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है, मैं उनको क्या जवाब दूं ? इस लोक सभा चुनाव में मुझे कितना सामना करना पड़ा मुझे कितना सुनना पड़ा ? और इस चुनाव में कितना नुकसान होगा कितना खामियाजा भुगतना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को, यह तो परिणाम आएंगे तब पता लगेगा । लेकिन कितना ही समझाएं, लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं क्योंकि कथनी और करनी में अन्तर है ।

श्री उपाध्यक्ष : बात हो गयी आपकी, जवाब दे देंगे मंत्रीजी । आप यही तो चाह रहे हैं न कि क्या हुआ ?

श्री हेमाराम चौधरी : नहीं । उपाध्यक्ष महोदय, कथनी और करनी में अन्तर होगा उस दिन आपके ऊपर से पब्लिक का विश्वास हट जायेगा और जिस दिन पब्लिक का विश्वास हट जाएगा, आप और हम कहीं के नहीं रहेंगे कोई नहीं पूछेगा, +++ हमारा वह हाल होगा जैसा बी.जे.पी. का हुआ है उससे भी ज्यादा खराब हाल होगा क्योंकि हमारी कथनी और करनी में फर्क है । हम यहां बैठकर इतना समय व्यर्थ खर्च करते हैं । आप मेरे को समय नहीं दे रहे हैं तो बात तो महत्वपूर्ण ही है । अब आज आप जवाब दे दें कि 30 अप्रेल का जो आश्वासन दिया था आप इसको कब पूरा करवा देंगे । अगर आप इसको पूरा नहीं करवाएंगे तो 15 अक्टूबर का टाइम मैं देता हूं, 15 अक्टूबर तक आपने अगर इन कनेक्शंस को नहीं करवाया, डिमाण्ड के जिनके पैसे जमा हैं उन लोगों का कनेक्शन आपने नहीं करवाया, 575 की सूची मुझे दी है, सवाल का जवाब दिया है उपखण्ड सिणधरी, धोरीमन्ना और गुढ़ामालानी का है, अगर आपने नहीं करवाया तो 15 अक्टूबर के बाद 16 अक्टूबर को हेमाराम आमरण अनशन पर बैठेगा । यह मैं विधान सभा में घोषणा करता हूं । इससे अधिक और मैं क्या कहूं ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । माननीय मंत्रीजी ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपकी आज्ञा हो तो मैं पुन: निवेदन करना चाहती हूं । मेरा खण्ड 4 में जो संशोधन था उसको तो मंत्री महोदय ने माना नहीं । मुझे यह निवेदन करना है कि या तो मंत्री महोदय घोषणा करें कि 1400 करोड़ रुपये का जो अनुदान काश्तकारों को अब तक देते आये हैं वह देते रहेंगे या बिजली की दर...

श्री उपाध्यक्ष : यह तो कह दिया न उन्होंने ।

श्री सुमित्रा सिंह : नहीं, सुनिये ।

श्री उपाध्यक्ष : शिवनाथ सिंह जी ने कह दिया न ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं, मुझे भी तो कहना है न । उसे यदि नहीं देंगे तो फिर मैं भी वैल में बैठ रही हूं । यह मैं कह रही हूं कि मुझे वैल में बैठना है ।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह द्वारा सदन कूप में धरना)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

श्री श्रवण कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, यह वैल में बैठने का इनका बहाना है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें। यह कोई तरीका नहीं है। आप पर बैठे रहो। बैठ जाइये। माननीय मंत्रीजी।

श्री श्रवण कुमार : माननीय जगमाल सिंह जी, मैं आपका सैकिण्ड भाई हूं। (व्यवधान) हम किसान के हित में कर सकते हैं, अहित में कभी नहीं करेंगे। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गुढ़ामालानी से निर्वाचित होकर आने वाले माननीय सदस्य का जो कष्ट है उसको हमें समझना चाहिए। ये ठीक कह रहे हैं। इनके क्षेत्र में कई सालों से एग्रीकल्चर के कनेक्शंस लम्बित हैं। ये आज से नहीं हैं, करीब 5–6 साल पहले डिमाण्ड नोट के पैसे भी जमा हो गये थे और ये मसला लाये थे। यह सवाल इन्होंने उठाया था, मैंने उसकी रिप्लाई दी थी और ये ठीक कह रहे हैं, मैंने आश्वासन भी दिया था, यह कहना तो शायद पूरी तरह से सही नहीं है कि 450–500 कनेक्शन थे उनमें से एक भी कनेक्शन नहीं हुआ है। लेकिन यह कहना इनका सही है कि—

श्री हेमाराम चौधरी : कितने हुए हैं, बता दो आप।

डा. चन्द्रभान : एक बार पहले भी ये मेरे से मिले थे, तब इन्होंने कहा था कि 50 या 60 कनेक्शन हुए हैं। उसके बाद मैंने खुद अधिकारियों को निर्देश दिये, हमारे मैम्बर (डिस्ट्रीब्यूशन) को कहा। मैं खुद बाड़मेर में भी गया था, इनके साथ इनके क्षेत्र में भी गया था जी. एस. एस. का उद्घाटन करने। तब भी यह सवाल उठा था। यही तो दिक्कत है, उपाध्यक्ष महोदय, कि हमारे पास संसाधन नहीं हैं इसलिए हम चाहते हुए भी कनेक्शंस नहीं दे पाते हैं, सिस्टम का विस्तार नहीं कर पाते हैं, सिस्टम का सुदृढ़ीकरण नहीं कर पाते हैं। चाहते हुए भी हम कई बार बिजली भी नहीं खरीद पाते हैं और लोगों की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति नहीं कर पाते हैं। इसीलिए तो इन सुधार के कार्यक्रमों की आवश्यकता है।

श्री श्रवण कुमार : तो ये माननीय सदस्य आमरण अनशन पर बैठेंगे। 15 तारीख से। हमारा एक सदस्य मर जाएगा 15 तारीख को। बताओ तो सही आप करेंगे क्या? आमरण अनशन पर बैठेगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजें। आप इनको सुनें तो सही।

श्री हेमाराम चौधरी : यह डिफिकल्टी है तो फिर आश्वासन तो मत दो न। मतलब यह तो मत कहो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका जवाब दे रहे हैं वह सुनें। आपका जवाब दे दें सबसे पहले।

डा. चन्द्रभान : अब मैं माननीय सदस्य को इतना ही आश्वासन दे सकता हूं, इस वर्ष हम लोगों ने एक फैसला किया है कि

(डा. चन्द्रभान)

जिन लोगों के डिमाण्ड नोट के पैसे जमा हैं ... (व्यवधान) हां, सबके। जो हमने अबकी बार बजट में घोषणा की 30 हजार एग्रीकल्चर कनेक्शन देने की, इसकी हम पूर्ति करेंगे। मैंने तो कहा है कि यथासंभव कोशिश यही करेंगे कि 31 दिसम्बर तक दे दें जिससे किसान रबी की फसल को ले सकें। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, वही दिक्कत है, घुरी में अर्थ है। इतना मैं आश्वस्त कर सकता हूं कि इस वित्तीय वर्ष में ऐसे सब लोगों को कनेक्शंस दे दिये जाएंगे। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गयी है।

श्री हेमाराम चौधरी : पिछले 30 अप्रैल से यह वित्तीय वर्ष आ गया पूरा 15 अक्टूबर से पहले आप देते हो या नहीं देते हो? यह कह देना। नहीं तो जैसा भी होगा, होगा।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

डा. चन्द्रभान : एक बार दिसम्बर तक ठीक कर देंगे, उपाध्यक्ष महोदय। इतना तो मैं आश्वासन दे ही सकता हूं।

श्री हेमाराम चौधरी : दिसम्बर कौनसा? दिसम्बर किसके काम आएगा? काश्तकार तो बुवाई अक्टूबर में शुरू करेगा। इस फसल पर तो अकाल पड़ा और आप इस सीजन से पहले कनेक्शन नहीं दें तो दिसम्बर किसके काम आएगा?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, वे लोग तो चले गये नहीं तो मैं बताता इन्होंने टारगेट फिक्स किये थे बीस हजार के उस 20 हजार को बढ़ाकर हमने 25 हजार किया है।

श्री श्रवण कुमार : वे किसान के हितैषी नहीं हैं।

डा. चन्द्रभान : उनमें से ढाई-तीन हजार कनेक्शन तो हमने अप्रैल के बाद दिये हैं। अबकी बार। यह बैकलाग चला आ रहा है, मैं खुद इसको स्वीकार कर रहा हूं। इसको हम करेंगे हर हालत में, दिसम्बर तक कर देंगे।

श्री हेमाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, 15 अक्टूबर तक नहीं करेंगे तो मैं आज ही बैठ जाऊंगा। जब 15 को मरना है तो आज ही मरूं न। मेरी बात का तो बिलकुल विरोध कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर आर्डर।

डा. चन्द्रभान : मैं इनकी पीड़ा को समझ रहा हूं।

श्री वृद्धिचन्द जैन : 31 दिसम्बर तक तो हम इन्तजार नहीं करेंगे।

श्री हेमाराम चौधरी : 31 दिसम्बर किसके काम आएगा, फसल की बुवाई तो अभी अक्टूबर में शुरू होगी।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : डा. साहब, आपके आश्वासन की क्या वैल्यू रही? आपने पहले भी आश्वासन दिया और उसके बाद में यह बात बड़ी पीड़ा के साथ कह रहे हैं। इनके 15 अक्टूबर की इस बात को Why don't you take it seriously?

श्री श्रवण कुमार : यह कांग्रेस से जीत

(श्री श्रवण कुमार)

कर आएंगे और +++ (व्यवधान) 15 अक्टूबर के बाद वे भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे, हमारा सदस्य मर जाएगा। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : जब आपके पास संसाधन नहीं थे तो आपने पहले 30 अप्रेल का एश्योरेंस क्यों दिया। इसका मतलब आपका सारा कैलकुलेशन गलत था। What is the importance of your assurance ?

श्री हेमाराम चौधरी : आप 15 अक्टूबर तक का आश्वासन नहीं देते हैं तो मैं आज ही बैठूंगा।

श्री श्रवण कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा एक सदस्य भूख हड़ताल पर बैठेगा और जब हमारा सदस्य मर जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी चन्द्रभानजी की होगी। हमें इस बात के लिए आश्वस्त करें ताकि हमारा सदस्य अनशन पर नहीं बैठे वरना इस बात का मैं भी विरोध करूंगा। (व्यवधान) हमारा सदस्य भूख हड़ताल पर नहीं बैठना चाहिए। इस बात का मैं विरोध कर रहा हूं।

श्री हेमाराम चौधरी : .... (व्यवधान) पांच महीने हो चुके हैं। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : हमारे सदस्य की बात को....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनना चाहते हो कि नहीं सुनना चाहते हो ?

श्री श्रवण कुमार : जो सदस्य 50 हजार वोटों से जीत कर आया है उस आदमी की बात की ताईद नहीं की जा रही है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप जवाब सुनना चाहते हो उनका ?

श्री श्रवण कुमार : मैं कहना चाहता हूं कि वे भूख हड़ताल पर बैठ गये तो ये मर नहीं जाएंगे क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : आप जवाब नहीं सुनना चाहते हैं ?

श्री श्रवण कुमार : मैं जवाब सुनना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजो न तो। तकलीफ उनकी है, वे जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : वे भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे और मर जाएंगे तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी ?

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : आपके पास जितने भी संसाधन हैं अगर आप 31 दिसम्बर तक कर सकते हैं तो 15 अक्टूबर तक क्यों नहीं कर सकते हैं ? आप 30 अप्रेल से लेकर इतना .. (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : आप सुनिये तो सही।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : मैं सुन रहा हूं।

श्री श्रवण कुमार : ऊर्जा महत्वपूर्ण विषय है।

+++अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(डा. चन्द्रभान)

है । फार एग्जाम्पल फ्लेट रेट है, फ्लेट रेट पुरानी चल रही है, फ्लैट रेट से तो एवरेज 25 नये पैसे ही पड़ता है । और फिर टी. एण्ड डी. लालेज भी हैं, थैफ्ट में भी हैं, सब कम्पोनेंट इसमें शामिल हैं, यह इतना ही नहीं है । लेकिन मैं इस सदन को आश्वस्त करता हूं, इस सरकार की मंशा को आप भी अच्छी तरह जानते हो, जब केवल एक रबी की फसल के लिए सौ करोड़ रुपया दे सकते हैं और एक अकाल के ऊपर यह सरकार 500 करोड़ रुपये खर्च कर सकती है, दस अरब रुपये खर्च करने का मानस रखती है तो आप इतनी क्यों आशंका रखते हैं कि यह सरकार किसानों को सब्सिडी नहीं देगी ?

अन्त में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि ये सुधार के कार्यक्रम राज्य के हित में हैं । सुधार के कार्यक्रम लागू होने से राजस्थान में विद्युत क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा, निश्चित रूप से विद्युत का उत्पादन बढ़ेगा । पारेषण और वितरण का जो हमारा तंत्र है उसका हम विकास कर सकेंगे, उसका उन्नयन कर सकेंगे, उसको सुदृढ़ कर सकेंगे, उसका विस्तार कर सकेंगे । जो लाखों लोगों के कनेक्शन बकाया हैं उनको कनेक्शन दे पाएंगे और राज्य की जनता की जो विद्युत की आपूर्ति की वर्तमान व्यवस्था है उसमें हम सुधार कर सकेंगे । इसलिए मैं आपके माध्यम से सदन के सभी माननीय सदस्यों से पुनः हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि राज्य के हित में इस विधेयक को पारित करें ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान पावर सैक्टर सुधार विधेयक, 1999 को पारित किया जाए ?

(स्वीकृत)

राजस्थान पावर सैक्टर सुधार विधेयक, 1999 पारित किया गया ।

माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी ।

श्री बनवारी लाल बैरवा (समाज कल्याण मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल इस सदन के अन्दर नगर से आने वाले सदस्य तथा उनके साथ बी.जे.पी. के अन्य माननीय सदस्यों ने गांधी नगर स्थित शिशु गृह में कुछ बच्चों की मौत के बारे में प्रश्न उठाये थे । मुझे अफसोस है कि आज वे इसका उत्तर सुने बिना चले गये । उनको तसल्ली रखनी चाहिए थी, जवाब सुनकर जाना चाहिए था ।

उपाध्यक्ष महोदय, परित्यक्त बच्चों तथा निराश्रित नवजात बच्चों की देख-रेख के लिए विभाग द्वारा शिशु गृह का संचालन जयपुर में दिनांक 28.2.70 से किया जा रहा है । यह कांग्रेस रिजीम के अन्दर चालू हुआ था । इस संस्था में जन्म से पांच वर्ष तक के बच्चों को पुलिस द्वारा, कल्याण बोर्ड द्वारा एवं झूले में पाए जाने पर प्रवेश दिया जाता है । इन शिशुओं को इस गृह में रख कर लालन-पालन की सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती हैं ।

इस संस्था में पचास परित्यक्त तथा निराश्रित नवजात बच्चों को रखे जाने की व्यवस्था है । वर्तमान में 40 शिशु इस गृह में आवास कर रहे हैं । इन बच्चों की देख-रेख के लिए निम्न स्टाफ है :—

(श्री बनवारी लाल बैरवा)

अधीक्षक	1
परिवीक्षा अधिकारी	1
नर्स	4
सहायिकाएं	12
चौकीदार	2
स्वीपर	2
वरिष्ठ लिपिक	1

इस संस्था में अधिकांशतः नवजात शिशुओं को झूले के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। ये बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें गर्भ में आने पर माता द्वारा भ्रूण हत्या करने का प्रयास किया जाता है और जन्म नहीं देने का निरन्तर प्रयास किया जाता है। दैव योग से जब ये बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी स्थिति प्रायः मृत समान होती है जिन्हें शिशु गृह द्वारा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराकर जीवित रखने का प्रयास किया जाता है। जिसमें कभी सफलता तो कभी असफलता मिलती है। असुरक्षित प्रसव के कारण नवजात शिशु अत्यधिक कुपोषित, पीलिया, खून की कमी, डायरिया, टिटनेस, टाकसिनिया (जहरीला खून), निमोनिया, शॉक, जन्म से तपेदिक (दिमागी तपेदिक) ब्रेन में पस भरना, मलेरिया, जन्म से संक्रमण, जन्म से निमोनिया, नाल में पस एवं शॉक फिट्स, प्री मैच्योर प्रसव आदि रोगों से ग्रस्त होकर झूले में आते हैं जिन्हें तत्काल जे.के. लोन हास्पिटल में जांच के लिये भेजा जाता है। डाक्टर की सलाहनुसार निरन्तर उपचार दिया जाता है।

संस्था में बच्चों की जांच हेतु सप्ताह में एक बार डाक्टर आते हैं जो न केवल बच्चों की वरन् उनको दिये जाने वाले भोजन की भी जांच करते हैं। आवश्यकता होने पर डाक्टर को बीच में भी बुलाया जाता है। संस्था में इन बच्चों की देखरेख के लिए 4 नर्स 8-8 घण्टे के अन्तराल पर देखभाल करती हैं। इसके साथ ही 12 सहायिकाएं भी बच्चों की देखरेख करती हैं। परन्तु इन सहायिकाओं की कमी तब महसूस होती है जब संस्था के बच्चों को उपचार के लिए जे.के. लोन हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। तब उनकी निरन्तर देखभाल के लिए सहायिकाओं को अस्पताल में भेजा जाता है। विभाग द्वारा बच्चों की देखरेख में धन की कमी नहीं आने दी जाती है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि दिनांक 1.9.99 से 19.9.99 तक जिन 9 बच्चों की मृत्यु हुई है, उसमें दवाइयों की कमी या उपचार में कोई कमी नहीं हुई है। इन बच्चों की मृत्यु का कारण असुरक्षित प्रसव के कारण जन्म से ही होने वाले रोग एवं अत्यन्त कुपोषण का होना है। मैं सदन को यह अवगत कराना आवश्यक समझता हूं कि इस प्रकार की परिस्थितियों में बालक-बालिकाओं की असामयिक मृत्यु विगत वर्षों में पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में भी हुई है।

इन सेवाओं को और भी सक्षम बनाने हेतु इस संस्था में ऐसे नवजात शिशुओं की गहन देखरेख हेतु नर्सरी रूम की व्यवस्था की जाएगी जिनमें उनकी जन्मजात रोगों की प्राथमिक चिकित्सा एवं विशेष देखभाल की जा सके। इसकी व्यवस्था एवं तकनीकी देखभाल के लिए चिकित्सा विभाग से 3 स्टाफ नर्स को प्रतिनियुक्ति पर लगाया जाएगा, जो ऐसे नवजात बच्चों की देखभाल कर सकें।

(श्री बनवारी लाल बैरवा)

यह भी निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक दिन चिकित्सक संस्था में बच्चों को देखने के लिये आये। चिकित्सा विभाग से निवेदन किया जाएगा कि जे.के. लोन हास्पिटल में इन बच्चों की चिकित्सा हेतु एक ही वार्ड में 3–4 पलंग आवंटित करे ताकि बच्चों के बीमार होने पर उन्हें एक साथ रखते हुए शिशु गृह से 1–2 सेविकाओं के माध्यम से देखभाल कराई जा सके और शिशु गृह में पर्याप्त स्टाफ मौजूद रह सके। इसके अलावा विभाग ने यह भी निर्णय लिया है कि शिशु गृह परिसर में जो बालिका गृह संचालित है जिसमें 17–18 वर्ष की निराश्रित लड़कियां रह कर अध्ययन करती हैं, इनमें से 3-4 बालिकाओं की सेवाएं शिशु गृह में लिया जाना प्रस्तावित है जिसके लिए उन्हें एक निर्धारित मानदेय दिया जाएगा। यह मानदेय इन बालिकाओं के खाते खोलकर जमा कराया जाएगा। भविष्य में इनका विवाह या पुनर्वास होने पर उक्त संचित राशि उन्हें एक मुश्त भुगतान हो सकेगी। साथ ही संस्था के छोटे-छोटे बच्चे जो भाई-बहनों की तरह रहते हैं, वहां रह सकें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1 सितम्बर से 19 सितम्बर तक मृतक शिशुओं का विवरण निम्न प्रकार है :—

नं. 1—अक्षत 2.7.99 को प्रवेश हुआ उसका, 3–4 दिन उसकी उम्र थी। उसको अस्पताल में 27.1.99, 2.8.99, 5.8.99, 26.8.99, 31 9.99 को दिखाया गया। 28.6.99 से 12.7.99 तक, 23.7.99, 26.7.99, 11.8.99 से 15.8.99 तक व 20.8.99 से 25.8.99 तक भर्ती रखा गया। 1.9.99 को 7.45 बजे शिशु गृह में इस बच्चे की मृत्यु हो गई। इसके ऊपर जो तस्दीक की गई इसमें प्रीमैच्योर शिशु और शॉक पीलिया की तस्दीक की गई। इसके इलाज के ऊपर 5,961 रुपये खर्च हुए।

नं. 2—अंकिता 5.8.99 को शिशु गृह में भर्ती हुई। 3 दिन की उम्र में वह आई थी। 5.8.99; 24.8.99, 25.8.99, 28.8.99 और 31.8.99 को उसको डाक्टर को दिखाया गया। 13.8.99 से 22.8.99 तक उसको भर्ती रखा गया। 2.9.99 को 3 बजे शिशु गृह में उसका देहांत हो गया। मृत्यु के समय उसकी उम्र 1 माह थी। उस का जो इन्वैस्टीगेशन किया गया उसमें शॉक, फिट्स दौरे पाये गये। इसके ऊपर इलाज में 3,600 रुपये का खर्चा हुआ।

नं. 3—श्वेता 15.7.99 को शिशु गृह में आई। एक दिन की उम्र थी। 27.7.99 व 2.9.99 को इसको डाक्टर को दिखाया गया। 15.7.99 से 18.7.99 तक, 23.7.99 से 5.8.99 तक, 11.8.99 से 15.8.99 तक, 24.8.99 से 28.8.99 तक और 4.9.99 को भर्ती कराया गया। दिनांक 4.9.99 को इसकी डैथ जे.के. लोन हॉस्पिटल के अन्दर हो गई। इसके ऊपर 2,567 रुपये का खर्चा दवाओं का हुआ।

नं. 4—कुन्ती, 6.9.99 को भर्ती हुई और कुछ घंटे की उम्र थी तब यह आई। 6.9.99 को डाक्टर को दिखाया गया, 6.9.99 को भर्ती कराया गया। 6.9.99 को 4 बजे जे.के. लोन हॉस्पिटल में इसका देहांत हो गया। इसके ऊपर 373 रुपये 12 पैसे का खर्चा हुआ।

नं. 5—अनिता 31.8.99 को 24 दिन

(श्री बनवारी लाल बैरवा)

की उम्र में भर्ती हुई। 31.8.99, 2.9.99, 7.9.99, 10.9.99, 13.9.99 को इसको डाक्टर को दिखाया गया 14.9.99 को इसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। 14.9.99 को एक बजे शिशु गृह में इसका देहांत हो गया। लगभग एक माह की उम्र थी। इसके ऊपर 21.64 रुपये का खर्चा हुआ क्योंकि मलेरिया संक्रमण हुआ था। मलेरिया के इलाज के लिए हॉस्पिटल से भी इसको दवाइयां दी गईं।

नं. 6–माया 4.9.99 को 3–4 माह की बच्ची थी जो पालने के ऊपर मिली। 4.9.99 को, 8.9.99 को डाक्टर को दिखाया गया। 13.9.99 से 14.9.99 तक भर्ती रही और 14.9.99 को जे.के. लोन हॉस्पिटल में इसका देहांत हो गया। इसके ऊपर 540 रुपये का खर्चा आया।

नं. 7–राखी 23.8.99 को लगभग 3–4 माह की थी। 24.8.99 को इसको डाक्टर को दिखाया गया। 31.8.99 को डाक्टर को दिखाया गया और 14.9.99 को भर्ती कराया गया। 14.9.99 को 10.45 बजे इसका देहांत हो गया। इसके ऊपर 372 रुपये का दवाओं का खर्चा आया।

नं. 8–करण 9.9.99 को एक दिन की उम्र का आया। 9.9.99 को इसको डाक्टर को दिखाया गया 13.9.99 को इसको भर्ती कराया गया। 14.9.99 को जे.के. लोन हास्पिटल में इसका देहांत हो गया। 106 रुपये इसकी दवाओं पर खर्चा हुआ।

नं. 9–स्मृति का 20.8.99 को प्रवेश हुआ। 5 दिन की उम्र की यह आई थी। 21.8.99 को, 7.9.99 को, 8.9.99 को इसको दिखाया गया और 23.8.99 से 29.8.99 तक, 9.9.99 से 19.9.99 तक भर्ती रही। 19.9.99 को 1.30 बजे इस का देहांत हो गया। यह टोक्समिनिया बीमारी से ग्रसित थी। 3,905 रुपये इसकी दवाओं के ऊपर खर्चा हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। राष्ट्रगान होगा।

जन गण मन अधिनायक जय हे
भारत भाग्य विधाता
पंजाब सिन्धु गुजरात मराठा
द्राविड़ उत्कल बंगा
विन्ध्य हिमाचल यमुना गंगा
उच्छल जलधि तरंगा
तव शुभ नामे जागे
तव शुभ आशिष मांगे
गाये तव जय गाथा
जन गण मंगलदायक जय हे
भारत भाग्य विधाता
जय हे जय हे जय हे
जय जय जय जय हे।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.59 बजे अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।)